लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(छठा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 51 (25)
Date 29. 12. 81

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 16, सोमवार, 7 सितम्बर, 1981/16 भाद्र, 1903 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 307, से 314,	...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 305, 306, 365, 317 से 322, 324 से 326 और 114	...	21-28
अतारांकित प्रश्न संख्या 3001, से 3046, 3048 से 3088, 3090 से 3115, 3117 से 3139, 3141 से 3158, 3160 से 3194, 3196 3198 और 3200	...	28-170
2 सितम्बर, 1981 को सदन के कथित गुमराह किये जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री, श्री आर. वेंकटरामन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	...	170-176
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	176-178
चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति का गठन करने के बारे में वक्तव्य श्री बी. शंकरानन्द	...	178-180
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
मनीआर्डरों के मामले में कदाचार के लिये डाक-कर्मचारियों के विरुद्ध कथित शिकायतें		
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	...	181
श्री सी. एम. स्टीफन	...	181-193
श्री बी. वी. देसाई	...	186-188

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री जनार्दन पुजारी ... 188-189
श्रीकृष्ण प्रताप सिंह ... 189-191
श्री जैनुल बशर ... 191-193

चापरमुख-शिलाघाट रेल लाइन और काटाखल-ललाबाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक-पुरःस्थापितकि या गया ... 194

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में खान इंजीनियरी के एक डिगरी कालेज की आवश्यकता

श्री रास बिहारी बहेरा ... 194-195

(दो) रेमिंगटन रेण्डस के हावड़ा स्थित कारखाने को बनाये रखने की आवश्यकता

श्री समर मुखर्जी ... 195

(तीन) लोको रनिंग स्टाफ के दो कार्मिक संघ नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने का समाचार

श्री जार्ज फर्नान्डीस ... 195

(चार) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता

श्री केयूर भूषण ... 196-197

(पांच) भूतपूर्व सैनिको और स्वतन्त्रता सेनानियों को मनीआर्डर द्वारा पेंशन का भुगतान करने की आवश्यकता

श्री महावीर प्रसाद ... 197

(छः) हजारीबाग में बन्द पड़ी सभी कोयला खानों में खनन कार्य पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता।

श्री एन. ई. होरो ... 197-198

(सात) उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों तथा अल्प संख्यक समुदायों के लोगों पर पुलिस द्वारा कथित अत्याचार

श्री जयपाल सिंह कश्यप ... 198

भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री एम. एस. संजीवा राव ... 199-201

श्री जगपाल सिंह ... 201-203

श्री जेवियर अराक्कल ... 203-205
श्री एम. एस. के. सत्येन्द्रन ... 205-206
श्री आर. के.महालगी ... 206-214
श्री एन. डेनिस ... 208-209
श्री के. ए. राजन ... 210
श्री जयपाल सिंह कश्यप ... 211
राव बीरेन्द्र सिंह ... 209-216
खण्ड 2 से 26 और ।
पास करने का प्रस्ताव
राव बीरेन्द्र सिंह ... 217

बर्मा आयल कम्पनी (आयल इण्डियन लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड और दि. बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिनिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ... 217-236
श्री आर. पी. दास ... 219-220
श्री संतोष मोहन देव ... 221-223
श्री राजेश कुमार सिंह ... 223-224
श्री एम. राम गोपाल रेड्डी ... 224-229
श्री सूर्यनारायण सिंह ... 225-226
श्री हरीश कुमार गंगवार ... 226

खंड 2 से 22 और 1
पास करने का प्रस्ताव
श्री पी. सी. सेठी ... 237

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1981-82
डा. सरदीश राय ... 241-244

आधे घन्टे की चर्चा
गांधी सागर क्षेत्र, मध्य प्रदेश में बांधों का निर्माण
श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 244-253
श्री नवल किशोर शर्मा ... 248-254
श्री हरिकेश बहादुर ... 249-250
श्री जेड. आर. अंसारी ... 250-254

लोक सभा

सोमवार 7 सितम्बर 1981/16 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : डा. ए. यू. आजमी—अनुपस्थित। श्री के मालन्ना—अनुपस्थित। श्री जगपाल सिंह—अनुपस्थित। क्या मैं इसके विरोध में सभा छोड़कर चला जाऊं ? श्री रशीद मसूद।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरक की कीमत में वृद्धि का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

*307. **श्री जगपाल सिंह** :

†**श्री रशीद मसूद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में अब तक उर्वरकों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण उर्वरकों की खपत तथा इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन पर पड़े प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सांवधिक रूप से नियंत्रित विभिन्न उर्वरकों के मूल्यों तथा 10-3-1979 से उसमें की गई वृद्धि को दर्शाने वाला एक **बिवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) तथा (ग) गत दो वर्षों के दौरान उर्वरक की खपत निम्न प्रकार थी :

वर्ष	उर्वरक की खपत (लाख मीटरी टन एन+पी+के)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर (प्रतिशत)
1979-80	52.56	2.7
1980-81	55.16	4.9

मूल्य स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल होने के बावजूद 1979-80 में खपत की वृद्धि दर 1980-81 की तुलना में कम थी क्योंकि भयंकर सूखे के कारण 1979-80 में उर्वरक की खपत पर प्रभाव पड़ा था।

जब तक उर्वरक के उपयोग की लागत-लाभ का अनुपात अनुकूल रहता है तब तक इसके मूल्य में होने वाली वृद्धि से कृषकों द्वारा किये जाने वाले उर्वरकों के उपयोग पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ता है। लागत लाभ-अनुपात केवल उर्वरक के मूल्य पर ही नहीं बल्कि कृषकों की फसलों से मिलने वाले मूल्य तथा उपयोग किए गये पौषक तत्व की प्रति यूनिट से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन के रूप में मिले अनुपात पर भी निर्भर करता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि एक ही घटक अर्थात् मूल्य का उर्वरक की खपत तथा इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन पर अलग-अलग कितना प्रभाव पड़ता है, बताना कठिन है क्योंकि उर्वरक की खपत अनेक बातों अर्थात् सिंचाई। अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत सस्य गत क्षेत्र, मौसम, उर्वरक की उपलब्धि, ऋण, कृषकों में जागरूकता, फसल के मूल्य आदि पर भी निर्भर करती है। इन बातों को सरलता से नहीं नापा जा सकता।

विवरण

सावधिक नियंत्रण के तहत उर्वरकों के फुटकर मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए प्रति मीटरी टन)

क्रम संख्या	उर्वरक का नाम	10-3-79 से मूल्य	8-6-80 से मूल्य	11-7-81 से मूल्य	बढ़ाया गया मूल्य (कालम 5-3) धनराशि	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	यूरिया (46 प्रतिशत एन)	1450	2000	2350	900	62.07
2.	म्युरेट आफ पोटाश (60 प्रतिशत के)	805	1100	1300	495	61.49
3.	सल्फेट आफ पोटाश (50 प्रतिशत के)	1295	1800	2100	805	62.16
4.	डाई-अमौनियम फास्फेट (18-46-0)	2200	3050	3600	1400	63.64
5.	एन. पी. के (17-17-17)	1600	2200	2600	1000	62.50
6.	एन. पी. के (15-15-15)	1300	1800	2100	800	61.54
7.	एन. पी. के (19-19-19)	1800	2500	2950	1150	63.89
8.	अमौनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	1600	2200	2600	1000	62.50
9.	नाइट्रो-फास्फेट (20-20-20)	1500	2050	2400	900	60.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	अमौनियम फास्फेट (16-20-0)	1400	1950	2300	900	64.29
11.	यूरिया अमौनियम फास्फेट (24-24-0)	1900	2600	3050	1150	60.53
12.	यूरिया अमौनियम फास्फेट (28-28-0)	2200	3050	3600	1400	63.64
13-	एन. पी. के. (14-28-14)	1900	2600	3050	1150	60.53
14.	एन. पी. के. (10-26-26)	1800	2500	2950	1150	63.89
15.	एन. पी. के. (14-35-14)	2100	2900	3400	1300	61.90
16.	एन. पी. के. (12-32-16)	2000	2750	3250	1250	62.50
17.	ट्रीपल सुपर फास्फेट (46 प्रतिशत पी) (दानेदार)	1600	2200	2600	1000	62.50
18.	ट्रीपल सुपर फास्फेट (46 प्रतिशत पी) (पाऊडर)	1500	2050	2400	900	60.00

टिप्पणी : उपरोक्त मूल्य अधिकतम फुटकर मूल्य हैं जिसमें बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर भी शामिल हैं।

श्री रशीद मसूद : जो जवाब मिनिस्टर साहब ने दिया है उसको देखते हुए यह अन्दाज होता है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनमें से किसी की भी कीमत 60 परसेंट से कम नहीं बढ़ी जब कि हमारे किसान जो पैदा करते हैं उसकी कीमत इसके मुकाबिले में बहुत कम बढ़ी है। उसके मुकाबिले में फर्टिलाइजर्स की कीमत कहीं ज्यादा बढ़ी है जिससे कि किसान आम तौर पर सफर करता है और परेशान होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वह ऐसी पालिसी बनाएंगे कि किसान जो प्रोड्यूस करता है उसकी कीमत जितनी बढ़े उसी के हिसाब से फर्टिलाइजर या अन्य इनपुट्स की कीमत बढ़े ?

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार द्वारा बार-बार यह घोषणा की गई है कि हमारी नीति यह है कि किसान की पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करते समय उर्वरक, डीजल और अन्य आदानों की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखा जाए।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार किसानों के लिए कुछ करें, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लोकदल जनता सरकार ने मार्जिनल फार्मर्स को सब्सिडी दी थी। फर्टिलाइजर जिसकी कीमत 70 रुपये कट्टा था, उसमें 23 रुपये पर बैग सब्सिडी दी थी। क्या इस सरकार के पास भी कुछ प्रपोजल्स हैं कि मार्जिनल फार्मस, छोटे किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर डाल कर ज्यादा से ज्यादा मुल्क के लिए गल्ला पैदा कर सके ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आनरेबिल मैम्बर के दिल में सरकार के लिए एतमाद पैदा करना तो मेरे बस की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मोहब्बत तो पैदा कर ही दो।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हमारी पालिसी की वजह से जराअत ज्यादा तरक्की कर रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय कृषि मंत्री सभा को जानकारी देंगे कि क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में दशाब्दियों से चावल की प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ी है बल्कि कुछ क्षेत्रों में यह कम हुई है ? दूसरे, क्या यह भी सच नहीं है कि आप उर्वरक के आयात के लिए चीन के साथ सहयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको काफी लाभ होने की आशा है क्योंकि विश्व उर्वरक बाजार में उर्वरक की बहुतायत है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि धान की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री ज्योतिर्मयम बसु : मैंने केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के बारे में पूछा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह कह रहा हूं कि केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने किसानों को अधुनातन प्रौद्योगिकी की जानकारी देकर उनकी सहायता की है। इस संस्थान ने आवश्यक जानकारी तथा धान की उन्नत किस्म की बीज किसानों को दी है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि अवश्य हुई है। ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य अपने देश के बजाय चीन में अधिक रूचि रखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कटक के बारे में जानना चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह चीन के बारे में अधिक जानते हैं। संभवतः उड़ीसा के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मयम बसु : मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के आस-पास के क्षेत्रों में वर्षों से चावल की प्रति हेक्टेयर उपज में कोई वृद्धि नहीं हुई है; इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में चावल की उपज कम हुई है।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि माननीय सदस्य किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानना चाहते हों तो मैं सुझाव दूंगा कि ये इस सम्बन्ध में मुझे लिखें ताकि मैं आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकूं। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, भारत सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन में बद्धि हुई है।

श्री ज्योतिर्मयम बसु : मैंने यह नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कटक के बारे में पूछा है।

श्री ज्योतिर्मयम बसु : क्या यह सच नहीं है कि उर्वरक के आयात के सम्बन्ध में भारत तथा चीन के परस्पर सहयोग से उन्हें काफी लाभ हुआ है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि वे उड़ीसा के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास आंकड़े हैं। सारे राज्य में 1974-75 से उपज में वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : ये एक विशेष क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं आप इन्हें सूचना दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मयम बसु : चाइना के लिए चुप हो गया।

राव बीरेन्द्र सिंह : चाइना के लिए तो आप जानते हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर्स की खरीद पर राज्य सरकारों ने किसानों के लिए कौन-कौन से अनुदान स्वीकृत किये हैं ? क्या मध्य प्रदेश में यह अनुदान दिया जाता है ? क्या केन्द्रीय सरकार छोटे किसानों को फर्टिलाइजर्स की खरीद पर अनुदान देने की नीति के बारे में विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो पहले ही कह दिया है—छोटे किसानों को आर्थिक सहायता के बारे में।

राव बीरेन्द्र सिंह : आर्थिक सहायता तथा सभी आदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : छोटे किसानों को कितना अनुदान मिल रहा है ?

श्री बी. वी. देसाई : माननीय मंत्री ने सहर्ष यह बताया था कि 1979-80 में विकास दर में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अर्थात् खपत 50-56 लाख टन थी। 1980-81 में 4.9 प्रतिशत वृद्धि हुई थी जिससे कुल खपत बढ़कर 55.16 लाख टन हो गई थी। जहां तक खपत का सम्बन्ध है क्या मैं नाइट्रोजनी उर्वरक को दी जाने वाली प्रति टन राज सहायता के बारे में जान सकता हूं ? मेरा प्रश्न नाइट्रोजनी उर्वरक पर राज सहायता के बारे में है।

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमान, जहां तक खपत का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि उर्वरक की वृद्धि दर 1978-79 के बाद कम हुई है। यह मुख्यतः सूखा पड़ने के कारण हुआ था। यदि वह केवल नाइट्रोजनी उर्वरक के बारे में राज सहायता के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं तो मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन चूंकि देश में खपत होने वाले कुल उर्वरक में यूरिया की खपत 47 प्रतिशत है, अतः यदि उन्हें उर्वरक पर कुल राज सहायता की जानकारी हो, तो उन्हें राज सहायता के बारे में सरकारी जानकारी हो सकती है।

लोक सभा और राज्य सभा के संसद सदस्यों को प्लाटों/फ्लेटों का आबंटन

* 308. †**श्री राकेश कुमार सिंह** :

श्री शिव शरण वर्मा : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि उन सभी ससद सदस्यों (लोक सभा तथा राज्य सभा) को जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन के लिए 1975, 1976, 1977 अथवा। जनवरी, 1978 तक (बवेजा समिति की रिपोर्ट को लागू करने से पूर्व (अपने नाम पंजीकृत करवाए थे, तुरन्त प्लाट/फ्लैट आबंटित किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो कितने संसद् सदस्यों को अब तक प्लाट/फ्लैट आबंटित कर दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ)

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों के लिये प्लाट/फ्लैट के आवंटन का आरक्षण बवेजा समिति की शिफारिशों पर 2 जनवरी, 1979 से समाप्त कर दिया गया

था (न कि 1.1. 78 से) पिछली सरकार द्वारा कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया प्रतीत होता, किन्तु यह निर्णय पहले ही ले लिया गया है कि आरक्षण लाभ विच्छेद तिथि अर्थात 2 जनवरी, 1979 से पूर्व जो दिया जाता था, वह लाभ उन व्यक्तियों को दिया जाए जो इस तिथि तक या इससे पहले संसद सदस्य थे, और जिन्होंने उपर्युक्त तारीख से पूर्व प्लाट/फ्लैट के आवंटनार्थ सभी अन्य औपचारिकताओं (धरोहर राशि सहित) को पूरा किया था ।

(ख) प्लाट 61

फ्लैट 54

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या यह सही है कि कुछ प्लाट्स की एलाटमेन्ट फार्मर-एम.पीज. को हुई थी, लेकिन उनमें से अधिकांश विरोधी पक्ष के कैन्सिल कर दिए गये, साथ ही कुछ कांग्रैसी संसद सदस्यों को एलाटमेन्ट की गई है जो इर्रेगुलर की गई है। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि जो 61 प्लाट्स और 54 फ्लैट्स आपने बताये हैं-क्या 61 प्लाट्स वालों के नामों की सूचि आप बतला सकेंगे या सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे ?

1979 में केबिनेट ने डिसाईड किया था कि हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों, विधवाओं और विकलांगों के सिवाय प्राथमिकता के आधार पर आवंटन नहीं किया जाना चाहिए ।

इनमें से कितने लोगों को आपने प्रायोरिटी बेसिज पर अभी तक प्लाट्स आबंटित किये हैं ?

ग्रह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुयैब्या : श्रीमान यह सही नहीं है कि विपक्ष के कुल लोगों के नाम सूचि में से निकाल दिये गए हैं तथा दूसरों के नाम शामिल किये गये हैं। ऐसा कहना गलत है। लेकिन बावेजा समिति की रिपोर्ट के अनुसार **'कट-आफ'** दिनांक 2.1.1979 रखी गयी है जिस दिकांक तक किये गए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण समाप्त कर दिए गए हैं और केवल अनुसूचित जाति के लोगों तथा विकलाँगों के लिये आरक्षण जारी रहेगा। इसलिये इसमें कोई घपला नहीं है और कोई अनियमितता नहीं हुई है। सूचि काफी लम्बी है यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे पढ़ सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, : इस सूचि को उन्हें ही दे दीजिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1979 में 1 लाख 75 हजार लोगों ने डी.डी.ए. के पास रजिट्रेशन कराया था जिसके अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये उन्होंने आपके पास जमा कराये। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में उल्लेख है कि आपने 22 करोड़ रुपये एक्सेस खर्च किये, जिसके लिये आपने पार्लियामेन्ट से एप्रूवल भी नहीं ली । इतना होने के बाद भी जैसा आपने कहा था कि पहले वर्ष 20 हजार लोगों को प्लाट्स आवंटित करेंगे, वे प्लाट्स या फ्लेट्स अभी तक आवंटित नहीं किये गए ; उसके बाद 40 हजार प्रति वर्ष देने के लिये आपने कहा था । मैं जानना चाहता हूं -15 महीने की अवधि के बजाय 30 महीने निकल गये, इतनी देर क्यों हुई या सारा पैसा और मैटीरियल एशियन्ज गेम्ज के लिये स्टेडियम्ज बनाने पर लगाया जा रहा है ?

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : मुख्य प्रश्न केवल संसद-सदस्यों को फ्लैट तथा प्लाटों के आवंटन के बारे में है। यदि वे अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उन्हें अलग से प्रश्न करना चाहिए ।

श्री आर एल भाटिया : वर्ष 1971 और 1977 से कई संसद.सदस्यों ने प्लाटों के लिये आवेदन किया है। जब चुनाव हुए थे तो वे सभी आवेदन अनिर्णित पड़े हुए थे। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि उन आवेन-पत्रों का क्या हुआ ? क्या उन पर विचार किया जाएगा ? क्या आवेदकों कों उनके पहले के आवेदन-पत्रों के आधार पर ही अब प्लाट दिये जाएंगे ?

श्री.वी.पी. वेंकर सुब्बैया : जहाँ तक संसद-सदस्यों को प्लाट तथा फ्लैटों के आवंटन की बात है, प्रतिवर्ष निर्मित मकानों में से कुछ प्रतिशत आरक्षित किये गए हैं। 5 प्रतिशत आवंटन संसद सदस्यों, महानगर परिषद के पार्षदों और छावनी के सदस्यों को किया जा रहा था । इस 5 प्रतिशत में से तीन प्रतिशत प्लाट तथा फ्लैट संसद-सदस्यों को आवंटित किये गए थे। यह तीन प्रतिशत आवंटन पर्चियां निकालकर किया जा रहा था। कट आफ (अंतिम) वर्ष तक केवल उन्हीं संसद-सदस्यों को आवंटन किया गया है जिनके नाम की पर्ची निकली है। बावेजा समिति ने संसद-सदस्यों के इस कोटे को समाप्त करने की सिफारिश की थी। उस समय तक जिन्हें आवंटन नहीं किया गया था उनके संबंध में अब विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अब यह योजना समाप्त हो गई है ।

श्री मलिक एम.एम. ए. खाँ : अभी बताया गया कि कट आफ इअर 1979 तक जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी थीं, उनको 5 परसैंट या 3 परसैंट के हिसाब से एलाटमेंट किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो सन 1980 में इलैक्ट होकर एम.पीज आये हैं,उनको क्यों इससे वंचित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है, यह कहना आपका है।

श्री मलिक एम.एम. ए.खाँ. : जो प्रिविलेज 1979 तक के इलेक्टेड एम. पीज को हासिल हैं, उससे सन 1980 में एलेक्टेट एम. पीज को क्यों वंचित रखा जा रहा है और क्या ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जाएगा कि उनको भी यह हक दिया जाए और अगर हम कोआरेटिव बना लें तो क्या आप एलोटमेंट का इन्तजाम करेंगे ?

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : जैसा मैंने कहा है कट आफ दिनांक ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनिर्माण तथा सिचाई तथा नारिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : यह कट आफ डेट क्या है ?

श्री मलिक एम.एम.ए. खाँ : कट आफ डेट क्या होती है ?

श्री बेंकट सुब्बय्या : मैं बता रहा हूं कि राव बीरेन्द्र सिंह जी । जैसा मैंने कहा है कट आफ दिनांक का संबन्ध असमय समस्या से नहीं है। यह सांसदों को प्लाट और फ्लैट आवंटन करनेके बारे में है। प्लाट तथा फ्लैट के आरक्षण के सारे मामले को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी।

श्री बावेजा के सभापतित्व में इस समिति ने कहा था—आरक्षण 10 प्रतिशत से भी

अधिक पहुंच गया है। इसे समाप्त करना चाहिए। आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए किया जाना चाहिए।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : हम कोआपरेटिव बना लें, तो आप जमीन एलाट करेंगे। स्पीकर साहब, आप हमारी मदद कीजिये।··· (व्यवधान)

श्री डी. पी. यादव : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये बावेजा साहब कौन हैं, बावेजा साहब कौन हैं, बावेजा महोदय कौन हैं ? मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट की आवश्यकताओं को एग्जामिन करने के लिए पार्लियामेंट की कमेटी होनी चाहिए। हम बावेजा कमेटी पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट के सदस्य चाहे राज्य सभा के हों या लोकसभा के हों, उनको आप 210 गज जमीन नहीं दे सकते। नाच घर खोलने के लिए जमीन है, होटल खोलने के लिए जमीन है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिये।

श्री डी. पी. यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे ऐसे अफसर हैं, जिन्होंने अपनी बीवी के नाम से जमीन ले रखी है, अपने बच्चों के नाम पर जमीन ले रखी है, अपने नाम से जमीन ले रखी है और बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं···भूतपूर्व और वर्तमान

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री डी. पी. यादव : बहुत से मिनिस्टर हैं जिनके पास एक-एक एकड़ जमीन है और हम लोग जो यहाँ सदस्य हैं, उनको 210 गज जमीन भी नहीं मिलती। आप कोआपरेटिव सोसाइटी बनने नहीं देते और मंत्री जी मुलाकात करने से घबड़ाते हैं। और तो और लेफ्टीनेंट गवर्नर से भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पार्लियामेंट के मेम्बरों को किसी बावेजा कमेटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल पूछिए कि क्या कमेटी हटा कर दूसरी कमेटी बनाई जाएगी ?

श्री डी. पी. यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बावेजा कमेटी को हटा कर कोई इसके लिए दूसरी कमेटी मेम्बर आफ पार्लियामेंट की बनायेंगे या नहीं ?

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : "बावेजा गावेजा" मैं नहीं जानता। बावेजा समिति ने अपनी सिफारिशें भूतपूर्व सरकार जनता सरकार को प्रस्तुत की थी और उन्होंने इन्हें स्वीकार किया था। समिति के अनुसार भी, कुछ वर्गों को आरक्षण के अधीन लाने के लिए कहा गया था···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप एक नई संसदीय समिति नियुक्त करने को तैयार हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : जहाँ तक सांसदों को भूमि दिलाने के लिए सहकारी समिति बनाने की बात है, जिसके लिये मेरे मित्र सरकार पर जोर दे रहे हैं, यह मामला विचारणीय है। यह सुझाव दिया गया है। सरकार माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए तर्कसंगत सुझाव पर विचार अवश्य करेगी ताकि उन्हें आवासीय कठिनाई न हो।

अध्यक्ष महोदय : आप तो 210 गज जमीन की बात करते हैं, मैं तो समझता हूं कि दो गज जमीन भी न मिली···

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह जो एम. पी.ज के लिए रिजर्वेशन थी और लिस्ट बनी थी

और उन्होंने पैसा जमा कराया था, 15-15 हजार रुपये जमा कराये थे तो जब स्कीम केंसिल हो गयी तो उस पैसे का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए दूसरा सवाल दीजिए ।

देसी घी के मूल्य में वृद्धि

*309. **श्री तारिक अनवर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'देसी घी के मूल्यों में अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं,

(ख) क्या सरकार ने अपने 'देशी' घी (डी. एम. एस. घी) की कीमत में वृद्धि की है, और;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसकी कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इस बारे में सरकार द्वारा और आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) देसी घी का उत्पादन और विपणन अधिकांशतः निजी व्यापार के हाथों में है । इसकी कीमत पर नियंत्रण नहीं लगाया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि देशी घी के मूल्यों में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह गर्मी के महीनों में कच्चे दूध की उपलब्धि में मौसमी गिरावट आने और खाद्य तेलों के मूल्यों के रुख से प्रभावित हुई है ।

(ख) जी हाँ । लेकिन देशी घी की मंडियों में दिल्ली दुग्ध योजना का योगदान बहुत ही कम है तथा देसी घी के अन्य ब्रांडों की तुलना में इसका मूल्य अभी भी सबसे कम है ।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर की दृष्टि में ऐसा प्रश्न ही नहीं होता।

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदय, आज यह बात चिंताजनक है कि कोई भी उत्पादक जब चाहे अपने उत्पादन का मूल्य बढ़ा देता है । यह नीति केवल घी या तेल अथवा किसी एक चीज की नहीं हर सामान की है । उसके बाद सरकार को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उद्योगपतियों से उनके मूल्य को कम करने के लिए बात करनी पड़ती है, जो कि अनुचित है । होना तो यह चाहिए कि कोई भी उद्योगपति या उत्पादक अपने यहां उत्पादित माल के मूल्यों में वृद्धि करना चाहता है तो उसे पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और उसके लिए पर्याप्त कारण भी देना चाहिए । जब तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक उसे मूल्य बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए अन्यथा मार्केट मूल्यों पर सरकार को नियंत्रण करना संभव नहीं होगा । क्या सरकार ऐसे कदम उठाने जा रही है कि वे अनुमति लेकर ही दाम बढ़ाएं ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : जहाँ तक निजी व्यापार में देसी घी का सम्बन्ध है, कीमत बढ़ाने का उनका अपना अलग तरीका है । जहां तक सरकारी डेरी का सम्बन्ध है अर्थात डी. एम. एस. का, हम कीमत पर नियंत्रण रखे हुए हैं और बाजार में मिलने वाले घी की तुलना में हमारे घी की कीमत सबसे कम है ।

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मेरा प्रश्न यह था कि प्राइवेट सैक्टर जब दाम बढ़ाते हैं तो इससे पहले सरकार की अनुमति लेते हैं या नहीं लेते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : यदि माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि सरकार को पशुओं के मालिकों द्वारा उत्पादित देसी घी की कीमत पर नियंत्रण करना चाहिए तो मैं यह कहूंगा कि इस सम्बन्ध में ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं। उन पशुओं के मालिकों पर उनके उत्पादन की कीमत का निर्धारण करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहते।

श्री तारिक अनवर : आप इस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन जो सरकारी नियंत्रण में घी का उत्पादन हो रहा है, उसके दाम पिछले तीन महीने में ही 10 रुपये बढ़ गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में उसके दामों में कितनी बढ़ोत्तरी की ई गई है।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : मैं अत्यन्त विनम्रता से यह सुझाव दूंगा कि किसानों के घरों में होने वाले देशी घी के उत्पादन के सम्पूर्ण अर्थशास्त्र को समझने के लिए माननीय सदस्य को गाय या भैंस पालनी चाहिए, तभी वह देसी घी के उत्पादन की लागत के बारे में भी जान सकेंगे।

श्री आर. एन. राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज देश में ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ तक कि पायजन भी शुद्ध नहीं मिलता है, क्या इसीलिए दिल्ली मिल्क स्कीम के डिब्बे से शुद्ध शब्द हटा दिया गया है। पहले उस पर "शुद्ध घी" लिखा रहता है और अब सिर्फ "घी" लिखा होता है।

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब, शुद्ध का कुछ भी मतलब लिया जा सकता है। शुद्ध की डेफीनेशन क्या है, किस हद तक क्या चीज शुद्ध होती है—यह मैं बताने में असमर्थ हूं।

श्री आर. एन. राकेश : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, शुद्ध शब्द क्यों हटाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो अंडर-स्टुड है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं शुद्धता के बारे में न पूछते हुए यह पूछना चाहती हूं कि घी इतना महंगा हो गया है कि हर आदमी उसको नहीं खरीद सकता, उसके बदले लोग बटर-आयल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों उसके दाम भी 17 से 20 रुपए हो गए। मैं पूछना चाहती हूं कि यह बटर-आयल हमको किस भाव से मिलता है और यह गिफ्ट के तौर पर जब आता है तो इसकी कीमत इतनी क्यों है, इसके क्या कारण हैं और इससे हमारे किसानों को क्या फायदा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : बटर-आयल हमारे फ्लड प्रोग्राम के तहत गिफ्ट के तौर पर आता है, बाहर के मुल्कों से। आम तौर पर वह बेचने के लिए नहीं है कि उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्तर्गत रखा जा सके। इससे जो फायदा होता है उसको दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के काम में लिया जाता है। इसके लिए हमारा फ्लड-वन प्रोग्राम चला, उसके बाद अब फ्लड-टू प्रोग्राम चल रहा है। यह सारा पैसा इसके लिए काम में लाते हैं।

केन्द्रीय मुद्रा अन्वेषण संस्थान की स्थापना

*310. **श्री एस. बी. सिद्धनाल†** :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने और प्रस्तावित संस्थान तथा किसानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए केन्द्रीय मुद्रा अन्वेषण संस्थान की स्थापना की मांग की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो लतसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में एक प्रस्ताव तैयार किया है। योजना आयोग द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है तथा वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ख) इस संस्थान का प्रारम्भिक उद्देश्य मृदा पर मौलिक अनुसंधान चलाना होगा। इस संस्थान की योजना में पांच प्रमुख प्रयोगशालाएं प्रस्तावित हैं, अर्थात कोलायड रासायनिकी, मृदा भौतिकी, मृदा रासायनिकी, मृदा सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा मृदा कार्बनिक पदार्थ और रिसाइक्लिंग/केन्द्रकीय स्थापना हेतु छठी पंचवर्षीय अवधि के चार वर्षों के लिए 90 लाख रु. की प्रारम्भिक लागत प्रदान की गई है तथा यथा समय इसका प्रसार हो जायेगा। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर संस्थान की जगह का निर्णय किया जायेगा।

श्री एस. बी. सिदनाल : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया है, अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावित संस्थान तथा किसानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के बारे में। दूसरे उनकी राय में वे विशेषज्ञ कौन हैं जिनकी राय स्थान के चुनाव चयन करने में ली जाएगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्थान के चयन का प्रश्न तो अभी तक उठाया ही नहीं गया है। माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में—वह केन्द्रीय भूमि अनुसंधान संस्थान और किसानों के बीच सम्पर्क के बारे में जानना चाहते हैं—अभी तक इस संस्थान का गठन ही नहीं किया है : इसलिये इस समय सम्पर्क का प्रश्न भी नहीं उठता। हमारे यहां और भी अनेकों संस्थान हैं। वास्तव में, हमारे यहां इस क्षेत्र में पांच राष्ट्रीय भूमि अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं; उनमें से एक जोधपुर स्थित केन्द्रीय सूखा क्षेत्र (एसिडजोन) अनुसंधान संस्थान है, उसके बाद करनाल स्थित सौयल सौलेरिटी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून स्थित केन्द्रीय भूमि अनुसंधान संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है, नागपुर स्थित राष्ट्रीय भूमि सर्वेक्षण ब्यौरो तथा धरवाड़ स्थित राष्ट्रीय काली मिट्टी अनुसंधान केन्द्र हैं। इन संस्थानों के अलावा हमारे यहां भूमि के बारे में छः अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें भी हैं। उस नई परियोजना के सम्बन्ध में जिसे हम स्थापित करने जा रहे हैं, वह संस्थान एक केन्द्रीय संस्थान होगा जो इन सभी वर्तमान संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों तथा समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों के पूरक के रूप में कार्य करेगा।

श्री एस. बी. सिदनाल : मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बताया है कि उन विशेषज्ञों की पूर्वापेक्षायें क्या हैं जिनकी राय के आधार पर स्थान का चयन किया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्थान के चयन करने के प्रश्न की जांच करने के लिये विशेषज्ञों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परन्तु, यदि माननीय सदस्य की नजरों में कोई स्थान विशेष हो तो वह अपना सुझाव दे सकते हैं।

श्री एस. वी. सिदनाल : दक्षिण में, खासतौर से कर्नाटक में ।

श्री लक्ष्मण मल्लिक : किसानों में एक आम धारणा है और खास तौर से मेरे राज्य उड़ीसा में कि अधिक पैदावार प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी में प्रमुख होने वाले उर्वरकों के उपयोग से, फसल के उत्पादन के सम्बन्ध में भूमि की प्रकृति अथवा उपजाऊपन में परिवर्तन हो रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि यह संस्थान राज्य सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान वैज्ञानिकों और किसानों के साथ किस प्रकार समन्वय स्थापित करेगा ? स्थान के चयन के विषय में विशेषज्ञों की सलाह कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भाना है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। यदि किसी और विशिष्ट प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय पूछना चाहते हैं तो वह इसके लिये सूचना दे सकते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार

*311. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार को ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या की जानकारी है ;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों की संख्या और इन लोगों के लिये रोजगार के संभव अवसरों के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने नौकरियां उत्पन्न करने के लिये अधिक राशि की मंजूरी हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है'

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम)

(क) व (ख) : जी हां। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 27 वें तथा 32 वें दौर के सर्वेक्षण के माध्म से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया है। छठी पंचवर्षीय योजमा (1980-85) में उनके लिये विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन तथा कृषि वानिकी, ग्रामोद्योगों, सेवाओं,व्यापार उद्यमों, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम), जिला उद्योग केन्द्र के कार्य क्रमों आदि के माध्यम से विभिन्न रोजगार के अवसर सुलभ किये गये हैं ।

(ग) और (ध) : राज्यों को निधियों का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमान के आधार पर किया जाता है।

श्री हीरा लाल आर.परमार : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में बताया है जी ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 27वें तथा 32वें दौर के सर्वेक्षण के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया है। संख्या कितनी है यह नहीं बताया है।

श्री बालेश्वर राम : ये तो अनुमान लगाते हैं लेकिन संख्या मैं बता देता हूं। अभी तक जो एजुकेटिड अनएम्प्लायड की फिगर है 1980 तक वह 3.47 मिलियन है 1980-85 में जाकर यह 4.66 मिलियन हो जाएगी ।

श्री हीरा लाल आर. परमार : मंत्री महोदय ने बताया है कि ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मछलीपाल आदि के लिए जिला उद्योग केन्द्र के कार्यक्रमों आदि के माध्म से विभिन्न रोजगार के अवसर सुलभ किए गए हैं। जिला उद्योग केन्द्र को इसके लिए दरख्वास्तें पेश की जाती हैं। जिला उद्योग केन्द्रों को पेश की हुई दरख्वातों को राष्ट्रीय कृत बैंकों से स्वीकृति नहीं मिलती है और दो दो साल तक वे पड़ी रहती हैं। इसके बारे में भी क्या आपने कुछ सोचा है ?

श्री बालेश्वर राम : कहीं कहीं से ऐसी शिकायतें आ सकती हैं और इससे इन्कार भी नहीं किया जा सकता है लेकिन सभी जगह ऐसी बात होती हैं यह ठीक नहीं है। कहीं कुछ काम होता ही नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कोई खास जगह माननीय सदस्य के ध्यान में हो तो वह हमें बताएं और हम उस पर कार्रवाही करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : बेरोजगारी की समस्या एक विकट समस्या है और सरकार ने जो अनुमान लगाया है वह बिल्कुल गलत अनुमान है। हम लोगों के अनुमान के मुताबिक कम से कम चार करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं और छठी योजना समाप्त होते हो ड़ेढ़ते करोड़ और बेरोजगार हो जाएंगे। पिछली सरकार ने हर जिले के स्तर पर एक जिला औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की थी जिसके माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों या अर्द्ध शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया था। ये केन्द्र उद्योग मंत्रालय के अधीन थे। क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि छठी योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या कितनी हो जाएगी और सरकार के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया जाएगा ? क्या सरकार उद्योग मंत्रालय से बात करके जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर मुहैया कराने का जो कार्यक्रम था और जिस में सुस्ती आ गई है, उसको तेज करने का प्रयास करेगी ?

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि असम की 156 लाख की कुल आबादी में से ग्रामीण और शहरी इलाकों के लग भग 20 लाख लोग इस समय पंजीकृत बेरोजगार हैं। और असम के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार क्या योजनायें बनाना चाहती है। क्योंकि असम की समस्या का प्रमुख कारण ही बेरोजारी की समस्या है जो सबसे बड़ी समस्या है।

श्री बालेश्वर राम : सहोदय, यह प्रश्न सारे राष्ट्र से सम्बंधित है परन्तु माननीय सदस्य कुछविशिस्ट जानकारी प्राप्त करना चाहाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, : माननीय सदस्य विशिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बालेश्वर राम : जहां तक माननीय सदस्य ने सूचना दी है, वह मेरे लिए सूचना ही है। मेरे पास जो फिगर्स हैं, मैं उन्हीं को मानता हूं। यह बात जरूर है कि हमारी फिगर्स के मुताबिक अन-एम्प्लायड पर्सन्स का बैकलाग 20.6 मिलियन है, 1980-85 के बीच में उसमें 29.5 मिलियन का एडीशन हो जाएगा जिसमें जवाब देने का हम प्रावधान सोच रहे हैं सरकारी और दूसरी एजेन्सीज के माध्यम से वह 49.2 मिलियन पर्सन्स हैं। उसमें जो बेकार हो जाएंगे, वह हमारी सूचना के मुताबित अभी तक 0.9 मिलियन लोग हैं।

डा0 कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षित बेरोजगार लोग इस देश के माननीय एवं मानसिक संसाधनों की भयंकर बरबादी का प्रतिबिम्ब है। कुछ योजनायें बनायी गई हैं, परन्तु वास्तव में, उनसे समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कुछ मामूली लागत से इन युवकों की एक राष्ट्रीय सेवा कोर जैसी कोई 'कोर' स्थापित करके इन बेरोजगार युवकों की शक्तियों को गतिशील एवं उपयोगी बनाने पर विचार कर रही है जिन्हें पौधा रोपण, सामाजिक सेवाएं, सफाई आदि जैसे सामाजिक उपभोग के कार्य सौपे जा सकें ताकि वे समाज पर बोझ बनने के बजाय एक नव भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें।

श्री बालेश्वर राम : इस बात के लिए मेरा उत्तर यह है कि मैंने इस सुझाव को नोट कर लिया है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, इस तथ्य को छोड़ते हुए कि सरकार सभी को रोजगार उपलब्ध कराने में बुरी तरह असफल हो चुकी है, क्या सरकार अपना यह कर्तव्य समझती है कि स्थिति बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में कम से कम कुछ न कुछ तो सहायता दी जाये जो कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दिया है जा रहा क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के लिये तैयार है।

श्री बालेश्वर राम : यह राज्य का विषय है। और राज्य ऐसा कर भी रहे हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, यह पूर्णतया राज्य का विषय नहीं है। क्या वह एक योजना बनायेंगे ?

श्री बालेश्वर राम : मैंने आपका सुझाव नोट कर लिया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : धन्यवाद, कम से कम आप ने मेरा सुझाव नोट तो किया।

मूंगफली का उत्पादन

*312. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इस वर्ष कितने हेक्टार भूमि में मूंगफली का उत्पादन किया गया है और इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

(ख) इस वर्ष मूंगफली के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इस वर्ष देश में अन्य तिलहनों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1 जुलाई, 1980 से 30 जून 1981 तक 66.8 लाख हेक्टार क्षेत्रों में मूंगफली की बुवाई की गई थी। राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है। 1 जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक मूंगफली की बुवाई किए जाने वाले क्षेत्र का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

(ख) तथा (घ) इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

(ग) देश में मूंगफली सहित तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. तिलहनों के विकास सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 1981-82 में 10 राज्यों में एक गहन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य किसानों के

खेतों में प्रदर्शन करना, बीज उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्थायें सुदृढ़ करना, पौध-संरक्षण उपायों का विस्तार करना और किसानों तथा विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना है।

2. तिलहन की फसलों के तहत सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना।

3. सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहन की फसलों के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना।

4. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के सम्बन्ध में विशेष परियोजनायें शुरू करना।

5. अन्तर्वर्ती फसल तथा अन्तरा सस्यन के माध्यम से तिलहनों की शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना।

6. न्यूनतम सहाय मूल्य निर्धारित करना ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

1980-81 में प्रमुख राज्यों में मूंगफली की बुवाई का अनुमानित क्षेत्र

(लाख हेक्टार)

राज्य	क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	12.8
गुजरात	20.0
कर्नाटक	7.7
मध्य प्रदेश	3.3
महाराष्ट्र	7.3
उड़ीसा	1.8
पंजाब	0.9
राजस्थान	2.1
तमिलनाडु	8.7
उत्तर प्रदेश	1.2
अखिल भारत	66.8

श्री नरसिंह मकवाना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में प्रति हैक्टेयर कितना उत्पादन होता है और दूसरे राज्यों में क्या होता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उत्पादन इरिगेटेड एरिया क्या अलग है और नानइरिगेटेड एरिया क्या अलग है। अगर माननीय सदस्य एवरेज जानना चाहते हैं तो गुजरात के लिए नेशनल एवरेज तो मैं बता सकता हूं, इस वक्त अलग फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बता दीजिये, फिर भेज दीजिये।

श्री नरसिंह मकवाना : मंत्री महोदय ने एक जवाब तो दिया नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े भेज देंगे।

श्री नरसिंह मकवाना : गुजरात में मूंगफली और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिये सरकार कौनसी योजना शुरू करना चाहती है और कब से शुरू होगी ? उसका कोई परिणाम निकला है या नहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : गुजरात के लिए 35 करोड़ का स्पेशल प्रोजेक्ट पिछले साल हमने मंजूर किया था जिससे अब जो 68 एकड़ इरिगेटेड ग्राऊंडनट की कल्टीवेशन होती है, उसको 2 लाख हैक्टेयर तक बढ़ायेंगे। इस तरीके से अगले 4 साल में 1981 से 84 तक गुजरात की पैदावार कुल जो अब 18 लाख टन के करीब है, वह 27 लाख टन तक ले जाने का अन्दाजा है। यह प्रोजेक्ट काफी मुफीद है और लोगों ने इसे बहुत पसन्द किया है। दूसरी स्टेट्स से भी इसके लिए मांगें आ रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनवरी में दूसरी स्टेट्स को भी एक चिट्ठी लिखी थी। उन सबने सोयाबीन और आयलसीड्ज की उस प्राजेक्ट की बहुत सराहना की है, जो गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने गुजरात को दी है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं जानना चाहता हूँ कि देश में खाने के तेल की कमी को देखते हुए और इस बात को मद्दे नजर रखते हुये कि बिहार में, और खासकर उत्तरी बिहार में, ऐसी जमीन है, जहां मूंगफली उगाई जा सकती है, क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत उत्तरी बिहार में ज्यादा से ज्यादा मूंगफली पैदा की जा सके, ताकि खाने के तेल की कमी की पूर्ति की जा सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : इन सारी बातों पर विचार हो रहा है।

श्री रामलाल राही : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें प्रदेश-वार बताया गया है कि किस प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में मूंगफली बोई गई है। उसके देखने से मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम एरिया में मूंगफली बोई गई है। आपको याद होगा कि मैंने इस सवाल को बहुत पहले उठाया था कि उत्तर भारत में निरन्तर कई बरसों से मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आ रही है। वहां क्वान्टिटी भी खराब है और क्वालिटी भी खराब है। इसलिए किसान मूंगफली की बुवाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारे देश में तेल का उत्पादन घट रहा है और तेल के मामले में हम निरंतर दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उत्तर भारत में, और खासकर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई में—यह मूंगफली का क्षेत्र है और सीतापुर उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी है—उत्पादन क्यों कम हुआ है, और वह कम हुआ है, यह आंकड़ों से प्रदर्शित होता है, क्योंकि बुवाई बहुत कम हुई है। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि मूंगफली की क्वान्टिटी और क्वालिटी में सुधार हो और लोग मूंगफली बोने के लिए ज्यादा उत्साहित हों, ताकि हम तेल के मामले में आत्म-निर्भर हो सकें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : इसमें शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में मूंगफली की कल्टीवेशन के लिए एरिया काफी बढ़ा नहीं है। पिछले कई सालों से इसका कल्टीवेशन $7\frac{1}{2}$ और 8 लाख हेक्टेयर के बीच में रहा है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हाई यील्डिग वैरायटी के बीज पैदा किये जा रहे हैं, जिससे और ज्यादा लोग मूंगफली बोना शुरू कर दें और उनको ज्यादा फायदा हो। उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रान्तों की निस्बत यील्ड बहुत कम है, लेकिन पिछले साल की निस्बत बढ़ी

है। 1980-81 में उत्तर प्रदेश में 84 किलोग्राम पर-हेक्टेयर यील्ड थी। इसके मुकाबले में गुजरात में, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने सवाल किया है, ऐवरेज यील्ड 283 किलोग्राम पर-हेक्टेयर थी। लेकिन इसमें बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि बहुत से प्रांतों में इससे दुगनी यील्ड होती है। उड़ीसा में यील्ड काफी ज्यादा है—583 के जी है, जबकि तामिल नाडू में 302 है, वैस्ट बंगाल में मूंगफली की काफी··· । मैं मूंगफली की फिगर्ज नहीं दे रहा था, मैं सेसामम (तिल) की फिगर्ज पढ़ रहा हूं। यू.पी. की फिगर इस बक्त मेरे पास नहीं है। पहले मैंने ग्राऊंडनट की नेशनल ऐवरेज यील्ड की गलत फिगर बताई है। इस बक्त हमारी नैशनल ऐवरेज यील्ड 711 किलोग्राम के करीब है, जिसके मुकाबले में यू. पी. की यील्ड बहुत कम है।

"उड़ीसा प्रोजेक्ट में लूज बर्ल्ड बैंक एड" शीर्षक से समाचार

*313. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अगस्त, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस में "उड़ीसा प्रोजेक्ट में लूज वर्ल्ड बैंक एड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाया गया है और केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऋणदाता द्वारा दिये गये स्पष्ट निदेश कि इसे एक ही टैंडर समझा जाये, के बावजूद भी अधिकारियों ने वास्तव में परियोजना को दो भागों में विभाजित कर दिया है, यदि हां तो इस निदेश का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) विश्व बैंक के रुख के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है तथा परियोजना का भविष्य क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) तथा (ग) परियोजना को लागू करने का कार्य राज्य सरकार का है और ठेका देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय भी उड़ीसा सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन, विश्व बैंक की एक सहयोगी संस्था के परामर्श से करना है। ठेका देने की प्रक्रिया से भारत सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। समझा जाता है कि उड़ीसा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह सच है कि क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की जानकारी, सहायता एवं समर्थन से विश्व बैंक से कोई करार किया है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह सच है कि यह करार उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक की एक सहयोगी संस्था आई. डी. ए. ने भारत सरकार के समर्थन से किया गया है।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह सच है कि स्थानीय सरकार हाल ही अर्थात् फरवरी 1981 में बनी एक ऐसी कम्पनी के साथ पक्षपात कर रही है, जिसे न तो कोई अनुभव है और न ही उसकी कोई वित्तीय सक्षमता ही है तथा विश्व बैंक के द्वारा दिए गये मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप उसे किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी भी नहीं है। और इसीलिए, उड़ीसा सरकार

और विश्व बैंक के बीच इस गतिरोध के कारण सारी की सारी परियोजना एकदम निस्क्रिय हो गई है। इन परिस्थितियों में क्या केन्द्रीय सरकार देश की प्रतिष्ठा के लिये इसमें हस्तक्षेप करेगी ? और इस परियोजना को बरबादी से बचाने का प्रयास करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द सिह) : यह करार विश्व बैंक से किया गया है। यह राज्य सरकार भी अधिकार क्षेत्र में हैं तथा भारत सरकार किसी ऐसी परियोजना के मामले में प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करती जो किसी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हो। परन्तु जब भी हमें इस मामले में कोई शिकायत मिलेगी तो हम माननीय सदस्य की राय पर अवश्य विचार करेंगे और हम राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर करते आये हैं। ठेका देते समय इस कम्पनी की अर्थ क्षमता के बारे में निश्चित रूप से विचार किया गया था और इसका पिछला इतिहास, इसके संसाधन एवं इसकी अर्थक्षमता के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली गई थी।

श्री चिन्तामणी जैना : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार द्वारा प्राप्त किये टेंडरों से पता चलता है कि एक गैर-सरकारी कम्पनी का टैंडर सबसे नीचा था। परन्तु, उड़ीसा सरकार इस कार्य को एक सरकारी उपक्रम उड़ीसा कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन को सौंपना चाहती थी जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है। यदि हां तो क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार इस कार्य को एक गैर-सरकारी कम्पनी को नहीं देना चाहती थी और इस कार्य को सरकारी उपक्रम को सौंपने के बारे में विश्व बैंक से कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ था ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस बारे में कुछ लिखा था; और यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यदि मैं माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक से समझता हूं तो मेरा ख्याल है कि वह इस टैंडर के बारे में जानना चाहते हैं ? महोदय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी नीलामी प्रणाली में कुछ कार्यों के लिये टैंडर मंगाये जाते हैं, लेकिन देश की भी कुछ निर्माण कम्पनियों ने भी अपने टैंडर दिये थे और इन टैंडरों पर विचार करने से पूर्व, सरकार ने उन कम्पनियों की अपेक्षित योग्यताओं की जांच की थी जिन्होंने अपने टैंडर भेजे थे। इसलिये, टैंडर देने का प्रश्न उड़ीसा सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच विचाराधीन है। उड़ीसा सरकार ने आई. डी. ए. को यह सिफारिश भी ली है कि टैंडर को अलग-अलग कर दिया जाये ताकि इस कार्य में तेजी आ सके और यह परियोजना निर्धारित अवधी में ही शीघ्र से शीघ्र पूरी की जा सके। अब यह मामला उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है जिससे अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया है और यदि हमसे पूछा गया तो हम निश्चय ही इस मामले की जांच करेंगे।

उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण अनुदान

*314. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को कोई ऋण या अनुदान स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त धनराशि में से धन दिया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को निम्नलिखित ऋण तथा अनुदान अनन्तिम रूप से संस्वीकृत किए हैं :

खादी ऋण	—	22.81 लाख रुपये
खादी अनुदान	—	1.84 लाख रुपये
ग्रामोद्योग अनुदान	—	77.85 लाख रुपये
ग्रामोद्योग ऋण	—	575.93 लाख रुपये

(ख) प्रत्येक उद्योग/योजना के बारे में अनन्तिम रूप से सस्वीकृत अनुदानों तथा ऋणों की राशि नीचे दी गई हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	उद्योग/योजना	अनुदान	ऋण
	(क) **खादी**		
1.	सूती खादी	0.29	15.52
2.	ऊनी खादी	—	4.15
3.	रेशमी खादी	—	0.84
4.	समन्वित विकास कार्यक्रम	0.40	—
5.	विपणन	1.15	2.30
	(ख) **ग्रामोद्योग**		
6.	अनाजों तथा दालों का परिष्करण	2.23	30.58
7.	घानी तेल	3.37	31.63
8.	चमड़ा	23.31	169.29
9.	कुटीर माचिस	2.48	34.01
10.	गुड़ तथा खाण्डसारी	1.66	37.21
11.	ताड़गुड़	1.33	6.45
12.	अखाद्य तेल तथा साबुन	6.90	39.80
13.	फल संरक्षण	0.20	17.48
14.	हाथ द्वारा बनाया गया कागज	0.65	18.00
15.	मधुमक्खी पालन	0.25	0.46
16.	ग्रामीण कुम्हारी	15.60	45.60

1	2	3	4
17.	चूना	1.28	25.79
18.	बेंत तथा बांस	1.65	8.23
19.	रेशा	2.86	17.99
20.	बढ़ई गिरी तथा लोहार गिरी	11.40	69.70
21.	जंगली पौधे	0.53	3.11
22.	कत्था	0.65	12.30
23.	गौंद तथा राल	—	2.00
24.	ग्रामोद्योग बिक्री डिपो	1.50	6.30
	योग	79.69	598.74

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि अब तक बोर्ड को जितना रुपया दिया गया और जितने यूनिट चले उनमें से कितने आज चालू है और कितने नहीं ?

श्री बालेश्वर राम : यह कहना अभी मुश्किल है। मैंने यह फीगर्स दी हैं कि अभी तक कितना खर्चा हुआ है लेकिन माननीय सदस्य ने यह सूचना नहीं मांगी थी कि कितनी स्कीमें चालू हैं, कितनी नहीं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अब तक, 1981 तक गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दीं और लोन दिया तो बोर्ड ने जो यूनिट्स चलाई उनमें कितनी सिक हैं और कितनी चालू हूं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : अगर माननीय सदस्य अलग से प्रश्न दें तो अलग-अलग यूनिट का ब्यौरा उनको दे दिया जाएगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैं दूसरा सवाल माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रांट और लोन किस आधार पर किन-किन स्टेट्स को दिया जाता है ?

श्री बालेश्वर राम : माननीय सदस्य ने एक सूचना मांगी थी, के. वी. आई. सी. इंस्टीट्यूशन्स, यू. पी. के बारे में पूछा था कितने इंस्टीट्यूशन्स हैं तो वह 165 हैं जिनमें चालू हालत में 111 हैं। इंस्टीट्यूशंस फाइनेन्स्ड थ्रू स्टेट बोर्ड 279 हैं जिनमें से 134 काम कर रहे हैं। कोआपरेटिव सोसायटीज के थ्रू चलने वाले 2346 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें से 1664 काम कर रहे हैं। इंडिवीजुअल्स के 14,523 हैं। इसमें बूलेन खाली प्रोडक्शन सेन्टर्स 9 हैं, काटन खादी प्रोडक्शन सेन्टर्स 9 है, खादी सेल्स डिपो 25 हैं, हैंडमेड पेपर प्रोडक्शन सेन्टर्स 2 हैं, खादी मैच डिपो 4 हैं और लेदर गुड्स डिपो 3 हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 52 हैं।

जहां तक ग्रांट और लोन देने के आधार का प्रश्न है, नेशनल पैमाने पर जहां खादी ऐंड विलेज इण्डस्ट्रीज का काम होता है वहां पर यह दिया जाता है। इसके लिए नार्म्स तय किए गए हैं कि जहां ज्यादा काम होता है वहां पर ज्यादा पैसा दिया जाता है और जहां पर कम काम होता है वहां पर कम पैसा दिया जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में पहुंच मार्ग

*305. **डा. ए. यू. आजमी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली जैसी सरकारी आवासीय कालोनियों में पहुंच मार्गों (एप्रोच रोड) की हालत बहुत खराब है और वर्षों से उनमें गड्ढे, लम्दे उथले गड्ढे हुये पड़े हैं और उनकी निचली तह आदि बाहर निकल रही है और इन मार्गों का उपयोग करने वालों द्वाराअनुरोध किये जाने के बावजूद इनकी मरम्मत करके इन्हें इस्तेमाल करने योग्य नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन वर्षों में इन सड़कों के रख रखाव और उनकी मरम्मत के लिए सरकार ने बजट प्राक्कलनों में अपेक्षित धनराशि का प्रावधान क्यों नहीं किया है; और

(ग) इन सड़कों की मरम्मत कब तक कर दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, सम्पर्क मार्गों में कुछ स्थानों पर गड्ढे पड़ गये हैं। निधियों की अनुपलब्धता के कारण पिछले कुछ वर्षों में तारकोल बिछाने का कार्य नहीं किया जा सका।

(ख) समस्त संसाधनों की स्थिति को तथा कार्य की अग्रता को ध्यान में रखते हुए, बजट आंकलनों में निधियों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) निधियों की उपलब्धता पर सड़कों की मरम्मत/पुनः सतह चढ़ाना चरणों में किया जायेगा, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

तिलहन का उत्पादन बढ़ाना

*306. **श्री के. मालन्ना :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग मूल्यांकन दल ने कुछ राज्यों में तिलहन के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन करके यह सिफारिश की है कि तिलहनों का उत्पादन शीघ्र बढ़ाने के लिए इसकी अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन करते समय विभिन्न कृषि प्रणालियों और स्थितियों पर रसायनिक उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर और पौध संरक्षण उपायों पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(घ) विकास के लिये नई तिलहन परियोजना कब तक शुरू की जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा तिलहन विकास कार्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं :–

(1) विभिन्न फार्मिंग पद्धतियों तथा परिस्थितियों के अनुरूप स्थान-विशेष के लिये

अनुसंधान की व्यवस्था करने हेतु अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि तिलहनों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया जा सके।

(2) जिलों के विभिन्न क्षेत्रों की विद्यमान क्षमता सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् विभन्न मौसमों के दौरान तिलहन की फसलों के लिए जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

(3) कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए जहाँ कहीं भी जरूरी हो ब्लाक स्तर के सामान्य विस्तार कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करने के साथ-साथ जिला स्तर पर विशेष कर्मचारियों को उपलब्ध करना भी आवश्यक है।

(4) तिलहन की फसलों को संरक्षणशील सिंचाई की आवश्यकता होती है विशेष रूप से उस समय जब फसल की वृद्धि की महत्वपूर्ण अवस्था में वर्षा नहीं होती। सिंचाई योग्य शुल्क के रूप में सीमांकित कमान क्षेत्रों में समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके।

(5) समुचित प्रोत्साहनों तथा प्रभावी प्रदर्शनों के माध्यम से रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा पौध रक्षण उपायों को लोकप्रिय बनाने की काफी गुंजाइश है।

(6) ऋण-एवं विपणन की समेकित पद्धति का विकास करने की आवश्यकता है। नियंत्रित मंडियों में वैज्ञानिक श्रेणीकरण की सुविधा प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

(घ) कार्यक्रम मूल्याँकन संगठन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए किसी नई परियोजना को आरम्भ करने का विचार नहीं है। चालू तिलहन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

त्रिपुरा को चीनी की सप्लाई

*315. **श्री बाजू बन रियाज : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिपुरा में लेवी की चीनी का स्टाक लगभग समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक **विवरण** सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) सरकार को इस मामले के बारे में पहले से ही जानकारी है। रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने इस सम्बन्ध में जोनल रेलवे को विशेष अनुदेश जारी कर दिये हैं।

विवरण

(क) त्रिपुरा सरकार को उचित दर की दुकानों से वितरित करने के लिए 759 मीटर टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया जा रहा है और इसके अलावा, सीमा सुरक्षाबल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए भी थोड़ी मात्रा आवंटित की जा रही है। मासिक कोटों के प्रति राज्य सरकार को सूचित कर संबंधित फैक्ट्रियों के लिए समय पर निर्मुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। क्योंकि फैक्ट्रियों से चीनी उठाने की व्यवस्था स्वयं राज्य सरकार द्वारा की जाती है और न कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा, इसलिए निर्मुक्ति आदेश राज्य सरकार के पक्ष में जारी किए जाते हैं। अतः फैक्ट्रियों से लेवी चीनी की आवटित मात्रा को समय पर उठाने की

जिम्मेदारी त्रिपुरा सरकार की है हालांकि यदि राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष कठिनाई के बारे में सूचित किया जाता है तो उसकी जाँच की जाती है। उत्तर पूर्वी रेलवे के ट्रंक रूट पर छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलने के कारण तथा फैक्ट्रियों से चीनी उठाने में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में राज्य सरकार के नामितों द्वारा कुछ विलम्ब करने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की फैक्ट्रियों से त्रिपुरा को लेवी चीनी का संचलन करने में कुछ बाधा पैदा हो गई थी।

क्योंकि लेवी चीनी की वसूली करने और वितरण करने विषयक कार्य राज्य सरकार की परिधि में आता है, इसलिये त्रिपुरा में लेवी चीनी के स्टाक के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में और पटरियों पर रहने वाले लोग

*317. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में तथा पटरियों पर रहने वाले लोगों की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के लोगों को हटाने के लिए बनाई गई महाराष्ट्र सरकार की योजना के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है परन्तु अभी तक कोई फैसला नहीं दिया गया है।

(घ) तथा (ङ) : छठी पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव यह है कि बड़े पैमाने पर गन्दी बस्तियों का पुनः स्थान निर्धारण का प्रयास करने के बजाय गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने के लिये लगभग 151-45करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का प्रस्ताव है।

डबल रोटी की कीमत में वृद्धि

*318. **श्री जी. वांई. कृष्णन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी में डबरोटी की कीमत में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत के महानगरों में डबलरोटी की उत्पादन लागत की तुलना में उसकी वर्तमान कीमतें क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) जी हां।

(ख) रोलर फ्लोर मिलों के लिये गेहूं के निर्गम मूल्य को 1.4.1981 से 130/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 155/-रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था और उसके फलस्वरूप दिल्ली में मैदा के निकासी मूल्य को भी 175/-रुपये से बढ़ाकर 204/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। इन वृद्धियों से डबल रोटी के मूल्यों को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता पैदा हुई थी।

(ग) डबल रोटी की उत्पादन लागत प्रत्येक स्थान में और प्रत्येक ब्रांड के बारे में भिन्न भिन्न होती है। माडर्न ब्रेड की 400 ग्राम की रोटी के मूल्य, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का उत्पाद है, की तुलना में भारत के बड़े शहरों में उसकी उत्पादन लागत का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

शहर का नाम	उपभोक्ता मूल्य (सभी के सहित)	उत्पादन लागत (बिक्री कर तथा थोक व्यापारियों तथा खुदरा व्यापारियों की कमीशन के रहित)
बम्बई	1.50 रुपये	1.18 रुपये
कलकत्ता	1.18 रुपये	1.14 रुपये
दिल्ली	1.20 रुपये	1.00 रुपये
मद्रास	1.45 रुपये	1.05 रुपये

राज्यों द्वारा कम उर्वरक उठाया जाना

*319. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों द्वारा कम मात्रा में में उर्वरक उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा कम मात्रा में उर्वरक उठाये जाने के कारणों का पता लगया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनार्निाण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खरीफ, 1981 (फरवरी-जुलाई) के दौरान स्वदेशी उर्वरक विनिर्माताओं तथा पूल का संभाल करने वाली एजेन्सियों से उठायी गयी उर्वरकों की मात्रा कुल मिलकर खरीफ, 1980 की तुलना में अधिक थी। तथापि तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों में उठायी गयी मात्रा कुछ कम रही।

(ग) निम्न राज्यों में कम मात्रा में उर्वरक उठाये जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

तमिलनाडु एवं गुजरात	मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां
असम	संचालन संबंधी अवरोध
हिमाचल प्रदेश	स्थानीय वितरण की समस्या

(घ) सरकार ने सम्पूर्ण देश में उर्वरक उठाने की मात्रा में वृद्धि करने के लिए हैं:-

(1) देशी उत्पादन व आयात करके उर्वरकों की उपलब्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि करना

(2) सम्पूर्ण देश में सरकारी लागत पर खण्ड मुख्यालयों तक उर्वरक पहुंचाना

(3) सम्पूर्ण देश के खपत वाले क्षेत्रों में 650 से अधिक केन्द्रों में बफर स्टाक रखना

(4) उर्वरकों के वितरण मार्जिन में हाल में की गयी वृद्धि

(5) सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों के वितरण के लिये उत्तम ऋण सुविधायें देना

(6) विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में उर्वरक के अधिक बिक्री केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहन देना

(7) समेकित ग्रामीण विकास योजना के तहत छोटे तथा सीमान्त किसानों को फास्फेट युक्त तथा पोटाश युक्त उर्वरकों पर राज सहायता प्रदान करना।

सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मूल्यों में वृद्धि

*320. **श्री तारिक अनवर** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यापारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मूल्यों में वृद्धि नहीं कर सकेगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्क कानून कब तक बनाया जाएगा।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कानूनी तौर पर नियत करने की शक्तियां प्राप्त हैं और जहां ऐसे मूल्य नियत किए गये हैं जैसा कि सीमेंन्ट, उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, कोयले कुछ ब्रांडनाप वाली दवाइयों, लेवी चीनी आदि के मामले में किया गया है, वहां व्यापारियों द्वारा मूल्यों में वृद्धि करना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में व्यापारी द्वारा मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होगा।

सरकार कुछ चुनी आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्यानों आदि को सार्वजनिक वितरण प्राणाली के माध्यम से उपलब्ध करा कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को भी नियंत्रित करती है। हर राज्य अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की अपनी सूची बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियत करने के लिए किसी नये कानून पर विचार नहीं किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना में गेहूं का आयात

*321. **श्री चित्त महाटा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने गेहूँ का आयात किया जाएगा; और

(ख) गेहूं निर्यातकों के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) कृषि-उप्पादन के बढ़ते स्तर की दृष्टि में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गेहूं के आयात के लिए कोई सामान्य योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टूना मात्स्यिकी का विकास

* 322. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्ष के दौरान सरकार को राज्य व्यापार निगम से टूना मात्स्यिकी के विकास के लिए एक अमेरिकी फार्म के साथ सहयोग का प्रस्ताव मिला था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की जाँच की गई थी और इस प्रकार की जांच के परिणामों पर आधारित संशोधित प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम से आने शेष हैं ।

वर्षा ऋतु के दौरान गेहूं को रेल के खुले वैगनों में ले जाया जाना

*324. **श्री ए. के. राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा ऋतु में गेहूं को रेल के खुले वैगनों में भेजने के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं सड़ गया है और मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहा है ।

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार कितना गेहूं खराब व बरबाद हुआ है और कितनी धन-राशि का नुकसान हुआ है ;

(ग) गेहूं को वर्षा के दिनों में खुले वैगनों में भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) गेहूं को खुले वैगनों में भेजा जाना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेद्र सिंह) : (क) जून से अगस्त, 1981 तक के मानसून के महीनों में रेल के 4438 खुले वैगनों में गेहूं का लदान हुआ था । बिहार से खुले वैगनों में वर्षा से भीगे गेहूं के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

स्थान	खुले वैगनों की संख्या	गेहूं का अनुमानित वजन मीटरी टन में
डीघा	81	3192
भागलपुर	44	2420
राँची/तैलीसिलवाई	34	1875
गया	82	4314
चक्रधरपुर	19	991

वर्षा से प्रभावित सभी खाद्यान्न मानव उपभोग के आयोग्य नहीं होते हैं। प्रभावित खाद्यान्न की काफी प्रतिशत मात्रा साफ करके मानव उपभोग के योग्य बना ली जाती है ।

(क) : भारतीय खाद्य निगम से की गई प्रारम्भिक जांच के अनुसार, 31.7.1981 को चक्रधरपुर में प्राप्त वर्षा से भीगे गेहूं के 9916 बोरे (अथवा 145/-रुपये प्रति क्विंटल के निर्गम मूल्य के आधार पर लगाये गये हिसाब से 14,37,820 रुपये मूल्य के मोटे तौर पर 991 मीटरी टन) में से अलग करने के बाद केवल 392 बोरे (अथवा 56,840/-रुपये मूल्य के मोटे तौर पर 39 मीटरी टन) क्षतिग्रस्त और मानव उप भोग के आयोग थे। क्षति ग्रस्त पाये गये खाद्यान्न को बेचने और उसकी बिक्री से होने वाली आय को हिसाब में लेने के बाद वास्तविक हानि इससे भी कम हो सकती है। अन्य स्थानों के बारे में हानि की वास्तविक राशि की जानकारी केवल उस समय हो सकेगी जब साफ करने का कार्य पूरा हो जाएगा और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को बेच दिया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार/भारतीय खाद्य निगम का यह प्रयास होता है कि यथा संभव केवल ढके वैगनों में खाद्यान्नों का लदान किया जाए। तथापि, यदि ढके वैगन आवश्यक्ता से कम संख्या में सप्लाई किये जाते हैं तो उस हालत में खाद्यान्नों (मुख्यत : गेहूं) का लदान करने के लिए खुले वैगन भी इस्तेमाल किये जाते हैं ताकि अपेक्षित स्तर पर संचलन को बनाया रखा जा सके और जरूरतमंद क्षेत्रों को समय से खाद्यान्न पहुंचाएं जा सकें। तथापि, खुले वैगनों में हथा सम्भव कम से कम लदान किया जाता है। जून से अगस्त, 1981 के महीनों के दौरान उतरी रेलवे से बड़ी लाइन वाले कुल 110927 वैगनों, जिनमें लदान हुआ था, में से खुले वैगनों, जिनमें लदान हुआ था, की संख्या केवल 11095) कुल लदान-कार्य का लगभग 10 प्रतिशत) थी।

सरकारी आवास के लिए आबंटन वर्ष

* 325. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यद बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन वर्ष 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त हो गया था ; और

(ख) नये आबंटन-फार्म कब तक भेजे जाने की आशा है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) चालू आबंटन वर्ष जिसे 31.12.1980 को समाप्त होना था को बढ़ाकर 31.12.81 तक कर दिया गया।

(ख) जब कभी नया आवंटन वर्ष घोषित किया जाएगा सरकारी आवास के लिए नये आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

खाद्य तेल का आयात

*326 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रकार के खाद्य तेल आयात किये जाते हैं और कितने खाद्य तेल वनस्पति उद्योग को दिये जाते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : खाते में आम तौर पर छः प्रकार के खाद्य तेल भारतीय राज्य सरकार के व्यापार निगम के माध्यम से आयात किये जाते हैं। इनमें से, मुख्य रूप से आजकल दोप्रकार के खाद्य तेल अर्थात् अपरिष्कृत सोयाबीन का तेल और न्यूट्रालाइज्ड ताड़ का तेल वनस्पति

उद्योग को सप्लाई किये जाते हैं, यद्यपिय, कभी-कभी अपरिष्कृत रेपसीड तेल अथवा अपरिष्कृत ताड़ के तेल की भी कुछ मात्रा आबंटित की गयी है ।

चीनी की मांग और उपलब्धता

* 114. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में चीनी की कितनी मांग है ;

(ख) कुल उपलब्धता (पूर्ण ब्यौरे सहित) कितनी है; और

(ग) खुले बाजार में चीनी का (प्रति किलोग्राम) वर्तमान खुदरा मूल्य कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति पूर्ति (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के अधीन चीनी एक नियंत्रित जिन्स है । और इसलिए इस पर मांग का सामान्य इक्नामिक सिद्धान्त लागू नहीं होता है । लेवी कोटों का हिसाब समान मान दण्डों के आधार पर और मुक्त बिक्री के कोटों का हिसाब मूल्य स्तर, मौसमी आवश्यकताएं और वैकल्पिक स्वीटनिंग एजेन्टों की उपलब्धता जैसी संगत बातों के आधार पर लगाया जाता है । राज्यवार लेवी चीनी के वर्तमान मासिक कोटों, सेना क्रय सगठन, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि तथा मुक्त बिक्री की चीनी की आवश्यकताओं के आधार पर चीनी वर्ष 1980-81 के लिए चीनी की आवश्यकता लगभग 51 लाख मीटरी टन बैठती है ।

(ख) 1.10.80 को चीनी का अवशेष स्टाक 6.82 लाख मीटरी टन होने से तथा चीनी वर्ष 1980-81 में 51.40 लाख मीटरी टन का अनुमानित उत्पादन होने से, चीनी की उपलब्धता 58.22 लाख मीटरी टन बैठती है जिसमें 34.20 लाख मीटरी टन लेवी चीनी और 24.02 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी है । इसके प्रति आवश्यकता 51.0 लाख मीटरी टन बैठती है, 1.10.81 को पिछला बचा अनुमानित निवल स्टाक लगभग 7.22 लाख मीटरी टन बैठेगा जिसमें एक लाख मीटरी टन लेवी चीनी और 6.22 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी है । इसके अलावा, लगभग 2.15 लाख मीटरी टन तक चीनी का आयात किया जा रहा है ।

(ग) दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की प्रमुख मंडियों में चीनी के वर्तमान खुदरा मूल्य 5.50 से 6.85 रुपये प्रति किलो (31.8.1981 को) के रेंज में चल रहे हैं ।

परिवार के अनुकूल गोबर गैस संयंत्र

3001. **श्री बी. वी. देशाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार परिवार के अनुकूल गोबर गैस संयंत्र की स्थापना किया जाना किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है ।

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये अध्यन का ब्यौरा क्या है और उन्होंने इसके क्या कारण बताये हैं,

(ग) क्या सरकार ने इस अध्ययन रिपोर्ट की जाँच कर ली है,

(घ) यदि हाँ, तो वे इनसे कहां तक सहमत हैं, और

(ङ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को आगे क्रियान्वित न करने का निर्णय लिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि अर्थ शास्त्र प्रभाग ने गोबर गैस संयंत्र की वित्तीय सम्भाव्यता पर एक अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला है कि गोबर गैस संयंत्र उन किसानों, जो बाजार से ईंधन खरीदते हैं या जिनके पास फालतू श्रम का समय नहीं है या जो उत्पादकता के उद्देश्यों अर्थात पम्पिंग सिंचाई जल के लिये प्रयोग किए जाने वाले इंजन के लिए पूरक ईंधन के लिए गस का प्रयोग करते हैं, के लिए वित्तीय तौर पर संभव हैं।

(ग) तथा (घ) जी हां। उपरोक्त अध्ययन में वित्तीय संभाव्यता पर ध्यान दिया गया है। तथापि, सामाजिक लागत लाभ की दृष्टि से, बायो-गैस संयंत्रों का प्रसार लाभकारी पाया गया है क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ मवेशियों के गोबर तथा कृषि के अवशिष्ट पदार्थों को जलाने से बचाकर उन्हें कृषि उत्पादन के लिए खाद के रूप में प्रयोग करना संभव बनाता है।

(ङ) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण पर इसके लाभकारी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान बायो गैस विकास के ऐक बड़े कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

घरेलू उर्वरकों को प्रोत्साहन

3002. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों की हाल में हुई कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध घरेलू उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन देगी, और (ख) यदि हां, तो इसके लिए निश्चित योजना क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) :

रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को पूरा करने के लिए कार्बनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना सरकार की नीति है। इसलिये कार्बनिक खादों के उत्पादन तथा उपयोग के लिये ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध कार्बनिक छीजन के पुनः चक्रण की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम्पोस्ट बनाना, जैव-गैस सन्यंत्रों की स्थापना करना तथा हरी खाद बनाना शामिल है।

भारत सरकार का छठी योजना के दौरान 50 करोड़ रुपये के परिव्यय से जैव-गैस के विकास का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। 4 करोड़ रुपये के परिव्यय से जैव उर्वरकों का उपयोग तथा बिकास करने की एक अन्य योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में चीनी मिलों की स्थापना

3003. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा में कुछ चीनी-मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) उड़ीसा में इन प्रस्तावित चीनी-मिलों की स्थापना कहां-कहां की जाएगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) उड़ीसा औद्योगिक संवर्द्धन और निवेश निगम लिमिटेड, भुबनेश्वर से उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर 1250 मीटरी टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता की स्थापित की जाने वाली चीनी फैक्ट्रियों के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिये दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :–

(1) बांकी, जिला कटक ।

(2) नयागढ़, जिला पुरी ।

(ग) ये दोनों आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं ।

निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में पानी की सप्लाई

3004. **श्री केशव राव पारधी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1980 से मायापुरी के निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में पानी की सप्लाई का कार्य दिल्ली नगर निगम ने अपने हाथ में लिया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फ्लैटों का पानी प्रभार 50 पैसे प्रति यूनिट (25 पैसे + 25 पैसे बर्धन प्रभार) लिया जाता है;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम राजौरी गार्डन मध्यम आय वर्ग फ्लैटों जैसी अन्य कालोनियों, जहां ओवरहैड टैंक सुविधा उपलब्ध नहीं है, से केवल 25 पैसे प्रभार लेती है; और

(घ) यदि हां, तो मायापुरी के निम्न/मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों से दुगनी दर पर प्रभार लेने के क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निर्यात संस्थान ने सूचित किया है कि दरों की अनुसूची के अनुसार चरेलू प्रयोजनों के लिए जलपूर्ति हेतू 20 किलोमीटर तक 25 पैसे प्रति किलोलीटर प्रतिमास तथा अतिरिक्त उपभोग के लिये 50 पैसे प्रति लीटर प्रभार किया जाता है । उपर्युक्त के अलावा जहाँ कि संस्थान पृथक-पृथक पाकिटों के लिए विशिष्ट बूस्टिंग प्रबंध करता है । बूस्टिंग प्रभार 25 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से लिया जाता है ।

(ग) संस्थान ने सूचित किया है कि राजौरी गार्डन में मध्यम आय वर्ग फ्लैटों के लिये बूस्टिंग प्रबन्ध दिसम्बर, 1980 में अधिकार में लिये गये थे जिनके लिए जल प्रभार तथा बूस्टिंग प्रभार वसूल किये जाने हैं क्योंकि क्षेत्र में विशिष्ट बूस्टिंग प्रबन्ध किए गए हैं ।

(घ) संस्थान ने सूचित किया है कि जल प्रभार शामिल करके बूस्टिंग प्रभार ऐसी कौलोनियों/पाकिटों से वसूल किए जा रहे हैं जहां संस्थान द्वारा विशिष्ट बूस्टिंग प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

सुरेन्द्र नगर, जिले के लिए सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम धनराशि

3005. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरेन्द्र नगर जिले की 1980-81 के लिए अनुदान की सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम धनराशि में कितनी कटौती की गई;

(ख) यह कटौती क्यों की गई है; और

(ग) क्या यह धनराशि बढ़ाई जाएगी;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) 1980-81 के दौरान सुरेन्द्र नगर जिले के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 109.81 लाख रुपये की लागत की योजनाएं अनुमोदित की गई थीं। यद्यपि, कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक परिव्यय 120 लाख रुपये तक पहुंच सकता था लेकिन राज्य सरकार द्वारा सुझायी गई कुछेक योजनाओं को औचित्य न होने अथवा योजना के स्वीकार न होने के कारण अनुमोदित नहीं किया जा सका। तथापि, 1-4-1980 को 41 लाख रुपये की व्यय न की गई धनराशि शेष थी और राज्य सरकार ने केवल 22.82 लाख रुपए की उपयोगिता का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को पूर्णतः अनुमोदित कर दिया गया था इस तरह 1980-81 के दौरान अनुमोदित कार्यक्रम की प्रभावी मात्रा 132.63 लाख रुपये थी। पता चला है कि परियोजना के पास 18.18 लाख रुपये की व्यय न की गई धनराशि शेष थी जिसके लिये 1980-81 के दौरान उपयोगिता के कोई प्रस्ताव नहीं थे।

(ग) चूंकि वित्तीय वर्ष 1980-81 समाप्त हो गया है, इसलिये उस वर्ष के लिये बड़े कार्यक्रम का अनुमोदन सम्भव नहीं है। इसके अलावा 1980-81 के लिये अनुमोदित परिव्यय को पूर्णतः खर्च नहीं किया गया था और लगभग 69.53 लाख रुपये की व्यय न की तयी धनराशि 1981-82 के लिये ले जाई गयी थी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मुकदमा चलाये गए चीनी कारखाने

3006. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान चीनी ग्रेडों के कथित गलत अंकित (मार्क) करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मुकदमा चलाये गये चीनी कारखानों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे अपराधों के लिये कितनों की दोष सिद्धि हुई थी;

(ग) क्या ऐसे मामले हैं जिनमें आरोप प्रमाणित नहीं हुए और न्यायालय ने नमूनों के निरीक्षण के लिये अपनाई गई गलत प्रक्रिया और निरीक्षण स्टाफ के मनमाने दृष्टिकोण पर आक्षेप लगाये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस निरीक्षण प्रक्रिया में वास्तविकता लाने और उद्योग को किसी

संभव परेशानी से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कारगर और सक्रिय उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1.1.1979 से 31.12.1980 की अवधि के दौरान, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चीनी की श्रेणियों के गलत चिन्ह लगाने के लिए 41 चीनी फैक्ट्रियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिये 50 मामलों की सिफारिश की है।

(ख) ये सभी मामले या तो राज्य सरकारों के पास अथवा न्यायालयों में लम्बित पड़े हुये हैं और कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों से दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

3007. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से दिल्ल में प्रतियुक्ति पर आये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि कुल कितनी है;

(ग) क्या उन्हें आवास-सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 517

(ख) तीन और पांच वर्ष के मध्य जो उन स्तरों पर निर्भर करता है जिन पर उन्हें नियुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में आते हैं ऐसे अधिकारी गण सामान्य पूल वास के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिये एक "सावधिक अधिकारी पूल" की स्थापना की गई है जिसमें निर्धारित क्वार्टरों की संख्या उन्हें आवंटित करने के लिये अलग से रखी गई है।

एक गेहूं क्षेत्र की व्यवस्था

3008. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गेहूं क्षेत्र की व्यवस्था को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दक्षिणी राज्यों को गेहूं की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि तथा ग्रमीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को गेहूं की उपयुक्त मात्रा का बराबर आवंटन कर रही है और उसका संचलन करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर रही है।

उड़ीसा जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

3009. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लागू किया गया है;

(ख) 1981-82 के दौरान उक्त योजना उड़ीसा के कितने और जिलों में लागू की जायेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी जिलों में यह कार्यक्रम लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कौन से आदिवासी जिले इसमें शामिल किये जाएंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र कीं जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

'प्राइस सूट अप इन वेस्ट बंगाल" शीर्षक से समाचार

3010. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 अगस्त 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली के समाचार शीर्षक" प्राइस सूट अप इन वेस्ट बंगाल की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में इतनी तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल में आने वाले त्यौहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुये आवश्यक वस्तुओं खासकर खाद्य सामग्री की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। सरसों के तेल, चावल, गेहूं और गेहूं से बनी वस्तुओं जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के जैसी कुछ आवश्क वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि, कमी का मौसम होने और देश के अन्य भागो में उनके मूल्यों में आये वृद्धि के रूख के कारण कही जा सकती है।

(ग) पश्चिम बंगाल सकार चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयतित खाद्य तेलों जैसी कुछ विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कर रही है और सीमेंट, साफ्ट कोक तथा मिट्टी के तेल जैसी कुछ अन्य वस्तुओं का नियामक वितरण कर रही है। त्यौहार के मौसम के लिए पश्चिम बंगाल को 18,500 मीटरी टन आयातित खाद्य तेलों, 10000 मीटर टन लेवी चीनी और रोलर आटा मिलों के लिये 5000 मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया गया है। सितम्बर, 1981 के लिए अधिक मात्रा में गैर लेवी चीनी के निर्मुक्त किये जाने से पश्चिम बंगाल सहित संपूर्ण देश में चीनी की उपलभ्यता में सुधार होगा।

समकोई नदी में "स्पर" का निर्माण

3011 **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के क्योंझर जिले के तिलकोई में समकोई नदी में स्पर बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस नदी में स्पर कब तक बना लिए जायेंगे ?

सिंचाई मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्य सरकार से अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, ठोकरे (स्पर) बनाने का काम पूरा कर लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दूध का उत्पादन बढ़ाने की नीति

3012. **श्री के0 प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने की एक नई नीति सफल सिद्ध हुई है,

(ख) यदि हां, तो इससे देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में कहां तक वृद्धि होने में सहायता मिली है,

(ग) इसके विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

(घ) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने दिल्ली में दुग्ध उत्पादन संबंधी नीतियों के बारे में कोई गोष्ठी आयोजित की थी, और

(ङ) यदि हां, तो इस गोष्ठी में क्या निर्णय लिए गये थे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी हां। 1973-74 में दूध की प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपलब्धि 110 ग्राम थी, जो 1979-80 में बढ़कर 120 ग्राम हो गई।

(ग) दूध के वार्षिक उत्पादन को 1979-80 में 300 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर छठी योजना के अंतिम वर्ष (1984-85) में 380 लाख मीटरी टन करने का लक्ष्य है। इससे 1984-85 में प्रति दिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धि बढ़कर 146 ग्राम हो जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) अज्ञात नस्ल के पशुओं का संकर प्रजनन,

(2) चयनात्मक प्रचनन के माध्यम से गो-पशुओं तथा भैंसों की देशी नस्लों का सुधार करना,

(3) गो पशुओं/भैंसों के मालिकों को लाभ प्रद मूल्य दिलाने के लिए उन्नत परिसंस्करण तथा विपणन की सुविधाओं सहित "आपरेशन फ्लड-2" का एक बड़े पैमाने का पशु-एवं-डेरी विकास कार्यक्रम,

(4) हिमित वीर्य की प्रौद्योगिकि को अपनाने में तेजी लाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत हिमित वीर्य का उपयोग।

(5) चुनींदा गौशालाओं के वैज्ञानिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना, और

(6) सभी आवश्यक आदानों तथा सेवाओं की एक साथ व्यवस्था करके दूध के उत्पादन

में वृद्धि करने हेतु राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गहन पशु विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाना तथा उनकी स्थापना करना।

(घ) जी हां। "आपरेशन फ्लड-2 में दुग्ध उत्पादन के लिए प्रजनन तथा आहार से संबंधित नीतियों पर गोष्ठी" का परिपूर्ण सत्र 13 अप्रैल, 1981 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आनंद/दिल्ली में 9 से 13 अप्रैल, 1981 तक आयोजित गोष्ठी में की गई सिफारिशें /निर्णय संलग्न वितरण में दिये गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 9-13 अप्रैल 1981 को आनन्द/दिल्ली में आयोजित गोष्ठी की सिफारिशें

1. संकर प्रजनन में आयोजित पशुओं की बंशावली को 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाये।

2. कुछ सुप्रसिद्धि मान्यता प्राप्त भारतीय पशुओं की नस्लों को संरक्षण दिया जाये तथा उन्हें विकसित किया जाये।

3. चयन एवं सन्तति परिक्षा द्वारा भैंसों की सुप्रसिद्ध नस्लों का सुधार किया जाना चाहिए तथा सुप्रसिद्ध उन्नत सांडों की नस्लों के साथ अज्ञात नस्लों की भैंसों का श्रेणीकरण किया जाये।

4. सकर जिनत तथा भैंसों का संतति परीक्षण किया जाना चाहिए और कार्यक्रम का केन्द्रीय ढंग से प्रबोधन किया जाना चाहिए।

5. जब तक हिमित वीर्य के मानक कोटि के उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी का विकास न हों जाये तब तक इसका आयात किया जाये।

6 न्यूनतम लागत के चारे का फारमूला तैयार किया जाना चाहिये।

7. बंजर/चरागाह/गांवों की सामान्य भूमि का हरे चारे के उत्पादन के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये।

8. शुष्क तथा परीक्षित अपरम्परागत कृषि उद्योग संबंधी उपोत्पादों का पशुओं के चारे में प्रयोग किया जाना चाहिये।

9. राष्ट्रीय दुधारु यूथ योजना के तहत पशुओं का बीमा करने की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई।

10. आपरेशन फल्ड के तहत निरन्तर आधार पर चारा आहार, प्रजनन, प्रबंध तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित की गई पद्धतियों को सभी द्वारा तथा समान रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

अनुसंधान कार्य हेतु निम्नलिखित क्षेत्र भी सुनिश्चित किये गये :

(1) कृषि जलवायु संबंधी विभिन्न परिस्थितियों के तहत संकर बैलों की भारवाही क्षमता को निर्धारित करना तथा मूल्यांकन करना।

(2) भ्रूणों का भण्डारण, युगल संबध तथा प्रतिरोपण।

(3) निम्न कोटि के भोटे चारे की पोषकता में वृद्धि करने के लिए रसायन तथा सूक्ष्म

जैव विज्ञान पद्धतियों का अध्ययन करना तथा ऐसे अध्ययन की विष-विज्ञान संबंधी रासायनिक कठिनाईयों का मूल्यांकन करना।

(4) फसल अवशेषों, कृषि उपोत्पादों, कीटनाशी एवं कृमिनाशी आदि दवाइयों का पशुओं तथा पशु उत्पादों के चारे पर पड़ने वाला प्रभाव।

कन्या कुमारी में होली डे होम

3013. **श्री डी0 एस0 ए0 शिव प्रकाशम** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 1979-80 की रिपोर्ट के पृष्ठ 84 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्या कुमारी में "होली डे होम" की स्थापना के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस अवस्था में हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में पंजीकृत आवास समितियां

3014. **श्री डी0 पी0 जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को भूमि के आबंटन के लिए कितनी आवास समितियां पंजीकृत थी ;

(ख) वर्ष 1891 के दौरान अद्यतन कितनी और कौन-कौनं सी समितियाँ पंजीकृत थी ;

(ग) ग्रुप हाउसिंग समितियों को भूमि आबंटन करने के लिये अपनाये गये मानदंड क्या हैं ;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान किन-किन समितियों को भूमि आबंटित की गई थी;

(ङ) क्या इन सभी समितियों को भूमि आबंटित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गयाहै ; और

(च) क्या सरकार इन समितियों को और आगे पंजीकरण पर रोक लगाने पर विचार करेगी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1980 तक भूमि आबंटन के लिए 817 सहकारी आवास समितियां पंजीकृत थीं।

(ख) वर्ष 1981 के दौरान निम्नलिखित 10 नई ग्रुप आवास समितियां पजीकृत की गई थीं।

1. ईस्ट वैस्ट सहकारी आवास समिति लि.
2. न्यू प्रगत्तिशील सहकारी आवास समिति लि.
3. इण्डियन नेवल इम्पलाइज सहकारी आवास समिति लि.

4. प्रिन्टर्स सहकारी ग्रुप आवास समिति लि.
5. मानसिंह सहकारी ग्रुप आवास समिति लि.
6. गोसाई केवल राम जी सहकारी ग्रुप आवास समिति लि.
7. शान्ति सहकारी ग्रुप आवास समिति लि.
8. ऐसिक फ्रैंडस सहकारी आवास समिति लि.
9. प्रिन्स सहकाकारी ग्रुप आवास समिति लि.
10. पवित्र सहकारी ग्रुप आवास समिति लि.

(ग) ग्रुप आवास समितियों के लिए भूमि का अवंटन 50 रिहायशी एकक प्रति एकड़ के आधार पर किया जाता है और आवास समितियों की वरिष्ठता, सहकारी समितियों के पंजीकार के पास उनकी पंजीकरण तिथि के हिसाब से तय की जाती है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित समितियों को भूमि का आवंटन किया गया :

1. सर्वप्रिय सहकारी गृह निर्माण समिति	अतिरिक्त भूमि	2.49 एकड़
2. महारानी बाग सहकारी गृह निर्माण समिति	अतिरिक्त भूमि	1036.3 वर्ग गज
3. गालिब मैमोरियल सहकारी ग्रुप आवास समिति		5.21 एकड़

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहकारी समितियों के पंजीकार के पास वर्ष 1979-80-81 के दौरान पंजीकृत सभी ग्रुप आवास समितियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं। इन समितियों से आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 1981 को समाप्त हो गई।

समितियों की अधिक संख्या को देखते हुए भूमि के आवंटन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

(च) ग्रुप आवास समितियों के पंजीकरण पर लगी प्रतिबन्ध को वर्ष 1979 के दौरान एक महीने के लिए हटा दिया गया था और केवल उन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई जो इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे तथा वर्ष 1979-80 और 81 के दौरान पंजीकृत किये गये। सहकारी समितियों का पंजीकार फिलहाल नई ग्रुप आवास समितियों का पंजीकरण नहीं कर रहा है।

केन्द्रीय प्रायोजित कृषि विकास कार्यक्रम

3015 **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्या काम चल रहे हैं ;

(ख) क्या उस जिले में जल्दी होने वाली धान की फसल के समय कृषि विकास के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कीड़े मारने की दवाओं के हवाई छिड़काव प्रस्ताव है ; और

(ग) कृषि विकास के अन्तर्गत जिले में शुरू की जाने वाली अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क)

उड़ीसाके कटक जिले में कृषि और सहकारिता विभाग की निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं।

(1) महामारी ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि महत्व के कीटों और रोगों का नियंत्रण और उन्मूलन जिसमें खरपतवार नियंत्रण भी शामिल है ।

(2) सघन दाल उत्पादन कार्यक्रम ।

(3) पशु प्लेग उन्मूलन कार्यक्रम ।

(4) खुर-पका और मुहं-पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

(5) आप्रेशन फ्लड 2.

(6) जल कृषि (अक्वाकल्चर) विकास (मछुवा विकास एजेंसी)

(7) सामाजिक वानिकी जिसमें ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण भी शामिल है ।

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) आप्रेशन फ्लड 2 कार्य क्रम के अन्तर्गत, कटक जिले की मौजूदा फुलनाखरे डेरी का विस्तार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, परियोजना में कटक के निकट प्रतिदिन 60,000 लीटर दूध की संभाल करने की क्षमता एक नये डेरी संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(2) उड़ीसा जिलों में, जिनमें कटक भी शामिल है । मार्गदर्शी फसल बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है ।

पन्चवर्षीय योजना में सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई भूमि का क्षेत्रफल

3016. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना में भूमि का कितना क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया था और प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि आबंटित की गई थी;

(ख) सिंचाई के अन्तर्गत लाये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रफल के रूप में छठी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है और इस योजना अवधि के लिये राज्य-वार कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1980-81 में कितनी राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है और वर्ष 1981-82 के पहले 4 महीनों में कितना व्यय किया गया है तथा उपर्युक्त अवधि में कितना क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत आया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) एक विवरण-1 सभा-पटल पर रखा गया है (विवरण-एक) ।

(ख) एक विवरण-2 सभा-पटल पर रखा गया है (विवरण-दो) ।

(ग) 1980-81

प्रत्याशित व्यय	1630 करोड़ रुपये
क्षमता से पोषित होने वाला प्रत्याशित अतिरिक्त क्षेत्र	2.44 मिलियन हेक्टेयर

1981-82

स्वीकृत परिव्यय	1832 करोड़ रुपये
क्षमता के अतिरिक्त क्षेत्र का लक्ष्य	2.67 मिलियन हेक्टेयर

जहां तक 1981-82 के प्रत्याशित व्यय का सम्बन्ध है, वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान पूरे वर्ष की सूचना प्राप्त होती है, न कि वर्ष की कुछ अवधि की ।

विवरण-1

पांच पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल सृजित क्षमता और नियत परिव्यय

योजना	नियतन (करोड़ रुपये)	कुल क्षमता (मिलियन हेक्टेयर)
पहली योजना (1951-56)	456*	26.2
दूसरी योजना (1956-61)	522	29.1
तीसरी योजना (1961-66)	909	33.6
चौथी योजना (1969-74)	1,750	44.2
पांचवीं योजना (1974-78)	3,073	52.1

*इसमें योजना-पूर्व अवधि के दौरान किया गया 80 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है ।

विवरण-2

छठी योजना के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र और वित्तीय नियतन

क्रम संख्या	राज्य	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	वित्तीय नियतन (करोड़ रुपये)
1.	आंध्र प्रदेश	870	905.29
2.	असम	226	138.60
3.	बिहार	1680	1050.70
4.	गुजरात	453	1086.80
5.	हरियाणा	298	455.01
6.	हिमाचल प्रदेश	28	31.45
7.	जम्मू और कश्मीर	65	119.44

1	2	3	3
8.	कर्नाटक	715	553.50
9.	केरल	303	303.30
10.	मध्य प्रदेश	1033	1142.50
11.	महाराष्ट्र	875	1330.01
12.	मणिपुर	61	49.00
13.	मेघालय	15	7.00
14.	नागालैंड	10	10.00
15.	उड़ीसा	660	455.00
16.	पंजाब	410	375.53
17.	राजस्थान	482	503.26
18.	सिक्किम	8	4.00
19.	तमिल नाडु	233	197.19
20.	त्रिपुरा	13	32.10
21.	उत्तर प्रदेश	4550	1414.70
22.	पश्चिम बंगाल	687	403.70
	उप-जोड़-राज्य	13,676	10,568.08
	संघ राज्य क्षेत्र	66	86.85
	केन्द्रीय सेक्टर	—	460.00
		13,741	11,114.93

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियां

3017. **श्री एन. ई. होरो :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक कितनी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियों को भूमि आबंटित की हैं;

(ख) इन हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि आबंटित करते समय क्या मानदंड अपनाया गया;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके मामलों पर भूमि आदि की कीमत के अनुसार किस्तों की शीघ्र अदायगी को ध्यान में रखकर विचार किया जाये; और

(घ) यदि हां, क्या सरकार 50 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामूहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत ऋण के सम्बन्ध में एक समिति का गठन

3018. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये संस्थागत ऋण नियमित तथा पर्याप्त रूप से देने के सम्बन्ध में गठित उच्चस्तरीय समिति के कार्य तथा निदेश पद क्या हैं;

(ख) इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) समिति के मुख्य कार्य छठी योजना के सन्दर्भ में विभिन्न ऋण संस्थाओं से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए प्राप्त होने वाली सहायता की सीमा की पुनरीक्षा करना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्राप्त करने में अनुभव की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों का पता लगाना है। समिति के गठन तथा विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह समिति एक स्थायी समिति होगी और यह समय-समय पर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी।

विवरण

ऋण संस्थाओं से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए प्राप्त होने वाली ऋण सहायता की सीमा की पुनरीक्षा करने हेतु गठित की गई उच्च स्तरीय समिति का गठन तथा उसके विचारार्थ विषय

गठन

1. डा. मोहन सिंह, सदस्य सचिव, योजना आयोग	अध्यक्ष
2. श्री सुशील चन्द्र वर्मा, सचिव ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	सदस्य
3. श्री एम. रामाकृष्णय्या, डिप्टी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
4. श्री आर. के. कौल, अपर सचिव बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
5. श्री पी. आर. दुभाषी, अपर सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय	सदस्य
6. श्री जी. वी. रामाकृष्णा, सलाहकार, ग्रामीण विकास, योजना आयोग	सदस्य
7. श्री एन. वी. कृष्णन, संयुक्त सचिव, योजना वित्त प्रभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य

8. श्री आर. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
9. श्री के. रामानुजम, आयुक्त तथा सचिव ग्रामीण पुनर्निर्माण, बिहार सरकार	सदस्य
10. श्री एच. बी. एन. शेट्टी, सचिव, ग्रामीण विकास, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
11. श्री सन्त दास, प्रबन्ध निदेशक, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम	सदस्य
12. श्री पी. जी. मुरलीधरन, संयुक्त सचिव ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण की उपलब्धता की समय-समय पर पुनरीक्षा करना।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सन्दर्भ में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी सोसायटियों के ऋण तंत्र की जांच करना तथा जहां अनिवार्य हो, उसके विस्तार के लिए सिफारिश करना।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्राप्त करने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जांच करना तथा इन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करना।

4. इस बात की जांच करना कि क्या कमजोर वर्गों के लिए ऋण से सम्बन्धित प्रक्रियाओं तथा रियायतों को सरल बनाने के बारे में हाल ही में जारी किए गए मार्ग दर्शक सिद्धांतों को क्षेत्र की बैंक शाखाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और यह भी देखना कि क्या इसमें और सरलीकरण, रियायतों आदि की आवश्यकता है।

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम खण्डों के लिए ऋण योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की प्रगति की जांच करना। यह समिति कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा तैयार की गई समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की खण्ड योजनाओं तथा जिला ऋण योजना के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम घटक के कार्यान्वयन की भी पुनरीक्षा करेगी।

6. इस बात की भी जांच करना कि छठी योजना में कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किए गए ऋण लक्ष्यों का किस सीमा तक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7. समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सम्बद्ध मामला।

नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में पेय जल की कमी

3019. **श्री राम लाल राही** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या पिछले चार महीनों से पूर्वी किदवई नगर के, सरकारी क्वार्टरों (ऊपरी के सभी ब्लाकों में पेयजल की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि गर्मियों के महिनों में पानी की कुछ कमी महसूस की जाती है।

(ख) यह कमी मुख्यतया, निम्न दवाव के कारण कम पानी की उपलब्धता और इन क्वार्टरों का जल वितरण प्रणाली के एक छोर पर स्थित होने के कारण है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने नलकूपों को खोदकर तथा पानी के दवाव को बढ़ाने के लिए बूस्टिग प्रबन्धों सहित भूमिगत टैंक बनाकर उपचारी उपाय आरम्भ कर दिए हैं।

प्याज का निर्यात

3020. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपाथिन और मद्रास के लघु प्याज निर्यातकों ने सरकार से 'नाफेड' के साथ-साथ प्याज का निर्यात करने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या 'नाफेड' ने केवल एक भारतीय कम्पनी को कमीशन एजेन्सी दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) प्याज का निर्यात नाफेड के माध्यम से होता है। कनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में नाफेड निर्यात का कार्य स्वयं अथवा अपने सहयोगियों के माध्यम से कर सकता है और उसके लिए सरकार की आज्ञा लेना जरूरी नहीं है।

(ख) नाफ़ेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

तमिलनाडु स्लम क्लीरेन्स बोर्ड को वित्तीय सहायता

3021. **श्री एन. डेनिस** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार तमिनाडु स्लम क्लीरेन्स बोर्ड का वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुदान को लोक प्रिय बानने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) तमिलनाडु गन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्ड को विश्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे कोई वित्ततीय सहायता नहीं दी जाती। गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार राज्य का विषय है। आई. डी. ए./विइव बैंक द्वारा सहायता प्राप्त मद्रास ग्रामीण विकास परियोजना। और 11 के अन्तर्गत गन्दी बस्ती सुधार का एक अंग है, जो कि राज्य गन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्ड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपर्युक्त परियोजना के आई. डी. ए. ऋण को निर्धारित फार्मूले के अनुसार अतिरिक्त योजना सहायता के रूप में दिया जाता है।

मद्रास शहरी विकास परियोजना 1 और 11 में गन्दी बस्ती सुधार अंश की अनुमानित लागत क्रमशः 5060.00 लाख रुपये और 2587.30 लाख रुपए है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में माकानों की कमी

3022. **श्री नीरेन घोष** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मकानों की अनुमानित कमी कितनी है;

(ख) देश में मकानों की कमी की समस्या के समाधान के लिए छठी पचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस कार्य के लिए ऋण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1971 की जनगणना और भारत के महापंजीकार द्वार 1981 के लिए उस पर किए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर आवास की कमी के अनुमान जैसे कि राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा लगाये गये हैं इस प्रकार से है :-

ग्रामीण	165 लाख
शहरी	48 लाख
योग	213 लाख

(ख) छठी योजना में आवास पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 1490.87 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने विशेष रूप से आवास के लिए कोई ऋण नहीं दिया है। तथापि, भारत सरकार ने बहुदेशीय नगर विकास परियोजनाओं जिसमें अन्य घटकों के साथ "आवास घटक" भी शामिल है, के लिए विश्व बैंक/आई. डी. ए. से ऋण प्राप्त किये। कलकत्ता और मद्रास में बहुक्षेत्रीय नगर विकास परियोजनाओं के लिए आई. डी. ए. ने 1880 लाख अमरीकी डालर का ऋण दिया है। आई. डी. ए. की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन इन योजनाओं का कार्यान्यन सम्बन्धित राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों द्वारा किया जाता है। आई. डी. ए. ऋण जो केवल सरकार को दिए जाते हैं उनकी शर्त में 10 वर्ष की माफी अवधि, 50 वर्षों की भुगतान तिथि और कोई ब्याज शामिल नहीं है, परन्तु प्रत्येक ऋण के वितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का एक वार्षिक सेवा शुल्क शामिल है।

यांत्रिक नावों को चलाना

3023. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में बहुत बड़ी संख्या में यांत्रिक नावें चलाने के कारण तटीय क्षेत्रों में मछली विकास के क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं और इससे परम्परागत मछुआरों की समस्याएं बढ़ गई हैं; और

(ख) इस समस्या के सन्तोषजनक हल के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रलयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) उपलब्ध प्रमाण से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि गोआ के तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन स्थलों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है।

(ख) सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से गैर यंत्रीकृत और यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मात्स्यन नियंत्रण करने के लिए गोआ में पहले से ही समुद्री मत्स्यन नियंत्रण अधिनियम पास कर दिया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा समुद्री तट से 5 कि. मी. के भीतर मत्स्यन कार्य करने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन मशीनरी सुदृढ़ बनायी जा रही है। प्रशासन यन्त्रीकृत नौकाओं के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है।

देश में आवास सहकारी समितियां

3024. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवास सहकारी समितियाँ कितनी हैं;

(ख(देश में आवास समस्या को सुलझाने के लिए आवास सहकारी समितियों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पूंजी में भागीदार होने योग्य बनाने के लिए "हुडको" को और अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह अनुमान लगया गया है कि देश में लगभग 34, 500 सहकारी आवास समितियां हैं।

(ख) आवास राज्य का विषय है। आवास सहकारी समितियों को सहायता मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। तथापि, सहकारी आवास समितियाँ राज्य सरकारों, या मुख्य सहकारी आवास वित्त समितियों के माध्यम से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकती है। हुडको राज्य स्तर की मुख्य सहकारी आवास वित्त समितियों के माध्यम से मूल सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है। जहां मुख्य सहकारी समितियां नहीं हैं वहाँ मूल सहकारी समितियों को सीधे ही वितीय सहायता दी जाती है। हुडको ने अभी तक विभिन्न मूल सहकारी समितियों के लिए 20 योजनाएं और विभिन्न मुख्य सहकारी समितियों के लिए 9 योजनाएं स्वीकृति की हैं। हुडको की 6.33 करोड़ रुपए की वचन वद्धता है।

(ग) छठी योजना (1980-85) में ऋण की वसूली सहित हुडको की साम्य पूंजी को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया है। योजना अवधि के दौरान हुडको अपने विभिन्न कार्यक्रमों पर 600 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगा। इसका 55 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के लोगों के लिए होगा।

भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु तकनीक का विकास

3025. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल ने भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए तकनीक का विकास किया है;

(ख) अब तक विभिन्न राज्यों में कितनी भूमि कृषि योग्य बनाई गई है;

(ग) विभिन्न राज्यों में कृषि योग्य बनाई गई भूमि से खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुईहै ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाए जाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निाण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी ही, श्रीमान ।

(ख) हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में अभी तक 1.76 लाख हैक्टर क्षेत्र की क्षारीय भूमि को जोकि बंजर तथा उजाड़ दिखती थी, सुधारा गया है तथा फसल उत्पादन के अन्तर्गत प्रयोग में लाया गया है ।

हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में क्रमश: 51,000,71,564 तथा 54,000 हैक्टर क्षेत्र भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये हैं ।

(ग) सुधरी हुई भूमि से खाद्य उत्पादन बढ़ने से संबंधित सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु अभी तक चलायी गयी अनुसंधानों के परीक्षणों से यह पता चलता है कि सुधरी भूमि से चावल तथा गेहूं का औसतन करीब 5-6 टन अन्न प्रति हैक्टर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है ।

(घ) भूमि सुधार में प्रमुख कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में शुरू किये जा रहे हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना में, भूमि सुधार कार्यक्रम का लक्ष्य 26,000 हैक्टर, 1,75,000 हैक्टर तथा 38,000 हैक्टर प्रस्तावित किया गया है ।

इस समय, राज्य कृषि विभागों द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं । चालू वर्ष के लिए राज्यों की बतायी गयी क्षमता के अनुसार, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा क्रमश: 8000 तथा 20,000 हैक्टर क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने पर विचार किया गया है ।

वर्ल्ड बैंक लोंज फार थ्री स्टेट्स शीर्षक समाचार

3026. **डा. वसंत कुमार पण्डित :**

श्री माधव रावसिंधिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1981 के "हिन्दू डेली" में वर्ल्ड बैंक लोंज फार थ्री स्टेट्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया जायेगा और विश्व बैंक द्वारा यह किन-किन राज्यों को निर्धारित किया गया है तथा राज्यों द्वारा इस प्रकार आवंटित की गई राशि किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जायेगी; और

(ग) यह ऋण कब तक वापस किया जाना है, इस ऋण को वापस करने का तरीका क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से भारत द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया था और यह किस प्रयोजन के लिए लिया गया था ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(ख) संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम तथा ऋण संख्या	हस्ताक्षर करने की तिथि	लागू होने की तिथि	परियोजना की कुल लागत (दस लाख डालर)	ऋण की रकम (दस लाख डालर)	ऋण समाप्त होने की तिथि
1-	महाराष्ट्र कृषि विस्तार (1135-आई.एन.)	7-5-81	22-7-81	33.3	23.00	30-6-87
2-	मध्य प्रदेश कृषि विस्तार (चरण-2) 1138-आई. एन.	7-5-81	22-7-81	52.6	37.00	30-6-87
3-	तमिलनाडु कृषि विस्तार (1137-आई. एन.)	7-5-81	22-7-81	39.7	28.00	30-6-81

सभी तीनों मामलों में ऋण प्रदान करने का उद्देश्य इन राज्यों में कृषि विस्तार प्रसासन का पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण करना है।

(ग) मानक शर्तों के अनुसार अन्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋणों पर ब्याज नहीं लगता, बल्कि लिए जाने वाले ऋण की मूल धनराशि तथा समय समय पर बकाया राशि पर केवल 0.75 प्रतिशत के हिसाब से सेवा शुल्क लगता है। भुगतान की अवधि 50 वर्ष होती है जिसमें 10 वर्ष की माफी अवधि भी शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारत सरकार को ऋण देती है। कृषि विस्तार परियोजनओं के लिए इन तीनों राज्यों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से भारत द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया।

खिचड़ीपुर दिल्ली में जल सप्लाई

3027. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने खिचड़ी पुर में "कल्याणवास" में दो हजार कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या "कल्याणवास" में प्रदूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है जो कि न तो पीने योग्य है और न ही नहाने लायक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वहां पीने योग्य पानी की सप्लाई करने के लिए व्यवस्था की जा रही;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसने अपने कर्मचारियों को आबंटन करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा निर्मित 1707 रिहायशी एकक खरीदे थे। इनमें 555 क्वार्टर टाईप II और शेष 1152 क्वार्टर टाईप I के मानक के अनुरूप हैं।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 3 नलकूपों से पानी की सप्लाई की जा रही है और जीवाणु विज्ञान की रिपोंटों से तह पता चलता है कि यह पानी निर्धारित मानक के अनुरूप पीने लायक है यद्यपि रसायन विश्लेषण रिपोर्ट यह प्रकट करती है कि पानी मामूली सा भारी और खारा है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश को ज्वार के बीज की सप्लाई

3028. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने मध्य प्रदेश को 18,000 क्विंटल ज्वार के बीज की मांग के विरूद्ध 15,000 क्विंटल की सप्लाई का वादा किया था और बाद में उसे घटा कर 12,000 क्विंटल कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने मध्य प्रदेश सरकार को 18,000 क्विंटल ज्वार के बीज की मांग की तुलना में 15,000 क्विंटल की सप्लाई करने का वालदा किया था। तथापि, ज्वार के बीज का उत्पादनकरने वाले क्षेत्रों में रोग फैलने के कारण आन्ध्र प्रदेश से ज्वार के बीज की कुल उपलब्धि में कमी होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार को 12,815 क्विंटल ज्वार का बीज उपलब्ध कराया गया। केवल 11,235 क्विंटल बीज उठाया है।

माचिस उद्योग की लागत और उत्पादन

3029 **श्री राजेश पायलट** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीर तथा लघु फैक्टरी उत्पादन में माचिस उद्योग की तुलनात्मक लागत और उत्पादन क्या है; और

(ख) पिछड़े क्षेत्र में श्रम पर आधारित इस उद्योग के संवर्द्धन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में माचिस के उत्पादन में लागत (पूंजी व्यय तथा कार्यकर पूंजी) तथा उत्पादन का अनुपात 1 : 1 है। 1979 में कुटीर क्षेत्र में माचिसों के 5 गुरूस के प्रत्येक बण्डल के उत्पादन की लागत 51.60 रुपये आंकी गई थी जबकि लघु क्षेत्र में उत्पादन की लागत 69.80 रुपये प्रति बण्डल थी।

(ख) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु एक ओर तो कुटीर तथा लघु माचिस यूनिटों उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है और दूसरी ओर माचिस की डिब्बियों के उत्पादन में प्रशिक्षण, खपचियों, पृष्ठावरणों, रसायनों आदि जैसी सामग्री की सप्लाई के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

लोधी कालोनी पुलिस थाने के निकट पक्की सड़क

3030 **श्री चक्रधारी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि लोधी कालोनी पुलिस थाने के निकट कच्ची सड़कें हैं जिस पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और उस सड़क के किनारे कई मन्दिर तथा पूजा के स्थान हैं जिनमें प्रतिदिन विभिन्न धर्मों के लोग आते जाते हैं।

(ख) क्या कच्ची सड़क होने के कारण और इस पर प्रकाश की कोई व्यवस्था न होने के कारण इस पर पानी खड़ा हो जाता है और वर्षा के दिनों में यह बन्द हो जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे पक्का बनाने और इस पर प्रकाश की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सार्वजनिक हित में इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई जाएगी और यदि हां तो कब तक;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामान्य विहित प्रक्रिया में ढील देकर डी. डी. ए. फ्लैटों का आबंटन

3031 **श्री एस. आर. ए. एस. अप्पालानायडू** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च आय वर्ग मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले व्यक्तियों को क्रमश: मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के मकान/फ्लैट आवंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में सक्षम प्राधिकारी कौन है;

(ख) क्या उक्त प्राधिकारी ने किसी मामले में अपनी उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग किया है; और

(ग) यदि हां तो किस आधार पर और उन व्यक्तियों की सूची क्या है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण की सामान्य विहित प्रक्रिया में ढील देकर फ्लैट आबंटित किये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनुकम्पा के आधार पर आवंटन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपाध्यक्ष अन्तर को सामान्यतया माफ कर देता है। यदि पंजीकृत व्यक्ति की आय किसी विशेष श्रेणी के लिए जिसमें वह पंजीकृत है, निर्धारित आय सीमा से कुछ ही अधिक होती है या कम पड़ती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।

हीराकुण्ड रेंगाली और मछकुण्ड में जलागम के सुरक्षा कार्य के लिए नदी घाटी परियोजना के लिए योजना

3032 **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने हीराकुण्ड, रेंगाली और मछकुण्ड बांध परियोजनाओं में जलागम के सुरक्षा कार्य के लिए नदी घाटी परियोजना के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां तो क्या यह सच है कि नवीनतम निर्णय के अनुसार इस योजना का 50 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी, और

(ग) यदि उत्तर सकारात्मक है तो क्या इस जलागम सुरक्षा कार्य का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, और

(घ) यदि हां तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के क्रियान्वयन तथा इस योजना के खर्च के अपने हिस्से की अदायगी में कोई रूचि नहीं ले रही है और क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं का सारा व्यय वहन करेगी;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार है।

(ग) हीराकुण्ड और रेंगाली जलाशयों के स्रवण क्षेत्र उड़ीसा व मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं और इनसे दोनों राज्यों को लाभ पहुंचता है। अतः दोनों राज्यों में ही मृदा संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं। मछकुण्ड का स्रवण क्षेत्र उड़ीसा राज्य के अन्दर है। इसलिए कार्य उस राज्य द्वारा ही किया जा रहा है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले हीराकुण्ड तथा रेंगाली क्षेत्रों में इस योजना को चलाने में काफी रूचि ले रही है। वह स्वीकृत परिव्यय के 50 प्रतिशत भाग में भी साझेदार है। केन्द्रीय सरकार केवल अपने हिस्से का 50 प्रतिशत खर्च अदा करती है। अपने हिस्से से अधिक रकम देने का प्रश्न ही नहीं होता।

भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में चोरी

3033 **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में चोरी की पांच घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या इन चोरियों में लाखों रुपये मूल्य की मुद्रण सामग्री तथा विद्युत विभाग से 30-40 क्विंटल माल चोरी गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बाहर जाने वाले द्वार के समीप रह रहे कुछ अधिकारियों पर इसमें सांठगांठ का सन्देह किया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इन चोरी की घटनाओं का पूर्ण ब्यौरा क्या है और पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि संदेहयुक्त व्यक्तियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है तो क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करायेगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में मुद्रण सामग्री की चोरी का कोई मामला नहीं हुआ है। तथापि, प्रेस से सम्बद्ध विद्युत विभाग जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन है, में 5.5.81 तथा 21.7.81 को विद्युत सामग्री की दो चोरियाँ हुई।

इन चोरियों में लगभग 12,200 रुपये के मूल्य की अनुमानत: 3.80 क्विंटल विद्युत सामग्री चोरी हुई बताई गई थी।

(ग) ऐसी कोई शिकायत न तो मुद्रण निदेशालय और न ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ध्यान में लाई गई है।

(घ) तथा (ङ) चोरी के पहले मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (नं. 365) पुलिस में 6.5.81 को तथा दूसरे मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (नं. 557) 21.7.81 लिखाई गई थी। मामला पुलिस के जांचाधीन है।

जनकपुरी, बी-बी ब्लाक में फ्लैटों की निपटान लागत

3034 **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जनकपुरी बी-बी ब्लाक में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना हेतु फ्लैटों की निपटान लागत का कितने प्रतिशत प्रभार राज सहायता तथा अनुरक्षण प्रभार के रूप में लिया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनकपुरी के बी-बी ब्लाक के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के सम्बन्ध में समाज के कमजोर वर्ग के लिये आवासीय योजना के अन्तर्गत राज्य सहायता के रूप में कुछ भी वसूल नहीं किया गया। यह भी बताया गया है कि छोड़े गये/जमा कराये गये फ्लटों के अनुरक्षण प्रभार के रूप में प्रतिवर्ष निर्माण लागत का $2\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से वसूल किया गया।

राजस्थान नहर पर कार्य की प्रगति

3035. **आचार्य भगवान देव :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर पर अब तक कितना काम पूरा हो चुका है; और

(ख) इस संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) और (ख) राजस्थान नहर का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। मार्च, 1981 तक किया गया निर्माण-कार्य और 1981-82 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित है—

चरण-एक :

मुख्य नहर, जिसकी सम्पूर्ण लम्बाई 393 किलोमीटर है, पूर्ण कर दी गई है। 3000 किलो मीटर लम्बी वितरण प्रणाली में से लगभग 2756 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली भी मार्च, 1981 तक पूरी की जा चुकी है। शेष 244 किलो मीटर लम्बी वितरण प्रणाली को 1982-83 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

चरण-दो

मार्च, 1981 तक पूरा हो गया निर्माण-कार्य और 1981-1982 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न लिखित हैं :—

(किलोमीटर में)

	कुल लम्बाई	मार्च, 81 तक पूर्ण	1981-82 के लिए लक्ष्य
मुख्य नहर	256	106.14	30
वितरण प्रणाली	3500	124.95	83.78

वन क्षेत्र का वर्गीकरण

3036. **श्री कुमबम एन. नटराजन :** क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिसमें 1979-80 और 1980-1981 में वन के अन्तर्गत क्षेत्र का वर्गीकरण दर्शाया गया हो;

(ख) जिसमें कोनिफरस और गैर-कोनिफरस किस्मों के लिए औद्योगिक लकड़ी और ईंधन लकड़ी का उत्पादन और 1979-80 और 1880-81 के दौरान राज्य वन विभाग द्वारा प्राप्त रायल्टी की राशि दर्शायी गई हो; और

(ग) जिसमें 1979-80 और 1980-81 के दौरान सभी छोटे वन उत्पादों के लिए राज्य वन विकास द्वारा प्राप्त रायल्टी दर्शायी गई हो ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित आवासीय प्लाटों का वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग

3037. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्तमान नियमों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवासीय कालोनियों के आवासीय प्लाटों में कोई व्यापारिक/वाणिज्यिक संस्था नहीं चलायी जा सकती ;

(ख) क्या नारायण विहार के प्लाट नं. ई-18 में एक गेस्ट हाउस चल रहा है और एक पुलिस छापे में गेस्ट हाउस के मैनेजर को अनैतिक कार्य अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था;

(ग) यदि उपर्युक्त तथ्य सही हैं तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस इमारत की योजना को स्वीकृति कैसे मिली, इसके पूरे होने का प्रमाण पत्र कैसे ज़ारी किया गया और जिस दिन पुलिस ने छापा मारा उस दिन तक वहां यह धंधा कैसे चलता रहा; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को धोखा देने के संबध में प्लाट मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में शंकर गार्डन में मूल सुविधाओं का अभाव

3038. **श्री भीखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली की वर्ष 1957 में मंजूरशुदा एक कालोनी शंकर गार्डन में, इसका दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद से पथप्रकाश सड़कें और मल-निकासी से सम्बन्धित कोई विकास कार्य नहीं हुआ है;

(ख) क्या सेवाओं की कमी को पूरा करने के लिए कालोनाइजर से कुछ धनराशि जमा कराने के लिए कहा गया था, जो उसने कई वर्ष पहले अविलम्ब जमा करा दी थी ;

(ग) पूर्ण रूप से मंजूरशुदा इस कालोनी में मूल सुविधाएं उपलब्ध न कराएं जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपर्युक्त कालोनी में पथ-प्रकाश, सड़कें और मल-निकासी की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए क्या शीघ्र उपाय किये जाने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जेदारपलायम नहर योजना

3039. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई मंत्रालय ने तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली जिलों में बाढ़ के दौरान फालतू पानी से संबंधित "जेदार पलायम नहर योजना" जो काफी समय से विचाराधीन है, का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय इस योजना के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन कर सकता है ताकि इन जिलों में, जिनमें लगभग छः विधानसभा क्षेत्र आ जाते हैं, सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो सके ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सिंचाई मंत्रालय को तमिलनाडु सरकार से जेदारपलायम नहर स्कीम की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) : तमिलनाडु सरकार ने अपनी छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में इस स्कीम को शामिल नहीं किया है।

(ग) : चूंकि सिंचाई एक राज्य-विषय है, इसलिए केन्द्र द्वारा एक समिति गठित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में दुकानों के स्वामित्व का अन्तरण

3040. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास की गई मार चार्केट अर्थात् पी. जी. मार्केट, कमला मार्केट न्यू सेंट्रल मार्केट और सरोजिनी मार्केट के दुकानदारों को स्वामित्व अधिकारी का अन्तरण करने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दुकानदारों से वसूल की जा रही दुकान की लागत क्या है;

(ग) प्रत्येक दुकान की इस प्रकार निर्धारित की गई लागत अलग-अलग क्यों है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त लागत में असमानता दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने जुलाई 1978 में दुकानों/फ्लैटों/स्टालों के आबंटन के लिये पात्र आबंटतियों/दखलकारों को स्थल के 20 वर्ष के किराये के पूंजीगत लागत के परिकलन के भुगतान पर मालिकाना हकूक का अन्तरण करने का निश्चय किया। चूंकि दुकानदारों द्वारा दी जाने वाली प्रतिमास लाइसेंस फीस प्रति व्यक्ति भिन्न-भिन्न है अतः उनके द्वारा 20 वर्ष तक दिया गया किराया भी भिन्न भिन्न है।

दिल्ली दुग्ध योजना को हुआ घाटा

3041. **श्री मोती भाई आर चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा किस दर पर दूध खरीदा जाता है और यह किस दर पर बेचा जाता है और इस पर प्रति बर्ष कितना घाटा हो रहा है और इस घाटे को कौन पूरा करता है; और

(ख) क्या यह केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या देश में विभिन्न राज्यों के लोगों को सस्ती दरों पर दूध की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार अपनी विभिन्न दुग्ध योजनाओं के अर्न्गत विभिन्न राज्यों को ज्यदा से ज्यादा सहायता उपलब्ध कराने का है जैसा कि दिल्ली दुग्ध योजना के अर्न्गत हुए घाटे को पूरा करने के लिये दिल्ली को दी जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जुलाई, 1981 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा राज्य एजेंसियों तथा पशु कालोनियों से खरीदे जाने वाले मिश्रित दूध की खरीद का भाव क्रमशः 282.91 रुपये तथा 290.40 रुपये प्रति क्विंटल था। दिल्ली दुग्ध-योजना द्वारा राज्य एजेंसियों से खरीदे जाने वाले गाय के दूध कां खरीद मूल्य 224.47 रुपये प्रति क्विंटल था।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले टोन्ड तथा डबल टोन्ड दूध का विक्रय मूल्य क्रमशः 1.80 रुपये तथा 0.70 रुपये प्रति लीटर है। वर्ष 1980-81 में अनुमानित हानि (जिसमें मूल्य ह्रास और ब्याज भी शामिल है) 264.30 लाख रुपये है तथा वार्षिक हानि दिल्ली दुग्ध योजना के आय तथा व्यय के बीच का बजट संबंधी घाटा है।

(ख) दुग्ध योजनाओं के लिये अपेक्षित वित्तीय सहायता के प्रश्न पर विचार करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का काम है।

पैकेटों पर मूल्य छापना

3042 **श्री चतुर्भुज :** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** पैकटों पर मूल्य छापने के बारे में 24 अगस्त, 1980-81 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1045 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा व्यापारियों का आमतौर पर यह रवैया रहता है कि वे पैकटों पर छपे अधिकतम मूल्य पर टैक्स लगा कर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को ऐसे शोषण से बचाने के लिये संबंधित अधिनियम में रक्षा उपायों का प्रावधान शामिल करने के लिये संशोधन क्यों नहीं किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) मिली कुछ रिपोर्टों के अनुसार, खुदरा व्यापारियों में पैकेटों पर छपे अधिकतम मूल्य पर टैक्स लगा कर दाम वसूल करने की प्रवृति है।

(ख) और (ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में अधिकतम मूल्य की वर्तमान व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिये की गई है कि पैकटों पर दिये गये अधिकतम मूल्य की सीमाओं के भीतर रहते हुए व्यापारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश बनी रहे जिसका लाभ उपभोक्ता को मिले। कुल मिलाकर वस्तुओं के मूल्य उनके उत्पादन और व्यापार में लगे व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। पैकेजों में रखी वस्तुएं नियमों में खुदरा व्यापारियों द्वारा मनमाने मूल्य वसूलने से उपभोक्ताओं को बचाने की व्यवस्था की गई है।

रामपुरा में "लाल डोरा प्रमाणपत्र" जारी किया जाना

3043. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान रामपुरा, दिल्ली-35 में "लाल डोरा प्रमाण पत्र" दिये गये हैं तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं।

(ख) रामपुरा, दिल्ली से "लाल डोरा प्रमाण पत्र" के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं;

(ग) प्रमाण पत्रों के लिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त प्रमाण पत्र के कब तक जारी किये जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल कर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय मत्स्य निगम को फिर से चालू करना/बन्द करना।

3044. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय मत्स्य निगम को पुनः चालू करने अथवा बन्द कराने के लिये कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा;

(घ) क्या इसके मद्रास स्थित एकक के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो निर्णय क्या है; और

(च) इस एकक को बन्द करने और निर्णय लेने की स्थिति में कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियां देने के लिये क्या प्रबंध किये जायेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय मत्स्य निगम को पुनः चालू करने अथवा बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) निर्णय शीघ्र ही होने की आशा है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

(च) अभी प्रश्न ही नहीं होता।

विवेक विहार में वायु प्रदूषण

3045. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 अगस्त, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "एयर पोल्यूशन इन विवेक बिहार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गाया है;

(ख) क्या यह सच है कि झिलमिल तहारपुर औद्योगिक क्षेत्र में टायर बनाने वाला कारखाना फर्नेस आयल के स्थान पर रबड़ के टुकड़ों का प्रयोग करता है जिससे दिन रात ढ़ेरों धुंआ निकलता है जिनमें रबड़ के कण उड़कर आते हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र के निवासियों राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई धूम्र कंटक अधिनियम, 1912 जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू है के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित की गई दिल्ली धूम्र कण्टक आयोग द्वारा जनवरी 1981 फरवरी, 1981,अप्रेल, 1981 मई, 1981, जून 1981 तथा अगस्त 1981 में महीनों में दिनों के समय किये गए निरिक्षणों के अनुसार, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मैसर्स, साहनी रबड़ इन्डिस्ट्रीज द्वारा छोड़ा जाने वाले धुएं को अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों में निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया।

(ग) बम्बई धूम्र कण्टक अधिनियम 1912 जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू है के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित किया गया दिल्ली धूम्र कण्टक अधिनियम दिल्ली में धूम्र कण्टक की रोक थाम का कार्य कर रहा है ।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, 16 मई, 1981 से लागू हो गया है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का केन्द्रीय बोर्ड का प्रस्ताव अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसे प्रदूषणों को कम करने के उपायों को लागू करने तथा कठोर निगरानी करने का है।

मुनीरका, नई दिल्ली में आबंटित डी. डी. ए. के फ्लैट

3046. **श्री हुन्नान मोल्लाह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में मुनीरका में आबंटित डी. डी. ए. के एक फ्लैट की कुल लागत कितनी है;

(ख) इस फ्लैट की भूमि की लागत कितनी है;

(ग) एक फ्लैट के लिए ठेकेदारों को अदा किया गया निर्माण प्रभार क्या है;

(घ) एक फ्लैट का "सर्विस चार्ज" क्या है;

(ङ) एक फ्लैट के निर्माण में निवेश की गई पूंजी पर ब्याज क्या है; और

(च) एक फ्लैट बनाने में यदि कोई लाभ होता है तो वह कितना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1974-75 में मुनीरका में आबंटित किये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कुल लागत 40,700 रुपये से लेकर 46,000 रुपये तक थी। लागत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	रुपये	रुपये
इन्जीनियरिंग स्टाफ पर स्थापना व्यय सहित निर्माण इत्यादि की लागत	31,310	35,056
मूल पूंजी पर ब्याज	3,612	3,832
प्रशासनिक प्रभाग	963	1,022
भूमि के लिए प्रीमियम	4,800	6,000
	40,685	45,910
या	40,700	46,000

(ग) इंजीनियरिंग स्टाफ के स्थापना व्यय को छोड़कर ठेकेदारों को किये गये भुगतान सहित निर्माण लागत 27,122 और 30,614 रुपये है।

(घ) निर्माण लागत में शामिल किया गया सेवा (अनुरक्षण) प्रभार प्रति फ्लैट 500/- रुपये है।

(ङ) इन फ्लैटों के लिए मूल पूंजी पर लगाया गया ब्याज 3,612 रुपये और 3,832 रुपये था जो कि $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से था।

(च) फ्लैट की विक्रय लागत का हिसाब लगाते समय कोई लाभराशि नहीं जोड़ी गयी थी।

श्रीनगर की डल झील में प्रदूषण

3048. **श्री जैनुल बशर :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीनगर की डल झील में देश में सबसे अधिक प्रदूषण है;

(ख) यदि हां, तो कितना और इसका उपयोग करने वालों के स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ग) झील को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिये तथा प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार को डल झील के प्रदूषण के बारे में जानकारी है।

(ख) लोगों के स्वास्थ्य पर इससे वास्तव में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। किन्तु यह निश्चित है कि दूषित पानी के इस्तेमाल से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पढ़ता है।

(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार को डल झील के प्रदूषण की समस्या के बारे में जानकारी है तथा झील के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए 19 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के अंतर्गत एक चरणबद्ध योजना बनाई है। प्रथम चरण जिस पर इस समय कार्य हो रहा है, का लक्ष्य अतिक्रमण दूर करना और प्रदूषण में कमी करना है जिसमें झील के चारों तरफ एक वृताकार रोड़ पद्धति बनाना, हाउस बोट तथा उनके मल निपटान के लिए पुनः आयोजना बनाना, झील के जल स्रोत (कैचमैंट) क्षेत्र में सुधार, झील के चारों ओर चुनीन्दा स्थानों पर बनस्पति उगाना तथा किनारों से कीचड़ निकलना, झील के अन्दर आते हुये पानी के तलछट को अलग करने के लिये तलछट कुण्ड का निर्माण करना तथा झील में गिरी हुई चीजों को निकालने के लिये पानी नियंत्रण संरचना का निर्माण करना शामिल है।

"होर्डिंग लीगल एण्ड झलीगल" शीर्षक से समाचार

3049. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 18 जून, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में हार्डिग लीगल एण्ड इलीगल शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार नागरिक कला आयोग द्वारा सुझाये गये दिशा की ओर, और समाचार में उल्लिखित विभिन्न पहलुओं पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पान के पत्तों की खेती पर अनुसंधान

3050. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पान के पत्तों की खेती पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए किन संस्थानों को कहा है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पान के पत्तों की खेतों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अप्रैल, 1981 में, निम्नलिखित संस्थाओं में तीन वर्ष के लिये, उपकर निधि से पान की बेल के रोग पर एक समन्वित अनुसंधान प्रायोजना स्वीकृत की है :

1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ परिसर (कर्नाटक)
2. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
3. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
4. आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
5. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (मध्य प्रदेश)
6. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी (महाराष्ट्र)

इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ भी, पान की बेल पर बागानी अनुसंधान चला रही है। तथापि, यह गतिविधि राज्य की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवर्तित की गई है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रायोजना के लिए कुल आबंटन 26,24,820 रुपये है। संस्था वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

कृषि विज्ञान विश्वविद्याल, धारवाड़	4,62,420.00 रुपये
उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	4,32,480.00 रुपये
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	4,32,480.00 रुपये
आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	4,32,480.00 रुपये
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	4,32,480.00 रुपये
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	4,32,480.00 रुपये

दो वर्षों की अवधि के लिए, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान कार्य के लिए 1.37 लाख रुपये का आबंटन है। तथापि, यह गतिविधि राज्य के वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवर्तित की गई है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 38.82 लाख रुपये की कुल राशि 75:25 के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 30.55 लाख रुपये की राशि होगी पान की बेल पर एक अखिल भारतीय समन्वित सुधार प्रायोजना तैयार की है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय सात केन्द्रों में से एक केन्द्र प्रस्तावित किया गया है। इस प्रायोजना पर योजना आयोग की और वित्त मंत्रालय के विचार तथा उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों में "अवार्ड" को दिये गये सहायतानुदान

3051. **प्रो. के. के. तिवारी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये स्वयंसेवी एजेंसियों के संगठनों को कोई सहायतानुदान दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुदान किस प्रयोजन के लिए दिये गये ?

कृषि तथा ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 30 मई, 1979 को मुज्जफरपुर जिले में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र के अधीन 10 ग्रामोद्योगों में लगे हुए 3965 कारीगरों को वित्तीय सहायता सुलभ करने हेतु स्वैच्छिक ग्रामीण विकास अभिकरण संघ को अनुदान के रूप में 11,50,030/-रुपये दिये थे। प्रत्येक उद्योग में संघ द्वारा सहायता पहुंचाये जाने वाले प्रस्तावित कारीगरों की संख्या निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	कारीगरों की संख्या
1.	कुम्हारी	517
2.	लोहारगिरी	490
3.	बढ़ईगिरी	489
4.	चमड़ा	428
5.	तेल घानी	393
6.	मधुमक्खी पालन	88
7.	अनाजों, दालों, मसालों, गर्म मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन।	35
8.	रेशा	813
9.	बेंत तथा बांस	660
10.	गुड़ तथा खाण्डसारी	52
		3,965

इस अनुदान में से, संघ ने 10,56,667.35 रुपये की धनराशि वापिस कर दी है तथा उनसे शेष धनराशि को शीघ्र वापिस करने के लिए कहा गया है।

मोटर गाड़ी चलने वाली सड़कों से जुड़े हुए गाँव

3052. **श्री राम विलास पासवान :**
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :
श्री रशीद मसूद :
श्री मंगल राम प्रेमी :
श्री राम प्यारे पनिका : क्या ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1981 के अंत में मोटर गाड़ी चलने वाली सड़कों से कितने गांव जुड़े हुये थे;

(ख) छ : योजना अवधि में शेष गांवों में से कितने गांवों को ऐसी सड़कों से जोड़ने की सम्भावना है (राज्यों के नाम तथा प्रत्येक राज्य में गांवों की संख्या) और इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) कुछ निर्धारित राशि पर्याप्त है; यदि नहीं, तो छठी योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति कैसे की जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) मार्च, 1981 के अंत तक की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र किया जा रहा है।

(ख) मार्च, 1981 तक प्रत्येक राज्य में इन गांवों जिन्हें छठी योजना अवधि के दौरान मोटर गाड़ी चलने वाली सड़कों से जोड़ने की सम्भावना है, की संख्या के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र किया जा रहा है। छठी योजना अवधि के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कों के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए लक्ष्य यह होगा कि 1500 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ दिया जाएगा और इस लक्ष्य का 50 प्रतिशत 1985 तक पूरा किया जाएगा। आशा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम के लिए सुलभ किए गये 1165 करोड़ रुपये के परिव्यय से लगभग सभी राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे।

विवरण

छठी योजना (1980-85) के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यवार परिव्यय दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य	परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	15.00
2.	असम	36.00
3.	बिहार	140.00
4.	गुजरात	135.00
5.	हरियाणा	3.50
6.	हिमाचल प्रदेश	35.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	16.00
8.	कर्नाटक	45.00
9.	केरल	13.00
10.	मध्य प्रदेश	40.00

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	94.00
12.	मणिपुर	10.00
13.	मेघालय	5.20
14.	नागालैण्ड	3.25
15.	उड़ीसा	30.00
16.	पंजाब	20.00
17.	राजस्थान	65.00
18.	सिक्किम	9.00
19.	तमिलनाडु	70.00
20.	त्रिपुरा	11.00
21.	उत्तर प्रदेश	315.00
22.	पश्चिम बंगाल	37.50
	योग सभी राज्य	1148.45
	केन्द्र शासित क्षेत्र :	
1.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	4.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.00
3.	चण्डीगढ़	0.10
4.	दादरा तथा नगर हवेली	0.40
5.	दिल्ली	0.30
6.	गोवा, दमन तथा द्वीव	0.25
7.	लक्षदीप	0.10
8.	मिजोरम	7.20
9.	पाण्डिचेरी	0.60
	योग—केन्द्र शासित क्षेत्र	16.45
	महायोग :	1165.90

खाद्य तेलों का अभाव

3053. **श्री मुकन्द मंडल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान खाद्य तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान आयातित खाद्य तेल का राज्यवार बंटवारा किस प्रकार किया गया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1980—अक्तूबर, 1981) के दौरान 31 जुलाई, 1981 तक राज्य व्यापार निगम ने सरकार के खाते में खाद्य तेलों की लगभग 7,55,000 मीटरी टन मात्रा आयात की है।

(ख) चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1980–अक्तूबर, 1981) के दौरान सार्वजनिक वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों का राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तेल वर्ष 1980-81 (नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981) के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित मात्रा का विवरण।

राज्य	आबंटन (मीटरी टनों में)
उत्तरी क्षेत्र :	
1. चण्डीगढ़	70
2. दिल्ली	16492
3. हरियाणा	3270
4. हिमाचल प्रदेश	4750
5. जम्मू तथा कश्मीर	1200
6. पंजाब	6400
7. राजस्थान	3850
8. उत्तर प्रदेश	24180
दक्षिण क्षेत्र :	
9. आँध्र प्रदेश	62700
10. केरल	28300
11. कर्नाटक	22100
12. लक्षद्वीप	104
13. पाँडीचेरी	1355
14. तमिलनाडु	43300
पूर्वी क्षेत्र :	
15. बिहार	4900
16. उड़ीसा	6000
17. पश्चिम बंगाल	77300
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
18. असम	9810
19. अरूणाचल प्रदेश	1673
20. मणीपुर	6600
21. मिजोरम	900
22. मेघालय	2600
23. नागालैंड	1587
24. सिक्किम	875
25. त्रिपुरा	250

1	2
पश्चिम क्षेत्र :	
26. गोवा, दमन व द्वीप	2600
27. गुजरात	56500
28. मध्य प्रदेश	24250
29. महाराष्ट्र	65900
जोड़	4,79,816

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम के द्वारा चीनी चीनी की खरीद

3054. **श्री दया राम शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी चीनी खरीदी गई; और इसकी कितनी मात्रा का आयात किया गया और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों से कितनी चीनी की वसूली की गई; और

(ख) उपर्युक्त चीनी की खरीद किस किस दर पर की गई और इसे किस मूल्य पर बेचा गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम ने 1980-81 के दौरान 7,740 मी. टन चीनी खरीदी थी। इसमें से 5,240 मी. टन आयातित चीनी थी और शेष मात्रा उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों से खरीदी गई थी।

(ख) जिन दरों पर चीनी खरीदी और बेची गई थी वे इस प्रकार हैं :

पत्तन/स्थान	खरीदी गई मात्रा (मी. टन)	क्रय-दर (रुपये प्रति मी. टन)	जिस मूल्य पर बेची गई
(1) आयातित चीनी :			
कांडला (जेटी पर)	1,740	5,603	सुपर बाजार को 20.11-1980 तक 640 रुपये प्रति क्विंटल और उसके बाद 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर और अन्य को 660 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर।
कांडला (गोदाम पर)	2,000	5,800	
फरीदाबाद (गोदाम पर)	500	6,050	
विशाखापतनम (गोदाम पर)	1,000	5,800	
(2) उत्तर प्रदेश से खरीदी गई चीनी :			
यू. पी. मिल्स	2,500	5,726,60	थोक व्यापारियों को 593 रुपये प्रति क्विंटल खुदरा व्यापारियों को 600 रुपये प्रति क्विंटल और उपभोक्ताओं को 610 रुपये प्रति क्विंटल।

सप्लाई व्यवस्था में सुधार

3055 **श्री चित्त बसु** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मुद्रा स्फीति विरोधी उपायों के एक प्रमुख उपाय सप्लाई प्रबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए अब तक क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) मुद्रास्फीति के विरूद्ध लड़ाई निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा उनकी उपलब्धता में सुधार लाने के लिये समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते हैं। ये उपाय आपूर्ति तथा मांग दोनों के प्रबन्ध के बारे में होते हैं।

आपूर्ति प्रबन्ध के क्षेत्र में सरकारी नीति में मुख्य जोर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। आधार ढांचे में और सुधार लाने के प्रयास जारी रखे जा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन की बढ़ती गति को बनाये रखने तथा वस्तुओं के संचलन के लिए यह बहुत ही जरूरी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। पैट्रोलियम पदार्थों, सीमेंट, खाद्य तेलों, गेहूं तथा चीनी जैसी कुछ वस्तुओं की उपलब्धता को आयात करके बढ़ाया जा रहा है। त्यौहार के मौसम के दौरान उपभोक्ताओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं से बने पदार्थों, चीनी खाद्य तेलों तथा वनस्पति की सप्लाई बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जो वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिये हैं, उनका उचित प्रकार से वितरण किया जाए। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे अन्य कानूनों के उपबन्धों को लागू कर रही है, ताकि जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अन्य समाजविरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके।

गुजरात में दुर्भिक्ष

3056 **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के कौन-कौन से जिले पिछले साल वर्षा की असफलता के कारण दुर्भिक्ष से ग्रस्त हुए;

(ख) कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा और उसके परिणामस्वरूप जान तथा मवेशिओं की कितनी हानि हुई;

(ग) गुजरात सरकार ने दुर्भिक्ष ग्रस्त लोगों के विकास के लिये कितना अनुदान मांगा है तथा वास्तव में कितना अनुदान दिया गया; और

(घ) लोगों को दुर्भिक्ष के प्रभाव से बचाने के लिये उठाये गये ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) गुजरात सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बनासकंठा, साबर-कंठा, पंचमहल, कच्छ सुरेन्द्र नगर, नेहसाणा, अहमदाबाद, खेड़ा, भड़ोच, वलसड़, राजकोट, जामनगर, अमरेली

भावनगर तथा जूनागढ़ जिलों में वर्ष 1980-81 के दौरान वर्षा न होने के कारण कृषि कार्यों में विभिन्न मात्रा में मन्दी की स्थिति पैदा हो गई थी।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार इससे 23 लाख मानव तथा 5 लाख पशु प्रभावित हुए थे। मानव जीवन की कोई क्षति नहीं हुई।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय दल, जिसने 19 से 20 मई, 1980 के बीच राज्य का दौरा किया था, कि रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राज्य सरकार की 4298 लाख रुपये की माँग की तुलना में 1980-81 की मानसून पूर्व अवधि के दौरान सूखे से प्रभावित जनसंख्या को राहत प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सहायता के तौर पर 612 लाख रुपये के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी।

अहमदाबाद, अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, जामनगर, कच्छ, महेसाणा, पंचमहल, राजकोट तथा सुरेन्द्र नगर जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम के तहत वन रोपण, जल संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध, मृदा तथा नमी संरक्षण, पशुधन फार्मिंग का विकास तथा चरागाह व चारा विकास सम्बन्धी कार्य आता है।

बनासकंठा, मेहसाणा तथा कच्छ जिलों में एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले मुख्य कार्य वनरोपण, चरागाह विकास, बालू के टीलों का स्थिरीकरण, भूमिगत जल विकास तथा उपयोग, जल उपयोग के उपाय, कृषि विकास, बागवानी तथा पशु पालन आदि है।

मुर्शिदाबाद में गंगा से कटाव

3057 **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के कटाव के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि कटाव रोकने की योजना लागू करने के लिये 293 करोड़ रुपयों की माँग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिया उर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) फरक्का बराज काम्पलेक्स के विभिन्न भागों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सभी वर्क्स परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हाथ में लिए गए हैं। चूंकि राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण कार्यों की योजना तैयार करने और उन्हें अपनी सम्बद्ध योजना निधि में से कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए नदी के दूसरे भागों में सुरक्षात्मक उपाय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए जाने हैं। केन्द्रीय सरकार ने कटाव-रोधी कार्यों की लागत को राज्य सरकार और अन्य लाभ-भोगियों, जैसे सड़कों और रेलवे के बीच, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ ये प्रतिष्ठापन विद्यमान हैं, बांटने में राज्य सरकार की सहायता करने का प्रश्न उठाया था। राज्य सरकार से ऐसे वर्क्स की न्यूनतम लागत और उनके लागत-लाभ अनुपातों को दिखाने वाली एक संशोधित स्कीम भेजने का अनुरोध किया गया है, और वह अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3058 **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम विशेषज्ञों और सरकार दोनों की ही अपेक्षाओं से कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को इस कार्यक्रम के लिये दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा सुलभ की गई सहायता, उपयोग में लाई गई निधियों तथा भौतिक उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल. टी.—2776/81] उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

(घ) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निष्पादन का नियमित रूप से प्रबोधन तथा पुनरीक्षण किया जा रहा है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा अन्य निवेश पर्याप्त मात्रा में सुलभ किए जाते हैं। राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए केन्द्रीय दल भी जिलों तथा खण्डों का दौरा करते हैं। निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को योजनाबद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रबोधन की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए बिहार को दी गई राशि

3059 **श्री कुंवर राम** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दी गई मद-वार राशि कितनी है;

(ख) इस धनराशि में से नवादा तथा नालन्दा जिलों में कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) वहाँ पर निर्मित अथवा निर्माणाधीन पक्की सड़कों के नाम क्या हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ऐसी कोई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों, जिनमें बिहार भी शामिल है, को विशेष रूप से निधियों का आवंटन किया जाता हो। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम

जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है, राज्य क्षेत्र में है तथा इसके लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में प्रावधान किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए कुल 1165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान बिहार के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए क्रमशः 9.5 करोड़ रुपए, 11.0 करोड़ रुपए तथा 23.0 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सिद्धमुख परियोजना

3060. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार से सिद्धमुख परियोजना स्वीकृति के लिए केन्द्र को किस तारीख को मिली;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा यह योजना स्वीकृत की गई अथवा नहीं;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि स्वीकृत की गई, तो स्वीकृति देने की तिथि क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई सिद्धमुख सिंचाई परियोजना जुलाई, 1979 में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना में पंजाब और हरियाणा के इलाकों के रास्ते जल की सप्लाई करना परिकल्पित है। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त अन्तर्राज्यिक मामलों पर, भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठकों में तीनों राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। अन्तिम बैठक नवम्बर, 1979 में हुई थी, जब कुछ विकल्पों का सुझाव दिया गया था। दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार ने अभी पूरी तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

लगाए गए पेड़ों की संख्या

3061. **श्री राम अवध** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में लगाए गए पेड़ों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें से कितने पेड़ जीवित बचे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनिर्नर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गाँधी सागर क्षेत्र में बाँध

3062 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने बांध निर्मित किये गये हैं और इनके पूरा होने के बाद इनकी जल भंडारण क्षमता कितने क्यूसेक है और उन पर कितना व्यय हुआ है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : माननीय सदस्य सम्भवतः गांधी सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गांधी सागर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में 57 सिंचाई स्कीमें पूरी की जा चुकी

हैं और 29 स्कीमें निर्माणधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये सभी छोटे ताल हैं जिनसे कुल लगभग 50,000 एकड़ के कृषि योग्य कमान क्षेत्र को लाभ होगा। इन परियोजनाओं की कुल संचयन क्षमता और उन पर हुए व्यय के बारे में सूचना, केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी दिल्ली में फ्लैटों का आबंटन

3063. **श्री रामेश्वर मिश्रा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976 में 'सामान्य श्रेणी' के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण दिल्ली में फ्लैट आबंटित किए जाने की कोई संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे ऐसे फ्लैटों की ग्रुप-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है और पंजीकृत व्यक्तियों को ये फ्लैट कब तक दिए जाने की संभावना है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिरण के पास 1976 तक पंजीकृत लगभग 10,000 व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों में फ्लैटों के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि वास्तविक आबंटन आवेदकों की वरिष्ठता, किसी खास कालोनी में आबंटन के लिए आवेदकों के प्रति उत्तर और रिहायशी एककों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि क्या 1976 के दौरान पंजीकृत किसी व्यक्ति को दक्षिण दिल्ली में फ्लैट के आबंटन का कोई अवसर है या नहीं दक्षिण दिल्ली के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन रिहायशी एककों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :—

क्रम सं.	योजना का नाम	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	योग
1.	कालकाजी एक्सटेंशन पाकेट ए-12	210	—	210
2.	कालकाजी एक्सटेंशन पाकेट ए-13	168	—	168
3.	शेख सराय	192	—	192
4.	कालकाजी एक्सटेंशन पाकेट ए (डी. डी. ए. स्टाफ क्वार्टर्स)	222	—	222
5.	सराय जुलैना में 48 रिहायशी एकक	48	—	48
6.	फ्रैण्ड्स कालोनी में 56 रिहायशी एकक	56	—	56
7.	कालकाजी एक्सटेंशन पाकेट ए-14 में 306 रिहायशी एकक	306	—	306
8.	कालकाजी एक्सटेंशन पाकेट ए-II में 288 रिहायशी एकक	—	288	288
	कुल	1202	288	1490

इन एककों को आवंटन के लिए देने की संभावित तारीख बताना संभव नहीं है।

वनस्पति तेलों का भण्डार और उनकी मांग

3064. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1981-82 के लिए वनस्पति तेलों का भण्डार कितना है ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कितना तेल आयात किया जाना है; और

(ग) देश में चालू वर्ष के वनस्पति तेलों की मांग कितनी है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास 27 अप्रैल, 1981 को आयातित खाद्य तेलों की 2 लाख मीटरी टन से अधिक मात्रा स्टाक में थी। उस तारीख को निजी अभिकरणों के पास तेलों का कितना स्टाक था उसकी जानकारी नहीं है।

जहां तक चालू वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किये जाने वाले तेलों की मात्रा का संबंध है, वह देश में इनके उत्पादन, समय-समय पर आंकी गई इनकी मांग, देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तुलनात्मक मूल्य रुख, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और अन्य संबंधित बातों पर निर्भर करती है।

(ग) चालू वर्ष के लिए देश में खाद्य तेलों की मांग का अनुमान 36-38 लाख मीटरी टन के आस-पास लगाया गया है।

कृषि भर्ती बोर्ड द्वारा रोजगार की पद्धति

3065. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों को निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के लिए कृषि भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए साक्षात्कारों के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कृषि वैज्ञानिकों को कठिनाइयों का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षा पद्धति में अपनाये गये तरीकों पर कृषि वैज्ञानिकों के बीच काफी रोष व्याप्त है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) कृषि अनुसंधान सेवा के कुछ विज्ञानियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में योग्यता पदोन्नति की स्वीकृति के लिए योग्य नहीं पाया गया था।

(ख) तथा (ग) कृषि अनुसंधान सेवा के किसी विज्ञानी की पदोन्नति को स्वीकृति के लिये उपयुक्तता को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा मूल्यांकन समिति को सहायता से तय किया जाता है। जिसमें कृषि तथा पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित उत्कृष्ट विज्ञानी तथा विषय विशेषज्ञ होते हैं। मूल्यांकन विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर किया जाता है जिन्हें वे मूल्यांकन प्रपत्र, उनके जीवनवृत्त, उनकी वार्षिक गोपनीय मूल्यांकन रिपोर्ट, उनके द्वारा तैयार की गई प्रायोजना को फाईल के आधार पर तथा यदि संबंधित

विज्ञानी चाहे तो उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा के बाद किया जाता है। मण्डल द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि मूल्यांकन पूर्वाग्रह-रहित न्याय-संगत तथा तटस्थ हो।

मूल्यांकन परिणामों के विरुद्ध जो अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं उनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में जांच की जाती है। यदि मामले के तथ्य न्यायसंगत पाये जाते हैं तथा मामला प्रत्यक्षतः पुनः विचार विमर्श के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सिफारिशों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के अध्यक्ष के आदेशों पर दुबारा जाँचा जाता है तथा कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल की सलाह से निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन के लिए कसौटी और प्रक्रिया की खोज विज्ञानियों के परामर्श से की गई है और वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

नारियल के पेड़ की बीमारी

3066. **श्री सन्तोष मोहन देब** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नारियल के पेड़ों की बड़ी कतारों को बीमारी लग गई है ;

(ख) क्या कुल वार्षिक क्षति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) इन रोगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) नारियल के पेड़ की बीमारी को रोकने के लिए क्या कोई अनुसंधान किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) : जी, हां। बीमारियों के कारण प्रति नारियल की लागत 1.50 रुपए आंक कर लगभग 76 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सबसे गंभीर बीमारी अर्थात नारियल जड़ मुरझान के कारणों का पता लगाने के लिए सघन अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। तथापि इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बीमारी के अनेक कारण बताये गये हैं जिनमें से एक या दो कारण इन रोगों, के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। इस दिशा में और आगे कार्य किया जा रहा है। जड़ मुरझान रोग की रोकथाम के लिए एक नीति तैयार की गयी है तथा पुनः पौधरोपण कार्यक्रम बनाया गया है। रोग निदान तथा रोग नियंत्रण के संबंध में विभिन्न अन्वेषण किये जा रहे हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय तथा भाग लेने वाले केन्द्रों द्वारा अखिल भारतीय समन्वित नारियल और सुपारी सुधार परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधान संबंधी कार्य किये जा रहे हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में नियोजित आदिवासी वार्ता

3067. **श्री जयनारायन रौट** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आरक्षण कोटा के आधार पर नियोजित आदिवासी व्यक्तियों की संख्या कितनी है।

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम में अभी तक आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन आदेशों के कार्यान्वियन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों की संख्या 1,85,729 है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है लेकिन इसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है।

(ख) और (ग) 3-2-1981 तक प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायित परिवारों में से कम से कम 20 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों से होने चाहिए। 31 मार्च, 1981 तक उपलब्ध अन्तिम आकड़ों के अनुसार, लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायित 128 लाख लाभभोगियों में से 21.85 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखते हैं। 3-2-1981 को अनुदेश जारी किए गए हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने कम से कम 30 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों से होने चाहिए।

गंग नहर की मरम्मत

3068 **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंग नहर को इसकी पूरी क्षमता तक पानी प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसकी मरम्मत के प्रश्न पर पंजाब और राजस्थान सरकारों के बीच मतभेद है,

(ग) क्या उसकी हालत के कारण बीकानेर नहर के पास इसका पानी इकट्ठा हो रहा है;

(घ) क्या अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण नहर की मरम्मत में विलम्ब के फलस्वरूप देश में उत्पादन में कमी को ध्यान में रखने हुए केन्द्रीय सरकार का कोई उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक पिछड़े राज्य राजस्थान का विकास न रुक जाए क्या केन्द्रीय सरकार इस नहर की मरम्मत हेतु कोई सहायता उपलब्ध करा रही है और यदि हां तो सहायता की धनराशि क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (च) नहर के शीर्ष भाग को, जो पंजाब राज्य में पड़ता है, बीकानेर नहर कहा जाता है। पंजाब-राजस्थान सीमा के बाद उसे गंग नहर कहा जाता है। बीकानेर नहर की पचास वर्ष पुरानी चूने और कंक्रीट की लाइनिंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और इसलिये जब शीर्ष पर 2720 क्यूसेक

की पूरी सप्लाई छोड़ी जाती है तो पंजाब राजस्थान सीमा पर 2640 क्यूसेक के अभिकल्पित जल-निस्सार की तुलना में केवल 2400 क्यूसेक जल ही वहाँ पहुंचता है। यद्यपि क्षतिग्रस्त भाग की दोबारा लाइनिंग करने की आवश्यता पंजाब (उसके क्षेत्रों में जल जमाव के कारण) और राजस्थान (नहर की क्षमता में कमी होने के कारण) दोंनों द्वारा महसूस की जा रही है, लेकिन राजस्थान के गंग नहर क्षेत्रों की सिंचाई के लिए जल की सप्लाई में बाधा डाले बिना इस कार्य को हाथ में लेने के लिए दोनों राज्य सरकारें किसी परस्पर स्वीकार्य प्रबन्ध पर सहमत नहीं हो सकी हैं। मतभेदों को दूर करने के लिए सिंचाई मन्त्रालय में अधिकारियों के स्तर पर कई बैठकें की जा चुकी हैं और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित एक तकनीकी रूप से व्यवहार्य हल पंजाब और राजस्थान, दोनों राज्यों को भेजा गया है। हालांकि राजस्थान ने सिद्धान्त रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ आगे हुई बातचीत के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। चूँकि सिंचाई राज्य-विषय है, इसलिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रचालन रख-रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है जिसके द्वारा आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा पानी के विकास के लिए राज्यों को सहायता

3059. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड पानी के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करता है;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान राजस्थान को किस-किस रूप में तथा किन-किन प्रयोजनों के लिए यह सहायता दी गई तथा किन क्षेत्रों का सम्पूर्ण सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1980-81 के दौरान इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा राजस्थान को 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान धनराशि के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई। केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान अपने वार्षिक फील्ड सत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक खुदाई की थी। 1979-80 में 14,044 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 1980-81 में 6215 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल-भू-विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण किए गए। उक्त दोनों वर्षों में क्रमशः 23 और 10 अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई की गई।

उपर्युक्त के अलावा, राज्य के अनुरोध पर राज्य में 1979-80 में 10 डिपाजिट कुओं और 1980-81 में 24 डिपाजिट कुओं की खुदाई की गई।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में 66,316 किलोमीटर क्षेत्र में सुनियोजित जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया। एक सारणी विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि विभिन्न राज्यों में कितने क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था। विभिन्न राज्यों में 102 अन्वेषणात्मक कुएं और 214 डिपाजिट कुएं खोदे गए।

विवरण

वर्ष 1980-81 के दौरान देश में विभिन्न राज्यों में जितने क्षेत्र में जलभू-वैज्ञानिकसर्वेक्षण किया गया तथा जितने कुए खोदे गए, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	सुनियोजित जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग किलोमीटर)	अन्वेषणात्मक कुएं	डिपाजिट कुएं
1. आंध्र प्रदेश	6,090	12	—
2. असम	1,350	5	2
3. बिहार	1,700	1	48
4. गुजरात	2,550	4	—
4. हरियाणा	—	6	6
6. हिमाचल प्रदेश	750	11	—
7. जम्मू और कश्मीर	750	7	8
8. कर्नाटक	7,607	10	—
9. केरल	4,312	—	—
10. मध्य प्रदेश	3,220	10	35
11. महाराष्ट्र	4,980	13	—
12. मणिपुर	—	2	—
13. मेघालय	3,480	—	—
14. नागालैंड	300	—	—
15. उड़ीसा	4,905	—	22
16. पंजाब	—	2	1
17. राजस्तान	6,212	10	24
18. सिक्किम	465	—	—
19. तामिलनाडु	3,893	4	—
20. त्रिपुरा	430	2	—
21. उत्तर प्रदेश	11,789	3	65
22. पश्चिम बंगाल	—	—	2
23. अडमान और निकोबार	530	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	1,000		—
25. चंडीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	—	—	—
27. मिजोरम	—	—	—

माहिदपुर चीनी मिल में चीनी का उत्पादन

3070. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की माहिदपुर चीनी मिल ने वर्ष 1980-81 के दौरान कुल कितना उत्पादन किया;

(ख) क्या यह सच है कि वहां उत्पादित चीनी में लोहे के छोटे टुकड़े पाये गए हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों के बोनस की प्रतिधारक (रिटेनिंग) राशि मिल पर बकाया है और यदि हां, तो वह राशि अलग-अलग कितनी है;

(घ) क्या मिल ने शीरे को बेच दिया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसकी बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) मिल द्वारा 1980-81 के दौरान अर्जित लाभ और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सेठ गोविन्द राम चीनी मिल, महीदपुर रोड ने 1980-81 मौसम के दौरान 952.0 मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया है ।

(ख) मिल के स्टाक से प्राप्त किए गए नमूनों में कोई लोहे के टुकड़े नहीं पाए गए हैं ।

(ग) प्रतिधारक (रिटेनिंग) भत्ते के रूप में 5,83,505/- रुपये की राशि और बोनस के रूप में 2,24, 458/- रुपये की राशि बकाया है ।

(घ) : 14.9.1980, जब इस यूनिट के प्रबन्ध को अधिकार में लिया गया था, से 30.8.1981 तक 9, 283 क्विंटल शीरा 50,733 रुपए पर बेचा गया है ।

(ङ) फैक्ट्री का लेखा वर्ष पहली जुलाई से 30 जून तक है । 14.9.1980 से 30.6, 1981 तक के लेखों का अन्तिम रूप दिया जा रहा है । खर्चे और हानि के अस्थायी आंकडे क्रमश: 46,33,383.07 और 3.95 लाख रुपए हैं ।

पुनर्वास कालोनियों में रह रहे हरिजनों को आवासीय अनुदान

3071. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या और आवास निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्वास कालोनियों में रह रहे हरिजनों को भी आवासीय अनुदान देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इससे अब तक कितने हरिजनों को लाभ पहुंचा है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इससे कितने हरिजनों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) आवासीय अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) से (घ) : आवास राज्य का विषय है । पुनर्वास कालोनियों में रह रहे हरिजनों को आवासीय अनुदान देने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । क्योंकि सामाजिक आवासीय

योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और वे अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अग्रतायें तय करने और नियम बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं, इसलिए उन हरिजनों की संख्या बताना केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव नहीं है जिन्हें अब तक लाभ पहुंचा है और चालू वर्ष के दौरान लाभ पहुंचाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश को विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

3072. **श्री बाबू लाल सोलंकी** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को कोई सिंचाई परियोनाएं 1979 से 15 अगस्त, 1981 के बीच केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर कितनी धन राशि खर्च के जायेगी तथा इन परियोजनाओं से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी;

(ग) कब तक इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हाँ। मध्य प्रदेश को 25 बृहद और 29 मध्यम सिंचाई परियोजाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थीं। इन परियोनाओं के नाम, उनकी अनुमानित लागत और उनसे सिंचित होने वाले क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) योजना आयोग द्वारा स्कीमों को स्वीकृत करने के लिए उन पर विचार, इन स्कीमों को तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के संतोषजनक ढंग से सिद्ध होने के बाद किया जाता है। अतः स्कीमों की स्वीकृति परियोजना रिपोर्टों में दिए गए ब्यौरों, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर शीघ्र देने, और अनिर्णीत मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने और जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टीकरण देने में राज्य सरकार की तत्परता पर निर्भर करती है। जो स्कीमें जल के बंटवारे और अन्य अन्तर्राज्यिक मामलों के बारे में पक्ष राज्यों के बीच करार न होने के कारण लम्बित पड़ी हैं, योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देने से पहले उनके बारे में ऐसा करार होना आवश्यक होता है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	सिंचाई लाभ (हजार हैक्टेयर)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	एक-बृहद परियोजाएं			
1.	हसदेव बागों	11530.00	328.00	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
2.	राजघाट बांध	12322.00	239.241	तदेव
3.	ओरआ परियोजना	3213.00	72.438	तदेव

1	2	3	4	5
4.	कोलार परियोजना	2575.00	34.678	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत लेकिन योजना आयोग की स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है।
5.	सिंध नर्दा परियोजना, चरण दो	7600.00	102.450	
6.	हैप परियोजना	4520.00	35.987	
7.	पेंच व्यपवर्तन	8466.00	118.650	
8.	माही परियोजना	2710.46	24.660	योजना आयोग को सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत लेकिन योजना आयोग की स्वीकृत अभी प्राप्त नहीं हुई है।
9.	हलाली परियोजना	1306.00	37.636	तदेव
10.	रविशंकर सागर एम. आर. पी. चरण दो	2158.00	95.110	
11.	उदन्ती जलाशय परियोजना	941.00	14.00	
12.	बाणसागर परियोजना, चरण दो	4740.00	248.880	
13.	खारंग टैंक परियोजना का आधुनिकीकरण	2256.00	43.970	
14.	हरसीनहर प्रणाली का आधुनिकीकारण	1380.00	42.898	
15.	ओरछा परियोजना	6682.00	29.150	
16.	सिंध रिमूव-लिंक परियोजना का आधुनिकीकरण	734.88	13.230	
17.	पैरी उच्च बांध एम. आर.पी. चरण तीन	6556.00	170.900	
18.	थनवार टैंक परियोजना	9181.07	18.271	
19.	पंचमनगर काम्पलेक्स, चरण एक	3327.00	44.516	
20.	घोबतोरिया परियोजना	1745.56	14.429	

1	2	3	4	5
21.	बिहरीखुर्द परियोजना	2270.00	23.590	
22.	रेहर परियोजना	3290.00	32·750	
23.	राजघाट नहर परियोजना	4615.00	121.450	
24.	केलो परियोजना	1781.00	25.670	
55.	चम्बल लिफ्ट सिंचाई स्कीम	397.59	12. 00	
	दो-मध्यम परिजनाएं			
1.	मटियारी टैंक	489.137	9.996	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
3.	सकालदा टैंक	166.530	1.671	तदेव
2.	कोरल परियोजना	396.760	4.289	तदेव
4.	अरणिया बहादुर टैंक परियोजना	183. 31	2.752	
5.	बंकी परियोजना	312.68	3.441	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
6	चालडू टैंक परियोजना	446.34	6.275	
7.	गोमुख परियोजना	350.73	6.275	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
8.	दूधी नदी परियोजना	285.59	4.047	,,
9.	बुन्दाला टैंक परि.	218.13	3.159	,,
10.	चन्दौरा टैंक	292-82	2.773	,,
11.	तिल्लार बांध परि.	577.31	6.00	,,
12.	दोराहा टैंक परि.	248.77	2.833	,,
13.	बाह परियोजना	1398.00	11.048	,,
14.	सागर परियोजना	1063.11	9.713	,,
15.	कलिया सोते सिंचाई	932.90	11.093	,,
16.	भानपुरा नहर स्कीम	977.28	8.641	
17.	बुधाना नाल्ला परि.	233.15	2.189	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत
18.	कुंवारी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	103.31	3.926	तदेव
19.	चिरपानी परि.	857.37	8.00	,,
20.	कोसरटेडा परि.	601.60	9.473	,,
21.	लखुन्दर बांध परि.	426.85	4.050	,,
22.	बान्दिया नाला परि·	133.970	2.478	
23.	कन्हारगांव टैंक परि	463.65	3.724	
24.	बरचार नाला टैंक परि.	350.45	2.511	
25.	देजला देवाड़ा परि.	843.82	10.800	

1	2	3	4	5
26.	रामपुरी पिक अप-वीयर	498.86	13.565	
27.	गोज टैंक परि.	520.45	4.077	
28.	रामकुंड व्यपवर्तन	638.50	9.717	
29.	बरनई टैंक परि.	340.80	2.388	

भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यानों का सुरक्षित भंडार

3073. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मार्च 1981 को खाद्यन्नों का कितना सुरक्षित भण्डार था;

(ख) 1981 की रबी की फसल के दौरान कितना नया खाद्यान्न और जमा किया गया;

(ग) 31 मार्च1981 को ऐसे सुरक्षित खाद्यान्नों की मात्रा कितनी कितनी थी जो भारतीय निगम के गोदामों में एक वर्ष, दो वर्ष तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्ष से पड़े हैं; और

(घ) इस पुराने भण्डार के निपटान का तरीका क्या है ?

कृषि तथा ग्रमीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 31 मार्च, 1981 को भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 77.2 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक था।

(ख) रबी वसूली मौसम 1981-82 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 29 अगस्त, 1981 तक लगभग 71.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की वसूली की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के पास 31.3.81 तक पड़े खाद्यान्नों का आयुवार अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया जाता है :-

	(हजार मीटरी टन में)
(1) एक वर्ष से अधिक पुराना	1507
(2) दो वर्षों से अधिक पुराना	1005
(3) तीन वर्षों से अधिक पुराना	353
(4) चार वर्षों से अधिक पुराना	185
(5) पांच वर्षों से अधिक पुराना	नगण्य

इस पुराने स्टाक को (अनाजों की हालत के आधार पर) तैयार की गई अग्रत सूचियों के आधार पर जारी किया जा रहा है और इस स्टाक को यदि आवश्यक समझा जाता है तो उसे अच्छी हालत में लाने के बाद ही आटा मिलों, सार्वजनिक वितरण प्राणी आदि के लिए जारी किया जाता है।

ग्रामीण ईधन के लिए पौधे लगाने की योजना

3074. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण ईंधन के लिए पौधे लगाने की योजना लागू कर दी गई है;

(ख) क्या उड़ीसा में उक्त योजना लागू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना उड़ीसा के कौन से जिलों में लागू की गई है;

(घ) उड़ीसा के कितने गांवों में ग्राम वनों को बढ़ाया गया है;

(ङ) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में लागू किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सभी राज्यों, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों में।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत बालासोर, कटक तथा पुरी के जिले आते हैं।

(घ) राज्य से जानकारी एकत्र जी जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) सुन्दरगढ़ जिला उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

सेवा निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी आवास

3075. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त हो रहे/सेया निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को पुनः सरकारी आवास दिये जा रहे हैं ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्या इस संबंध में कोई सावधानी बरती गई है बच्चों के साथ रहने वाले माता पिता को आवास के मामले में परेसानी न हो ;

(ख) लड़कियों को आबंटित आवासों की, उनके विवाह होने पर अथवा माता पिता के मरने पर/या नये घर में जाने पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या सावधानियाँ बरती गई हैं ; और

(ग) ऐसे बच्चों को आवासीय सुविधाएं क्यों दी गई हैं जिनके माता पिता उनके साथ नहीं रहते ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह निर्णय किया गया है कि 7.11.1979 को या इसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के पात्र आश्रित को तदर्थ आधार पर सामान्य पूल वास आवंटित किया जाए, बशर्ते कि ;

(1) सेवा निवृत्त अधिकारी सामान्य पूल वास का आवंटी हो,

(2) पात्र आश्रित सामान्य पूल वास का पात्र हो, और

(3) पात्र आश्रित सेवा निवृत्ति की तारीख से कम से कम तुरन्त पिछले तीन सालों से सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ लगातार रह रहा हो। तथापि, यदि कोई व्यक्ति सेवा निवृत्ति की तारीख के पिछले तीन सालों के भीतर सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता है या उसे पिछले तीन वर्षों के भीतर किसी स.. सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया था। तो वह तारीख जिस पर उसे इस प्रकार नियुक्त स्थानान्तरित किया गया था इस प्रयोजन के लिये प्रयोज्य तारीख होगी।

उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 7 नवम्बर, 1979 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गए थे, किसी पात्र आश्रित को तदर्थ आवंटन करने की रियायत पर पुरानी शर्तों को पूरा करने पर ही विचार किया जाएगा अर्थात यह आश्रित सेवा निवृत अधिकारी की सेवा निवृत्ति से तुरन्त पूर्व ही उसके साथ छः महीने की अवधि से लगातार रह रहा था। तथापि, उपर्युक्त रियायत मामले में उपबन्ध नहीं होगी जहां सेवा निवृत्त होने वाला सरकारी अधिकारी या परिवार के सदस्य का उसकी तैनाती के स्थान में अपना कोई मकान है। सेवा निवृत्त माता-पिता तंग न हों, को सुनिश्चित करने के लिए की गई पूर्व सावधानी के बारे में, पात्र आश्रितों से इस आशय का एक वचन लिया जाता है कि वह सेवा निवृत्त अधिकारी के परिवार को उस क्वार्टर में रखेगा जिसे तदर्थ आधार पर उसको आवंटित किया जाएगा। इसी प्रकार सेवा निवृत्त अधिकारी को इस आशय का एक "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है यदि उसके पात्र आश्रित को तदर्थ आवंटन किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का पात्र बना रहता है यदि उसकी परिस्थितियां जिसके कारण उसे आवंटन में अग्रता दी गई हो, समाप्त हो जाए। आवंटन के नियमों के अनुसार, एक बार किया गया आवंटन तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक सरकारी कर्मचारी आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं करता है सामान्य पूल वास के लिए अपात्र नहीं हो जाता है।

सहकारी गोबर गैस संयंत्र

3076. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में सहकारी गोबर गैस संयंत्रों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव है,

(ख) उड़ीसा के खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के अंतर्गत वर्ष 1980-81 में कितने गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए, और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयंत्रों की तीव्र प्रगति तथा इसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी विभाग ने प्रायोगिक आधार पर सामुदायिक जैव-गैस संयंत्र स्थापित करने की एक योजना आरम्भ की है, ताकि ऐसे संयंत्रों के सामाजिक आर्थिक तथा प्रबंध संबंधी पहलुओं पर जानकारी सुलभ हो सके।

(ख) उड़ीसा खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में 1980-81 के दौरान 70 गोबर गैस संयत्रों की स्थापना किये जाने की सूचना है।

(ग) कृषि मंत्रालय का छठी योजना अवधि के दौरान जैव-गैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये 50 करोड़ रुपये बजट प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम में लाभानुभोगियों को राज-सहायता देने, प्रशिक्षण तथा विस्तार की व्यवस्था करने तथा राज्य सरकारों की मूल संगठनात्मक सहायता देने का विचार है।

सहकारिता-आन्दोलन में आघात

3077. **श्री आर. पी. यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सहकारिता आन्दोलन और सहकारी समितियों को सक्षम तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सहकारिता की आयोजना नियंत्रण और जन शक्ति संसाधनों को उपयोग में लाने के लिये सहकारी संवर्ग का निर्माण करने हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सहकारिता आन्दोलन का विस्तार तथा विविधिकरण होने के कारण, सहकारी समितियों के कार्यों का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तथा सक्षम कार्मिकों की आवश्यकता अनुभव की की गई है । इस सम्बन्ध में किये गए अध्ययनों से यह अन्तर जानकारी में आया है तथा सहकारी संवर्गों के सुदृढ़िकरण की आवश्यकता है ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं । देश में पहले से ही सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों का जाल फैला हुआ है । वरिष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ वर्गों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्रमश: वैकुन्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, 16 सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा 77 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मौजूद हैं .

वित्तिय वर्ष के दौरान 400 गांवों को पानी की सप्लाई

3078. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार का इरादा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 400 गांवों के लिए साफ पानी की सप्लाई का प्रबंध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जा चुकी है और कब तक सभी गांवों के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के संसाधनों द्वारा अनुपूरित राज्य योजनाओं में उपलब्ध निधियों से लगभ 36,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करने का लक्ष्य है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में (1,4.80) देश में पेय जल की समस्या का सामना करने वाले ग्रामों (समस्याग्रस्त ग्राम) की संख्या लगभग 1.90 लाख अनुमानित की गई थी । राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान 23,276 समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया किया गया था छठी योजना के दौरान शेष बचे ग्रामों में से अधिक से अधिक ग्रामों को पेय जल की सुविधा मुहैया कराने के प्रयास लिए जाएंगे ।

उपभोक्ता के खर्च पर गोबर गैस संयंत्र लगाना

3079 : **श्रीरामस्वरूप राम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सहकारिता-आन्दोलन में आघात

3077. **श्री आर. पी. यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सहकारिता आन्दोलन और सहकारी समितियों को सक्षम तथा प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सहकारिता की आयोजना नियंत्रण और जन शक्ति संसाधनों को उपयोग में लाने के लिये सहकारी संवर्ग का निर्माण करने हेतु कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सहकारिता आन्दोलन का विस्तार तथा विविधिकरण होने के कारण, सहकारी समितियों के कार्यों का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित तथा सक्षम कार्मिकों की आवश्यकता अनुभव की की गई है। इस सम्बन्ध में किये गए अध्ययनों से यह अन्तर जानकारी में आया है तथा सहकारी संवर्गों के सुदृढ़िकरण की आवश्यकता है ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। देश में पहले से ही सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों का जाल फैला हुआ है। वरिष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ वर्गों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्रमश: वैकुन्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, 16 सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा 77 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मौजूद हैं .

वित्तिय वर्ष के दौरान 400 गांवों को पानी की सप्लाई

3078. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार का इरादा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 400 गांवों के लिए साफ पानी की सप्लाई का प्रबंध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जा चुकी है और कब तक सभी गांवों के लिए साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के संसाधनों द्वारा अनुपूरित राज्य योजनाओं में उपलब्ध निधियों से लगभ 36,000 समस्याग्रस्त ग्रांमों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करने का लक्ष्य है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में (1,4.80) देश में पेय जल की समस्या का सामना करने वाले ग्रामों (समस्याग्रस्त ग्राम) की संख्या लगभग 1.90 लाख अनुमानित की गई थी। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान 23,276 समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया किया गया था छठी योजना के दौरान शेष बचे ग्रामों में से अधिक से अधिक ग्रामों को पेय जल की सुविधा मुहैया कराने के प्रयास लिए जाएंगे।

उपभोक्ता के खर्च पर गोबर गैस संयंत्र लगाना

3079 : **श्रीरामस्वरूप राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 31 मई, को दिल्ली में कितनी और किन-किन ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों ने अपने सदस्यों की सूची प्रस्तुत की है;

(ख) किन ग्रुप हाउसिंग समिति को भूमि दी गई है; और

(ग) निर्माण कार्यों के लिये इस वर्ष के दौरान किन समितियों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिये जायेंगे;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में 339 सहकारी ग्रुप आवास समितियों ने अपनी सदस्य सूचियाँ प्रस्तुत की। इन समितियों की एक सूची संलग्न है। (**अनुलग्नक** 1) [ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल. टी. डी. 2777/81]।

(ख) ग्रुप आवास समितियों की निम्नलिखित तीन सूचियां संलग्न हैं :—

1. वे समितियां जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की गई (**अनुलग्नक** 2) [ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल. टी.-2777/81]।

2. जिन समितियों द्वारा भूमि की पूर्ण अदायगी कर दी गई है परन्तु भूमि का अभी सीमांकन किया जाना है (**अनुलग्नक** 3) [ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल. टी.-2777/81]।

3. जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की पेशकश की गई (**अनुलग्नक-4**) [ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल. टी.-2777/81]।

(ग) दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लि. ग्रुप आवास समितियों को निर्माण प्रयोजन के लिए ऋण देने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दे रही है। उन समितियों के नामों का पता जिन्हें ऋण दिया जा सकता है उसके बाद ही चल सकता है।

बम्बई में सरकारी आवासों को किराए में लगाना

3082. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों के रेकेट से अवगत है जहाँ सरकारी क्वार्टरों में बहुत बाहर के लोग रहते और सरकारी कर्मचारी उनसे किराया लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो बाहर वालों को इन मकानों से बेदखल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और फ्लैटों को किराए पर लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में आवास समस्या

3083. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आवास की कमी की देशव्यापी कठिन समस्या को हल करने के लिए कोई समयबद्ध योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार सहित विभिन्न राज्यों में आवास की वर्तमान कमी का ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) छठी योजना (1980-85) में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 145 लाख अनुमानित पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास मुहैया कराने की व्यवस्था है इस योजना में 68 लाख परिवारों को वासस्थल देने का लक्ष्य है। छठी योजना से पहले 77 लाख परिवारों को पहले ही वास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं। इस योजना में 1980-85 के दौरान लगभग 36 लाख परिवारों (अर्थात लगभग 25 प्रतिशत) को निर्माण सहायता देने की भी व्यवस्था है। छठी योजना से पहले लगभग 5.6 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई थी।

(ग) 1.4.1981 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार आवास की कमी का **विवरण** अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

(हजारों में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	ग्रामीण	शहरी	योग
आन्ध्र प्रदेश	1057	725	1782
असम*	2712	217	2929
बिहार	3686	114	3800
गुजरात	488	57	545
हरियाणा	...	...	...
हिमाचल प्रदेश	...	8	8
जम्मू और कश्मीर	208	46.	254
कर्नाटक	775	429	1204
केरल	104	184	288
मध्य प्रदेश	1499	433	1932
महाराष्ट्र	698	89	787
मणिपुर	...	24	24
मेघालय	160	...	160
नागालैंड	89	...	89
उड़ीसा	650	82	732
पंजाब	...	63	63
राजस्थान	391	109	500
सिक्किम	...	...	...

1	2	3	4
तमिलनाडु	294	724	1018
त्रिपुरा	115	41	156
उत्तर प्रदेश	2452	706	3158
पश्चिम बंगाल	1046	598	1644
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12	2	14
अरुणाचल प्रदेश	44	...	44
चण्डीगढ़	...	28	28
दादर और नगर हवेली	7	कोई शहरी क्षेत्र नहीं है	7
दिल्ली	...	44	44
गोवा दमन और द्वीव	13	41	54
लक्ष द्वीप	...	कोई शहरी क्षेत्र नहीं है	...
पांडिचेरी	...	36'	36
सम्पूर्ण भारत	16500	4800	21300

* मिजोरम भी सम्मिलित है।

... नगण्य करता है।

दिल्ली में देसी घी का मूल्य

3084. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में देसी घी का बाजार मूल्य क्या था, और इस समय क्या है,

(ख) देसी घी की भारी कमी के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में समय-समय पर क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) बम्बई और कलकत्ता में तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) : दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान समय देसी घी के थोक मूल्यों का एक व्यापक **विवरण** में दिया गया है। सरकार को देसी घी की अत्यन्त कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

विवरण

घी के थोक मूल्य

(मूल्य प्रति कि. ग्राम)

	1978 (4.8.78)	1979 (3.8.79)	1980 (1.8.80)	1981 (31.7.81)
दिल्ली	25.25	25.50	25.00	37.00

1	2	3	4	5
बम्बई (पोरबन्दर)	28.50	30.70	31.50	40.01
(बेलगांव	25.00	25.50	26.00	37.51
कलकत्ता	उ. न.	उ. न.	27.75	36.48

उ.न. उपलब्ध नहीं

मंगलेऊ कैचमेंट परियोजना

3085. **श्री चिंगवाग कोनयक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलेऊ कैचमेंट परियोजना और हैलीपांग बीज आलू फार्म परियोजनायें पूरी हो गई हैं;

(ख) क्या सिटरस, लोंगोक में क्षेत्रीय फलोद्यान और नर्सरी तथा तेजोमा, नागालैंड में क्षेत्रीय मत्स्य बीज फार्म पूरे हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पर कितनी लागत आई है;

(घ) क्या नागालैंड में केन्द्रीय क्षेत्रों में कुछ अन्य नई परियोजनायें और 'एन. ई. सी.' योजना कार्यान्वयनधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब पूरा किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) मंगलेऊ स्रवण-क्षेत्र परियोजना को 1979 में पूरा किया गया था, परन्तु किसानों को सुधार के बाद 1981-82 तक सहायता देना जारी रहेगा। हेलीपांग बीज आलू फार्म परियोजना अभी भी जारी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 31 मार्च, 1981 तक मंगलेऊ स्रवण-क्षेत्र परियोजना पर 15.13 लाख रुपए; हेलीपांग बीज आलू फार्म परियोजना पर 41.55 लाख रुपए; लोंगोक में सिटरस की क्षेत्रीय फलोद्यान तथा नर्सरी पर 21.71 लाख रुपए; तथा तेजोमा में क्षेत्रीय मत्स्य बीज फार्म पर 14.23 लाख रुपए की लागत आई।

(घ) तथा (ङ) एन. ई. सी. योजना के अन्तर्गत, छठी योजना अवधि के लिए 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर नागालैंड में बागवानी फसलों के सर्वेक्षण सम्बन्धी योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1981-82 के लिए 6 लाख रुपए के परिव्यय से मोकीक्रंचुग जिले की नुम्मा घाटी में एक जल विभाजक प्रबन्ध परियोजना को क्रियान्वित किया जाना है। इन दोनों परियोजनाओं के छठी योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है। केन्द्रीय योजना में, नागालैंड सहित विभिन्न राज्यों में सामाजिक वानिकी सन्बन्धी एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया गया है। 1981-82 में इस योजना के लिए नागालैंड को केन्द्रीय सहायता के रूप में 9.48 लाख रुपए की धनराशि दी गई। 1981-82 के लिए इस योजना के लिए निर्धारित की गई केन्द्रीय सहायता की धनराशि 13.80 लाख रुपये है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत ऋण सम्बन्धी समिति की स्थापना

3086. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या **ग्रामीण पूर्नर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये संस्थागत ऋण को सुचारू रूप से पर्याप्त धन उपलब्ध कराए जाने की निगरानी करने हेतु एक स्थाई उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि इस प्रयोजन के लिए आवंटित राशि का ठीक ढंग से उपयोग होता है ताकि वास्तविक परिणाम प्राप्त हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पूर्नर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ऋण संस्थाओं से प्राप्त होने वाली ऋण सहायता की सीमा की पुनरीक्षा करने तथा ऋण प्राप्त करने में अनुभव की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का पता लगाने के लिए योजना आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है । यह एक स्थायी समिति होगी तथा यह सरकार को समय-समय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी । समिति क्षेत्रीय स्थिति की मौके पर जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्यों का दौरा करेगी । समिति को विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र में मुख्य सचिव अथवा किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समय-समय पर प्रबोधन, पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता है। ग्रामीण पुर्नर्निर्माण मंत्रालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी इस समिति की बैठकों में भाग लेता है तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन का अध्ययन करने तथा सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय दल भी जिलों तथा खंडों का दौरा करता है । इसके अलावा, यह मंत्रालय भी एक पद्धति के माध्यम से जिसमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को प्रति वर्ष लेखा-परीक्षा रिपोर्टें तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है ।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त से सम्बन्धित समिति के विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाला विवरण

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण की उपलब्धता की समय-समय पर पुनरीक्षा करना ।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों तथा सहकारी सोसायटियों के ऋण तंत्र की जांच करना तथा जहां अनिवार्य हो उसके विस्तार के लिए सिफारिश करना।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्राप्त करने में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जांच करना तथा इन समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करना।

4. इस बात की जांच करना कि क्या कमजोर वर्गों के लिए ऋण से सम्बन्धित प्रक्रियाओं तथा रियायतों को सरल बनाने के बारे में हाल ही में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को क्षेत्र की बैंक शाखाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा यह भी देखना कि क्या इसमें और सरलीकरण, रियायतों आदि की आवश्यकता है।

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम खण्डों के लिए ऋण योजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की प्रगति की जांच करना। यह समिति कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम द्वारा तैयार किए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की खण्ड योजनाओं तथा जिला ऋण योजना के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम घटक के कार्यान्वयन की भी पुनरीक्षा करेगी।

6. इस बात की भी जांच करना कि छठी योजना में कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किए गए ऋण लक्ष्यों का किस सीमा तक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

7. समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सम्बद्ध मामला।

दिल्ली में सरकारी बंगलों में फलों वाले वृक्ष का सर्वेक्षण

3087. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न सरकारी बंगलों में फलों वाले और छायादार वृक्षों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) वृक्षों की आयु और किस्म सहित इस सर्वेक्षण का परिणाम क्या रहा है;

(घ) इन वृक्षों से सरकार को प्रति वर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है; और

(ङ) इस स्रोत से आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) इन वृक्षों से कोई आमदनी नहीं होती है अतः इसमें वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1981–82 के लिये ग्रामीण पूर्ननिर्माण हेतु निर्धारित राशि

3088. **श्री जेवियर अराक्कल :** क्या **ग्रामीण पुननिर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए ग्रामीण पुर्ननिर्माण कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा अब तक इस पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्य में पिछड़े राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों में कार्यरत अथवा संभावित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। 1981-82 के लिए इन कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुमोदित केन्द्रीय परिव्यय तथा व्यय की गई धनराशि निम्न प्रकार है :

(लाख रुपए में)

कार्यक्रम	1981-82 के लिए अनुमोदित परिव्यय	व्यय
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14500.00	335.02×
2. सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	4000.00	157.00×
3- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	18000.00	उपलब्ध नहीं

× अप्रैल 1981 के दौरान व्यय की गई राशि

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों का निष्पादन और नियोजित/लाभान्वित व्यक्तियों की सख्या को दर्शाने वाले विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 संलग्न हैं।

विवरण-1

1980-81 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन तथा नियोजित/ लाभांवित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
	केन्द्रीय आवंटन	आवंटित धनराशि	उपयोग में लाई धनराशि ×	सहायितत परिवारों की संख्या
	(लाख रुपये में)			
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	810.00	715.39	1332.77	147962
2. असम	335.00	26.60	66.68	5594
3. बिहार	1467.50	551.59	920.96	138956
4. गुजरात	545.00	466.87	568.57	74261
5. हरियाणा	217.50	161.15	356.28	52700

1	2	3	4	5
6. हिमाचल प्रदेश	172.50	167.55	107.13	48090
7. जम्मू तथा काश्मीर	187.50	59.05	37.42	9357
8. कर्नाटक	437.50	376.86	389.06	63905
9. केरल	360.00	351.66	207.31	33510
10. मध्य प्रदेश	1145.00	708.94	798.50	135598
11. महाराष्ट्र	740.00	713.79	907.43	85414
12. मणिपुर	65.00	32.50	12.47	2768
13. मेघालय	60.00	13.28	38.59	5267
14. नागालैंड	52.50	73.42	150.27	16721
15. उड़ीसा	785.00	680.34	540.65	101781
16. पंजाब	292.50	277.50	730.97	102694
17. राजस्थान	580.00	580.00	1045.18	155232
18. सिक्किम	10.00	3.00	1.61	29
19. तमिलनाडु	942.50	655.75	1286.60	219688
20. त्रिपुरा	42.50	41.26	90.53	11006
21. उत्तर प्रदेश	2190.00	1407.65	2823.85	1310716
22. पश्चिम बंगाल	837.50	42.08	224.37	37415
केन्द्र शासित क्षेत्र :				
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25.00	—	—	—
24. अरूणाचल प्रदेश	240.00	52.00	अप्राप्य	—
25. चण्डीगढ़	5.00	5.00	अप्राप्य	—
26. दादरा तथा नगर हवेली	5.00	—	अप्राप्य	—
27. दिल्ली	25.00	17.83	43.15	4599
28. गोवा, दमन तथा द्वीव	60.00	52.73	59.75	12426
29. लक्ष द्वीप	25.00	3.00	अप्राप्य	—
30. मिजोरम	100.00	15.00	अप्राप्य	—
31. पांडिचेरी	20.00	6.66	0.65	272
अखिल भारत	12780.00	8258.45	12740.75	2775613

× राज्य सरकार की निधियों का अंश भी शामिल है।

विवरण-2

1980-81 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन तथा नियोजित/ लाभाँवित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन	बंटित धनराशि	उपयोग में लाई धनराशि	सृजित रोजगार श्रम दिन ("000)
	(लाख रुपये में)		×	
1	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	570.00	584.00	1101.54	14359
2. असम	—	—	—	—
3. बिहार	427.50	283.00	699.82	2263
4. गुजरात	307.50	186.90	516.01	2100
5. हरियाणा	97.50	97.50	166.92	272
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7. जम्मू तथा काश्मीर	97.50	45.00	184.89	260
8. कर्नाटक	345.00	323.42	545.83	2744
9. केरल	—	—	—	—
10. मध्य प्रदेश	315.00	194.00	391.06	4900
11. महाराष्ट्र	315.00	340.00	647.36	7275
12. मणिपुर	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—	—
15. उड़ीसा	187.50	118.63	217.56	2912

विवरण 3

1980-81 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन तथा नियोजित/ लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आबंटित खाद्यान्न (मी. टन)	पिछले शेष सहित बंटित खाद्यान्न (मी. टन)	उपयोग में लाए खाद्यान्न (मी. टन)	बंकुल टित नकद घाटक (लाख रुपये में)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1	10	11	12	13	14
1. आँध्र प्रदेश	105,000	165,880.00	87,046.52	1345.00	476.9

1	10	11	12	13	14
2. असम	19,000	12,465.00	4,615.40	262.00	असूचित
3. विहार	164,000	194,769.32	137182.98	1725.50	280.74
4. गुजरात	22,500	26,695.80	27140.00	396.90	असूचित
5. हरियाणा	23,500	26,054.52	29,500.22	102.75	70.43
6. हिमाचल प्रदेश	20,500	21,347.09	10,471.78	70.15	असूचित
7. जम्मू तथा काश्मीर	13,500	25,111.16	9,028.00	104.75	28.90
8. कर्नाटक	32,000	58,325.00	24,461.15	593.40	असूचित
9. केरल	31,500	44,301.50	13,575.78	575.10	5.69
10. मध्य प्रदेश	228,500	287,958.00	147,087.00	950.10	असूचित
11. महाराष्ट्र	72,000	72,000.00	86,703.00	1015.40	असूचित
12. मणिपुर	2,000	3,500.00	—	13.10	असूचित
13. मेघालय	2,000	750.00	—	13.00	—
14. नागालैंड	2,400	9,056.70	4,032.96	9.00	असूचित
15. उड़ीसा	100,500	147,760.12	151,769,90	586.00	294.06
16. पजाब	11,500	17,639.39	5,688.37	179.00	3.51
17. राजस्थान	130,000	223,226.00	197,329.28	330.20	154.75
18. सिक्किम	750	500.00	78.77	4.55	असूचित
19. तमिलनाडु	60,000	77,413.72	49,442.61	1059.50	असूचित
20. त्रिपुरा	4,750	4,750.00	3,795.00	38.20	77.45
21. उत्तर प्रदेश	269,500	398,467.11	233,105.08	2373.40	479.36
22. पश्चिम बंगाल	150,000	175,288.00	83,250.00	955.60	328.51
केन्द्र शासित क्षेत्र :					
23. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1050	1050.00	1,739.99	9.30	2.55
24. अरूणाचल	950	820.00	92.98	9.30	0.17
25. चण्डीगढ़	—	50.00	—	—	असूचित
22. दादरा नगर हवेली	—	—	—	—	—
27. दिल्ली	—	—	—	—	—
28. गोवा, दमन तथा दीव	—	—	—	—	—
29. लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—
30. मिजोरम	1550	850.43	80.00	9.30	असूचित
31. पाँडिचेरी	650	799.98	591.42	9.30	117
अखिल भारत	14,19.600	20,50,828.84	1301,808.19	12740.00	2204.28

मशीनचालित मत्स्य नौकाओं के स्वामियों के संघ की शिकायत

3090. **श्री बी. के. नायर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मशीनचालित मत्स्य नौकाओं के स्वामियों के संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उनकी शिकायतें तथा शिकायतों को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर समकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कु. कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों में ऋणों की अदायगी, ऋणों पर ब्याज की माफी, डीजल तथा मत्स्यन विलयक आवश्यक वस्तुओं पर राज-सहागता, बीमे की किस्त में कमी आदि के बारे में रियायतें माँगी गई हैं।

(ग) प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की सम्वधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है।

अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी न दिया जाना

3091. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा निष्पादित कुछ मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अन्तर्राज्जीय जल विवाद के कारण मंजूरी के लिए पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विवाद से सम्बन्धित नदियों तथा राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों तथा राष्ट्र के बड़े हित के लिए इस समस्या को हल करने के लिए राज्यों से कहा है;

(घ) यदि हां, तो शेष विवाद के कब तक समाप्त होने की संभावना है; और

(ङ) क्या उनका मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय की भांति इन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कराने का है ?

सिंचाई मंत्रालण में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यिक जल-विवादों के कारण स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी मुख्य बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमें (1) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच काबेरी बेसिन से; (2) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना बेसिन से तथा (3) हरियाणा और पंजाब के बीच रावी-व्यास से सम्बद्ध है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार का हमेशा प्रयत्न रहा है कि राज्यों और राष्ट्र के व्यापक हित में अन्तर्राज्यिक जल विवादों को आपसी बात-चीत द्वारा हल करने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों को प्रेरित किया जाए। जहां ऐसा समझौता सम्भव नहीं होता, भारत सरकार सम्बद्ध राज्यों के साथ अधिकारियों और मुख्य मन्त्रियों के स्तर पर बैठकें आयोजित करके विवाद को निपटाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करती है केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयत्न करने के बावजूद, कावेरी, यमुना और रावी-व्यास से सम्बद्ध अन्तर्राज्यिक जल-विवाद तय नहीं हुए हैं। उन्हें यथा संभव शीघ्र हल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

राज्य की एजेंसियों द्वारा धान की वसूली

3092. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मंत्री यह,बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की वसूली का काम पंजाब और हरियाणा में सरकारी एजेंसियों को सौंपने और राज्य सरकारों को इसके लिए भारी प्रासंगिक व्यय अदा करने का कोई प्रस्ताव सभा के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब और हरियाणा की राज्य एजेंसियां इन दो राज्यों में धान की वसूली कर रही हैं। राज्य एजेंसियों को दिए जाने वाले प्रासंगिक खर्चों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों और खाद्य निगम के परामर्श से निर्णय किया जाता है। आगामी खरीफ मौसम 1981-82 के दौरान वसूल की जाने वाली धान के लिए इन एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले प्रासंगिक खर्चों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

हरियाणा की फ्लोर मिलें

3093. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या कृषि मंत्री उन फ्लोर मिलों के नाम और पते दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जो सार्वजनिक वितरण के लिए पंजाब और हरियाणा के लिए आटा बनाती हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पंजाब और हरियाणा में सार्वजनिक वितरण के लिए जो मिलें आटा तैयार करती हैं उनके नाम और पते बताने वाला विवरण।

क्रम सं.	मिलों के नाम और पते
	पंजाब
1.	मैसर्स भूपिन्द्र रोलर फ्लोर मिल्स, भटिण्डा।
2.	मैसर्स भारत रोलर फ्लोर मिल्स, पठानकोट।
3.	मैसर्स गुरदासपुर रोलर फ्लोर मिल्स, बटाला।
4.	मैसर्स एस. पी. विरमानी एण्ड सन्स, लेसीज आफ जवाला रोलर फ्लोर मिल्स, अमृतसर।
5.	मैसर्स गुरू राम दास फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स, अमृतसर।
6.	मैसर्स मोहन रोलर फ्लोर मिल्स, अमृतसर।
7.	मैसर्स जलन्धर रोलर मिल्स, जलन्धर।
8.	मैसर्स मदन रोलर फ्लोर मिल्स, जलन्धर।
9.	मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल्स, लुधियाना।

1	2
10.	मैसर्स पटियाला रोलर फ्लोर मिल्स, पटियाला ।
11.	मैसर्स सतलुज रोलर फ्लोर मिल्स, फिरोजपुर ।
12.	मैसर्स सुखचैन रोलर फ्लोर मिल्स, फोकल प्वाइंट, लुधियाना ।
13.	मैसर्स अग्रवाल रोलर फ्लोर मिल्स, बी. एस. एफ. रोड, गुरदासपुर ।
	हरियाणा
1.	मैसर्स सेठ ब्रदर्स लेसीज आफ मैसर्स इम्पीरियल फ्लोर मिल्स, अम्बाला सीटी ।
2.	मैसर्स श्री अमर ट्रेडिंग कम्पनी लेसीज आफ बी. डी. फ्लोर मिल्स, अम्बाला कैन्ट ।
3.	मैसर्स अग्रवाल रोलर फ्लोर मिल्स, करनाल ।
4.	मैसर्स कैपिटल रोलर फ्लोर मिल्स, फरीदाबाद ।
5.	मैसर्स लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स, फरीदाबाद ।
6.	मैसर्स एस. आर. एन. रोलर फ्लोर मिल्स, बहादुरगढ़, जिला रोहतक ।
7.	मैसर्स हरियाणा रोलर फ्लोर मिल्स। जीन्द ।

दक्षिणी गोवा विकास सम्मेलन

3094 **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिणी गोआ के संसद सदस्यों की पटल पर कुछ समय पूर्व 'उत्तर गोआ विकास सम्मेलन' के नाम एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उक्त सम्मेलन में उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के विकास सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के बारे में सिफारिशें की गई थीं;

(ख) क्या आवास से सम्बन्धित सम्मेलन की सिफारिशों को उनके मन्त्रालय को भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या थीं और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सम्मेलन के आवास के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(I) मकानों को बनाने के लिए वित्तीय सहायता, (II) मकानों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन ।

(घ) आवास राज्य का विषय है । सभी सामाजिक आवास योजनाये राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती जाती हैं । वे उनकी आवश्कता एवं उनके द्वारा निश्चित की गई प्राथमिकता के अनुसार निधियों को नियतन करने में स्वतन्त्र हैं । सम्मेलन की सिफारिशों को गोआ. दमण तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत गोबर गैस संयंत्र

3094. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबर गैस संयन्त्रों जैसे ऊर्जा स्त्रोत खादी और गामोद्योग आयोग के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं और विकसित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस तरह की कितनी इकाइयां काम कर रही हैं और ऊर्जा के इस स्त्रोत से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं : और

(ग) इस स्त्रोत के विकास के लिए सरकार द्वारा आयोग को अब तक दिए गए अनुदान और भविष्य में किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुदान का पूरा ब्यौरा क्या है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने गोबर गैस संयंत्र मोडल विकसित किया है तथा संयन्त्रों को स्थापित किया है। आयोग ने 31.3.1980 तक कुल 80,113 संयत्र स्थापित निर्मित किए थे। लगभग 8,01,130 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

(ग) सरकार गोबर गैस सहित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए समेकित अनुदान देती है। निम्नलिखित तीन वर्षों के लिए उपलब्ध की गई निधियां इस प्रकार हैं :—

1979-80	5.50 करोड़ रुपए
1980-81	5.25 करोड़ रुपए
1981-82	6.70 करोड़ रुपए

उत्तरी भारत में आयातित खाद्य तेल के डिपो

3096 **श्री गिरधारी लाल डोगरा** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर आयतित खाद्य तेल के अपने डिपो हैं;

(ख) क्या उत्तरी भारत में वनस्पति घी का उत्पादन करने वाली विभिन्न इकाइयों को कांडला से खाद्य तेल आवंटित किया जाता है और वह भी एफ. ओ. आर. आधार पर सप्ताहिक किस्तों में;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यह पद्धति भ्रष्ट कर्मचारियों और बेईमान उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है; और

(घ) क्या सरकार उत्तरी भारत में राज्य व्यापार निगम के गोदाम से तेल का आवंटन करने के बारे में विचार करेगी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उत्तरी क्षेत्र के डिपुओं से सप्लाई करने के अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र के वनस्पति एककों को कांडला से तेल की सप्लाई साप्ताहिक आधार तथा डिपो मूल्य पर की जाती है। सड़क भाड़े की प्रतिपूर्ति एक फार्मूले के अनुसार की जाती है।

देश के भीतरी भागों में स्थित डिपुओं और पत्तन नगरों में आयातित तेल की उपलब्धता

की स्थिति की लगातार पुनरीक्षा की जाती रहती है और तदनुसार आवंटन किया जाता है। तथापि, संचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण, उत्तरी क्षेत्र के वनस्पति एककों को आयातित तेल का सम्पूर्ण आवंटन केवल उत्तर भारत में स्थित डिपुओं से देना सम्भव नहीं हो सकता है। वर्तमान प्रबन्ध में भ्रष्टाचार की कोई विशिष्ट शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं है।

सामाजिक वानिकी का विकास करने के लिए कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा आन्ध्र प्रदेश का दौरा

3097 **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने सामाजिक वानिकी के विकास की सम्भावनाओं को देखने के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य का दौरा किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनायन) : (क) जी हां।

(ख) कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के परियोजना प्लानिंग मिशन ने सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में सम्भावित परियोजना का पता लगाने के लिए मार्च, 1981 में आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। उसने कुछ विशेष क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य अधिकारियों के साथ विकासक्षम सामाजिक वानिकी परियोजना की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श किया। मिशन इस बात से संतुष्ट था कि आंध्र प्रदेश के लिए सामाजिक वानिकी परियोजना व्यावहारिक है। अतः आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में सामाजिक वानिकी की एक योजना तैयार हो रही है जिस पर कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी विचार करेगी।

ग्रामीण विकास योजनाओं को बढ़ावा देना

3098 **श्री ए. ए. रहीम** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम ने देश में ग्रामीण विकास योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु निश्चित प्रस्ताव पेश करने को कहा है;

(ख) सरकार के पास ग्रामीण रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने के लिये कौन से विशेष प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा गामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम/विश्व बैंक आदि सहित संयुक्त राष्ट्र समुदाय की विभिन्न एजेंसियाँ समय-समय पर सहायता के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहती हैं। इन्हें आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्ताव आमन्त्रित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में परिचालित किया जाता है।

रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी कम करने हेतु खण्ड स्तरीय आयोजना के बारे में एक परियोजना प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। परियोजना के दस्तावेज का अन्तिम प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्याज का निर्यात

3099 **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में निर्यात किए गए प्याज की मात्रा तथा राज्यवार वसूली कितनी है,

(ख) प्याज की खरीद के सम्बन्ध में नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव एण्ड मार्किटिंग फेडेरेशन की नीति क्या है,

(ग) तमिलनाडु से छोटे किस्म के प्याज की कम वसूली के क्या कारण हैं, और

(घ) प्याज की जहाजों से निर्यात करते समय नाफेड द्वारा अनुसरण किए जा रहे मार्ग निदेश क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) नाफेड (जो निर्यात की व्यवस्था करने वाली एजेंसी है) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1980-81 के दौरान 1.81 लाख मीटरी टन प्याज का निर्यात किया गया था। 1980-81 के दौरान नाफेड द्वारा की गई खरीद निम्न प्रकार थी :

राज्य	खरीदी गई मात्रा मीटरी टन में
1. महाराष्ट्र	2,24,741
2. गुजरात	15,050
3. तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश	7,000
	कुल 2,46,791

इसके अतिरिक्त, 1980-81 के दौरान राज्य सरकार खरीद स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य विपणन संघ ने 3.515 लाख मीटरी टन प्याज की खरीद की थी।

(ख) नाफेड ने प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों तथा राज्य सहकारी विपणन संघों के माध्यम से किसानों से प्याज की खरीद ऐसे मूल्यों पर की, जो लाभकारी समझे जाते हैं या उसने सरकार द्वारा नियत न्यूनतम अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीद की।

(ग) निर्यात की आवश्यकताओं के अनुसार, नाफेड छोटे प्याज की खरीद कर रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा इस किस्म की माँग अधिक नहीं है। छोटे प्याज का उत्पादन तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। अतः तमिलनाडु में इतनी मात्रा में ही प्याज की खरीद की गई जो निर्यात सम्बन्धी माँग को पूरा करने के लिए आवश्यक थी।

(घ) इस बारे में नाफेड द्वारा अनुसरण की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध संलग्न विवरण में दी गई हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि., सपना बिल्डिंग, 54, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110055

प्याज की लदान के बारे में अपनायी जाने वाली शर्तें

सभी अनुज्ञेय स्थानों को जलयान द्वारा प्याज भेजने के लिए समय-समय पर मूल्य नियत करने के लिए मूल्य-निर्धारण परामर्श दात्री समिति में व्यापार तथा वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। मूल्यों की घोषणा नाफेड द्वारा की जायेगी।

2. प्याज की विभिन्न किस्मों के लिए इस प्रकार नियत किये मूल्य आर्डरों के पुष्टीकरण हेतु सीमित अवधि के लिए वैध रहेंगे तथा घोषित मूल्यों से कम मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे ऐसोसिएट शिपर्स जो न्यूनतम निर्यात मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं।

3. नाफेड द्वारा नियत न्यूनतम निर्यात मूल्य माल को जलयान द्वारा भेजने हेतु विशेष अवधि के लिए वैध होगा।

4. विशेष अवधि में जहाजों पर माल के लदान के लिए घोषित सी. आई. एफ./सी. आई. एफ. सी./सी. एण्ड एफ./एफ. ओ. बी. के. पी. एम. टी. मूल्य पर नाफेड को निम्नलिखित प्रकार से सेवा शुल्क दिया जायेगा :

1. बेल्लरी/बड़े प्याज	5 प्रतिशत
2. पोडिसु/भटलोर, कृष्णपुरम तथा नाटू	7.5 प्रतिशत

उपर्युक्त सेवा शुल्क पहले से ही घोषित मूल्यों में सम्मिलित हैं।

5. समय-समय पर घोषित इन मूल्यों में विकास निधि पी. एम. टी. भी शामिल की जा सकती है, जो जहाजों पर किए जाने वाले लदान हेतु एसोसिएट शिपर्स द्वारा देनी होती है तथा कागजात पर कार्रवाई करने के बाद जमा करानी होती है। इसके बाद नाफेड इस राशि को एसोसिएटेड एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट फाउन्डेशन नामक सोसायटी को दे देगा जो जो कृषि जिंसों, विशेषत: प्याज के उत्पादन भंडारण, सम्भाल आदि के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य कर रही है। यह सोसायटी संस्था पहले ही आयकर अधिनियम, 1981 की धारा 35 के अन्तर्गत पंजीकृत, अनुमोदित है।

6. यदि प्याज की लदान 1,000 मीटरी टन से अधिक, लेकिन 10,000 मीटरी टन से कम हो तो मूल्य में खरीददार को देय 3 प्रतिशत की छूट भी सम्मिलित होगी। यदि लदान 10,000 मीटरी टन से अधिक हो तो खरीददार 5 प्रतिशत छूट पाने के लिए हकदार होगा।

7. लदान के लिये पुष्ट आर्डरों के सी. आई. एफ./सी. आई. एफ. सी./सी. एण्ड एफ./एफ. ओ. बी. मूल्य पर एसोसिएट शिपर्स को बैंक से 10 प्रतिशत की निष्पादन गारन्टी नाफेड को देनी होगी। शाखा कार्यालयों में पहले से उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार बैंक गारन्टी अपरिवर्तनीय और निरपेक्ष होनी चाहिए। एसोसिएट शिपर्स/पैकर्स द्वारा कार्य निष्पादन में नियमों का उल्लंघन करने पर नाफेड इस बैंक गारन्टी को आंशिक रूप से या पूर्णत: वापस ले सकेगा।

8. नाफेड द्वारा घोषित मूल्यों के बारे में एसोसिएट शिपर्स प्याज के लदान हेतु विदेशी

खरीददारों को जानकारी देंगे ताकि उनकी आवश्यकताओं का पता चल सके। खरीददार भी अपने सम्बद्ध पैकर/एसोसिएट शिफर द्वारा लदान के पुष्टीकरण के लिए अपनी आवश्यकताओं की जानकारी नाफेड को देगा।

9. एसोसिएट शिपर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि लदान किये जाने वाले प्याज की मात्रा के लिए खरीददार नाफेड के पक्ष में एक साख पत्र दे। साख पत्र पक्का तथा अपरिवर्तनीय होना चाहिए ताकि दस्तावेजों के संबंध में बातचीत की आवश्यकता न पड़े। वह लदान-पत्र की स्कीकृत शर्तों के अनुसार हो तथा उसमें आंशिक लदान की अनुमानित हो, एफ. पी. ए. युद्ध जोखिम व टी. पी. एन. डी. के लिए बीमा हो।

10. एसोसिएट शिपर्स/पैकर्स द्वारा लदान की जाने वाली मात्रा की पुष्टि के बाद, लदान संबंधी कागजात काफी पहले तैयार किये जाने चाहिएं ताकि वे अनुमोदन हेतु नाफेड को प्रस्तुत किए जा सकें।

11. संबंधित एसोसियट शिपर/पैकर लदान के लिए स्थान बुक करायेंगे या खरीददार द्वारा नामित जलयानों को उनका माल ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

12. लदान की अनुमति एक ही प्रकार की पैकिंग होने पर दी जाएगी।

13. लदान के पश्चात्, एसोसिएट शिपर्स साख पत्र की शर्तों के अनुसार कागजातों का एक सेट नाफेड को प्रस्तुत करेंगे ताकि बातचीत के लिए उन्हें बैंक को प्रस्तुत किया जा सके।

14. नाफेड द्वारा बैंक से सारी राशि प्राप्त करने के बाद ही एसोसिएट शिपर्स/पैकर्स को भुगतान किया जायेगा।

15. एसोसिएट शिपर/पैकर का भुगतान करने से पहले, नाफेड उपरिलिखित सेवा शुल्क, विकास निधि तथा भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विनियमन के अनुसार एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन की राशि (यदि कोई हो) की कटौती करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण

3100 **श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकानों के आवंटन हेतु कुल कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से ब्लू प्रिंट तथा स्वीकृत प्राप्त किए बिना बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस तरह के अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं के मूल्य

3101. **श्री राम सिंह यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ङ) क्या यह कहना सही है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में गेहूं का मूल्य हाल ही में 215 रुपये से बढ़कर 300 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो गया है; और

(ख) क्या सरकार अमरीका से 1.5 मिलियन टन गेहूं का आयात कर रही है जिस का इस देश में आने पर मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक होगा; और

(ग) क्या वर्तमान परिस्थितियों में उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित में सरकार बाजार में अधिक गेहूं को आर्षित करने के लिए गेहूं की वसूली मूल्य 150 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करना उचित और आवश्यक समझती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जैसा कि नीचे दिया गया है विभिन्न केन्द्रों से गेहूं के थोक मूल्यों के बारे में उपलब्ध सूचना इस बात का संकेत नहीं देती है कि हाल ही में गेहूं के मूल्य 300 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर तक बढ़ गए है।

(रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य केन्द्र	किस्म	जनवरी	अप्रैल	अगस्त
आन्ध्र प्रदेश				
हैदराबाद	(शरबती)	195.00	251.00	235.00
कुरनूल	(शरबती)	205.00	205.00	235.00
जुलाई, 1981 के मूल्य				
महाराष्ट्र				
अमरावती	(कल्याण सोना)	188.00	198.00	215.00
बम्बई	(कल्याण सोना)	192.50	197.50	212.50
औरंगाबाद	—	205.00	215.00	207.00
नागपुर	(कल्याण सोना)	190.00	198.00	220.00
तमिलनाडु				
मद्रास		205.00	210.00	225.00

(ख) सरकार ने अमरीका से 15.15 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने का करार किया है। आयातित गेहूं की औसत पहुंच लागत 196,40 रुपए प्रति क्विंटल होने का अनुमान है जिसमें समुद्री भाड़ा और माल उतारने के आकस्मिक खर्च भी शामिल हैं।

(ग) सरकार का चालू विपणन वर्ष के लिये 130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित किये गए गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य में कोई परिवर्तन करने का विचार है।

उत्तर प्रदेश में घटिया चावल की पूर्ति

3102. **श्री आर. के. महालगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग) के साथ सहयोग से 14 करोड़ रुपए मूल्य का

घटिया चावल सप्लाई किया जिसे भारतीय खाद्य निगस ने राज्य खाद्य विभाग के माध्यम से चावल मिलों से खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली एकक के सतर्कता कर्मचारियों ने मामले की जाँच की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमरी) : (क) और (ख) यह सही नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग के माध्यम से चावल के मिल मालिकों से 14 करोड़ रुपये के मूल्य का घाटिया चावल खरीदा था।

भारतीय खाद्य निगम सीधा चावल के मिल मालिकों से चावल नहीं खरीदता है बल्कि राज्य सरकार के माध्यम से ही खरीदता है। वर्तमान मामलों में, भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार से 35,000 मीटरी टन चावल की सुपुर्दगी ली थी, जिसमें से 20,000 मीटरी टन चावल में टोटा चावल की और अन्य अपवर्तनों की प्रतिशतता अस्वीकृति सीमा से अधिक पायी गई थी।

2. भारतीय खाद्य निगम ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत की थी और इस मामले की भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई थी। इस जांच के फलस्वरूप, चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई है और 8 चावल मिलों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं।

3. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में राज्य सतर्कता स्थापना द्वारा खुली जांच करने के आदेश दिए हैं।

4. राज्य सरकार से अस्वीकृत सीमा से अधिक के स्टाक बदलने के लिए अनुरोध किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी 4,000 मीटर टन की मात्रा को अच्छी तरह साफ करने और स्टाक का उच्च क्षेणीकरण करने के बाद उसे विनिर्दिष्टयों के अनुरूप लाकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता प्रभाग ने कोई जांच नहीं की थी। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के उत्तरी जोन से एक अधिकारी को जांच करने के लिए भेजा गया था।

विश्व बैंक की सहायता से गोदामों का निर्माण

3103. **श्री तारिक अनवर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पाँच वर्षों के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कितने गोदामों का निर्माण कराने का विचार है और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ख) राज्यवार, कितने कितने तथा कितनी कितनी क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कराने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने गोदामों का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण प्राप्त करने के लिए समझौता किया है। भारतीय खाद्य निगम ने मूलत: 1977 में 35.75 लाख मीटरी टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण करने की योजना बनायी थी विलम्ब होने और लागत में वृद्धि होने के

कारण इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब 173 करोड़ रुपए की लागत पर 28.55 लाख मीटरी टन की क्षमता के भण्डारण ढाँचों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसमें से 21.60 लाख मीटरी टन की क्षमता को या तो पूरा कर लिया है या योजनाधीन और निर्माणधीन है। अनुबन्ध 1 में इस परियोजना के अधीन पहले ही तैयार कर लिए गए जिनको पूरा करने के लिए चुना गया है, उनकी पूर्ण सूची दी गई है। तथापि, 6.95 लाख मीटरी टन की क्षमता के लिये नये केन्द्रों का पता लगाया जा रहा है। संशोधित परियोजना से संबंधित सामग्री के बारे में विश्व बैंक के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.-2778/81]

विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के अधीन, 24.194 लाख मीटरी टन की क्षमता के 12 059 ग्रामीण और विपणन गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिन पर अनुमानतः 170.45 करोड़ रुपये की लागत आएगी। एक विवरण (अनुबन्ध-2) संलग्न है जिसमें इस परियोजना के अधीन प्रस्तावित गोदामों की राज्यवार संख्या और उनकी क्षमता का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-2778/81]

चिन्नामुट्टम मत्स्य पत्तन

3104. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चिन्नामुट्टम मत्स्य पत्तन परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) तथा (ख) परियोजना, (जिसके सम्बन्ध में सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्वीकृति ली जा चुकी है) निवेश संबंधी निर्णय लिया जाना बाकी है।

वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना

3105. **श्रीप्रतापभानु शर्मा** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत कितनी परियोनाओं अथवा योजनाओं को स्वीकृति मिली;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत किस प्रकार का काम होगा उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितना धन दिया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित मुख्य योजनाएं अथवा परियोजनाएं संस्वीकृत की गई है और वे कार्यान्वित की जा रही हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : इस कार्यक्रम को 2 अक्तूबर, 1980 से राज्य के सभी खण्डों में कर दिया गया है।

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम : 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश में दोगली किस्म के बछड़े पालने की 15 परियोजनाएं, मुर्गी-पालन की 7 परियोजनाएं, सूअर पालन की एक परियोजना तथा भेड़ पालन की 4 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

(3) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम 1980-81 तथा 1981-82 में राज्य के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) **सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम 6 जिलों के 42 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(5) **ग्रामीण गोदाम** : 67,700 मीटरी टन की कुल क्षमता वाले 143 ग्रामीण गोदामों को अनुमोदित किया गया है ।

(ख) (1) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम** : इसका उद्देश्य संस्थागत ऋण से सम्बद्ध उपदानों माध्यम से लक्षित वर्गों के चुने परिवारों के आम स्तरों को गरीबी की रेखा से उपर उठाना है ।

(2) **विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम** : इसका उद्देश्य दोगली किस्म के बछड़े पालने तथा मुर्गी पालन, सूअर पालन तथा भेड़ उत्पादन यूनिटों के माध्यम से छोटे/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों की आय में वृद्धि करना है।

(3) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** : इसका उद्देश्य बेरोजगार तथा अल्प रोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार सृजित करना, स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियां सृजित करना और गरीब ग्रामीणों के पोषाहार स्तर और उनके रहन-सहन के स्तरों में सुधार करना है।

(4) **सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के उद्देश्य सूखे की प्रचण्डता को कम करना और सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन, आय तथा रोजगार के अवसरों का विकास करना है।

(5) **ग्रामीण गोदाम** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से कृषि उत्पादको विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों की भण्डारण आवश्यकताओं की देख-रेख करने हेतु ग्रामीण गोदामों का जाल बिछाना है।

(क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश में ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान दिये गए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

कार्यक्रम	1980-81	1981-82
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2290 लाख रुपये	2748 लाख रुपये
2. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम	52 लाख रुपये	50 लाख रुपए
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		
(1) राज्य सरकार को उपलब्ध किये गए खाद्यान्नों की मात्रा	287.958 × मीटरी टन	11.000 मीटरी टन
(2) बंटित नकद घटक	950.10 लाख रुपये	660.00 लाख रुपये
4. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	581.26 लाख रुपये	434.13 लाख रुपये
5. ग्रामीण गोदामों का निर्माण	54.58 लाख रुपये	शून्य

× गत वर्ष का बचा हुआ खाद्यान्न भी शामिल है।

राजस्थान नहर से जोधपुर को पीने का पानी

3106 **श्री अशोक गहलोत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान के जोधपुर में पानी की किल्लत को दूर करने के उद्देश्य से लिफ्ट सिस्टम द्वारा राजस्थान नहर से जोधपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ख) क्या जोधपुर जिले में पीने के पानी की सुविधा मुहिया कराने के लिए विश्व बैंक की योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पेय जल सप्लाई राज्य का विषय है और योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनायी तथा कार्यान्वित की जाती हैं । इसलिए जोधपुर के लिए पेय जल सप्लाई में वृद्धि करने की उचित योजनायें राज्य सरकार द्वारा बनायी जानी हैं ।

(ख) और (ग) विश्व बैंक (आई. डी. ए.), राजस्थान जल सप्लाई तथा सीवरेज परियोजना को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है इससे जोधपुर में जल संचयन में सुधार और विस्तारण तथा जल वितरण सुविधायें भी शामिल हैं

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग को संरक्षण दिया जाना

3107. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों द्वारा खरीद के मामलों में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनाई है ? और

(ख) क्या इस नीति के अन्तर्गत सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों तथा सांविधिक निकायों को अपेक्षित कपड़ों की पूरी खरीद केवल खादी क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र से ही अनिवार्य रूप से की जानी होती है;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) अभी तक आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात उड़ीसा, बिहार, तमिनाडु मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय तथा मिजोरम की राज्य सरकारों ने अपने विभागों तथा उद्यमों द्वारा खरीद के मामले में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के संरक्षण की नीति अपनाई है । राज्य सरकारों से सरकारी कार्यालयों, उद्यमों आदि के प्रयोग हेतु खादी तथा ग्रामोद्योगों की वस्तुएं आरक्षित रखने के लिए हाल ही में अनुरोध भी किया गया था । कुछ और राज्यों से प्रतिक्रिया प्रोतसाहनवर्धक रही है । तथापि, इस संबंध में नीति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती है

स्वतन्त्रता सेनानियों के स्मारकों का निर्माण करना

3108. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से उन स्वतन्त्रता सेनानियों। आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों के स्मारकों के निर्माण की कोई योजना तैयार की है; जो अपने राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान शहीद हुये;

(ख) यदि हां, तो उन स्वतन्त्रता सेनानियों/शहीदों के नाम क्या हैं जिनका इस प्रकार सम्मान किया गया है तथा उनके स्मारकों का किस स्थान पर निर्माण कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई योजना तैयार करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) नई दिल्ली में उन देश भक्तों की स्मृति में जो 1857 से 1947 तक की अवधि के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे, एक शहीद स्मारक स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक यात्रा चित्रित करते हुए 11 मूर्तियों से युक्त स्मारक विलिंग्डन क्रीसेन्ट, नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है।

उड़ीसा में अमूल स्प्रे और अन्य शिशु आहार की कमी

3109. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिशुओं हेतु वितरण के लिए उड़ीसा के विभिन्न सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले "अमूल स्प्रे" और अन्य शिशु आहारों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा के शिशु-आहार के कोटे को बढ़ाने का है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोटे में वृद्धि करने के बाद उड़ीसा को दिए जाने वाले प्रस्तावित शिशु-आहार की विभिन्न किस्मों की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) सरकार शिशु आहार के लिए कोई कोटा आवंटन नहीं करती।

मनुष्यों पशुओं और पौधों पर कीटनाशक औषधियों का प्रतिकूल प्रभाव

3110. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंड.स्ट्रियल टोक्सीकोलोजिकल रिसर्च सैंटर, लखनऊ में किए गए अध्ययन के अनुसार भारी मात्रा में कीटनाशक औषधियों का लम्बे समय तक उपयोग करने से मनुष्यों, पशुओं और पौधों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या इण्डस्ट्रियल टोक्सीकोलोजिकल रिसर्च सैंटर ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि इण्डोस्लफैन, जिसका भारत में डी. डी. टी. के स्थान पर व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, का अंकुरित होने वाले बीजों की जड़ों और कीपलों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार डी. डी. टी. आदि के उपयोग से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों

के बारे में आम जनता का ध्यान आकर्षित करने और इस प्रकार की विषैली कीटनाशक औषधियों के आम उपयोग को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) कम मात्रा में इन्डोसलफान चने के अंकुरण में बाधक पाया गया था तथा प्लांट एआक्सिन इन्डोलेसेटिक एसिड (आई. ए. ए.) के साथ यह जौ के कोलियोपटाइल के बढ़ाव को भी कम कर देता है।

(ग) कृमिनाशियों से होने वाले संभावित खतरों के बारे में आम जनता को जागरुक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) इन्डस्ट्रीयल टाक्सीक्लोजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ ने समाचार पत्रों के अतिरिक्त विज्ञानिक पत्रिकाओं में लोकप्रिय लेख, प्रेस नोट प्रकाशित कराए हैं।

(2) कीटनाशियों के उपयोग की समुचित मात्राओं तथा उपयुक्त अन्तराल का पता लगाया गया है और उन्हें "पैकेज प्रणाली" का अंग बनाया गया है।

(3) जिन कृमियों तथा रोगों के प्रति कीटनाशी प्रभावी हैं, उनका पता लगाया गया है। इनका ब्यौरा कीटनाशी के प्रत्येक पैकेट के साथ संलग्न पत्रक में दिया जाता है।

(4) क्षेत्र में काम करने वाले विस्तार कर्मचारी तथा वैज्ञानिक कृमिनाशियों के सुरक्षापूर्ण उपयोग के बारे में कृषकों को सलाह देते हैं।

(5) सम्बन्धित जानकारी के प्रचार के लिए रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

उड़ीसा में चिल्का झील को राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित करना

3111. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिल्का झील को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है,

(ख) क्या उस क्षेत्र में जल प्रदूषण तथा मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध है, और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों गैर-कानूनी बातों एवं कानूनों की उपेक्षा को रोकने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) :(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकार को इस मामले में जांच करने के लिए सलाह दी गई है।

महाराष्ट्र के चीनी कारखाने

3112. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का नवीनतम प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक चीनी कारखानों की स्थापना के लिए कोई और लाइसेंस न देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस नीति से महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रों में हलचल मच गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र का विचार है कि गन्ने का और अधिक लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है और इसलिए गन्ने की फसल की बड़ी मात्रा को केवल चीनी निर्माताओं के लिए भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार को इस प्रस्ताव पर क्या आपत्ति थी;

(ङ) क्या अन्य राज्यों द्वारा भी इस प्रस्ताव की भी आलोचना की गई है;

(च) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कोई नियम हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

(घ) से (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

3113. **श्री के. मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में केन्द्र द्वारा प्रायोजित जल पूर्ति कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुछ सहायता अनुदान दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्र द्वारा परिवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1981-82 में तदर्थ आधार पर मुक्त सहायता के रूप में अनुदान की राशि का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुक्त की गई राशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	100
2.	हरियाणा	100
3.	कर्नाटक	62
4.	महाराष्ट्र	100
5.	राजस्थान	100
6.	तमिलनाडु	100

1	2	3
		मुक्त की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	47.50
2.	असम	230.00
3.	बिहार	482.50
4.	गुजरात	127.00
5.	हरियाणा	60.00
6.	हिमाचल प्रदेश	208.50
7.	जम्मू तथा कश्मीर	130.50
8.	कर्नाटक	64.50
9.	केरल	171.50
10.	मध्य प्रदेश	312.00
11.	महाराष्ट्र	129.50
12.	मणिपुर	52.50
23.	मेघालय	74.50
14.	नागालैंड	50.00
15.	उड़ीसा	141.00
16.	पंजाब	76.50
17.	राजस्थान	108.00
18.	सिक्किम	19.50
19.	तमिलनाडु	4.50
20.	त्रिपुरा	55.50
21.	उत्तर प्रदेश	500.50
22.	पश्चिम बंगाल	443.50
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	6.00
24.	अरूणाचल प्रदेश	35.00
25.	दिल्ली	—
26.	गोवा, दमण तथा द्वीव	5.75
27.	मिजोरम	—
28.	पांडिचेरी	5.00

विभिन्न योजनाओं के लिये कर्नाटक को वित्तीय सहायता

3114. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 और 1980 के दौरान कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और वर्ष 1981 के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मौजूदा व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उनके योजना कार्यक्रमों के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में इकट्ठी दी गई है और इसका किसी विशेष स्कीम अथवा विकास शीर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं होता। कर्नाटक को उसके योजना कार्यक्रमों के लिए 1979-80 में 98.80 करोड़ रुपये और 1980-81 में 100.61 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई थी, जिसमें कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनायें भी शामिल हैं। वर्ष 1981-82 के लिये कर्नाटक को लगभग 108.92 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

कर्नाटक में चीनी मिलें लगाना

3115. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सहकारी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित कर दी गई हैं या भविष्य में जिन स्थानों पर स्थापित की जानी हैं उन स्थानों का अनुमोदन कर दिया गया है;

(ख) जिस वर्ष मिल स्थापित किए गए उस वर्ष फैक्टरी जोन में गन्ने का प्राक्कलित उत्पादन कितना था तथा उसके पश्चात् उत्पादन में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) एक विवरण-1 संलग्न है जिसमें कर्नाटक में सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित की गई चीनी फैक्ट्रियों के जिलों और स्थानों का ब्यौरा दिया गया है।

एक विवरण-2 संलग्न है जिसमें कर्नाटक में उन चीनी फैक्ट्रियों के जिलों तथा प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा दिया गया है जिन्हें सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए लाइसेंस/आशय पत्र प्रदान किए गए हैं और जो कि स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित किया जा रहा है। उपलब्ध होने के बाद, इसे सभा के पठल पर रख दिया जाएगा।

विवरण-1

कर्नाटक में सहकारी और सरकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्ट्रियों के जिले और स्थान बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	स्थान और जिला
I.	**सहकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्ट्रियाँ :**
1.	पांडवपुरा, जिला मण्डया।
2.	काम्पली, जिला वेल्लारी।
3.	सकेश्वर, जिला बेलगांव।
4.	मुगुत खान हुबली, जिला बेलगांव।
5.	चिकोड़ी, जिल बेल गाँव।
6.	बुदिहल (राय बाग), जिला बेलगाँव।
7.	गोकाँक, जिला बेलगांव।

1	2
8.	गौरी बिडानूर, जिला कोलार ।
9.	बिदार, जिला बिदार ।
10.	हरियूर, जिला चित्रदुर्ग ।
11.	डोडाबथी, जिला चित्रदुर्गा ।
12.	कलेगल, जिला मैसूर ।
13.	चनचनाकट्टी, के. आर. नगर, जिला मैसूर ।
II.	**सरकारी क्षेत्र में स्थापित चीनी फैक्ट्रियां :**
1.	मण्डया, जिला मण्डया ।
2.	गंगावती, जिला रायचूर ।

विवरण-2

उन चीनी फैक्ट्रियों, जिनके लिए कर्नाटक में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में लाइसेंस/आशय पत्र दिये गये हैं और उन्हें स्थापित करने का कार्य हो रहा है, के जिले और प्रस्तावित स्थान को बताने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	प्रस्तावित स्थान और जिला	क्षेत्र
1.	हलेनारासीपुर, जिला हसन ।	सहकारी
2.	हवेरी, जिला धारवाड़ ।	
3.	मंगलौर तालुक, जिला दक्षिणी कनारा ।	
4.	भद्रावती, जिला शिमोगा ।	सरकारी

जीवाणु से पत्तों पर चकते लगने वाला रोग

3117. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में पत्तों पर जीवाणु से चकते लगने वाला रोग फिर फैल रहा है जिससे चावल के उत्पादन के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने और इस समय उगाई जा रही विभिन्न किस्मों के धान की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पंजाब के कुछ क्षेत्रों में चालू खरीफ मौसम के दौरान जीवाणुओं से लगने वाला रोग (बैक्टेरीयन लीफ ब्लाइट) पुनः देखा गया है । हरियाणा से किसी गम्भीर संक्रमण के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । इस रोग के कारण चावल के उत्पादन में हुई क्षति की मात्रा का पता कटाई के बाद चलेगा ।

(ख) अभी तक इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई रासायनिक उपाय विकसित नहीं किया गया है । केन्द्रीय सरकार के कृषि वैज्ञानिकों के एक दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उसने निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया है :

1. अधिक आनुवंशिक आधार वाली धान की सहनशील किस्मों को प्रभावित जिलों के कृषकों में वितरित किया जाये ।

2. अगेती रोपाई और अधिक मात्रा से उर्वरकों के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए ।

3. अन्यों के साथ-साथ पंजाब तथा हरियाणा राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे कृषकों को उपयुक्त सस्य पद्धतियों को अपनाने की सलाह दें ताकि इस रोग से बचा जा सके ।

बंसधारा नदी पर बाँध

3118. **श्री मनमोहन डुडु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंसधारा नदी पर उड़ीसा अथवा आंध्र प्रदेश द्वारा कुल कितने बाँधों का निर्माण किया गया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन बाँधों के निर्माण द्वारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों को कुल कितनी भूमि की सिंचाई होगी;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष बंसधारा नदी में बाढ़ आने से उड़ीसा के गुनपुर क्षेत्रों तथा आंध्र से लगते हुए क्षेत्रों के हजारों लोगों पर बुरा असर पड़ा था;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में कोई बराज निर्मिति नहीं है। केन्द्र को उड़ीसा में किसी बराज के निर्माण का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

आंध्र प्रदेश में गोट्टा नामक स्थान पर एक बराज का निर्माण काफी हद तक हो चुका है । इस बराज से 1,48,228 एकड़ भूमि को सिंचाई लाभ प्राप्त होने की संभावना है । आंध्र प्रदेश सरकार का 107280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीरादी के निकट एक और बराज का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है । लेकिन राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ सलाह करते हुए, परियोजना रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) से (ङ) 1980 में बंसधारा बेसिन में आई भीषण बाढ़ों के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया था कि इसकी निकटवर्ती छोटी नदियों के साथ-साथ जल-संचयन जलाशयों की व्यवस्था करके और भू-संरक्षण कार्यों द्वारा नदी विकास की एक मास्टर योजना तैयार की जानी चाहिए । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कुछ परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से बोन्डा पिपिली, हरभंगी और बडनाला परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और सान्भोरी, कुदामा, लीलाबाड़ी, कानुजोड़ी जलाशय स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अन्वेषण के लिए कई अन्य परियोजनाओं की भी योजना बनाई जा रही है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुनूपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से तटबंधों को उनकी पूर्वावस्था में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे है और राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की बाढ़ों के परिप्रेक्ष्य में, गुनूपुर नगर की बाढ़-सुरक्षा की समूची स्कीम का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है । नदी के सामने की ओर बिक्रमपुर की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बाढ़ सुरक्षा तटबंध के निर्माण की स्वीकृति दी गई है ।

कमान क्षेत्र में वृक्षारोपण

3119. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कमान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह कार्यक्रम उड़ीसा के कमान क्षेत्र में चालू किया जा रहा है;

(ग) विभिन्न राज्यों के कमान क्षेत्र में, अन्य क्या विकासशील तरीका अपनाये जाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्टरनेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जैनेटिक रिसोर्सेज से ऋण

3120. **श्री एस. बी. सिदनाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैण्ट्रल प्लाण्टेशन क्राप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सी. पी. सी. आर. आई.) ने रोम के इण्टरनेशनल ब्यूरो आफ प्लाण्ट जैनेटिक रिसोर्सेज से कोई अनुदान प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितनी राशि ली गई है और इस राशि को किस प्रकार व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ श्रीमान्। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगाड को अन्तर्राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक स्रोत ब्यूरो से अनुदान प्राप्त हुआ है।

(ख) इस अनुदान की कुल राशि 50,000 अमरीकी डालर है जिसमें से 45,000 अमरीकी डालर इस संस्थान द्वारा पहले ही प्राप्त किये जा चुके हैं और शेष 5000 डालर अग्रिम के निर्धारण हो जाने पर जारी किये जायेंगे।

इस संस्थान के दो विज्ञानी पैसफिक महासागर के (1) पापुआ, न्यू गिनी (2) सोलोमन द्वीप समूह, (3) फिजी, (4) सामुआ (अमरीकी सामुआ और पश्चिमी सामुआ), (5) टोंगा और (6) तेहिती द्वीपों की यात्रा पर केरल में जड़ गलन रोग पर उनकी प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए नारियल आनुवंशिक सामग्री एकत्रित करने हेतु प्रतिनियुक्त किये गए हैं। मूल सामग्री को अण्डमान में किनारों से दूर एकान्त में एक संघरोध केन्द्र पर बोया जायेगा। वहाँ से उप-नमूनों को जड़ गलन रोग के विरुद्ध जाँचा जायेगा और उनके प्रमुख और आर्थिक गुणों का मूल्यांकन किया जायेगा।

इस अनुदान को उपयोग में लाने का प्रस्ताव निम्न प्रकार है :—

	अमरीकी डालर
1. विज्ञानियों की यात्रा तथा प्रतिदिन खर्च	16,400
2. नारियलों की लागत तथा विमान से लाने का खर्चा आदि	30,000
3. फिल्म्स तथा पैकिंग का सामान आदि	1,500
4. बीमा, स्थानीय सहायता, पैट्रोल, तेल, लुबरीकेंट्स आदि	2,100
योग	50,000

दोनों विज्ञानी जनन-द्रव्य एकत्रित करने के लिए 48 दिनों के दौरे पर 9 अगस्त, 1981 को भारत से चले गये हैं।

चन्दन की खेती

3121 **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चन्दन की खेती के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है;

(ख) चन्दन की खेती के लिए अधिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या विदेशों को चन्दन का निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में और कौन-कौन से देश इसका आयात कर रहे हैं और इसका मूल्य कितना है और निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रायलों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय संभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

पटना में गन्दी बस्तियाँ

3122 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पटना की गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना' के अन्तर्गत बिहार राज्य सरकार को सरकार द्वारा अनुदान के रूप में इस वर्ष भारी धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान बिहार सरकार को दी गई ऐसी राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा यह राशि किस प्रकार से खर्च की गई थी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है। भारत सरकार, राज्य सरकारों को समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देती है। किसी विशेष शहर में गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के लिए निधियों का नियतन करना राज्य सरकार का काम है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

3123 **श्री के. मालन्ना** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को दी गई सहायता का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता दी गई थी उनके नाम और पते क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार उनके कार्य निष्पादन से सन्तुष्ट है; और

(च) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण भारत में लागू करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम): (क) जी हाँ।

(ख) **विवरण** (1) संलग्न है।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता केवल प्रशिक्षण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सुलभ की गई है। मदों का ब्यौरा संलग्न **विवरण** 2 में दिया गया है।

(ङ) और (च) कार्यक्रम के प्रभाव का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता लेकिन कार्यक्रम का प्रवोधन सततरूप से किया जा रहा है और साथ-साथ मूल्यांकन भी किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,46,696 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जिनमें से 43,860 युवक स्वनियोजित हो गए हैं। मार्च, 1981 के अन्त तक 85,361 युवक प्रशिक्षण पा रहे थे। इस कार्यक्रम को पहले ही सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है।

ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) 15 अगस्त, 1979 को शुरू की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवकों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना है। योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों की आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया गया है ताकि वे अपने रोजगार के व्यवसाय शुरू कर सकें। आरम्भ में, समन्वित ग्रामीण विकास तथा गैर-समन्वित ग्रामीण विकास दोनों क्षेत्रों में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रस्ताव था। उस समय समन्वित ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए निधियाँ सामान्य समन्वित ग्राम विकास आवंटनों में से ली जा रही थी और गैर-समन्वित ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिये अलग निधियां सुलभ की जा रही थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी खण्डों में करने से समन्वित ग्राम विकास तथा गैर-समन्वित ग्राम विकास क्षेत्रों के बीच अन्तर समाप्त हो गया है। इसलिए ट्राइसेम वस्तुतः अब समन्विंत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न भाग बन गया है और इससे उसके उस भाग का निर्माण हुआ है जो स्वरोजगार के व्यवसायों के लिए 18-35 वर्ष के बीच की आयु वाले ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित है।

योजना के कार्यान्वयन में प्रथम कदम के रूप में खण्डों में आधारभूत सर्वेक्षण किया जाता है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लक्षित वर्ग के परिवारों का पता लगाना है। सर्वेक्षण का तात्पर्य आय के वर्तमान स्तर, व्यावसायिक प्रतिमान तथा सहायक धन्धों के लिए सम्भाव्यता के बारे में आंकड़े एकत्र करना है ताकि चुने परिवारों की आय में वृद्धि करके उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सके।

ट्राइसेम के अन्तर्गत लाभभोगियों का चयन आय प्रतिमान के आधार पर किया जाता है। चयन में प्राथमिकता अन्त्योदय दृष्टिकोण के अनुरूप निर्धनतम परिवारों को दी जाती है। प्रत्येक परिवार से केवल एक लाभ भोगी लिया जाता है और वरीयता उन्हें दी जाती है जो

परिवर्तनशील और उद्यमी गतिविधि में रूचि रखते हैं। वरीयता श्रेणियों में महिलाएं, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, भूतपूर्व सैनिक और वे व्यक्ति शामिल है जिन्होंने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नौ माह का पाठ्यक्रम पूरा किया है।

युवकों के प्रशिक्षण की नीति यह है कि सभी प्रकार के प्रशिक्षण स्वीकार्य है। संस्थागत प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षण स्थानीय सेवाई तथा औद्योगिक एककों, मास्टर शिल्पियों, कारीगरों तथा कुशल कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, निम्नलिखित वित्तीय सहायता ग्राह्य है :

(क) **प्रशिक्षार्थी के लिए वजीफा**

(1) प्रति प्रशिक्षार्थी 100 रुपये मासिक तक वजीफा।

(2) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गाँव में दिया जाता है तो संस्थाओं तथा मास्टर शिल्पियों दोनों के मामले में वजीफे की दर 50 रु. तक होगी।

(3) यदि प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी के गाँव के बाहर दिया जाता है और उसे आवास प्रशिक्षण संस्था/मास्टर शिल्पियों द्वारा मुफ्त सुलभ नहीं किया जाता है तो वजीफे की दर 125/- रुपये प्रतिमाह तक है। इस प्रकार के मामलों में एक माह से कम अवधि के पाठ्क्रमों के लिए दैनिक वजीफे की दर इस समय की 4/-रुपये की दर के बजाय प्रति प्रशिक्षार्थी 5/-रुपये तक है।

(ख) प्रशिक्षक को प्रति प्रशिक्षार्थी 50/-रुपये मासिक तक प्रशिक्षण खर्च दिया जाता है।

(ग) केवल व्यक्तिगत मास्टर शिल्पी प्रशिक्षकों के मामले में प्रति पाठ्क्रम प्रति प्रशिक्षार्थी 50/-रुपये का इनाम।

(घ) कच्चे माल के लिए प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह 25/-रुपये की धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा प्रति पाठ्यक्रम 200/-रुपये है।

(ङ) प्रत्येक पात्र प्रशिक्षार्थी को एक औजार किट जिसकी लागत 250/-रुपये से अधिक न हो सुलभ किया जाता है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षार्थियों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की जाती है जिन्हें बैंक योग्य योजनाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उनकी बैंक ऋण तथा उपदान प्राप्त करने में भी सहायता की जाती है। उपदान देश भर में समन्वित ग्राम विकास के प्रतिमान पर दिए जाते हैं और प्रति प्रशिक्षार्थी उपदान अधिकतम सीमा 3,000/-रुपये है। इन सभी मदों पर व्यय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बजट से पूरा किया जाना है। योजना का सम्पूर्ण व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर-बराबर आधार पर बटित किया जाता है।

ट्राइसेम योजना के अन्य घटक में प्रशिक्षण के वर्तमान आधारभूत ढांचें को सुदृढ़ करने की व्यवस्था है। योजना में इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण के लिए छात्रावासों तथा होस्टलों, क्लास रूम तथा कार्यशालाओं, प्रशिक्षण उपकरण तथा उपस्करों आदि के निर्माण के रूप में अनुमति है। इस प्रयोजन के लिए ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत अलग से प्रावधान किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अनुमोदित योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत केवल प्रशिक्षण आधारभूत ढांचें को मजबूत बनाने से सम्बन्धित व्यय आता है जिसके लिए अलग से बजट किया गया है।

विवरण 2

गत दो वर्षों के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों की राज्यवार तथा वर्षवार दी गई सहायता

राज्य	स्वैच्छिक एजेंसियों का नाम तथा पता	दी गई सहायता (रुपये)
	1979-80	
आन्ध्र प्रदेश	(1) भगवातुल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट आरूगातीवरी स्ट्रीट एलामांचिली-531055 (आ. प्र.)	37,500
	(2) ऐप्रोप्रिएट रिकन्स्ट्रक्शन ट्रेनिंग एण्ड इनफार्मेशन सैंटर, सेशागिरी राव स्ट्रीट मारूती नगर, विजयावाड़ा–520024 (आ. प्र.) 1980-81	3,500
(क) आन्ध्र प्रदेश	(1) सोसायटी फार डेवेलपमैंट आफ रूरल सीरीकलचर इण्डस्ट्री, तिरूपति।	7,500
	(2) वेंकटासुब्बारेडडी मैमोरियल इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट थम्बालपाले, 16-612, गान्धी रोड मदनापाली, चितूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।	87,500
(ख) कर्नाटक	(1) कर्नाटक प्रौढ़ शिक्षा परिषद, शिवासगुडडा, माण्डया	15,000
	(2) महिला विद्यापीठ, केनगिरी	5,875
	(3) सर्वोदय केन्द्र, विश्वानिदाम्	8,250
	(4) कर्नाटक प्रौढ़ शिक्षा परिषद, नवीलगिरी, उल्लार कंकाडा	15,000
(ग) पंजाब	(1) महिला मण्डल, रूप नगर	36,225
	(2) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, शरीफपुरा चौक, जी. टी. रोड़	48,500
(घ) राजस्थान	(1) राजस्थान विद्यापीठ, जनता कालेज, पो. आ. दबोक, जिला उदयपुर।	36,000
	(2) सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सैन्टर, तिलोनिया-305312, मदान गंज, अजमेर।	27,500
(ङ) पाण्डिचेरी	(1) सावित्री देवी, चेदीलाल बेकरी, कामराज सलाई, पाण्डिचेरी।	600
	(2) सेंगाझुनीरमन, नालेना मधार संगम, 8/8 ओनीपुकारा स्ट्रीट एरियानकूप्पम, पाण्डिचेरी।	2,000
	(3) पुनीथाराठी मदार संगम रामाकृष्णा नगर, एरियाकूप्पम।	2,000
	(4) अबारारी मदार संगम, एश्वराकोमल स्ट्रीट, ओवलगामित, पांण्डिचेरी।	2,000

मन्त्रियों के लिए मकानों का निर्माण

3124 **प्रो. मधु दण्डवते :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्रियों के निवास के लिए सामान्य आकार के मकानों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यरूप दिये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पुराने बंगलों जिनमें से कुछ मन्त्रियों के दखल में हैं, के स्वरूप परिवर्तन का प्रश्न सरकार के ध्यान में हैं।

क्योंकि अन्तिम निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत से पहलुओं पर विचार किया जाना है इसलिए कोई निश्चित समयावधि नहीं दी जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में मौतें

3125. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकगण के कितने प्राधिकारियों की मृत्यु हुई, ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा वे किस पद पर काम कर रहे थे;

(ख) मृतकों के ऐसे आश्रितों की संख्या क्या है, जिन्हें रोजगार तथा दातव्य निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी, प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गई तथा ऐसे आश्रितों की संख्या क्या हैं जिन्हें रोजगार तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मृत्यु के प्रत्येक मामले में आश्रितों को रोजगार तथा दातव्य निधि से सहायता प्राप्त हो, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में मकान किराए भत्ते का भुगतान

3126. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्लम विभाग क्रमशः 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ते का भुगतान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो मकान किराया भत्ता भुगतान के सम्बन्ध में उसी विभाग में दोहरी नीति अपनाए जाने के क्या कारण हैं और इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कार्ययाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 15-5-80 से दिल्ली नगर निगम

से गन्दी बस्ती विभाग को उन्हें अन्तरित करने की शर्तों के अनुसार यह विभाग दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासकी नियन्त्रण के अन्तर्गत एक अलग एकक के रूप में है। तदनुसार, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को अनुमेय भत्तों की दरें गन्दी बस्ती विभाग के कर्मचारियों को दी जा रही है।

तथापि, असमताओं को दूर करने के लिए गन्दी बस्ती विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिया गया एक अभ्यावेदन उनके विचाराधीन है।

खादी ग्रामोद्योग भवन में 1-4-79 से 30-6-81 की अवधि के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, मंहगाई भत्ते तथा टेलीफोन बिल

3127. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में 1-4-79 से 30-6-81 की अवधि के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, मंहगाई भत्ते तथा टेलीफोन बिलों की राशि कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अदा किए गए एस. टी. डी. बिलों की राशि कितनी है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा 1.4.1979 से 30.6.1981 की अवधि के दौरान कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, मंहगाई भत्ते तथा टेलीफोन बिलों पर क्रमशः 42,152.77 रुपए और 96,168.65 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

(ख) अलग से कोई एस. टी. डी. बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

नई दिल्ली के डी. आई. जेड. क्षेत्र में पानी की सप्लाई

3128. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के डी. आई. जेड. क्षेत्र के ब्लाकों में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन प्रातः तथा सायं कितनी देर तक पानी की सप्लाई की जाती है; और

(ख) क्या यह सच है कि डी. आई. जेड. के 'के' ब्लाक में प्रातः 6 बजे से प्रातः 7.30 बजे तक पानी केवल 1½ घण्टे ही पानी की सप्लाई की जाती है जिसके फलस्वरूप वहाँ के निवासियों के लिए स्नान करना भी सम्भव नहीं है, और यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में पानी की अपर्याप्त सप्लाई के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित भूमिगत टैंकों को प्रातः 4 बजे से 10 बजे प्रातः तक और सायं 4 बजे से 10 बजे रात्रि तक शुद्ध जल सप्लाई करती हैं।

(ख) यह सत्य है कि डी. आई, जेड. क्षेत्र के 'के' पाकेट में पानी प्रातः 6 बजे से 7.30 बजे प्रातः तक केवल डेढ़ घन्टे ही उपलब्ध होता है, परन्तु शाम को भी इतने ही समय के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त पानी सम्पूर्ण क्षेत्र में बराबर वितरित किया जाता है और पानी की समस्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए "के" पाकेट के लिए यह सप्लाई पर्याप्त समझी जाती है।

पहाड़ी राज्यों में "छिड़काव" सिंचाई

3129. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों, जहाँ प्रवाह सिंचाई संभव नहीं है, में "छिड़काव" सिंचाई की सम्भावनाओं पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों/राज्यों में सिंचाई के लिए एक विकल्प के रूप में इसे अपनाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और छठी पंचवर्षीय योजना में देश के प्रत्येक पर्वतीय राज्य/क्षेत्र में शुरू की गई परियोजना योजनायें क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिआउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। जिन क्षेत्रों में मृदा नरम है, भूमि लहरियादार है और जल कम है तथा मंहगा उपलब्ध होता है, वहां "छिड़काव सिंचाई का इस्तेमाल आमतौर पर किफायती और कम लागत वाला होता है। जहां इस तरह की सिंचाई व्यवहार्य है, वहाँ यह अपनाई जा रही है। देश में इस समय लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव के जरिए सिंचाई की जा रही है।

(ग) हरियाणा और पंजाब राज्यों में, जहां राज्य सरकारों द्वारा 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है, लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से खाद्यान्न की फसलों के लिए छिड़काव सिंचाई की जाती है। इन राज्यों द्वारा छठी योजना (1980-85) के लिए क्रमशः 201 लाख रुपए और 89 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में कापी-होल्डरों के रिक्त पद

3190. **श्री के. पी. लक्कप्पा : (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा)** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड में कापी-होल्डरों के कुछ पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ग-वार ब्यौरा बताएं अर्थात् उनमें से कितने पद अनारक्षित हैं और कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं;

(ग) इन पदों को समय पर न भरे जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) क्या देश में बेरोजगारी में वृद्धि करना सरकारी नीति के विरुद्ध है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कापी होल्डरों के केवल दो स्थाई पद मई और अगस्त, 1981 से रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त चार कापी होल्डर तदर्थ आधार पर अपेक्षाकृत उच्च पद पर हैं। उनके अपेक्षाकृत उच्च पदों पर नियमन होने के निर्णय तक इन चारों पदों को खाली छोड़ा गया है।

(ख) अनारक्षित-1

रक्षित (अनुसूचित जाति)—1

(ग) महा प्रबन्धक इन दो रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली के स्रोतों के लिए वेज तट का सर्वेक्षण

3131. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और श्रीलंका के समुद्र तटों से दूर अरब सागर के वेज तट में मछली स्रोतो के लिये पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) वेज तट में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली मछलियों की किस्म क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार के पास वेज तट में मछली पकड़ने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) वेज तट के लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र की तलीय मात्स्यकी का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र में मुक्त समुद्री एवं मध्यवर्ती जलीय संसाधनों का ध्वनि सम्बन्धी सर्वेक्षण भी किया गया है। आगामी सर्वेक्षण वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षणों के परिणाम से इस क्षेत्र में पर्च, करंगीड्स की जातियां, रिब्बन मछली, किरोसेन्ड्रस की जातियाँ, शार्क एवं स्केट,, रेज, कैटफिस, गहरे समुद्री लोबस्टर तथा प्रान मछलियों की प्रचुर मात्रा में संभाव्य क्षमता होने का संकेत मिला है।

(ग) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से आसान शर्तों पर जलयानों को प्राप्त करने की योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को बड़े जलयान खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे उद्यमकर्ता जो नौकाएं प्राप्त करते हैं, अपने बड़े जलयानों को इस कार्य के लिये वेज तट में भी लगा सकते हैं।

आवारा पशुओं का उत्पात

3132. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में भारत में आवारा पशुओं की अनुमानत: कितनी संख्या है;

(ख) आवारा पशुओं के उत्पात से खेती की रक्षा करने के बारे में क्या भारत सरकार की कोई योजना है; और यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवारा पशुओं द्वारा खेती को अनुमानत: कितना नुकसान होता है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) आवारा पशुओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद के तहत "गोसदन योजना" के नाम से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई थी जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा जंगली तथा आवारा पशुओं को पकड़ा जाना है। इसे छठी योजना के दौरान जारी नहीं रखा गया है। जंगली तथा आवारा पशुओं को पकड़ कर कृषि फसलों के विनाश को रोकने तथा जिन उत्पादक पशुओ का दावा नहीं किया जाता, प्रजन के उद्देश्यों से उनका निपटान करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये कृषि मन्त्रालय के विस्तार निदेशालय में पशु पकड़ने वाला एक दल है।

आवारा पशु अधिकांशतः स्थानीय निकायों द्वारा पकड़े जाते हैं। विशेष अनुरोध पर पशु पकड़ने वाला केन्द्रीय दल जंगली तथा आवारा पशुओं को पकड़ने में स्थानीय निकायों की सहायता करता है। उत्पादक पशुओं को नीलाम कर दिया जाता है या पशु प्रजनकों को दे दिया जाता है तथा अनुत्पादक पशुओं को गोसदनों में भेजा जाता है। जंगली तथा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिये कुछ राज्यों में पशु पालन विभागों द्वारा पशु पकड़ने के वाले विशेष दलों की स्थापना की गई है।

(ग) चूंकि ऐसे पशुओं की कुल संख्या का सर्वेक्षण नहीं किया गया है अतः खेती को होने वाली क्षति का अनुमान नहीं लगया जा सकता।

मांस, अण्डों, मछली आदि की प्रति व्यक्ति खपत

3133. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में (एक) माँस (दो) अंडे (तीन) मछली (चार) सब्जियों (पांच) पत्तों वाली सब्जियों (छः) फलों आदि की प्रति व्यक्ति खपत क्या थी;

(ख) वर्ष 1970 से उपरोक्त वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) अभी वर्ष 1980 के लिए इन वस्तुओं के सम्बन्ध से प्रति व्यक्ति खपत के अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले वर्षों के विषय में उपलब्ध जानकारी संलग्न **विवरण** (1 तथा 2) में दे दी गई है।

विवरण 1

(ग्राम में)

क्रम सं.	राज्य	सर्वेक्षण का वर्ष	कुल मांस आहार (मछली, मास तथा अण्डे)	पलेदार सब्जियां	अन्य सब्जियां	मूल तथा कंद	फल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	1974-76	6	29	26	46	1
2.	हिमाचल प्रदेश	1974-75	1	22	56	68	8
3.	जम्मू व कश्मीर	1978-79	5	51	62	39	9
4.	मध्य प्रदेश	1973-78 का एफ एन बी और 1978 का एफ का आई एन	1	12	49	26	2
5.	पंजाब	1974-77	10	50	34	70	1

I	2	3	4	5	6	7	8
6.	राजस्थान	1978-79	1	14	15	18	—
7.	सिक्किम	1978	10	51	84	33	2
8.	त्रिपुरा	1978	13	12	82	43	1
9.	उत्तरप्रदेश	1978-77 का एफ एन बी और 1978 का एन आई एन	3	8	40	69	5

टिप्पणी : जानकारी खाद्य विभाग केखाद्य तथा पोषण संबंधी बोर्ड ने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण करके इकट्ठी की है।

एफ एन बी : खाद्य तथा पोषण बोर्ड

एन आई एन : राष्ट्रीय पोषण संस्थान

विवरण-2

क्रम सं.	जिस	निम्नलिखित वर्षों के दौरान अनुमानित प्रति व्यक्ति प्रति दिन की उपलब्धता ग्रामों में	
		1974	1978
1.	कुल मांस आहार (मछली, मांस तथा अंडे)	14.6	15.4
2.	पत्तेदार सब्जियां		
3.	अन्य सब्जियां	38.0	38.0
4.	मूल तथा कंद	52.3	58.1
5.	फल	55.9	51.5

टिप्पणी : जानकारी खाद्य विभाग के खाद्य तथा पोषण बोर्ड द्वारा इकट्ठी की गई।

गाय, भैंस और बकरी के दूध की पौष्टिकता

3134. **श्री नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूध की श्रेणियों गाय के दूध, भैंस के दूध और बकरी के दूध की तुलनात्मक पौष्टिकता क्या है और इनमें से प्रत्येक में वसा की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, और

(ख) 1970 की तुलना में 1980 में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत क्या थी;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय गाय, भैंसों तथा बकरियों के दूध की तुलनात्मक उपयोगिता (जिसमें वसा की प्रतिशतत भी शामिल है) संलग्न वितरण में दी गई है।

(ख) इस प्रकार के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

गाय, भैंसों तथा बकरियों के दूध में पौष्टिक तत्वों की प्रतिशतता

पोषक तत्व		पशुओं के नाम		
		गाय	भैंस	बकरी
1.	जल	87.5	81.0	86.8
2.	वसा	4.1	8.8	4.5
3.	प्रोटीन	3.2	5.3	3.3
4.	कारबोहाईड्रेट	4.4	5.0	4.6
5.	खनिज (ऐश)	0.8	0.8	0.8
6.	शक्ति (कैलेरी) प्रति 100 ग्राम	67	117	72

दूध की तीनों किस्मों में विटामिनों अर्थात् ए तथा सी की मात्रा भी भिन्न-भिन्न है। गाय के दूध में प्रति 100 ग्राम में 6 मिलीग्राम केरोंटीन पाया जाता है।

स्रोत : "न्यूट्रीटिव वेल्य आफ इण्डियन फूड्स" श्री सी. गोपालन, बी. वी. रामशास्त्री तथा एस. सी. बालासुब्रामण्यन।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान,

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, हैदराबाद (भारत) 1(974)

यमुनापार क्षेत्र में उचित दर दुकानों के लिए रेपसीड और पाम आयल देना

3135. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 5 अगस्त, 1981 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की सच्चाई क्या है कि यमुनापार कालोनियों में राशन की दुकानों पर रेपसीड और पाम आयल की केवल 20 प्रतिशत मात्रा ही राशन कार्डों पर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) दिल्ली विनिर्दिष्ट (वितरण विनियमन) आदेश, 1981 के उपबन्धों और उसके तहत समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा आवटित की जाने वाली परिष्कृत रेपसीड तेल और आर. बी. डी. ताड़ के तेल की सम्पूर्ण मात्रा सार्वजनकि वितरण प्राणाली के तहत उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में राशन कार्डों पर वितरित की जाती है। इन तेलों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और उसमें हो सकने वाले कदाचारों को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) आयातित तेलों के वितरण में थोक विक्रेताओं और ग्रुप लीडरों की पिछली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, और उचित दर की दुकानों को थोक में इसका वितरण करने का

कार्य सुपर बाजार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सरकारी भण्डार और दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, नई दिल्ली को सौंप दिया गया है;

(2) उचित दर की दुकानों को आश्वयक निर्देश दिये गये हैं कि वे आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई के लिए अलग से कैशसीमो जारी करें और खाद्य कार्ड धारियों से इस बात के प्रमाण स्वरूप पावती प्राप्त करें कि उन्हें उक्त सप्लाई प्राप्त हो गयी है;

(3) प्रत्येक खाद्य कार्ड पर प्रतिमास दी जाने वाली आयातित खाद्य तेलों की मात्रा 4 कि. ग्राम निर्धारित की गयी है जो पहले की तरह प्रतिमास एक किश्त में न दी जाकर दो समान किश्तों में दी जाएगी;

(4) वितरण किये जाने से पहले आयातित खाद्य तेलों के टीन क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा काट कर खोले जाते हैं;

(5) खाद्य तेलों के वितरण पर दिल्ली प्रशासन द्वारा पुलिस अधिकारियों की सहायता से निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

इतने वड़े पैमाने के कार्य में हालांकि व्यापारियों के एक वर्ग के कदाचारों के फलस्वरूप तेल की कुछ मात्रा अनधिकृत माध्यमों तक पहुंचने की संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है, तथापि, दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वे इस बारे में पूरी-पूरी निगरानी रखें।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के दोषपूर्ण फ्लैट्स

3136. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के दोषपूर्ण निर्माण के बारे में जानकारी है, जिनमें ऊंची दरों पर परिसर नवीकरण की जरूरत है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही इस प्रकार के कदाचारों पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फ्लैटों का निर्माण अनुमोदित डिजाइरों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप किया जाता है, और छोटी मोटी त्रुटियां, यदि कोई हों, जो कि आवंटियों द्वारा उनको फ्लैटस सौंपने के समय, बताई जाती हैं उनको आवंटियों से कोई अतिरिक्त कीमत वसूल किये विना ठीक कर ली जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी की खुली बिक्री दर

3137. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने चीनी की खुली विक्री की दर 590/रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क)

मुक्त बिक्री की चीनी पर कोई मूल्य नियंत्रण न होने के कारण इसे जिस दर पर बेचा जाना है उसे निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिमलीपाल वन मंडल उड़ीसा से आदिवासियों की बेदखली

3133. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा वन विकास निगम के समलीपाल वन मण्डल उड़ीसा के अठोर देवली गुफा मन्दिर में और आस पास रह रहे आदिवासियों को दिये गये बेदखली के आदेशों की क्रियान्विति से कितने आदिवासी विस्थापित हो गये;

(क) उपर्युक्त निर्णय के लागू होने से कितने प्रभावित हुए; और

(ग) विस्थापितों के पुनर्वास के लिये क्या विशेष प्रबंध करने का प्रस्ताव है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) "उड़ीसा वन विकास निगम नाम की कोई निगम नहीं है । हां" वन निगम लिमिटेड उड़ीसा नाम की एक निगम अवश्य है । उड़ीसा वन निगम लिमिटेड ने अठोर देवली मन्दिर के क्षेत्र में और आस-पास रह रहे आदिवादिवासियों को कोई बेदखली के नोटिस जारी नहीं किये है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

"गूज कुकड़" शीर्षक समाचार

3199. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर 1980 के 'ब्लिटज' में 'गूज कुकड़' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है और संवाददाता की ओर अभी भी कितनी रकम बकाया है;

(ग) क्या संवाददाता मान्यता प्राप्त है और आगरा के एक बहु परिचालित दैनिक का प्रतिनिधित्व करता है; यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला समाचार पत्र के मालिकों के साथ तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के साथ जो मान्यता प्रदान करते हैं; मामला उठाया है जिससे कि बकाया अदायगियाँ शीघ्रता से वसूल की जा सकें; और

(घ) क्या सरकार समाचार पत्र के संवाददाताओं से सारी राशि बसूल करने के लिए त्वरित कार्यवाही करेगी और यह कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अमर उजाला के प्रेस संवाददाता श्री के. सी. निगम को सूट नं. 407, ऐशिया हाउस आवंटित किया गया था . उस समय पी. आई. बी. के श्री आर. के भटनागर ने किराए की राशि के भुगतान की प्रतिभूति दी थी । अनविकृत कब्जे के कारण सूट नं. 407, ऐशिया हाउस का आवंटन रद्द कर दिया गया था। उसके 407, ऐशिया हाउस को खाली करने में उसके असफल रहने पर वेदखली की कार्यवाही की गई थी और अन्ततः 9.5.1978 को उसको वेदखल किया गया। उस निमित्त उस पर 35,108.42 रुपये की राशि देय हो गई ।

(ग) देयताओं के भुगतान के लिए आवंटिती स्वयं जिम्मेदार हैं।

(घ) मुख्य ऋणी के विरुद्ध लोक परिवार (अनधिकृत वेदखलकारों की दखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत 35,108.42 रुपये शेष राशि की वसूली के लिए सीधी कार्यवाही की गई थी और उसके परिणामस्वरूप अब तक 18,000 रुपये की वसूली की गई है तथा 17,108.42 रुपये शेष हैं जिसके लिए सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में पहले ही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया में है।

गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए खाद्य तेल

3141. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी की रेखा से नीचे असर करने वाले लोगों को खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : देश में कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को उपभोक्ताओं, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों के उपभोक्ता भी शामिल हैं, को वितरित करने के लिए आयातित खाद्य तेल पहले से ही आवंटित कर रही है। ये तेल उचित दर की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्यों पर दिए जा रहे हैं और ये मूल्य खाद्य तेलों के बाजार मूल्यों से काफी कम हैं।

'इलाइची" और "लवंग" का कोटा

3142. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य को उसकी मांग पूरी करने के लिए प्रत्येक वर्ष "इलाइची" और "लवंग" का कोटा आवंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा के लिए "इलाइची" और "लवंग" का कितना कोटा आवंटित किया गया था;

(ग) 1981-82 के लिए आवंटित कोटा लेने के लिए उड़ीसा ने आवेदन-कर्त्ताओं के नाम क्या थे; और

(घ) उड़ीसा में उपर्युक्त अवधि के दौरान वास्तव में इसका कोटा किसने प्राप्त किया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैरसरकारी क्षेत्र को पूल उर्वरक के बंटवारे के बारे में मार्गदर्शी निर्देश

3143. **श्री के. मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र को मूल्य उर्वरक के बंटवारे के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और शर्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिए कोई नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क)

और (ख) देश में उर्वरक की आवश्यकताओं की पूर्ति देशी उत्पादन तथा आयात करके की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार द्वारा तैयार की गई तथा अधिसूचित की गई सप्लाई प्लान के अनुसार, देशी उत्पादन विनिर्माताओं द्वारा अपने वितरण कार्य के माध्यम से वितरित किया जाता है जिसमें दोनों, संस्थागत चैनल तथा प्राइवेट डीलर शामिल हैं। सामान्यता विनिर्माता संस्थागत एजेंसियों को काफी मात्रा में उर्वरक देते हैं।

जहाँ तक आयातित उर्वरकों का सम्बन्ध है, पोटाशयुक्त उर्वरक भारतीय पोटाश लिमिटेड, जो एक संयुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठान है, द्वारा अपने वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है इसमें संस्थागत एजेन्सियां और निजी व्यापार भी शामिल हैं। गैर पोटाश-युक्त उर्वरक राज्य सरकारों को आवंटित किए जाते हैं। इस आवंटित मात्रा में से वे भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई मात्रा का पुनः आवंटन करते हैं। राज्य सरकारें राज्य में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थागत एजेन्सियों या निजी व्यापारियों के पुनः आवंटन करने के लिए स्वतन्त्र होती हैं। तथापि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता रहा है कि वे प्राइवेट डीलरों को उर्वरकों का पुनः आवंटन करने के लिए में यह सुनिश्चित करें कि ऐसे किसी व्यापारी को पुनः आवंटन नहीं किया गया जो उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश के तहत किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए दोषी पाया गया है। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे आतातित गैर-पोटाशयुक्त उर्वरकों का निजी व्यापारियों को पुनः आवंटन करते समय कृषि सेवा केन्द्रों, बेरोजगार कृषि स्नातकों तथा गांव में रहने वाले अन्य शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को, जिनके लिए विशिष्ट कोटा आरक्षित किया जाता है, प्राथमिकता दें।

यह निर्णय किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय पोटाश लिमिटेड की वर्तमान वितरण प्रणाली जारी रहेगी तथापि आयातित उर्वरकों का वितरण करने वाली अन्य एजेन्सियां सहकारी समितियों को उर्वरकों की मात्रा का एक निश्चित प्रतिशतता (जिसका निर्धारण प्रत्येक राज्य के लिए केन्द्रीय सरकार करेगी) देगी और अगर दी गई मात्रा 30 दिन के भीतर नहीं उठाई गई तो सम्बन्धित एजेन्सी उसको अन्य माध्यमों से वितरित करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

जहां तक पूल उर्वरकों की निर्मुक्ति के लिए शर्तों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार के सभी पुनः आवंटियों को डिलीवरी की तारीख से 55 दिन तक नकद छूट या ऋण मिलता है। तथापि निजी व्यापार के लिए उपलब्ध वितरण मार्जिन संस्थागत एजेन्सियों से कम होता है।

विमान में लगी आग को बुझाने की तकनीकों में प्रशिक्षण

3144. **श्री हीरालाल आर. परमार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विमानन निदेशालय के 'बसत' विमान को जून, 1980 में सफदरजंग हवाई अड्डे पर आग लग गई थी और उसमें परिणामस्वरूप सरकार को 70 लाख रुपये की हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को अग्नि शयन के तकनीकों में प्रशिक्षण देने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां। पांच लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया है।

(ख) विमानों के रख-रखाव तथा संचालन कार्व में सक्रिय रूप से लगे तकनीकी कर्मचारी आग से बचाव करने, ज्वलनशील सामग्री की सम्भाल करने तथा मामूली आग का प्रारम्भिक नियन्त्रण करने में पर्याप्त रूप से दक्ष होते हैं।

गन्दी बस्तियों का सर्वेक्षण

3145. **श्री मोहम्मद अतरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गन्दे क्षेत्रों तथा गन्दी बस्तियों का कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो गन्दे क्षेत्रों का कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या क्या है;

(ख) क्या गन्दे क्षेत्रों तथा गन्दी बस्ती की जनसंख्या को, गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सभी सुविधाओं से मुक्त मानव पुनर्वास योग्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित करके, ऐसे क्षेत्रों तथा जनसंख्या में कमी करने तथा शेष गन्दी बस्तियों को, जिन्हें अच्छे आवासीय स्थान पर अथवा क्षेत्रों में स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है उन क्षेत्रों का विकास करके राहत देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) समग्र देश में गन्दी बस्ती क्षेत्रों तथा गन्दी बस्ती निवासियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में, यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग नगरीय जनसख्या का $\frac{1}{5}$ गन्दी बस्ती निवासी जनसंख्या है।

(ख) और (ग) नगरीय गन्दी बस्तियों की गन्दी बस्ती उन्मूलन सुधार तथा पर्यावरणीय सुधार की योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं हेतु उनके वार्षिक योजना नियतनों से इनका कार्यान्वयन किया जाता है। गन्दी बस्तियों के एक बड़े पैमाने पर पुनः स्थान निर्धारण का प्रयास करने के बजाय छठी योजना में 151.45 करोड़ रुपए के कुल नियतन से अपेक्षाकृत अधिक बल गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर होगा। मार्च, 1985 तक गन्दी बस्ती क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने का इस योजना का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त छठी योजना में लगभग 16.2 लाख एककों के निर्माण के लक्ष्य सहित लगभग 485 करोड़ रुपए के नियतन से स्थल तथा सेवा योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

उ. प्र. के बदायूँ जिले में संयुक्त ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम लागू करना

3146. **श्री मोहम्मद असरार महमद** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बदायूँ जिले में अब तक संयुक्त ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत क्या कार्यक्रम लागू किए गए हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1978 में 31 अगस्त, 1981 से दौरान इस योजना में वर्षवार कितना धन आवंटित किया गया और कितना खर्च हुआ; और

(ग) आगामी दो वित्तीय वर्षों के दौरान कितना धन आवंटित किया जायेगा।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम कृषि, लघु सिंचाई, दुधारू पशुओं, बकरी पालन, सूअर पालन तथा तृतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए परिव्यय 1982-83 तथा 1983-84 के वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान 144 लाख रुपये होगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन और किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
1978-79	32.80	उपलब्ध नहीं
1979-80	54.20	34.77
1980-81	90.00	92.55
1981-82	108.00	2.70*

*जुलाई, 1981 तक

"ट्रैक्टर्स गोइंग आउट आफ फार्मर्स रीच" शीर्षक समाचार

3147. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ट्रैक्टर्स गोइंग आउट आफ फार्मर्स रीच" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1981 के इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित "ट्रैक्टर किसानों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है।

इस समाचार की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(1) गत तीन वर्षों के दौरान सभी मेकों के ट्रैक्टरों के मूल्यों में लगभग 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्यों में हुई वृद्धि का उल्लेख किया गया है।

(2) इस असामान्य मूल्य वृद्धि से किसानों द्वारा अधिक ट्रैक्टर खरीदने में रुकावट आई है यथा उन्हें अपने उपयोग के लिये ट्रैक्टरों को किराये पर लेना पड़ता है।

(3) इस सम्बन्ध में दोष सरकार का है। फार्म विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार ने ट्रैक्टरों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम योगदान किया है।

(4) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों के लगाने से ट्रैक्टर की लागत में लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

देश में जोत के आकार तथा भारत में तथा अन्य जगह खेती के लिये ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की मात्रा के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

(ग) यह सच है कि कच्ची सामग्री, अवयवों, बिजली की अधिक लागत तथा मजदूरी में वृद्धि होने के कारण विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्यों में अप्रैल, 1978 से अप्रैल, 1981 तक 21 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि हुई है। तथापि, इससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में रुकावट नहीं हुई है, जैसा कि उत्पादन के आंकड़ों से प्रकट होता है ट्रैक्टरों का उत्पादन 1978-79 में 51728 ट्रैक्टरों से बढ़कर 1981-82 में 69500 ट्रैक्टर हो गया। इस प्रकार उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फैक्टरी से बाहर निकलने पर माल के मूल्यों पर उत्पाद कर, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों से लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि होती है। तथापि, सरकार ने ट्रैक्टर के मूल्यों को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) 12 ड्रावार होर्स पावर तक के ट्रैक्टरों को उत्पाद कर से छूट दी जाती है।

(2) ट्रैक्टरों के उत्पादन में मूल उपकरणों के रूप में प्रयोग किये जाने वाले टायरों, ट्यूबों तथा बैटरियों को उत्पाद कर से छूट दी गई है।

राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

3148. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों और चीनी के वितरण सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न सरकारों को गेहूं, चावल और चीनी इत्यादि का मासिक कोटा आवंटित करती है;

(ग) भारत सरकार द्वारा इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को उनकी इसी अवधि की मांग की तुलना में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की सप्लाई की गई; और

(घ) राज्य सरकारों को की जाने वाली सप्लाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है जिसमें केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकतायें, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, दोहरी मूल्य प्रणाली के साथ चीनी पर आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन सरकार फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन की 65 प्रतिशत मात्रा को नियंत्रित मूल्य पर लेवी के रूप में लेती हैं और उसे प्रत्येक राज्य में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर की दुकानों/राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित करती हैं।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण-1 संलग्न है जिसमें खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और सप्लाई के बारे में बताया गया है। जहां तक लेवी चीनी का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को प्रति मास कुल 2.71 लाख मीटरी टन का कोटा आवंटित किया जाता है। इन कोटों का राज्य-वार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण-2 संलग्न है।

नागरिक पूर्ति मंत्रालय विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकताओं का वास्तविक जायजा लेकर आयातित खाने के तेलों का आवंटन करता है जो कि जनसंख्या, मांग, खपत के पैटर्न, राज्य के अन्दर देशी खाने के तेलों की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों, जिनमें पहले किए गए आवंटनों को उठाने की रफ्तार भी शामिल है, पर आधारित होता है। जनवरी से जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान भारत के राज्य व्यापार निगम लि. से विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा खाने के तेलों की निम्नलिखित मात्रायें उठाई गई हैं :

1981	(मीटरी टन में)
जनवरी	22258
फरवरी	23115
मार्च	27414
अप्रैल	33257
मई	25012
जून	33157
जुलाई	41863

(घ) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के लिए खाद्यान्नों और चीनी की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से मासिक निर्मुक्तियाँ समय से की जाती हैं और अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा भेजी जा रही है।

विवरण-1

जनवरी- जुलाई, 1981 के दौरान प्रत्येक राज्य की खाद्यान्नों की आवश्यकता और प्रत्येक राज्य को सप्लाई की गई मात्रा को बताने वाला विवरण

खाद्यान्न (हजार मीटर टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मांग	आवंटन	सप्लाई
आन्ध्र प्रदेश	495.20	406.70	300.3
असम	630.85	421.0	260.9
बिहार	1031.0	730.0	306.8
गुजरात	499.50	215.50	216.90
हरियाणा	254.62	90.75	50.4

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	82.03	126.0	34.1
जम्मू तथा कश्मीर	238.72	127.54	121.7
कर्नाटक	461.50	275.0	269.0
केरल	1085.0	1001.0	650.7
मध्य प्रदेश	1049.05	751.0	285.0
महाराष्ट्र	1267.65	1045.30	800.1
मणिपुर	64.40	47.50	18,2
मेघालय	66.60	56.00	41.5
नागालैण्ड	45.0	38.50	25.9
नड़ीसा	345.58	89.20	85.9
पंजाब	324.20	161.80	117.0
राजस्थान	700.0	185.22	94.1
सिक्किम	25.85	25.85	22.3
तमिलनाडु	766.0	555.0	406.1
त्रिपुरा	75.50	50.50	32.7
उत्तर प्रदेश	1680.0	1055.3	530.5
पश्चिमी बंगाल	2228.0	1847.54	1027.4
अण्डमान तथा निकोबार	10.0	10.0	5.2
अरुणाचल प्रदेश	25.65	24.65	17.6
चण्डीगढ़	26.6	16.7	11.6
दादर तथा नगर हवेली	0.31	0.32	नग.
दिल्ली	737.35	553.0	471.0
गोआ, दमन तथा द्वीव	50.34	44.64	40.1
पांडिचेरी	7.45	5.89	2.1
मिजोरम	58.50	51 44	22.5

विवरण-2

1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या के आधार पर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे को बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1-4-1978 को परियोजित जनसंख्या (पूर्ण)	425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोटा (मीटरी टन)	जिन राज्यों की वर्तमान कोटे से प्रति व्यक्ति उपलब्धता 425 ग्राम से अधिक है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	49136000	20882	

1	2	3	4	5
2.	असम	17742000	7541	
3.	मिजोरम	403000	171	
4.	बिहार	63362000	26929	
5.	गुजरात	31414000	14031	गुजरात 447 ग्राम
6.	हरियाणा	11566000	4916	
7.	हिमाचल प्रदेश	3736000	1588	
8.	जम्मू और कश्मीर	5294000	2250	
9.	केरल	24694000	10495	
10.	मध्य प्रदेश	48999000	20825	
11.	महाराष्ट्र	58219000	24743	
12.	कर्नाटक	33447000	14215	
13.	नागालैण्ड	570000	340	नागालैण्ड 521 ग्राम
14.	उड़ीसा	25231000	10723	
15.	पंजाब	15444000	6564	
16.	राजस्थान	30017000	12757	
17.	तमिलनाडु	46549000	19783	
18.	उत्तर प्रदेश	98262000	41761	
19.	पश्चिमी बंगाल	51752000	21994	
20.	अण्डमान और निकोवार	132218	190	अण्डमान और निकोबार 1439 ग्राम
21.	चण्डीगढ़	293380	243	चण्डीगढ़ 829 ग्राम
22.	दादर और नागर हवेली	85054	36	
23.	दिल्ली	5439000	5304	दिल्ली 975 ग्राम
24.	गोआ, दमन और द्वीव	983351	470	गोआ, दमन और द्वीव 478 ग्राम
25.	लक्षद्वीप	36791	65	लक्ष द्वीप 1757 ग्राम
26.	मणिपुर	1232000	524	
27.	मेघालय	1160000	493	
28.	अरुणाचल प्रदेश	536421	228	
29.	पाँडिचेरी	540581	230	
30.	त्रिपुरा	1785000	759	
31.	सिक्किम	253000	107.5	
	जोड़	628313796	271157.5	

चीनी का उत्पादन

3149. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) उत्पादन में वृद्धि के बावजूद इसके मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के कुछ भागों में कुछ चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बन्द मिलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ। 1980-81 मौसम में चीनी का उत्पादन 22 अगस्त, 1981 तक 50.89 लाख मीटरी टन के स्तर तक पहुंच गया है जब कि 1979-80 मौसम में उसी तारीख तक 38.33 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था।

(ख) तथापि, 1-10-1980 को 6.82 लाख मीटरी टन के पिछले बचे स्टाक और 1980-81 मौसम में 51.4 लाख मीटरी टन का अनुमानित उत्पादन होने तथा लगभग 2 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने से उक्त मौसम में चीनी की उपलब्धता 60.22 लाख मीटरी टन बैठेगी जब कि 1979-80 मौसम में कुल उपलब्धता 61.75 लाख मीटरी टन थी (1-10-79 को पिछला बचा स्टाक 21.36 लाख मीटरी टन, 1979-80 में हुआ उत्पादन 38.59 लाख मीटरी टन और आयात की गई चीनी की मात्रा 1.80 लाख मीटरी टन थी।

मार्च/अप्रैल, 1981 में चीनी के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी जब कि प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक भाव 830 रुपये से 880 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में पहुंच गए थे (22-4-81 को) तथापि, बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी की भारी मात्रा में निर्मुक्ति करने सहित सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी और इस समय प्रमुख मन्डियों में चीनी के थोक भाव 540 रुपये से 660 रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में हैं (31-8-81 को)।

(ग) और (घ) वर्तमान 323 चीनी फैक्ट्रियों में से, 1980-81 मौसम में 315 फैक्ट्रियों ने काम किया। जिन 8 फैक्ट्रियों ने काम नहीं किया था उनके नाम नीचे दिये जाते हैं :

1. बिहार शुगर वर्क्स, पो. आ. पचरूखी, जिला सारन।
2. बरगढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि., पो. आ. टोरा (बरगढ़) जिला सम्बलपुर।
3. ससवाद माली शुगर फैक्ट्री लि., पो. आ. माली नगर, जिला शोलापुर।
4. श्री दत्ता सहकारी शक्कर कारखाना लि., असुरले, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर।
5. चरोतर सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., पलाज तालुक पेटलाढ़, जिला कैरा।
6. शिवकामी शुगर्ज लि. पो. आ. टनुकु, जिला पश्चिमी गोदावरी।
7. कोव्यूर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि., पश्री रेडी पालम (पोस्ट) कोव्यूर तालुक, जिला बिल्लौर।
8. पलार शुगर्ज प्रा. लि., मेलपट्टी, जिला उत्तरी अरकाट।

(ङ) सरकार का फिलहाल बन्द चीनी मिलों को अपने आप ही अपने अधिकार में लेने अथवा उन्हें पुनः चालू करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उपयुक्त मामलों में चीनी मिलों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के बारे में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम और चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 में व्यवस्था है। इन अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही करना प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष पर निर्भर करेगा।

खाद्यान्नों का उत्पादन

3150. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक उत्पादन किस्मों का कार्यक्रम, सिंचाई और उर्वरकों की खपत के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि के अनुरूप नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और किए गए उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उपमन्त्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) 1979-80, जोकि सूखे का वर्ष था, को छोड़कर, अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के साथ-साथ सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि करके तथा उर्वरकों की खपत में वृद्धि करके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। यह नीचे दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट होता है :

मद	इकाई	77-78	78-79	79-80	80-81 (अनुमानित)
1. खाद्यान्नों का उत्पादन	दस लाख मीटरी टन में	126.41	131.90	108.85	133.00
2. अधिक उत्पादन-शील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र	दस लाख हेक्टार में	38.93	41.10	38.38	45.20
3. सिंचित क्षेत्र	दस लाख हेक्टार में	49.50	51.60	53.80	55.60
4. उर्वरकों की खपत	लाख मीटरी टन में	42.96	51.17	52.55	55.16

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति तथा भूमिहीनों का पुनर्वास

3151. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के शहरी गाँवों में अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन लोगों के पुनर्वास हेतु एक आवासीय कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली में बड़े पैमाने पर भू-अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्रों

में अन्य लोगों के खेतों में काम करने वाले अनुसूचित जाति/भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास की एक योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बनाई है।

निजी क्षेत्रों में चीनी मिलों को खोलना

3152. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि मंत्री** चीनी के उत्पादन में वृद्धि के बारे में 23 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, (राज्यवार) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) छठी योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की नीति के बारे में जुलाई, 1980 में सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी करने के बाद से देश में कोई भी नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उड़ीसा राज्य औद्योगिक संवर्धन और विकास निगम, जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है, के अधीन संयुक्त क्षेत्र में 1250 मीटरी टन प्रति दिन चीनी पेरने की क्षमता की दो परियोजनाओं के बारे में दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जोकि उड़ीसा सरकार द्वारा अभिस्तावित किए गए हैं और उन्होंने ही भेजे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का संशोधन

3153. **श्री चित्त बसू** :

श्री तारिक अनवर : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** भूमि अधिकरण के लिये केन्द्रीय विधान के बारे में दिनांक 16 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रस्तावित संशोधनों को तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा गामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) प्रस्तावों की भी अभी भी जाँच की जा रही है अतः इस समय उनका ब्यौरा सूचित करना सम्भव नहीं है।

मुल्ला समिति की सिफारिश

3154. **श्री चित्त बसू** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 विनियम समिति के बारे में दिनांक 27 अप्रैल 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मुल्ला समिति की सिफारिशों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करने के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है। इनमें से कुछ प्रस्तावों में मुल्ला समिति की शिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। चूंकि अधिनियम में कुछेक महत्वपूर्व परिवर्तन विचाराधीन हैं अतः संवीक्षण में काफी समय लग गया है।

गेहूं की जमाखोरी

3155. **श्री चित्त बसु :**

श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** गेहूं की वसूली के बारे में दिनांक 4 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने गेहूं के क्षेत्र विक्रेताओं पर कर लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो थोक विक्रेताओं से लेवी द्वारा गेहूं की कुल कितनी वसूली की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर गेहूं की जमाखोरी की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो थोक बिक्रेताओं के पास से पास से इन भंडारों की वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) मध्यप्रदेश सरकार ने निम्नलिखित पर गेहूं की 50 प्रतिशत लेवी लगाई थी :—

(1) लाइसेंसशुदा व्यापारी

(2) राज्य के बाहर भेजी गई गेहूं की मात्रा;

(3) मध्य प्रदेश के लेवी जोन से राज्य के गैर-लेवी जोन को भेजी गई गेहूं की मात्रा। लेकिन मद (1) और (3) पर बताई गई लेवी योजना बन्द की जा चुकी है।

(ख) 26 अगस्त, 1981 तक लेवी योजना के अधीन मध्य प्रदेश में 69920 मीटरी टन की वसूली की गई है।

(ग) जी नहीं। राज्य सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीनों को मकानों का आवंटन

3155. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन गरीब लोगों को मकानों का आवंटन तेज किया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम को उड़ीसा में तेजी से शुरू किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उपर्युक्त कार्यक्रम को उड़ीसा में किस वर्ष लागू किया गया था;

(घ) उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के विभिन्न जिलों के कितने ग्रामीण भूमिहीन निर्धन लोगों को मकानों का आवंटन किया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग

के रूप में ग्रामीण भूमिहीन मजदुरों को आवास स्थल तथा गृह निर्माण में सहायता की एक योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। क्योंकि यह योजना समाज के कमजोर वर्ग के सुधार से सम्बन्धित है। इसलिए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गति लायें।

(ग) यह कार्यक्रम 1981 में उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में आरम्भ किया गया।

(घ) तथा (ङ) 31-3-1981 तक उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सहायता के पात्र अनुमानित 5,00,000 परिवारों में से 1,97,988 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये गए थे। इनमें से, 13,831 परिवार, सरकारी प्रयत्नों से अपने घरों का निर्माण कर सके थे। आवंटितियों द्वारा स्वयं के प्रयत्नों से बनाये गये मकानों की संख्या ज्ञात नहीं है।

वनों के संरक्षण के लिए विधान

3157. **श्री के. प्रधानी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी भागों में वनों के समान रूप से संरक्षण के लिए कोई व्यापक नया केन्द्रीय विधान तैयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) वनों के संरक्षण के सम्बन्ध में एक व्यापक कानून तैयार किया जा रहा है :

तिलहन निकालने के उद्योग का विकास

3158. **श्री के. प्रधानी :** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तिलहन निकालने के उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस उद्योग से कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सरकार ने देश में तिलहन प्रोसेसिंग उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इस प्रकार हैं :—

1. देश में वनस्पति तेलों की सप्लाई बढ़ाने के मूल उद्देश्य से तैयार की गई कई योजना-स्कीमें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं। इनमें से कुछ स्कीमें सोयाबीन के प्रोसेसिंग की सुविधाओं की स्थापना करने, आदिवासी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वृक्ष तथा वन भूमि के तिलहनों का विकास और प्रोसेसिंग करने, आधुनिक तेल कम्पलेक्सों की स्थापना करने आदि के बारे में हैं।

2. चावल की भूसी के तेल के उत्पादन से सम्बन्धित एक उच्चस्तरीय अन्तर समन्वय समिति गठित की गई है, जो चावल की भूसी के तेल का उत्पादन बढ़ाने से विभिन्न पहलुओं का सामान्य रूप से और खाद्य श्रेणी के चावल की भूसी के तेल का से अध्ययन करेगी।

3. एक उच्चस्तरीय अन्तर-मंत्रालय सोयाबीन समन्वय समिति गठित की गई है,—

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ तथा देश में सोयाबीन के कार्यक्रम के अनुरूप प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना करेगी।

4. पहले से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, खाने के प्रयोजन के लिए विलायक निष्कर्षित तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने की सम्भावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

5. चावल की भूमी की निष्कर्षित खली, साल चूर्ण, आम की गिरी की निष्कर्षित खली, विनौले की निष्कर्षित खली जैसे निष्कर्षणों के निर्यात को जारी रखा जा रहा है।

(ग) इस बारे में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों की भवन निर्माण अग्रिम की सीमा में वृद्धि किया जाना

3160. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मध्यम आय वर्ग फ्लैट की लागत 70,000 रुपये से अधिक तथा स्व-वित्तपोषित उच्च आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लटों की लागत क्रमशः 2 लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये तथा 1.लाख रुपये है;

(ख) यदि हाँ, तो भवन निर्माण अग्रिम की राशि 70,000 रुपये की अत्यन्त अल्प राशि तक किस प्रकार सीमित की गई है और इसे बढ़ाकर मकान की लागत अथवा फ्लैटों की खरीद, लागत विशेषकर तब जबकि सरकार ने इनकी अधिकतम सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है; के समान क्यों नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार हाल में सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मकान अग्रिम निर्माण की सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये अथवा 75 माह का वेतन, जो भी कम हो करेगी; और

(घ) यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम की राशि का अभिप्राय एक सीमित सहायता है और सरकारी कर्मचारियों से अपने संसाधनों को एकत्र करने की भी आशा की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) निधियों की उपलब्धता में कमी होने के कारण।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जा रहे फ्लैटों का विक्रय मूल्य भिन्न-भिन्न है जोकि प्रत्येक एकक के कुर्सी क्षेत्रफल विशिष्टियों तथा स्थान पर निर्भर है :—

नवीनतम लागतें जोकि अब आ रही हैं वे इस प्रकार हैं :—

1.	मध्य आय वर्ग	89,800 रुपये से 1,15,300 रुपये तक
2.	निम्न आय वर्ग	41,600 रुपये से 71,100 रुपये तक
3.	जनता	19,600 रुपये से 21,600 रुपये तक

स्ववित्त पोषित योजना

वर्ग 3	1,45,000 रुपये से 1,81,000 रुपये तक
वर्ग 2	1,16,000 रुपये से 1,45,000 रुपये तक
वर्ग 1	72,000 रुपये से 1,02,000 रुपये तक

"एफ. पी. एस. ओनर्स फार 10 परसेन्ट रेज इन कमीशन" शीर्षक समाचार

3161. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** 22 मई, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "एफ. पी. एस. ओनर्स फार 10 पी. सी. रेज इन कमीशन" शीर्षक समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें कमीशन की उचित दर न दिए जाने और उन्हें अवांछनीय कार्य करने के लिए मजबूत करने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है;

(ख) क्या दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में राशन की दुकानें मंजूर की गई हैं और खाद्यान्न की यूनिटों की संख्या 4000 तक रखने के आदेश जारी किए गए हैं जिसके परिणाम-स्वरूप कार्डधारियों पर यह दबाव पड़ा है कि वे अपनी इच्छा की दूकान से राशन नहीं ले सकते विशेषकर, जबकि चालू कार्डों के आधार पर ऐसा करने की कोई नीति नहीं है;

(ग) नई राशन की दूकानों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वे कहाँ-कहाँ खोली गई हैं; और

(घ) क्या 4000 खाद्यान्न यूनिटों पर थोड़े से कमीशन से कोई राशन की दूकान चल सकती है और यदि नहीं तो राशन के दूकानदारों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो) : (क) से (घ) कमीशन की वर्तमान दरें, जाँच करने पर पर्याप्त पाई गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उचित दर की दूकानों पर भीड़ कम करने की दृष्टि से हर उचित दर की दूकान के लिए अनाज के यूनिटों की संख्या को 6000 से घटाकर 4000 करने का निर्णय किया गया। तदनुसार, जनवरी-फरवरी, 1981 में उचित दर की दूकानों की 950 रिक्तियाँ पैदा हुईं। 705 मामलों में प्राधिकार जारी कर दिए गये हैं और आज तक 680 नई उचित दर की दूकानें खोल दी गई हैं। पुरानी उचित दर की दूकानों से उन यूनिटों को नई खोली गई उचित दर की दूकानों को अंतरित करने के लिये आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं, जो 400 से अधिक हैं। कार्डधारियों की सुविधा के लिए उचित दर की नई दूकानें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सब जगहों के लिये मंजूर की गई हैं। दिल्ली में मँजूर की गई नई उचित दर की दूकानों का ब्यौरा 17 अगस्त, 1981 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के दिये गए उत्तर के साथ संलग्न किया गया था।

"मोर एडीबल आयल फार स्टेट्स" शीर्षक समाचार

3162. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 जुलाई, 1981 के "स्टेट्समैन" में 'मोर एडीबल आयल फार स्टेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिमी बंगाल को वितरण हेतु कितना आयातित तेल दिया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) खाद्य तेलों का आयात रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हाँ ।

(ख) चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 80-अक्तूबर, 81) के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दूकानों के माध्यम से वितरण हेतु विभिन्न प्रकार के 77,300 मीटरी टन आयातित खाद्य तेलों का आवटन किया गया है । इसमें त्यौहार के मौसम, अगस्त-अक्तूबर, 1981 के लिए आवंटित की गई 26,500 मीटरी टन की मात्रा भी शामिल है ।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का मासिक आवंटन उनकी आयातित खाद्य तेलों की माँग के यथार्थपरक अनुमान के अनुसार किया जाता है । यह अनुमान राज्य की आबादी, माँग, खपत के स्वरूप, राज्य में देशी खाद्य तेलों की उपलभ्यता और अन्य सम्बन्धित बातों, जिनमें पहले किये गये आवंटनों को उठाने की गति भी शामिल है, को ध्यान में रखकर लगाया जाता है । सामान्यतः अप्रैल, 1981 से मासिक आवंटनों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(घ) खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत तिलहनों के उत्पादन को 1979-80 के 102 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 1984-85 तक 131 लाख मीटरी टन तक पहुंचाने का विचार है । इस क्षेत्र के लिए छठी योजना की नीति की एक मुख्य बात यह रहेगी कि सोयाबीन, चावल की भूसी आदि जैसे अपेक्षाकृत नये तथा कम उपयोग में लाये गये स्रोती से खाद्य तेलों का उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाये : इसके अलावा, छठी योजना में वनस्पति तेलों के विकास के लिये रखा गया 38.65 करोड़ रुपये का परिव्यय सोयाबीन के तेल के लिये प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना करने, आधुनिक तेल उद्योग समूह लगाने, वनस्पति तिलहनों और तेलों के समन्वित प्रबन्ध के लिये एक राष्ट्रस्तरीय संगठन की स्थापना करने और एक समन्वित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम चलाने जैसे कार्यक्रमों के लिये है ।

दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गांवों का विकास

3163. **श्री पीयूष तिरकी :**

श्री शिबू सोरेन : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्री को इस सम्बन्ध में जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में गाँवों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना लागू कर दी गई है; यदि हाँ, तो कब से; और

(घ) इस योजना को पूरी तरह कब तक लागू कर दिया जाएगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने देहाती ग्रामों के विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में खेती विस्तार पद्धति

3164. **श्री राम विलास पासवान :**

प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार बिहार राज्य में खेती विस्तार पद्धति, के जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, शिथिल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम के शिथिल कार्य निष्पादन का कारण बताते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा बतायें; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हाँ।

(ख) बिहार में कृषि विस्तार सेवा के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना मई, 1978 में शुरू में केवल 5 जिलों में आरम्भ की गई थी। कृषि विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में प्रशासनिक समस्याएं होने के कारण इस पद्धति का शेष जिलों में, चरणों में विस्तार नहीं किया जा सका। खराब कार्य निष्पादन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(क) अधिकांश पर्यवेक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। अतिरिक्त कृषि निदेशक (विस्तार) का पद अभी तक भरा नहीं गया है।

(ख) विषय-वस्तु सम्बन्धी विशेषज्ञों के लिए मासिक कार्यशालाएं तथा कृषि विस्तार अधिकारियों एवं ग्राम सेवकों के लिए पाक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी नहीं थे। मासिक कार्यशालाओं में विश्व विद्यालय के कार्मिकों का नियमित सहयोग प्राप्त नहीं किया गया था।

(ग) ग्राम-सेवकों के दौरे नियमित नहीं थे तथा वे अक्सर राहत, संगणना, ऋण एवं आदानों के वितरण आदि जैसे व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए थे।

(घ) सिविलि निर्माण कार्यों की गति मंद है और क्वार्टरों के न होने से अधिकांश ग्राम-सेवक अपने कार्य-स्थलों से दूर रह रहे हैं।

(ग) भारत सरकार तथा विश्व बैंक के अधिकारियों के संयुक्त पर्यवेक्षण दौरों परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने अभी हाल में इस पद्धति का इस वर्ष से 11 और जिलों में विस्तार करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार अब राज्य के 16 जिले इसके अन्तर्गत आ हैं। बिहार सरकार ने सभी 16 जिलों में इस परियोजना को क्रियान्वित करने के आदेश जार किये हैं। राज्य सरकार का आगामी दो वर्षों के अन्दर इसके अन्तर्गत समूचे राज्य को लाने विचार है। ग्राम सेवकों को केवल कृषि विस्तार कार्य के लिए उत्तरदायी बनाकर इस पद्धा को सुचारू बताने के सम्बन्ध में कदम उठाये गए हैं। विषय वस्तु विशेषज्ञों तथा अन्य पर्यवेक्ष अधिकारियों के पद स्वीकृत किये गए हैं और उन्हें भरा जा रहा है।

ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए मकानों का सर्वेक्षण

3165. **श्री जानर्दन पुजारी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भूमि-हीन परिवारों के लिए अपेक्षित मकानों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों ने ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए वास स्थल तथा गृह निर्माण योजना जो कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यन्यित की जा रही है, के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र परिवारों का चुनाव कर लिया है । राज्य सरकारों से 31.3.81 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विभिन्न राज्यों में 1,24,61,407 पात्र भूमिहीन परिवार थे, जिनमें से 86, 20,208 परिवारों को गृह स्थल दिए गए थे और इसी तारीख तक 14,63,062 परिवारों को गृह निर्माण सहायता दी गई थी ।

फसली जमीन की उर्वरता

3166. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री संतोष मोहन देव :

श्री मनफूल सिंह चौधरी :

श्री संत कुमार मंडल : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल जमीन की उर्वरता बहुत कम हो गई है; और

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं और फसली जमीन की वर्तमान उर्वरता बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) (क) और (ख) (1) भारत एक विस्तृत देश है और फिलहाल कुल 17 करोड़ 50 लाख हैक्टर से अधिक क्षेत्र पर फसल की जाती है । इतने विस्तृत क्षेत्र के उर्वरता सर्वेक्षण पर समाकलित आंकड़े न पाए जाने के कारण यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि देश के विभिन्न मृदा वर्गों का फसल उर्वरता स्तर बहुत गिर गया है ।

(2) यह बताया गया है कि देश के 32 करोड़ 87 लाख 80 हजार हैक्टर के भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 44 प्रतिशत पर पानी और वायु क्षरण का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है । इस समस्या के कारण, सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि बहुत हद तक प्रभावित होती है तथापि, केन्द्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून तथा आगरा, बेल्लारी, वसद, कोटा, उटाकमण्ड और चण्डीगढ़ स्थित इसके अनुर्संधान केन्द्रों द्वारा इस मृदा क्षति के प्रकोप को नियन्त्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गयी है ।

(3) लवण प्रभावित मृदाओं की समस्या भारत के 7 लाख हैक्टर के विस्तृत क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालती है । इन मृदाओं की भौतिक रचना सोडियम को अधिक मौजूदगी के कारण बहुत असमान है । इससे इन मृदाओं की फसल उत्पादन क्षमता प प्रभाव पड़ता है । इन मृदाओं

पर अच्छी उपज देने वाली फसलें उगाने के लिए केन्द्रीय मृदा लवणता संस्थान, करनाल ने एक उपयुक्त मृदा सुधार प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस प्रौद्योगिकी के पैकेज का प्रदर्शन सफलता पूर्वक किसानों के खेतों में किया जा चुका है।

(4) अधिक उपज देने वाली किस्म के एक क्विंटल चावल और गेहूं के दानें उत्पन्न करने लिए वांछित प्रमुख पोषक तत्वों का निर्धारण किया जा चुका है। प्रत्येक क्विंटल उत्पन्न करने हेतु चावल को 1.78 कि.ग्रा. नेत्रजन, 0·88 कि.ग्रा. पी$_2$ $_5$0 और 1.78 कि. ग्रा. के$_2$ ओ चाहिए। जबकि इतने ही गेहूं के लिए 2.36 कि.ग्रा. नेत्रजन, 0.82 कि.ग्रा. पी$_2$ ओ$_5$ और 2.1 के$_2$ ओ चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए फसलों की उपज को बरकरार रखने के लिए हमेशा अनुकूल और संतुलित उर्वरक मात्रा की सिफारिश की गई है।

(5) भारत सरकार ने भी 302 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं देश में स्थापित की हैं जो किसानों को अपनी मिट्टी की जांच कराने तथा विभिन्न फसलों में उर्वरक की संतुलित मात्रा देने में सहायता कर रही हैं।

(6) देश में अब तक अनेक स्थानों पर किए गए लम्बी अवधि के परीक्षणों ने, संतुलित उर्वरक मात्रा फसलों में लगाने पर भूमि की उर्वरता के स्तर में किसी भारी कमी को प्रदर्शित नहीं किया है। इसको ध्यान में रखते हुए उर्वरक की सिफारिश शुदा और संतुलित मात्रा को खेतों में लगाने को लोकप्रिय बनाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। आवश्यकतानुसार कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट और सूक्ष्मपोषक तत्वों हेतु सह संबंधित उपायों की पर्याप्त मात्रा की सिफारिश किसानों को की गई है। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए फसल चक्र में फलीदार फसलों को सम्मिलित करने की भी वकालत की गई है। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारी फसलों को जमीनों में मृदा उर्वरकता बनाए रखने लिए उपरोक्त सिफारिश शुदा उपाय जारी रहेंगे।

राज्यों में पेयजल की आवश्यकता के बारे में किया गया सर्वेक्षण

3167. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पेयजल की कुल मांग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां तो मांग की पूर्ति के लिए वर्तमान जल सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या किन्हीं पड़ौसी राज्यों के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पेय जल सप्लाई राज्य का विषय है और पेय जल की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जल सप्लाई को बढ़ाने के लिए कदम भी राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने हैं. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान जल सप्लाई तथा स्वच्छता क्षेत्र के लिए परिव्यय को पांचवी योजना (1974-79) में किए गए 1030.68 करोड़ रुपए की तुलना में 3922.02 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है।

(ग) तथा (घ) अनुमानतः प्रश्न का यह भाग अन्तराज्यीय नदियों के जल को बांटने से

है। यदि हां, तो सामान्यतया ऐसे समझौतों में सिंचाई की आवश्यकयाएं शामिल हैं और जब कभी आवश्यक हों तब ये समझोते किए जाते हैं।

छठी योजना में सिंचाई की क्षमता

3168. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के विकास के लिए एक वृहत्त सिंचाई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार को स्वीकृति के लिए योजना आयोग द्वारा योजना के लिए राज्यवार दिए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) प्रस्तावित योजना के मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) योजना के कार्यान्वयन के लिए शैड्यूल्य का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए वित्तीय परिव्यय और अतिरिक्त क्षमता के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

(1) तकनीकी और वित्तीय दृष्टियों से व्यवहार्य पाई जाने वाली निर्माणाधीन अधिकाधिक बृहद स्कीमों को शीघ्र पूरा करना; योजना के अन्तिम दो अथवा तीन वर्षों के दौरान हाथ में ली गई कुछ मध्यम स्कीमों को छोड़कर, जो सातवीं योजना में ले जायी जा सकती है, निर्माणाधीन सभी मध्यम स्कीमों को पूरा करना।

(2) सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण का काम चरण-बद्ध ढंग से प्रारम्भ करना।

(3) वर्तमान प्रणालियों के बेहतर प्रचालन और भू-तल एवं भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग द्वारा और वारबन्दी लागू करके इष्टतम लाभ प्राप्त करना।

(4) कुशल जल प्रबन्ध और विद्यमान तथा नई परियोजनाओं में चक्रीय वितरण प्रणाली (रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर वारबंदी लागू करना और एक जल वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों के लिए सिंचाई कार्यक्रम तैयार करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।

(5) कमान क्षेत्र विकास (सी. ए. डी.) संगठन और प्राधिकरणों, को सुदृढ़ करना और नहर प्रबन्ध प्राधिकरणों कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा सिंचाई कर्ताओं के कार्य को एकीकृत करना।

(ङ) 177 बृहद और 414 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माणकार्य पांचवी योजना के समय के चल रहा है। छठी योजना में 172 बृहद तथा 217 मध्यम नयी परियोजनाओं का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। नयी परियोजनाओं के ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं। निर्माणाधीन 177 बृहद परियोजनाओं में से 65 परियोजनओं के छठी योजना में पूरा हो जाने की संभावना है। सभी निर्माणधीन मध्यम परियोजनाओं के भी छठी योजना में पूरी हो जाने की संभावना है।

जहां तक लघु सिंचाई का सम्बन्ध है, अधिकांश क्षमता भूमिगत जल संसाधनों द्वारा प्राप्त होती है। भूमिगत जल वर्क्स की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए हैं :-

		संख्या
(1)	खुदाई कूंएं	12 लाख
(2)	गैर-सरकारी नलकूप	12 लाख
(3)	गहरे नलकूप	15 हजार
(4)	विद्युत चालित पम्पसेट	25 लाख

विवरण

क्षमता के छठी योजना के लक्ष्य और वित्तीय नियतन

क्रम सख्या	राज्य	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टयर)	वित्तीय नियतन (करोड़ रुपए)
1.	आँध्र प्रदेश	870	905.29
2.	असम	226	138.60
3.	बिहार	1680	1050.70
4.	गुजरात	453	1086.80
5.	हरियाणा	298	455.01
6.	हिमाचल प्रदेश	28	31.45
7.	जम्मू और कश्मीर	65	119.44
8.	कर्नाटक	715	553.50
9.	केरल	303	303.30
10.	मध्य प्रदेश	1033	1142.50
11.	महाराष्ट्र	875	1330.01
12.	मणीपुर	61	49.00
13.	मेघालय	15	7.00
14.	नागालैंड	10	10.00
15.	उड़ीसा	660	455.00
16.	पंजाब	410	375.53
17.	राजस्थान	482	503.26
18.	सिक्किम	8	4.00
19.	तमिलनाडु	233	197.19
20.	त्रिपुरा	13	32.10
21.	उत्तर प्रदेश	4550	1414.70
22.	पश्चिम बंगाल	687	403.70
	उप जोड़ राज्य	13675	10,568.08
	संघ राज्य क्षेत्र	66	86.85
	केन्द्रीय सेक्टर	—	460.00
	जोड़	13,741	11,114.93

कोसी नदी पर बड़ा क्षेत्र बांध

3169 **श्री एन. ई. होरो :** क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कोसी नदी पर बहु उद्देश्यीय बांध बनाने के सुझाव की जांच करने के लिए प्रधान मन्त्री को कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। यह अभ्यावेदन नेपाल में कोसी नदी पर बराह क्षेत्र बांध के बारे में था।

(ख) नेपाल में बराह क्षेत्र के स्थान पर कोसी उच्च बाँध परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट की अद्यतन बनाकर, उसे नेपाल सरकार की सहमति के लिए उन्हें भेज दिया गया है। इस परियोजना का कार्यन्वयन नेपाल सरकार द्वारा इस परियोजना के बारे में अपनाए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा।

गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए योजना

3170. **श्री एन. ई. होरो :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने प्रगति पर पुनर्विचार किया है और गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए कोई वृहत योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है और संयुक्त ढंग से बाढ़ तथा नदी की अन्य समस्याओं से निपटने के लिए क्या योजनाबद्ध कार्यक्रम है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगा बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की सातवीं बैठक 7 अगस्त, 1981 को हुई और उसमें गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिए योजनाएं बनाने में गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई। आयोग ने अभी तक योजना की रूपरेखा तैयार की है और घाघरा गोमती, अधवारा, कमला बालान और महानन्दा नदियों के बारे में कुछ ब्यौरे तैयार किए हैं। आयोग द्वारा ये ब्यौरे सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपलब्ध कर दिए गए हैं ताकि वे उन पर विचार कर सकें और चरणबद्ध तरीके से स्कीमों के अन्वेषण और क्रियान्वयन के काम को हाथ में ले सकें। आयोन ने एक मास्टर योजना तैयार करने का काम भी प्रारम्भ कर दिया है।

छठी योजना में, पश्चिम बंगाल के लिए लोअर दामोदर, मोगराहाट जल निकास स्कीम, बिहार में बक्सर-कोइलवार और बागमती तटबंध, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अन्य नगर सुरक्षा वर्क्स जैसे प्राथमिकता वाले बाढ़ नियन्त्रण वर्क्स सहित निर्माणाधीन स्कीमों को पूरा करने की उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। बाढ़ क्षेत्रों के प्रभावकारी प्रबन्ध के लिए बड़े पैमाने के ऐसे समोच्च (कन्टूर) नक्शों को तैयार करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, जिनमें भूमि पर बाढ़ क्षेत्र दिखाए गए हों और बाढ़ की चेताबनी देने के कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है। जल निकास के लिए गोवर्धन, साहिबी-नजफगढ़ आदि जैसी महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यिक स्कीमों को भी हाथ में लेने का प्रस्ताव है। नई तटबन्ध और जल निकास स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए अनुमति देने से पहले आयोग द्वारा इन स्कीमों की सावधानीपूर्वक समीक्षा

की जाती है। बृहत बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं को मानीटरिंग का काम शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

तालवाढ़ झील के समीप राजस्थान नहर में दरार

3171. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है और क्या तालवाड़ झील के पास, जहाँ से घग्गर नदी गुजरती है, बाड़ के कारण राजस्थान नहर प्रायः टूट जाती है;

(ख) क्या इसका एकमात्र कारण दलदली भूमि का होना है;

(ग) क्या कच्छ की दलदली भूमि का घग्गर नदी से कोई सम्बन्ध है; और

(घ) क्या कच्छ की दलदली भूमि की तालवाड़ झील के आगे तथा घग्गर नदी के बहाव के साथ और बढ़ने की सम्भावना है और यदि हाँ, तो इससे उत्पन्न खतरे को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राजस्थान नहर उस स्थान से काफी आगे तक पूरी हो चुकी है, जहाँ पर वह घग्गर नदी को पार करती है और तालवाड़ झील के निकट घग्गर में बाढ़ आने के कारण उसके टूट जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जोहार फीडर प्रोजेक्ट

3172. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र को सिंचाई के लिए जोहार फीडर प्रोजैक्ट (राजस्थान) के अनुमान स्वीकृति के लिए किस तिथि को प्राप्त हुए; और

(ख) क्या अनुमान स्वीकृत हो गए हैं यदि हां, तो स्वीकृति की तिथि क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को किसी जोहार सिंचाई परियोजना की कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य सम्भवतः राजस्थान की नोहर सिंचाई परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा 7 नवम्बर, 1978 को हुई एक अन्तर्राज्यिक बैठक में इस मन्त्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार तैयार की गई सबसे हाल की परियोजना रिपोर्ट जून, 1981 में प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना-रिपोर्ट की तकनीकी जाँच की जा रही है।

देश में कामकाजी महिला होस्टल

3173. **श्री राम अवध** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकारी कामकाजी महिलाओं के

लिए बनाये गये अथवा बनाए जाने वाले होस्टलों का ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा उन होस्टलों की आवास क्षमता कितनी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के किसी भी भाग में केन्द्रीय सरकार की कामकाजी महिला कर्मचारियों के लिए कोई होस्टल नहीं बनाया गया है और न ही बनाने की योजना बनाई गई थी।

चावल का निर्यात

3174. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और सोवियत रूस सरकार के बीच 25 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 50,000 टन बासमती चावल के निर्यात-करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार "एगमार्क" को, आपसी करार की शर्तों के अनुसार, चावल खरीदने के लिए उप-ठेका देने के लिए प्राधिकृत करती है;

(ग) क्या एक ऐसे घोटाले का पता चला है जिसमें लाइसेंसधारियों और उप-ठेकेदारों ने "एगमार्क" अधिकारियों की सांठ-गांठ से घटिया चावल खरीद लिया था, जिसका सोवियत रूस को निर्यात रोक दिया गया था; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त घोटाले की जाँच पूरी कर ली है, "एगमार्क" अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी है, यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय ने सोवियत रूस के साथ जून, 1981 तक 1 लाख मीटरी टन बासमती चावल का निर्यात करने हेतु करार किया था जिसमें से लगभग 27.5 करोड़ रुपये के मूल्य का 50,000 मीटरी टन चावल 31 दिसम्बर, 1980 तक जहाज द्वारा भेजा जाना था।

(ख) जी नहीं। "एगमार्क" विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किए गये श्रेणिकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है। उक्त निदेशालय को वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्यात हेतु बासमती चावलों का निरीक्षण करने और उन्हें वर्गीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

(ग) और (घ) निर्यात के प्रयोजन हेतु चावलों का गलत श्रेणीकरण किये जाने के के बारे में अगस्त, 1980 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात अक्तूबर, 1980 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास विस्तारपूर्वक जाँच करने हेतु चार शिकायतें दर्ज कराई गई थी। एक शिकायत के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई और उसकी जाँच की जा रही रही है। शेष तीन शिकायतों की अभी केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा जाँच की जा रही है।

खाद्य तेलों का आयात

3175. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 में कितनी मात्रा में तथा कितनी धनराशि का खाद्य तेल आयात किया गया और 1981-82 में कितना खाद्य तेल आयात किये जाने की योजना है;

(ख) उक्त वर्षों में कुल खाद्य तेल (स्वदेशी और आयातित) में से कितने खाद्य तेल का वनस्पति उत्पादन और तेल पर आधारित उद्योगों के लिये प्रयोग किया गया और कितना तेल उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया; और

(ग) आप उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य तेल के वितरण के लिए क्या योजना तैयार की गई।

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) तेल वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान सरकार के खाते में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गये खाद्य तेलों की मात्रा तथा उनके मूल्य इस प्रकार हैं :

मात्रा लाख मीटरी टन में
मूल्य करोड़ रुपये में

तेल वर्ष	कुल मात्रा	लगभग मूल्य
नवम्बर-अक्तूबर		
1978-79	8.24	479.83
1979-80	11.49	617.18
1980-81	7.55	395.00
जुलाई, 81 तक		

(क) तेल वर्ष 1981-82 नवम्बर, 81-अक्तूबर 82) के दौरान आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा, देश में इनके उत्पादन, समय-समय पर पता लगायी गयी इनकी माँग तथा उत्पादन के अन्तर, खाद्य तेलों के देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करेगी।

(ख) इन तीन तेल वर्षों के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सप्लाई किये गये आयातित खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दी गयी है :

लगभग मात्रा लाख मीटरी टन में)

तेल वर्ष	वनस्पति	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	योग
1978-79	4.50	0.93	5.43
1979-81	9.20	3.49	9.69
1980-81 (जुलाई, 1981 तक)	4.02	2.60	6.62

इसके अलावा, वनस्पति उद्योग ने तेल वर्ष 1978-79 में लगभग 2.32 लाख मीटरी टन, 1979-80 में लगभग 0.85 लाख मीटरी टन और 1980-81 में (अप्रैल, 1981 तक) लगभग 0.93 लाख मीटरी टन देशी तेलों की मात्रा का उपयोग किया।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाइसेंस शुदा उचित दर की दुकानों/सहकारी बिक्री केन्द्रों के जरिए उपभोक्ताओं को मूल्यों पर वितरण करने हेतु आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई की जा रही है और ये मूल्य खाद्य तेलों के बाजार मूल्यों की तुलना में काफी कम हैं।

आवश्यक वस्तुओं की नयी मदें

3176. **श्री चिन्ता मणि जेना :** क्या **नागरिण पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लायी गयी आवश्यक वस्तुओं की नयी मदों के नाम क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं में शामिल इन नई मदों के वितरण के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी, कोई भी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए सामाजिक-आर्थिक परियोजनायें

3177. **डा. बसन्त कुमार पण्डित :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और किन किन स्थानों पर;

(ख) 1981 और 1982 में कौन सी योजनाएं शुरू किये जाने का विचार है और कौन कौन से क्षेत्र इसके अन्तर्गत आएंगे;

(ग) क्या परियोजनाओं में नई कृषि तकनीकों, स्व-रोजगार और शिक्षा को शामिल किया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) को परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) कृषि मन्त्रालय ने छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान क्रियान्वित करने के लिए कई कार्यक्रमों का पता लगाया है, जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचेगा। छठी योजना के परिव्ययों सहित इन कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2779/81]।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रमों से उत्पादन, रोजगार तथा लाभानुभोगियों की आय में वृद्धि होने की आशा है तथा इनसे खेती की उन्नत तकनीकों को अपनाने में बढ़ावा मिलेगा।

(घ) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक हालत सुधारने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों से सुझाव प्रस्ताव मांगे थे। प्राप्त सुधारों के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए परियोजनायें तैयार की गई। ये परियोजनायें कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 2779/81]।

"इडिबिल आयल पोजिशन लाइकली टु वरसन" शीर्षक से समाचार

3178. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 अगस्त, 1981 के "टाइम्स आफ इण्डिया" के समाचार शीर्षक "इडिबिल आयल पोजिशन लाइकली टु वरसन" की तरफ आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने खास कर आगामी त्यौहारों के मौसम के दौरान भारी मांग को ध्यान में रखते हुए स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह आशंका कि चालू त्यौहार के मौसम के दौरान खाद्य तेलों की स्थिति के और खराब होने की संभावना है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को खाद्य तेल उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले ही अग्रिम रूप में विभिन्न उपाए किये हैं। इस बारे में किये गये विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना;

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उत्तरोत्तर रूप से और अधिक आयातित तेल की मात्रा निर्मुक्त करना;

(3) राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी सतर्कता रखने के लिए अनुदेश जारी करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित तेल कार्डधारियों को, जिनके लिए वे हैं, लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों, आदि के माध्यम से ही बेचे जायें और इन्हें खुले बाजार में नहीं भेजा जाये।

(4) वनस्पति के उत्पादन को निरंतर बनाये रखना;

(5) वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण का पालन करना और सरकार द्वारा उद्योग के साथ इसकी समय-समय पर परिवीक्षा करना;

(6) राज्य सरकारों द्वारा भन्डारण नियंत्रण आदेश और अन्य कानूनों को सख्ती से लागू करना;

(7) देश के विभिन्न भागों के बीच तिलहनों और तेलों का निर्बाध रूप से लाना ले जाना; और

(8) वायदा बाजार आयोग द्वारा तिलहनों तथा तेलों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकना।

मरूस्थल में विकास कार्यक्रम

3179. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री पी. नामग्याल : क्या **ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा जिलों में मरुस्थल कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आज तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या यह ठीक है कि रेगिस्तान की असामान्य तथा कठिन समस्याओं को हल करने के लिए छठी पचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि पर्याप्त नहीं है और यदि हाँ, तो क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने के लिए तैयार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए राज्य तथा जिले संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) मरूभूमि विकास कार्यक्रस के अन्तर्गत शुरू की गई मुख्य गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

(1) रेत के टीलों के स्थिरीकरण सहित वनरोपण;
(2) जल स्रोतों का विकास;
(3) पशु घन विकास;
(4) ग्रामीण विद्युतीकरण;
(5) कृषि तथा बागवानी का विकास; और
(6) भू-संरक्षण।

कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से लेकर 1980-81 तक लगभग 37.81 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(ग) कार्यक्रम की लागत में केन्द्रीय अंश के लिए छठी योजना का प्रावधान 50 करोड़ रुपये है।

(घ) यद्यपि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए अत्यधिक विकास व्यय की आवश्यकता होती है फिर भी, मरू भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के अलावा अनेक अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी निधियाँ उपलब्ध हैं। यदि संगत तथा सक्षम योजनाओं को तैयार किया जाता है और निधियों के उपयोग में सुधार हो जाता है तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के लिए आबटनों के वर्तमान स्तर में वृद्धि भी की जा सकती है।

विवरण

मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये राज्य तथा जिले

राज्य	जिले
1. हरियाणा	1. हिसार 2. भिवानी 3. रोहतक 4. सिरसा

1	2
2. हिमाचल प्रदेश	1. लाहौल तथा स्पिती
3. गुजरात	1. बनसकंठा
	2. मेहसाना
	3. कच्छ
4. जम्मू तथा काश्मीर	1. लेह
	2. कारगिल
5. राजस्थान	1. गंगानगर
	2. बीकानेर
	3. जैसलमेर
	4. बाड़मेर
	5. नागौर
	6. चूरू
	7. झुनझुनु
	8. जोधपुर
	9. सीकर
	10. जालौर
	11. पाली

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति सप्लाई किया गया पानी

3180. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी सप्लाई करने की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को प्रति व्यक्ति कितना पानी सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या योजनाओं को तैयार करते समय पशुओं के बारे में विचार न करके रेगिस्तानी क्षेत्रों जहां, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मुख्यत: पशु धन पर निर्भर करती है, की सरकार उपेक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पानी सप्लाई करने की योजनाओं को तैयार करते समय पशुओं के बारे में विचार करने के सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी तथा ऐसे उत्पादक क्षेत्रों की उचित मांग को कब तक पूरा करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल सप्लाई, राज्य का विषय है। योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित निधियाँ राज्य योजनाओं में दी जाती हैं। तथापि, समस्या ग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था में गति लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है क्योंकि इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत उपलब्ध निधियाँ सीमित हैं और आदमियों की जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए आदमियों की जनसंख्या न कि जानवरों की संख्या का ध्यान रखा जाता है; यह बताया जाता है कि राज्य योजना में पेय जल के लिए निधियों का बड़ा भाग दिया जाता है।

राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनायें तैयार किया जाना

3181. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास करने तथा वहां आकाल की समस्या का एक स्थाई हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या-क्या योजनायें तैयार की गई हैं;

(ख) रेगिस्तानी जिलों में उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितना व्यय किया गया है और अकाल की स्थिति का एक स्थाई हल निकालने में कहां तक सफलता मिली है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को और व्यापक बनायेगी तथा छठी योजना के अंतर्गत और धन उपलब्ध कराएगी जिससे कि अकाल की समस्या का चिर-स्थाई समाधान सुनिश्चित हो सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम को 1977-78 के अन्त में शुरू किया गया था। इस कर्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए 11 जिलों में से 9 जिलों में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम भी चौथी योजना से चल रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू की गई मुख्य योजनायें वनरोपण, जल संसाधनों के विकास, पशु धन विकास व डेरी विकास सहित पशु पालन, ग्रामीण विद्युतीकरण, भू-संरक्षण और रेत के टीलों के स्थिरीकरण से सम्बन्धित हैं।

(ख) 1974-81 के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 71.72 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था। स्थायी तथा वास्तविक सुधार दीर्घ आवधिक प्रक्रिया होगी लेकिन मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम से वनरोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण, पशु धन विकास, डेरी फार्मिग, चरागाह विकास भूमिगत जल के उपयोग, आदि से काफी परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) मौजूदा कार्यक्रम पहले ही काफी व्यापक कार्यक्रम हैं और इन क्षेत्रों के लिए आबंटनों की पूर्ति अन्य कार्यक्रमों विशेषकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं द्वारा की जाती है। यदि उच्च स्तर के आवंटन वाली सक्षम तथा सम्बन्धित योजना तैयार की जाती है तो कार्यक्रम की सम्पूर्ण अधिकतम सीमा के भीतर राज्य के लिए अतिरिक्त निधियों पर विचार किया जा सकता है।

राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जा रही आवश्यक वस्तुयें

3182. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किन-किन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या इस सार्वजनिक वितरण के माध्यम से सप्लाई हेतु केन्द्र द्वारा राजस्थान को दिए जा रहे गेहूं का कोटा वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में नहीं है बल्कि यह इसकी जनसंख्या की केवल एक तिहाई आवश्यकता को पूरा करता है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सामान्यतया/खाद्य तेल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल और नियंत्रित कपड़े जैसी वस्तुयें वितरित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों गेहूं, चावल, आयातित संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का आबंटन, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकता, बाजार में उनकी उपलभ्यता और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए मास प्रति मास आधार पर किया जाता है।

विकासशील देशों से कृषि के सामान का आयात

3183. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकासशील देशों से कृषि का सामान आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) कृषि वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तरण को पूरा करने के लिए, देश के हित में आवश्यकतानुसार आवश्यक आयात किया जाता है। ऐसा आयात विकासशील देशों से भी किया जा सकता है।

उड़ीसा में ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 1980-81 में बनाए गए मकानों की संख्या

3184. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे उड़ीसा में ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 1980-81 में कितने मकानों का निर्माण हुआ;

(ख) इन मकानों में से कितने मकान ढेकनाल जिले के गरीब ग्रामीणों में बांटे गये;

(ग) उपर्युक्त योजना में ढेकनाल जिले में हरिजनों और पिछड़ी जाति के कितने लोगों को लाभ हुआ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को सिंचाई सुविधायें

3185. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई तथा प्राप्त सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इन सुविधाओं का कहाँ तक उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिंचाई सुविधाओं की ऊंची लागत के कारण छोटे किसानों द्वारा इनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में छोटे किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में नगर निगमों, नगरपालिकाओं और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रतिनिधि

3186. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरजभान : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगमों, नगरपालिकाओं और शहरी क्षेत्रों की राज्यवार संख्या क्या है और उनमें से कितनों में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है और कब से नहीं हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और राज्यों को उपचारात्मक उपाय क्या सुझाए गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर दी जाएगी।

(ख) नगर विकास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें नगर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए सक्षम हैं। दिसम्बर, 1980 में आयोजित स्थानीय सरकार एवं नगर विकास की सभी केन्द्रीय परिषद् और भारतीय महापौर परिषद् की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक में और इसके बाद मई, 1981 में हुई नगर निगमों के 11वें सम्मेलन में स्थानीय निकायों के प्रतिस्थापन के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था। दोनों सम्मेलनों का यह मत था कि नगर के स्थानीय निकायों के चुनाव यथा सम्भव कराया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने सम्मेलनों के विचार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दिए थे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनों, हरिजनों और भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल

3187. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 1980-81 के दौरान ग्रामीण निर्धनों, हरिजनों और भूमिहीन श्रमिकों को दिये गए आवास स्थलों की संख्या कितनी है और इसी अवधि में इस श्रेणी में कितने मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिया गया और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितने मकान और कितनी लागत पर बनाये गये ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिये वासस्थल व गृह निर्माण सहायता की योजना राज्य क्षेत्र में है और इसको न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 86,20,208 गृह स्थलों का आवंटन किया गया और 31-3-81 तक सरकार तथा लाभ-भोगियों के प्रयत्नों से 14,63,062 मकानों का निर्माण किया गया। वर्ष 1980-81 का अग्रम विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस योजना में लाभ-भोगियों को स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रति परिवार 500 रुपये की दर से सहायता देना उद्दिष्ट है जिसमें सभी श्रम कार्य लाभ-भोगियों द्वारा किया जाएगा। किन्तु राज्य सरकारों द्वारा निर्मित मकानों तथा उनकी लागत का विवरण उपलब्ध नहीं है।

पेंशन-प्राप्तकर्त्ताओं और उनकी पत्नियों को उनके जीवन काल के दौरान डी. डी. ए. फ्लैटों का आवंटन

3188. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद अपने सर, पर छत के सहारे के लिए बहुत अधिक कीमत पर जो प्रायः अपना मकान बनाने में असमर्थ हैं, बाध्य होकर डी. डी. ए. किसी अन्य एजेन्सी के मकानों के लिये कोशिश करनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अपने पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं और उनकी पत्नियों को उनके जीवन-काल के लिए किराये पर दिये जाने के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए सहमत हो जाने पर इस प्रक्रिया में सीमेंट जैसी दुर्लभ वस्तु की भारी मात्रा, राष्ट्रीय निर्माण के लिए उपयोग में लाये जाने के स्थान पर मकान बनाने के लिए डी. डी. ए. जैसी एजेंसियों को दी जा रही है, की बचत की जा सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पात्रता के मानदण्डों के पूर्ण करने की शर्त पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्य पूल से वास का आवंटन किया जाता है। सेवा-निवृत्त के पश्चात्, नियमों के अन्तर्गत अनुमेय रियायती अवधि के लिए सरकारी वास रखने के पात्र हैं। जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सेवा में रहते हुए मकान खरीदना/निर्माण कराना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूर्ण करते हों।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण आम जनता के लिए मकान बनाता है और इसकी गतिविधियाँ किसी विशेष वर्ग की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीमित नहीं है। पेंशन भोगियों या उनकी पत्नियों को मकान बनाकर किराये पर देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि

3189. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में भूमि के मूल्यों में एकदम वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्य में और वृद्धि को रोकने तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) मूल्य वृद्धि, सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्ति और खुली खरीद के लिए प्लाटों की कम उपलब्धता के कारण हुई प्रतीत होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 1981 तक लगभग 23,000 प्लाट निम्न आय ग्रुप और मध्यम आय ग्रूप के लोगों को पूर्व निर्धारित दरों पर आबंटित किये गए थे। इसके अतिरिक्त, 25 वर्ग गज और 80 वर्ग गज माप के लगभग 2 लाख प्लाट पुनर्वास कालोनियों में नाम मात्र लाइसेंस फीस के आधार पर आवंटित किये गए थे।

दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गृह निर्माण सहकारी समितियों को लगभग 28,000 रिहायशी प्लाटों के विकासार्थ लगभग 3670 एकड़ भूमि का आवंटन किया है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और जनता श्रेणियों के तहत 1,17,000 रिहायसी प्लाटों और सामूहिक आवास में लगभग 17,000 रिहायशी एककों के आवंटन हेतु "रोहिणी" नामक एक महत्वकांक्षी योजना बनाई है। इस कार्यक्रम से रिहायशी समस्या के समाधान में लाभ होने, के अलावा भूमि की कीमतें कम होने की आशा है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

3190. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिए दीर्घावधि योजना तैयार करना किस चरण में है; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) छठी योजना के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद करने के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था करना;

(2) देशी जलयानों के निर्माण के लिए राज सहायता मुहैया करना;

(3) विदेशी मत्स्य जलयानों की चार्टर करने तथा संयुक्त उद्यमों की अनुमति देना;

(4) जलयानों के आयात को प्राधिकृत करना;

(5) सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए बड़े जलयानों का अधिग्रहण करना।

जैट रेन्जरों के लिए अतिरिक्त पुर्जों का आयात

3191. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैट रेन्जर हैलीकाप्टर की मरम्मत के लिए 1979 में लाखों रुपये मूल्य के पुर्जों का आयात किया गया था; और

(ख) यदि हां, इन पुर्जों का कहां तक उपयोग किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1979 में आयात किये गए जैट रेन्जर हैलीकाप्टर के अतिरिक्त पुर्जों की लागत लगभग 3.11 लाख रुपये है।

(ख) इस प्रकार के हैलीकाप्टरों की मरम्मत करने के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी इंजीनियरों के अभाव के कारण अभी तक ये अतिरिक्त पुर्जे उपयोग में नहीं लाए गए हैं।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि

3192. **श्री जैनुल बशर** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को स्थाई रूप से और कितने व्यक्यिों को अस्थाई रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पूनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामाण राजगार कायक्रम के अन्तगत अब तक हुई भौतिक उपलब्धियों को दर्शाने वाला **विवरण–1** संलग्न है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार के अवसर केवल पूरक हैं तथा ये स्थायी रोजगार सुलभ नहीं करते हैं। पिछले 4 वर्षों के दौरान सृजित रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण–2 संलग्न है।

विवरण–1

राज्य सरकारों से 31-8-81 तक प्राप्त सूचना के आधार पर 1977-78 से 1980.81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित भौतिक परिस्थितियों को दर्शाने वाला विवरण–1

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	भू.संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	वृहद/लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	बाढ़-बचाव के माध्यम से कृषि योग्य बनाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	पौध रोपण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	...	35234	...	...
2.	असम	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	8349	231392	81040	48
4.	गुजरात	65803	90938	4319	328721
5.	हरियाणा	5607	2564	15591	...
6.	हिमाचल प्रदेश	8814	...	...	3642
7.	जम्मू तथा काश्मीर	300	95046	37898	...
8.	कर्नाटक	...	13629	...	3006
9.	केरल	98	4293	504	...
10.	मध्य प्रदेश	11612	1715	...	...
11.	महारष्ट्र	648500	...	...	11900
12.	मणिपुर	...	...	...	...
13.	मेघालय	...	...	...	...
14.	नागालैंड	...	...	...	...
15.	उड़ीसा	66699	388861	79754	54037
16.	पंजाब	525	...	...	14170
17.	राजस्थान	3950	15456	...	6908
18.	सिक्किम	...	...	...	...
19.	तमिलनाडु	...	...	...	...
20.	त्रिपुरा	30330	27867	2546	36621
21.	उत्तर प्रदेश	101612	...	...	565
22.	पश्चिम बंगाल	12033	129810	199694	...
23.	अरुणाचल प्रदेश	500	...	...	1565
24.	चंडीगढ़	...	...	...	...
25.	मिजोरम	...	...	...	850
26.	पांडिचेरी	...	200	83	...
27.	अंडेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	40	50	200	7
	योग	964772	1031052	421629	462040

क्र. सं.	राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र	निर्मित मरम्मत किए गए विद्यालय भवन	निर्मित पंचायत घर साम्प्रदायिक भवन	सड़क कार्य			
				रख रखाव सुधारी गई/ मरम्मत की गई	निर्माण की गई सड़कें	सिंचाई कमांड क्षेत्रों में माध्यमिक मुख्य नालियों का निर्माण तथा भूमि समतलीकरण आदि	अन्य निर्माण कार्य
		(संख्या)	(संख्या)	(कि.मी.)	(कि.मी.)	(हैक्टेयर)	
1	2	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	43739	...	22413	13901	183	163533
2.	असम	...	...	1803	...	...	31
3.	बिहार	270	...	36517	15862	7546	10865
4.	गुजरात	194	...	8510	2795	39551	106
5.	हरियाणा	868	476	1086	5447	253	8407
6.	हिमाचल प्रदेश	...	...	935	200	...	321
7.	जम्मू तथा काश्मीर	175	2	788	10201	...	986
8.	कर्नाटक	...	...	...	80	...	1937
9.	केरल	471	...	3083	20647	...	82
10.	मध्य प्रदेश	26000	...	100	223	...	8752
11.	महाराष्ट्र	...	...	...	4667	97925	...
12.	मणिपुर	...	...	...	...	...	...
13.	मेघालय	...	...	...	...	...	...
14.	नागालैंड	...	...	...	604	...	63
15.	उड़ीसा	24154	71	108482	12601	3017	5067
16.	पंजाब	...	...	3570	1999	209	153
17.	राजस्थान	4554	1066	43457	13656	...	43673
18.	सिक्किम	...	...	...	...	...	...
19.	तमिलनाडु	4563	...	...	...	...	985
20.	त्रिपुरा	2034	1329	11221	12868	4529	3943
21.	उत्तर प्रदेश	...	...	168621	50278	...	57221
22.	पश्चिम बंगाल	4714	51	34464	54061	3182	2976

1	3	7	8	9	6	10	11
23.	अरूणाचल प्रदेश	...	...	40	...	...	19
24.	चण्डीगढ़	...	...	...	...	...	...
25.	मिजोरम	40	78	...	9	...	68
26.	पांडिचेरी	...	...	...	...	...	472
27.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	...	...	...	10	...	...
	योग	111776	3073	445090	219569	156395	309660

विवरण–2

1977-78, 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र. स.	राज्य/केन्द्र शाशित क्षेत्र का नाम	सृजित रोजगार 1977-78 (लाख श्रम दिन)	सृजित रोजगार 1978-79 (लाख श्रम दिन)	सृजित रोजगार 1979-80 (लाख श्रम दिन)	सृजित रोजगार 1980-81 (लाख श्रम दिन)	अवधि जिससे संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	—	186.76	532.91	476.99	मार्च, 81
2.	असम	6.11	4.06	115.86	अप्राप्य	
3.	बिहार	14.76	641.42	753.39	280.74	दिसम्बर, 80
4.	गुजरात	—	301.00	523.84	अप्राप्य	
5.	हरियाणा	—	30.03	124.19	70.43	दिसम्बर, 80
6.	हिमाचल प्रदेश	0.70	2.72	43.47	अप्राप्य	
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	1.99	29.83	28.90	दिसम्बर, 80
8.	कर्नाटक	5.02	44.71	12.13	आप्य	
9.	केरल	21.43	40.69	57.26	5.69	जून, 80
10.	मध्य प्रदेश	44.00	450.00	456.02	अप्राप्य	मार्च, 80
11.	महाराष्ट्र	—	143.00	499.12	अप्राप्य	
12.	मणिपुर	—	—	अप्राप्य	अप्राप्य	
13.	नागालैंड	—	—	अप्राप्य	अप्राप्य	
14.	उड़ीसा	68.60	362.39	552.27	294.06	दिसम्बर, 80
15.	पंजाब	0.14	49.93	32.28	3.51	दिसम्बर, 80
16.	राजस्तान	6.87	500.74	400.35	154.75	दिसम्बर, 80

1	2	3	4	5	6	7
17.	सिक्किम	—	—	—	अप्राप्य	
18.	तामिलनाडु	—	—	**142.40	अप्राप्य	
19.	त्रिपुरा	—	29.65	99.97	77.45	मार्च, 81
20.	उत्तर प्रदेश	58.19	223.32	819.52	479.36	सितम्बर, 80
21.	पश्चिम बंगाल	218.43	533.44	540.50	328.51	मार्च, 81
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	अप्राप्य	2.55	जून, 80
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.15	0.17	दिसम्बर, 80
24.	चंडीगढ़	—	—	—	अप्राप्य	
25.	मिजोरम	—	2.00	—	अप्राप्य	
26.	पांडीचेरी	—	—	1.50	1.17	दिसम्बर, 80
		444.34	3,556.88	5,736.60	2,204.28	

(—) यह दर्शाता है कि सम्बन्धित राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र ने वर्ष के दौरान कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।

(**) केवल ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है।

दिल्ली में प्रदूषित पेय जल

3193 **श्री तारिक अनवर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'नवभारत टाइम्स' दिनांक 4 जून, 1981 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार दिल्ली के निवासियों को प्रदूषित पानी पीने को बाध्य होना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि गन्दा पानी, जिसमें साइनाईड आदि मिले रहते हैं, विभिन्न उद्योगों द्वारा यमुना जल में बहाया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले पेय जल में प्रायः मिट्टी क्यों पाई जाती है; और

(घ) सरकार ने दिल्ली के निवासियों को शुद्ध पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं और इस बारे में आगे क्या कदम उठाए जाने हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। तथापि, दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि दिल्ली निवासियों को दूषित जल पीने को बाध्य किया जाता है। संस्थान ने आगे सूचित किया है कि यह पानी लेने के विभिन्न स्थानों पर कच्चे जल का नियमित विश्लेषण करता है और यह विश्लेषण साइनाइड तथा क्रोमियम होने का संकेत नहीं देता है।

(ग) इस संस्थान ने सूचित किया है कि चूंकि पानी को साफ किया जाता है इसलिए पेयजल में आमतौर पर मिट्टी नहीं होती है।

(घ) दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा कच्चे पानी से लेकर इसके शोधन तथा उपभोक्ता को इसके अन्तिम वितरण तक पानी की कोटि की निरन्तर जांच की जाती है ताकि दिल्ली निवासियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार स्वच्छ पेयजल सप्लाई किया जाए।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3194 **प्रो. के. के. तिवारी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत पिछड़े जिलों का चयन उनके सर्वोन्मुखी विकास के लिए किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किसी जिले को पिछड़ा घोषित करने के लिए मानदण्ड क्या हैं;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे प्रारम्भ में मुख्यत: लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिये गये क्षेत्रों से चुने 2300 खण्डों में शुरू किया गया था, को 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी 5011 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गंगा नदी में प्रदूषण

3196 **श्री जैनुअल बसर** :

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें किस सीमा तक प्रदूषण है और इसका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है; और

(ग) नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने तथा प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के उद्देश्य से, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के सम्बन्धित राज्य बोर्डों के सहयोग से 'गंगा नदी बेसिन का एक विस्तृत प्रदूषण सर्वेक्षण' आरम्भ किया है। यह सर्वेक्षण कार्य अभी पूर्ण किया जाना है।

पर्यावरण विभाग ने भी गंगा नदी की प्रदूषण स्थिति से सम्बन्धित निम्नलिखित तीन अनुसंधान परियोजनाओं को निधियां दी हैं :

1. कृषि कीटनाशक अवशेष और इलाहाबाद से पटना तक गंगा नदी के जल, भूमि तथा जैवीय अवक्रमण ।

2. गंगा नदी पर सरोवर जीव विज्ञान सर्वेक्षण और मानवीय गतिविधियों का प्रभाव ।

3. जल कोटि का जैविक संकेतक निश्चित करने के लिए गंगा नदी की जांच ।

तथापि, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड की सूचना के अनुसार, गंगा नदी के प्रदूषण के लिए मुख्य सहायक घटक नदी घाटी में स्थित श्रेणी 1 के 48 और श्रेणी 11 के 66 शहरों से प्रतिदिन लगभग 3081 एम. एल. डी. अशोधित गन्दे पानी का स्राव है ।

नदी के पानी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की सरकार को जानकारी है ।

(ग) जिन राज्यों में गंगा नदी बहती है, उन विभिन्न राज्यों में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लागू है । सम्बन्धित राज्य बोर्ड कानून के उपबन्धों का कार्यान्वयन कर रहे हैं । इस पट्टी में नए या विद्यमान सभी उद्योगों को गंगा नदी में अपने निःस्रावों को बहाने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्डों की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है ।

घरेलू मलजल जिसे अब गगा नदी में अशोधित रूप में बहाया जा रहा है, के शोधन के बारे में कार्यवाही सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों की मदद से की जानी है ।

मुद्रण निदेशालय की संयुक्त परामर्शदात्री समिति

3198 **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विभिन्न मुद्रणालय के संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के कुछ प्रतिनिधियों ने सरकार के खर्चे पर विभिन्न सरकारी मुद्रणालयों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों का ब्यौरा क्या है अर्थात् दौरे की तारीख, प्रत्येक सदस्य को कितनी अग्रिम राशि दी गई और उन्हें कुल कितनी राशि दी गई और उन्होंने किन मुद्रणालयों का निरीक्षण किया;

(ग) क्या नियमों के अधीन सरकारी खर्चे पर विभिन्न मुद्रणालयों का दौरा करने की अनुमति है, यदि हां तो सरकारी नियम किस तारीख के हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि सरकारी लेखों में अभी तक सामांकित नहीं की गई है; और

(ङ) इन दौरों से सरकार को क्या लाभ प्राप्त हुआ ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) ये दौरें या तो गृह मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अन्तर्गत इस मंत्रालय की विभागीय परिषद (जे.सी.एम.) द्वारा बनाई गई समिति के सदस्यों के थे अथवा विभागाध्यक्ष के अधिकार के अन्तर्गत मुद्रण निदेशक के निर्देश के अन्तर्गत लोकहित में विशिष्ट प्रयोजन के लिए थे।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) मुद्रण निदेशक के निर्देशन में या जे.सी.एम. योजना के अन्तर्गत कमेटी के सदस्यों के रूप में दौरे प्रबन्धकों और कर्मचारीगणों के बीच में सम्पर्क बनाए रखने में लाभप्रद सिद्ध हुए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त सहकारी आवास समितियाँ

3200 **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहकारी आवास सहकारी समितियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामान्य अटल अधिकार पत्रा/दीर्घावधि किराएदारी पंजीकरण के आधार पर मकान बनाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या काफी संख्या में गैर-सदस्यों ने आवास समितियों/कालोनियों में चालाकी से प्लाट हासिल कर लिए हैं और असामान्य रूप से बड़े मकान बना लिए हैं जिससे 'पोश एरिया' के आधार पर सम्पत्ति कर, धन-कर आदि के लिए उच्च कर-योग्य मूल्य हो गया है; और

(ग) इस बारे में वास्तविक सदस्यों के, जिन पर जमीन की वास्तविक लागत और उस पर निर्माण के आधार पर कर लगना चाहिए था, हितों के संरक्षण की दृष्टि से क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने किसी समिति को सामान्य अपरिवर्तनीय शक्ति/दीर्घावधि किराएदारी पंजीकरण के आधार पर मकान बनाने के लिए आज्ञा नहीं दी है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में कुछ मामले आए हैं जहाँ गैर सदस्यों को प्लाट अन्तरित किए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण उप पट्टे के निर्धारण के लिए उपपट्टा विलेख की शर्तों में अन्तगत कार्यवाही कर रहा है।

(ग) उपचारी उपाय के रूप में, मकान बनाने के लिए समयावधि की अनुमति देते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि सहकारी समिति के सदस्य द्वारा स्वयं ही अथवा उसके एजेंट द्वारा आवेदन किया जाता है जिसके पास सामान्य मुख्तारनामा है जो कि उसे किसी विशिष्ट तथा सीमित प्रयोजन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ व्यवहार करने के लिये प्राधिकृत करता हो। जिन मामलों में सामान्य मुख्तारनामा प्रस्तुत किया जाता है, तथा जहाँ यह मुख्तारनामा, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्तार को प्लाट बेच देने अथवा

कोई विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करता है तो ऐसे मामलों को प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में बताए मुताबिक निपटाया जाता है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, विभिन्न नियमों के तहत अनेक सूचनाएं (नोटिस) दी गई है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे सूचनाएं मुझे मिल चुकी हैं। मैंने कोई एडजर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं किया है।··· **(व्यवधान)**

---

2 सितम्बर 1981 को सदन के कथित गुमराह किए जाने के संबंध में वित्त मंत्री, श्री आर वेंकटरमन के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : मैंने 4 सितम्बर, 1981 को सभा को सूचित किया था कि मुझे वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरमन के विरुद्ध सर्वश्री जार्ज फर्नांडीस, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिमय बसु, मनीराम बागड़ी और प्रो. मधु दण्डवते से विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर सुचनायें प्राप्त हुई हैं। ये वित्त मन्त्री द्वारा महाराष्ट्र में अनेक न्यासों को आय कर से छूट देने के मामले में समाचार पत्रों में छपी अनियमितताओं पर ध्यानाकर्षण के बारे में प्रश्नों का उत्तर देते हुए 2 सितम्बर, 1981 को सदन को कथित गुमराह किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

जैसा कि मैंने उस दिन भी सभा को सूचित किया था कि ये सूचनाएं अपनी तथ्यात्मक टिप्पणियां देने के लिए वित्त मन्त्री के पास भेजी गई थीं। आज भी मुझे इसी विषय पर सर्वश्री मधु दंडवते, के. पी. उन्नीकृष्णन, रामजेठ मलानी, रामबिलास पासवान से विशेषाधिकार के मामले पर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या इसी विषय पर ?··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक कोई दूसरी चीज है परन्तु उस विषय से जुड़ी हुई है। **व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मधु दंडवते और सर्वश्री के. पी. उन्नीकृष्णन और रामबिलास पासवान ने अपनी सूचनाओं के साथ दिनांक 16 अक्तूबर, 1980 के 'लोकराज्य' की फोटोस्टेट प्रतियाँ संलग्न की हैं जिसमें 'प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी महाराट्र में स्थापित होने वाले स्मारक का नाम इन्दिरा गाँधी प्रतिभा प्रतिष्ठान रखने की अनुमति दे रही हैं' शीर्षक से समाचार छपा था।··· **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : फोटो सहित।

अध्यक्ष महोदय : यह वही फोटोग्राफ है जो पूर्ववर्ती सूचनाओं के साथ संलग्न किया गया था। मुझे आज सुबह वित्त मन्त्री से एक विस्तृत नोट प्राप्त हुआ है। इसके साथ कई अनुलग्नक हैं। इनमें वित्त मन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि ये सूचनायें समाचार पत्रों में छपे उन समाचारों पर आधारित हैं जिनमें 'प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी दस्तावेज पर दस्तखत कर रही है और साहित्य और ललित कलाओं में प्रतिभा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार न्यास को 'इन्दिरा गाँधी प्रतिभा प्रतिष्ठान' का नाम देने की अनुमति प्रदान कर रही हैं' शीर्षक से एक समाचार छापा है जिसमें एक फोटोग्राफ भी दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : परन्तु समाचार पत्र को यह फोटो महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है। ·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया देखिये। कृपा करके बैठ जाइये··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाइये। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते ? (**व्यवधान**) हो सकता है वे उसका हवाला दे रहे हों, परन्तु मुझे तथ्यों का पता लगाना है। मेरे पास समाचार पत्रों की कई कतरने हैं, परन्तु मुझे उनमें निहित तथ्यों का पता लगाना है।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : लोक-राज्य महाराष्ट्र सरकार का प्रकाशन है।

अध्यक्ष महोदय : तो इससे क्या हुआ। मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को निपटाने दीजिये। मैं तथ्य मालूम करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैं उन तथ्यों से संतुष्ट हुआ तभी मैं सभा में रखूंगा।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाइये। कोई प्रश्न नहीं कर सकता। कृपा करके बैठ जाइये।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं तो आप सुनते क्यों नहीं ? आप एकदम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं।···(**व्यवधान**) नहीं, वे कोशिश कर रहे हैं।···वित्त मंत्री ने विचाराधीन दस्तावेज भी मूल प्रति एवं फोटोस्टेट प्रति पेश कर दी है। उसमें देखा जा सकता है कि प्रधान मन्त्री ने 'प्रतिभा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र शीर्षक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे न कि 'इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान पर'·· (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बैठ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप कृपा करके बोलिये नहीं।···वित्त मंत्री ने यह भी बताया है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमें उन दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दूंगा। अवश्य दूंगा। कृपा करके बैठ जाइये (**व्यवधान**) न केवल वित्त मंत्री के पास बल्कि मेरे पास भी बड़े-बड़े चश्में हैं और हम यह समझ सकते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपा है और वहाँ क्या है···

प्रो. मधुदण्डवते : शीर्षक को देखने के लिए आतशी शीशे की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उस समाचार पत्र के लिए आवश्यकता है।

वित्त मन्त्री ने यह भी बताया है कि विचाराधीन न्यास का पंजीकरण 18 नवम्बर, का हुआ था, इसलिए 11 अक्तूबर 1980 को प्रधान मन्त्री द्वारा उदघाटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वास्तव में जिस दस्तावेज पर प्रधान मन्त्री ने हस्ताक्षर किए हैं वह प्रतिभा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था न कि इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिस्ठान। कुछ समाचार पत्रों एवं अन्य प्रकाशनों ने गलत और गुमराह करने वाले शीर्षक दिये हैं परन्तु

इससे बुनियादी तथ्य को बदला नहीं जा सकता कि प्राधान मन्त्री ने जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे वह प्रतिभा प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से ही संबंधित था।

"मे पार्लमैंटरी प्रोक्टिस" के अनुसार ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन में किसी सदस्य अथवा मन्त्री द्वारा जानबूझ कर गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया जाना सभा की अवमानता है। जैसा कि 1963 में प्रोफ्यूमां के मामले में हुआ था मेरे से पहले जो विद्वान लोक सभा अध्यक्ष रहे थे उन्होंने यह निर्णय दिया था कि विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानता का मामला शुरू करने के लिए यह सिद्ध करना होता है कि वक्तव्य न केवल गलत था गुमराह करने वाला था बल्कि यह सदन को गुमराह करने के लिए जानबूझ कर दिया गया था। केवल उसी स्थिति में विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है जबकि कोई सदस्य अथवा मन्त्री जानबूझ कर अपनी इच्छा से कोई झूठा या गलत बयान देता है।

2 फरवरी 1980 को विधि मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार के मामले की एक इसी प्रकार की सूचना पर मुझे यही निर्णय देना पड़ा था कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि दिया गया बयान न केवल गलत था गुमराह करने वाला था परन्तु यह बयान जानबूझ कर सभा को गुमराह करने लिए दिया था, तब तक विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

मामले के उपरोक्त तथ्यों और इस विषय पर पूर्वोदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि 2 सितम्बर, 1980 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्नों का उत्तर देते समय वित्त मंत्री द्वारा जानबूझ कर सदन को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा इसलिए नियम 222 के तहत इन सूचनाओं को अपनी सहमति प्रदान नहीं करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो. मधु दंडवते : मैं अनुदेश 118 के अन्तर्गत मामला उठा रहा हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषाधिकार हनन की सूचना देने वालों का यह दायित्व है कि वह अपनी बात को सही साबित करें। इसलिए, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं कह सकता हूं...

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। असंगत है। **(व्यवधान)***

प्रो. मधु दंडवते : मैं अनुदेश 118 के तहत मामला उठा रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, कृपा करके मुझे आधे मिनट का समय दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए मैं आपसे मशाविरा करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप को नही रोका, महोदय आप मेरे पास आइए। **(व्यधावन)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। जो कुछ मैंने कहा है वह सही है। आप मेरे पास आकर अपना मत व्यक्त कर सकते हैं **(व्यवधान)***

प्रो. मधु दंडवते : मैं अनुदेश 118 के अन्तर्गत मामला उठा रहा हूं। आपने अभी कहा था कि वित्त मन्त्री ने दस्तावेजों के सम्बन्ध में आपको कुछ जानकारी दी थी। मैं इस बात को

*सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

सही साबित करने के लिए एक दूसरा दस्तावेज पेश करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देने का मेरा आधार केवल समाचार पत्र में छपा समाचार ही नहीं था··· (व्यवधान) कृपा मेरी बात सुनें। मैं अनुदेश 118 के अन्तर्गत एक अनुरोध कर रहा हूं। मैं अपनी बात कहूंगा। मैं नियमों के सम्बन्ध में कभी गलती नहीं करता हूं। इसलिए मैं यह बात आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब हमने इस तथ्य को साबित करने के लिए प्रति दस्तावेज प्रस्तुत किया कि हमारा आरोप इन्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र पर ही आधारित नहीं है बल्कि मैंने 'लोक राज्य' का भी हवाला दिया था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें। आप मुझे प्रकाशन की प्रति दीजिये।

प्रो. मधु दंडवते : आप मन्त्री जी को कहें कि वे हस्तक्षेप न करें। मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिए।

प्रो. मधु दंडवते : जब मैं न केवल समाचार पत्र बल्कि लोक राज्य की प्रति भी पेश कर चुका हूं जो कि महाराष्ट्र सरकार का प्रकाशन है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिये। मैं इसे देख चुका हूं।

प्रो. मधु दंडवते : मैं इस दस्तावेज को सभा के पटल पर रखने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिये। मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने प्रक्रिया संबंधी सभी नियमों का पालन किया है। आपका निर्णय क्या है ? आपने इसे अस्वीकृत नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिये। मैं इसकी पड़ताल करूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने पहले यह आपको दिया था आपने इसे देखा नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वही दस्तावेज है जो अपने आज सवेरे मुझे दिया था। मैं इसे देख चुका हूं। अब इसे मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रो. मधु दंडवते : आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। मैं इस दस्तावेज को देख चुका हूं।

प्रो. मधु दंडवते : अभी आपने कहा था कि आप इस दस्तावेज के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं। तब आप 2 सैकण्ड में ही अपना निर्णय क्यों बदल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आप समझते क्यों नहीं ? मैंने सोचा था कि यह कोई नई चीज है। मैंने **लोक राज्य** का हवला दिया था।

प्रो. मधु दंडवते : उसके अतिरिक्त भी मैंने आपको एक नई चीज दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देख लिया था।

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : नियमानुसार इस मामले को उठाया नहीं जा सकता है।

प्रो. मधु दंडवते : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं सोचूँगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है, रूलिंग देने से पहले आप हमारी बात सुनते हैं ··

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ जाइये, मैं समझा दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन इस बारे में वित्त मन्त्री को जवाब देना चाहिए ·

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस दस्तावेज को मुझे दे दीजिये। मैं अब आपकी बात नहीं सुन सकता। मैं आपकी बात चैम्बर में सुन सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : आपको हमारी बात सुननी चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने हमारी बात सुने बिना ही अपना निर्णय दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य एकत्र करूंगा और यदि मैं संतुष्ट हुआ तो अपना निर्णय दूंगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : अपका निर्णय परस्पर विरोधी है। आपने कहा था कि दस्तावेज का शीर्षक पढ़ने के लिये आपने आतशी शीशों का इस्तेमाल किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी अपनी संतुष्टी के लिये था न कि आपकी।

श्री जार्ज फर्नांडीस : यह महाराष्ट्र सरकार का प्रकाशन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन बारे में कोई शका व्यक्त नहीं की। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं महाराष्ट्र सरकार के लिये जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी जिम्मेदारी केवल यहां के मन्त्री के बारे में है ··

श्री जार्ज फर्नांडीस : आप की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की भी है कि प्रमाण सही साबित किए जायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई और बात करना चाहें तो आप चर्चा के लिये मेरे पास आ सकते हैं। मैं सुझावों का स्वागत करता हूं परन्तु यहाँ नहीं। श्री भीष्म नारायण सिंह।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सब कुछ है। वैसे मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, और अगर करूंगा, तो वापस लेने के लिये तैयार हूं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये मेरी बात सुनिये। कृपया व्यवस्था बनाए रखिये।

प्रो. मधु दंडवते : आपने हमारी बात नहीं सुनी है। बात सुने बिना ··**(व्यवधान)** आप केवल मन्त्री जी बात ही सुन रहे हैं। हमारी बात कहाँ सुनेंगे ? यह निर्णय इकतरफा है आप हमें अपने कक्ष में बुला सकते। **(व्यवधान)**

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : आप उन्हें अपने निर्णय की अवहेलना करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? वे ·· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने कहा कि मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि आपने उन्हें अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें किसने अनुमति दी ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप गलत बात क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं तो आपको नियमों के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे खेद है कि आपने बिना हमारी सलाह के निर्णय दिया आप हमें चेम्बर में बुला सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनेंगे आप लोग।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमें सुने बिना आप किसी निर्णय पर कैसे पहुंचे ?

प्रो. मधु दंडवते : आप हमें चेम्बर में हमारे प्रस्ताव की अन्त्येष्टि के लिये बुला रहे हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ··· के लिये तैयार ·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या एक नजर मुझे भी इनायत फरमाएँगे। मुझे आपके निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री चन्द्रशेखर को अनुमति देता हूं।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहना है लेकिन हाल ही में मैंने हैदराबाद से आपका वक्तव्य सुना था जिसमें बताया गया था कि आप अपनी अन्तरात्मा की आवज के अनुसार निर्णय देंगे। काफी समय से इस सभा में आप यह दृष्य देख रहे हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अन्रात्मा बिल्कुल शुद्ध है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी, आप मुझ से बात कीजिए।

श्री जगदीश टाईटलर : सदस्य यह नोट करें कि संसद का मखौल कौन उड़ा रहा है। (**व्यवधान**) आप इस संसद का मजाक उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी झगड़ा नहीं रहेगा अगर आप मेरी बात सुन लेंगे। मैं कह रहा हूं कि कोई झगड़ा नहीं रहेगा।

श्री चन्द्रशेखर : केबल तीन दिन पहले राष्ट्रीय दैनिक ने श्री वेंकटरामन के वक्तव्य के बारे में कुछ तथ्य प्रकाशित किये थे। क्या आप के लिये यह उचित नहीं था कि आप अपना निर्णय देने से पहले उन सभी से परामर्श करते, जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। यह सामान्य शिष्टाचार की बात थी। (**व्यवधान**)

श्री सी. एम. स्टीफन : ऐसा कभी भी नहीं हुआ।

श्री चन्द्रशेखर : स्टीफन जी, मुझे आप से ज्यादा मालूम है। मैं संसद में आप से अधिक समय से रहा हूं। इस लिए इस बारे में मुझे कुछ मत सिखाइए। अध्यक्ष महोदय इस प्रकार के मामलों में जब पूरा सदन उत्तेजित हो और जब बाहर लोग शकाएं प्रकट कर रहे हों उस समय

अध्यक्ष महोदय का यह कर्त्तव्य था कि वह उन सभी सदस्यों से परामर्श करते, जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए मैं कोई काम करने से पहले अपनी तसल्ली करता हूं चूंकि मुझे हाउस के सामने कुछ कहना है और जिम्मेदारी के साथ कहना है। जब तक कि मेरी तसल्ली नहीं होती मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। इसके लिए मैंने सौ दफा हाउस में कहा है और आज फिर कह रहा हूँ। इस बात पर अगर मैं कोई गलती करता हूं तो गलती को ओन करने में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा। आप भी मुझे बता सकते हैं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि यह पत्थर की लकीर हो जाएगा। गलती हो सकती है, वह ठीक भी हो सकती है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बात करिए, आप मेरे से फिर से बात करिये। आप मुझे विश्वास दिला दीजिये। वैसे तो जब मेरे इस निर्णय में कोई संशोधन न हो वह अन्तिम है।

श्री चन्द्रशेखर : इसका मतलब है अगर माननीय सदस्य नए तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो आप अपने निर्णय पर फिर से विचार करने के लिये तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा में सुझाव सुनने के लिये हमेशा तैयार हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय अंतिम है। अगर कोई और बात हो जिस पर विचार किया जा सके तो उसकी अनुमति मैं दूंगा यही मेरा निर्णय है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने सभी बातों का जवाब नहीं दिया। आपने यह कहा है कि आपने इस पर बारीकी से विचार किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसमें इसका जिक्र कभी नहीं किया। मैं आपको जो मैंने किया है वह बताना चाहता था। मैंने यही निर्णय दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आएं। आपका स्वागत है।

श्री रामजेठ मलानी : अगर हम आएं तो क्या आप इस प्रश्न के बारे में हमें सुनेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कोई और प्रश्न ?

श्री रामजेठ मलानी : क्या आप अपने निर्णय को बदल देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा सुधार करने के लिए तैयार हूं, सुझाव सुनने के लिए तैयार हूं मैं परामर्श स्वीकार करता हूं इसे महत्व देता हूं। मैं तानाशाह नहीं हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री भीष्म नारायण सिंह।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 46 की

उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन) (संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 11 जुलाई 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स. सां. नि. 655 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नगर भूमि (अधकतम सीमा और विनियमन) (दूसरा संशोधन, नियम 1981 जो दिनांक 6 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 477 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। संसद ग्रन्थालय में रख दिया गया **देखिए** एल. टी. संख्या 2759/81।

(2) अधिसूचनाएं जारी किए जाने की आवश्यकता स्पष्ट करने वाले व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **(व्यवधान)**

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा बिलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। संसद ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिए एल टी संख्या 2760/81। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी की भी अनुमति नहीं है। यह गैर-संसदीय है। **(व्यवधान)** स्वामीनाथन जी, किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है।

कर्नाटक डेरी विकास निगम बंगलौर का वर्ष 1976-77 तथा मध्यप्रदेश राज्य डेरी विकास निगम, भोपाल का वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन्हें विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पडल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे :—

(क) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1976-77 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। संसद ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिए एल. टी. संख्या 2761/81।

(ख) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। संसद ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये एल टी संख्या 2762/81

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 500 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 28 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखेंगे जिसके द्वारा वाक्यांश "औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैराग्राफ 8" के स्थान पर "औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के पैराग्राफ 19" प्रतिस्थापित करने के लिये दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 की अधिसूचना संख्या 161/66-सीई में कतिपय संशोधन किया गया है। संसद ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये एल टी संख्या 2763/81

अध्यक्ष महोदय : श्री परमार, इसकी अनुमति नहीं है; और संसदीय (व्यवधान) जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कहा जाएगा, रिकार्ड नहीं किया जायेगा! (व्यवधान)*

श्री राम जेठ मलानी : हम किस समय आ सकते हैं? 1 बजे?

अध्यक्ष महोदय : मेरे उठने के बाद आप आ सकते हैं।

श्री शंकरानन्द!

चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति का गठन करने के बारे में वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री वी. शंकरानन्द) : पिछले तीन दशकों में देश में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। इससे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में सहायता मिली है। वैसे इस उपलब्धि के बावजूद चिकित्सा शिक्षा में कुछेक त्रुटियाँ आ गई हैं जिनके कारण देश की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की इतनी अच्छी पूर्ती नहीं हो पाई है। प्रधानमन्त्री ने कई बार चिकित्सा शिक्षा के महत्व पर बल देते हुये कहा है कि इस तंत्र की

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समीक्षा की जानी चाहिए जिससे यह स्वास्थ्य परिचर्या के सम्पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति कर सके और कुछेक व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने की बजाए आम लोगों की जरूरतों को पूरा करे।

2. "सन् 2000 ई. तक सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय प्रतिवद्धता के संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की समग्र व्यवस्था के जरिये वर्तमान चिकित्सा शिक्षा पद्धति की समीक्षा जरूरी हो गई है। इस सम्बन्ध में, कुछ ऊष्णकटीबंधीय रोगों के पुनः फैलने, समुदायप्रधान शिक्षा की प्रधानता होने गांव की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को तैयार करने की आवश्यकता होने, सर्वसाधारण डाक्टरों और स्नातकोत्तर चिकित्सा व्यवसाइयों के अनुपात में असंतुलन होने के कारण तथा स्नातकपूर्व और स्नानकोत्तर स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया, जिसमें उसके लक्ष्य, शिक्षा देने के तरीके और उनके मूल्यांकन की विधियां शामिल हैं, के पर्याप्त न होने के कारण इन सब बातों की तुरन्त और सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

1. यह समिति दाखिले की वर्तमान कार्यविधियों (प्रवेशार्थ परीक्षाओं सहित) तथा स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए लगाये गए स्थानीय प्रतिबन्धों की समीक्षा करेगी और इनके सम्बन्ध में अलग-प्रलग उपयुक्त सुझाव देगी;

2. स्नातकपूर्व और स्नानकोत्तर शिक्षा में सुधार लाने के उपाय सुझाएगी, और इसके लिये जिन बातों की ओर ध्यान देगी, वे हैं :—

(क) संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति,

(ख) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के विषय, उनकी संगति और गुणवता तथा सिखलाई की पद्धतियों, और

(ग) मूल्याकन पद्धतियां और स्तर

3. स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अधिकतम कालावधियाँ क्या हों, उनके बारे में अलग–अलग सिफारिश करेगी।

(4) वर्तमान इंटर्नशिप कार्यक्रम की जांच करेगी और उसके भावी पैटर्न की सिफारिश करेगी।

(5) रेजीडेन्सी योजना और हाउसमैनशिप कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, इनकी समीक्षा करेगी तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का एक समान पैटर्न कैसा हो, इसके बारे में सिफारिश करेगी।

(6) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में थीसिस अथवा डिजर्टेशन की वर्तमान आवश्यकता की जांच करेगी और इसके सम्बन्ध में उपयुक्त सुझाव देगी।

(7) गांव से चिकित्सा स्नातकों और स्नातकोत्तर के सेवाकाल की व्यावहारिकता की जांच करेगी।

4. यह समिति यह भी अनुमान लगायेगी कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद जितने डाक्टरों, आदि (एम. बी. बी. एस. डाक्टर, सामान्य विशेषज्ञ और उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ) की आवश्यकता होगी। ऐसा करते समय समिति यह देखेगी कि :

(क) सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों के लिए डाक्टरों की कितनी जरूरत है,

(ख) प्राईवेट क्षेत्र में कितने डाक्टर होने चाहिए,

(ग) विकासशील देशों के बीच हुए द्विपक्षीय कारारों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और तकनीकी सहयोग के लिहाज से कितने डाक्टरों की जरूरत होगी, यथा

(घ) चिकित्सा कर्मचारियों के बंटबारे में क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की कितनी आवश्यकता है।

5. अपनी सिफारिशें करते समय यह समिति चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समितियों और सम्मेलनों द्वारा हाल ही के वर्षों में दी गई रिपोर्टों को भी ध्यान में रखेगी।

6. यह समिति छः महीनों के अन्दर-अन्दर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 के अन्तर्गत कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मानहानि या निन्दा का आरोप नहीं लगायेगा। मैं आप का ध्यान श्री राकेश जी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वह आपका ध्यान सन्डे स्टेट्समैन में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसके सम्बन्ध में नोटिस दिया है ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जबकि वह इस मामले का आपके सामने ला चुके हैं तो आप नियम 356 के अन्तर्गत इस पर मन्त्री महोदय की टिप्पणी मंगाने के लिए बाध्य हैं।

अध्यक्ष महोदय। नहीं मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कहा जायेगा।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपने अपना विनिर्णय दिया है कि विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं हुआ है। वित्त मन्त्री.....

अध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो गया है।

प्रो. सत्यसाधन चक्रवर्ती : तो फिर समाचारपत्रों ने इन सब बातों को क्यों प्रकाशित किया है .....

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

यह विषय से सम्बद्ध नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रावत। आप इन सब बातों में क्यों जा रहे हैं। आप उन्हें भाषण क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कहां-कहां देखता फिरूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :: बहुत हो गया, अब तो हाऊस का काम चलने दीजिये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीआर्डरों के मामले में कदाचार के लिए डाक कर्मचारियों के विरुद्ध कथित शिकायतें

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं संचार मन्त्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें ।

'मनीआर्डरों की राशि का भुगतान न करने, उनके गबन, कम भुगतान और देश से भुगतान करने के बारे में डाकघर कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये, कोई हद होती है । अब मैं कहाँ-कहाँ इनको देखता फिरूंगा ? आप कृपा करके बैठिये, अब हाउस का काम चलने दीजिये । बहुत हो गया ।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : खड़े हुये ।

अध्यक्ष महोदय : इसे करना उनका कर्तव्य है । मैं उन्हें उकसा नहीं रहा हूं । मैंने मामले को विदेश मन्त्री के पास भेज दिया है । मैंने विदेश मन्त्री से कुछ तथ्य मांगे हैं ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : शुक्रवार को आर्म्स सप्लाई के खिलाफ जो अमरीकन ऐम्बेसी के सामने हमने डेमोस्ट्रेशन किया था, उसमें असली भारत के कारस्पोडेंट का कैमरा छीना गया था, जिसकी रिपोर्ट भी हुई है, उस पर हमने एडजर्नमेन्ट मोशन दिया.....

अध्यक्ष महोदय : आप कोई और मोशन दीजिये ऐडजर्नमेंट मोशन थोड़े ही होता है ।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपकी वास्तव में सहायता करना चाहता हूं । हमारे पास एक मामला था । मेरे विचार से वह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है । यह मामला श्री तुल मोहन राम का था और सभा ने इस पर निर्णय भी दिया था ।

अध्यक्ष महोदय । कोई मामला नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब सभापति द्वारा एक परिकालिन समिति का गठन किया गया था । आप परिकालिन समिति का गठन करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है । यहाँ कोई मामला नहीं है । आप सभा का बेकार ही समय नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो. साहब, कृपया कार्यवाही में बाधा न डालिये ।

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : विभाग प्रत्येक वर्ष 11 करोड़ मनीआर्डरों का निपटान करता है और उनके माध्यम से 1150 करोड़ रुपये का भुगतान होता है । कोई शिकायत तब होती है जब मनीआर्डर का भुगतान नहीं होता अथवा उसका गलत भुगतान हो जाता है । वर्ष 1980-81 के दौरान निपटान किए गए इतनी भारी संख्या के मनीआर्डरों पर विभाग ने मनीआर्डरों के बारे में केवल 328 लाख जांच एवं शिकायतें प्राप्त हुई । यह निपटान किए गए प्रति हजार मनीआर्डरों पर 3 शिकायतों से कम है । यह पाया गया है कि गत 5 वर्षों के दौरान मनीआर्डरों की शिकायतों का स्तर व्यवहारिक रूप से वही रहा है ।

विभाग द्वारा विकेन्द्रीकृत आधार पर शिकायतों का निपटान किया जाता है और शिकायतों का निवारण करने के लिए फील्ड अधिकारियों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। शिकायतों के अविलम्ब निपटान करने के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित हैं। 98 प्रतिशत से भी अधिक शिकायतें 3 महीने के अन्दर और 99.8 प्रतिशत 6 महीने के अन्दर निपटा दी जाती हैं।

बहुत से मामलों में यह पाया गया है कि वास्तव में तो मनीआर्डर का भुगतान हो गया था परन्तु शिकायत इसलिए की गई कि प्राप्तकर्ता की पावती प्रेषक को प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ मामलों में ऐसा पता चला कि भुगतान डाकघर में मनीआर्डर प्राप्त नहीं हुए अथवा पारेषण के दौरान गुम हो गये। ऐसे मामलों में तत्काल मनीआर्डर की दोहरी अनुलिपि जारी करके भुगतान कर दिया जाता है। कुछ मामलों में भुगतान में विलम्ब भी पाया जाता है विशेष कर दूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका कारण यह है कि शाखा डाकघरों में पर्याप्त नकदी तत्काल उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। भुगतान में विलम्ब इस कारण भी होता है कि प्राप्तकर्ता का पता पूरा नहीं होता अथवा कई दिनों तक प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है। कुछ मामलों में जो कि कभी-कभी और बहुत कम होते हैं यह पाया जाता है कि भुगतान गलत प्राप्तकर्ता को कर दिया गया है. कभी-कभी तो यह वास्तविक त्रुटि के कारण होता है और कभी-कभी पथभ्रष्ट कर्मचारियों की गलती के कारण होता है। ऐसे मामलों में जांच के बाद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अथवा कानूनी कार्यवाई की जाती है।

पहले अलग किस्म के मामले भी जानकारी में आये जहाँ कुछ मनीआर्डरों की रकम का बुक करने वाले अथवा भुगतान करने वाले कर्मचारियों द्वारा दूरविनियोजन किया गया अथवा पारेषण के दौरान मनीआर्डरों में हेरा फेरी की गई अथवा डाक में जाली मनीआर्डर मिला दिए गए और उनका भुगतान करा दिया गया। परन्तु ऐसे मामले अत्यन्त कम और यदा-कदा ही हुए हैं तथा उन मनीआर्डरों की संख्या और रकम बहुत कम है। उनका शीघ्र पता लगाया गया और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अपेक्षित कानूनी कार्यवाई की गई। तथापि, हाल-फिलहाल में इस किस्म के किसी बड़े मामले की रिपोर्ट नहीं मिली।

विभाग ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जांच और जांच दर जांच की व्यापक प्रणाली तथा मनीआर्डरों की कुछ संख्या के भुगतान के सत्यापन की प्रणाली निर्धारित की है। यह सब, तथा शिकायतों में त्वरन्त जांच की प्रणाली मिलकर धांधलेबाजी के अवसर को कम कर देते हैं और इस किस्म की पृथक घटनाएं भी अधिक समय तक बगैर जानकारी में आए नहीं रह सकती है। विभाग इस प्रणाली की निरन्तर पुनरीक्षा करता है और अवसर के अनुसार अपेक्षित उपचारी तथा दण्डात्मक उपाय करता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारी मात्रा में मनीआर्डर परियात होता है और भारी रकम शामिल होती है और देश भर में फैले हुए 1 लाख 40 हजार कार्यालयों में 5½ लाख कर्मचारी इस कार्य को करते हैं, मनीआर्डर सेवा को अत्यन्त सफल और विश्वसनीय कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय (पीठासीन हुए)

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, जब मैं पार्लियामेंट में चुन कर

आया तो उससे पहले ऐज लीडर आफ अपोजीसन माननीय स्टीफन की जो भूमिका रही उसका मैं प्रशंसक था। लेकिन आज जिस तरीके से हमारा पोस्टल डिपार्टमैंट काम कर रहा है उससे ऐसा लगता है, केवल दो ही डिपार्टमेंट ऐसे रह गये हैं। रेल और पोस्टल डिपार्टमेंट्स-जिनको देखकर जनता पार्टी के समय के मिसरूल की याद आती है। इन्दिरा जी के सत्ता में आने के बाद हमारे जितने भी और डिपार्टमेंट्स थे उसकी वर्किन्ग में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन पी.ऐंड टी. में और रेलवे विभाग में जो काम चल रहा है ऐसा लगता है कि इन दोनों विभागों में कम्पटीशन चल रहा है। और ज्यादा न कह कर मैंने केवल इशारा किया है। मुझे माननीय स्टीफन साहब की क्षमता में पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि रेलवे के बाद अगर और कोई विभाग है जो कामन आदमी तक पहुंचता है, और जो हमारे रूरल इनफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश करता है तो वह पी. ऐंड टी. डिपार्टमेंट ही है और कोई दूसरा विभाग नहीं है। इसलिए इसमें जो अनुशासनहीनता है, या देरी करने की प्रवृत्ति है, फ्राड करने की प्रवृत्ति है, टेलीफोन काल मिलाइये तो मिलती नहीं, काल को कोई अटेंड नहीं करता है, मनीआर्डर समय पर लोगों को नहीं मिलता, चिट्ठी समय पर नहीं मिलती, लिफाफा नहीं मिलेगा, पोस्टकार्ड नहीं मिलेगा, इन तमाम बातों की वजह से जनता में बड़ा असंतोष व्याप्त है। इस तरह से कहाँ तक काम चल सकता है ? इसको आपको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिये।

जो मैंने काल अटेंशन दिया है उसके पीछे हमारी और हमारे तमाम कांग्रेसी साथियों की मंशा भी यही है कि इन कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलायें ताकि उसको दूर किया जा सके। जो आपने यहाँ पर बयान दिया है ··

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अगर माननीय स्टीफन में शर्म है तो इस्तीफा दें।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : कमी बेश इसमें क्या-क्या हुआ है यह तो आपने जरूर कहा है। लेकिन जो हो रहा है उसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे उसके विषय में एक शब्द भी आपने अपने बयान में नहीं कहा।

आपने कहा कि 11 करोड़ मनीआर्डर होते हैं और 1,000 के बीच में तीन मनीआर्डर गलत पहुंचते हैं। लेकिन उन तीन में से कोई गरीब आदमी भी ऐसा हो सकता है जिसका बच्चा परदेश से कमाकर अपने मां बाप को पैसा भेजता होगा। अब अगर उस गरीब को समय पर पैसा न पहुंचे तो वह कहां पर हिट करता होगा, यह आपको सोचना चाहिये। और जो आपने रेमेडीज बतायी हैं कि हमारे यहां यह सिस्टम है जांच करके ऐक्शन लेते हैं, इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया कि आप क्या ऐक्शन लेते हैं और किन-किन कर्मचारियों के खिलाफ आपने साल में ऐक्शन लिया। जब कि लगातार आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में यह देखने में आता है कि एक आदमी मनीआर्डर भेजता है तो गांव में जो पोस्टमेन है वह उस रुपये को अपने पास रख लेता है। अगर चार महीने भी अपने पास रख लिया तो उस व्यक्ति की तो चार महीने तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पायी जिस काम के लिए उसके बच्चे ने बाहर से पैसा भेजा था। तो इस विषय में आपने क्या ऐक्शन लिया है यह आपने बयान में नहीं बताया।

दूसरे आपने अपने बयान में पोस्टल एजेन्सीज के बारे में कुछ नहीं कहा जब कि आज जगह-जगह फेक पोस्टल एजेन्सीज खुली हुई हैं जहाँ अगर कोई आदमी मनीआर्डर करने जाता है, तो मनीआर्डर न करके जाली रसीद दे देती हैं। और हर आदमी शिकायत भी नहीं कर

पाता, और अगर कोई शिकायत करता भी है तो वह ऐन्टरटेन नहीं होती है। इसका कारण यह है कि आपके डिपार्टमेंट में एक तो एडवाइजरी कमेटीज इस समय नहीं हैं। जो हैं भी वह आपने जोनल लेविल पर बना रखी है, और एक-एक जोन इतना बड़ा है कि ठीक से सुपरवाइज करना नामुमकिन है। जैसे यू.पी. है इस जोन की आपने लखनऊ में एक ऐडवाइजरी कमेटी बना दी। तो वह सारे प्रान्त को सुपरवाइज नहीं कर सकती। इसलिए जो ऐडवाइजरी कमेटीज हैं वह कमिशनरी लेविल पर होनी चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होनी चाहिए। ताकि आपके डिपार्टमेंट की कहीं पर कोई फाल्ट आये तो पब्लिक रिप्रैजेन्टेटिव आपके कर्मचारियों और अधिकारियों को बता सकें। इस समय आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में ट्रेड यूनियनिज्म बहुत है जिसकी वजह से जितना इसमें गड़बड़ हो रहा है, उतना कहीं नहीं है। ट्रेडयूनियनिज्म को भी कंट्रोल करना चाहिये, जो प्रतिपक्षी लोग इनको जल्दी उकसा देते हैं उस पर विचार करना चाहिए। विरोधियों द्वारा इनको उकसा देने से बहुत नुक्सान हो रहा है, कितनों का सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी क्षमता, योग्यता और लीडरशिप के नाम पर कम से कम इस बात पर जरूर प्रकाश डालें कि आप किस तरीके से अपने मंत्रालय को ठीक करेंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी.एम. स्टीफन) : मेरे बहुत ही विद्वान मित्र ध्यानाकर्षण नोटिस से बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे सामने केवल गलत कार्यप्रणाली का ही मामला है इसके मनीआर्डर भाग का मैंने विस्तार से स्पष्टीकरण दिया है। उसके सम्बन्ध में भी रिपोर्ट असंतोषजनक है, कोई भी व्यक्ति प्रायः संशयवादी हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण संतोष कैसे दिया जा सकता है। प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये की भारी धनराशियों का निपटान किया जाता है। लगभग 11 करोड़ रुपये के मनीआर्डर भेजे जा रहे हैं। इस धनराशि में से धोखाधड़ी के अन्तर्गत जितनी भी धनराशि आती है वह केवल 2.85 लाख रुपये हैं। 1200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है। एक विशेष वर्ष में जितने रुपये की राशि का दुरुपयोग हुआ है वह 2.8 लाख रुपये बैठती है। हमें उन बहुसंख्यक कर्मचारियों की अवश्य ही प्रशंसा करनी चाहिए जो यह काम कर रहे हैं और लोगों के घरों पर इमानदारी से रुपया दे रहे हैं। इस समग्र मामले पर हमें विचार करना है।

धोखाधड़ी के मामलों का प्रतिवर्ष पता लगाया जाता है। मैं चार वर्षों के आंकड़े दे रहा हूँ। ये आंकड़े हैं 696, 612, 509, 509। ये आंकड़े, जैसा कि मैंने कहा है, 1200 करोड़ रुपये के कुल परिचालन में से हैं। जो आंकड़े हमारे सामने हैं वे तुलनात्मक हैं।

मैंने यह जानने के लिये एक अभ्यास किया कि शिकायतें कैसे बनायी जाती हैं। जनवरी और मार्च, 1981 के मध्य हमारे पास 93000 मनीआर्डरों के बारे में शिकायतें आयी थीं। मैंने इनकी जांच करने का आदेश दिया। जांच की गयी। इन 93,000 शिकायतों में से 60,000 या 61,000 शिकायतें इस सम्बन्ध में थी कि शिकायतकर्ताओं को पावती रसीदें प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्हें फिर देखा गया तो पता लगा कि सब रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। पावती रसीद रजिस्ट्री द्वारा वापस नहीं आती है। यह केवल एक कागज बतौर ही आती है। लोग इसे कहीं खो देते हैं। रुपये का भुगतान वास्तव में किया गया था।

93,000 शिकायतों में से 61,000 शिकायतों के मामलों में यह पाया गया था कि रुपये

का वास्तव में भुगतान किया गया था। लगभग 17,000 शिकायतें भुगतान के विलम्ब के बारे में थी। भुगतान 10 या 15 दिनों के बाद किया गया था अथवा भुगतान में इनमें से जितने भी दिन लगे हो। इस प्रकार का भुगतान में विलम्ब दूरस्थ क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी क्षेत्रों के शाखा-डाक घरों में होता है। उन डाक घरों के पास समय पर रुपया नहीं होता है क्योंकि रुपये की काफी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। दुर्गम मार्ग वाले क्षेत्रों में हमें कैश बैग नहीं मिलते हैं। हमें दूसरे क्षेत्र के लिये नकद राशि मिलती है इसमें थोड़ा सा समय लगता है। यह भी एक कारण है। कर्मचारी भी किसी समय थोड़ा रुपया अपने पास रख लेते हैं यह भी एक कारण है। 17,000 शिकायतें उसी सम्बन्ध में हैं।

9358 मनीआर्डर फार्म भेजने में खो गये थे। 93,000 में से केवल 1150 का गलत भुगतान किया गया था। उस गलत भुगतान की और जांच की जा सकी थी—डाकिया को गलत व्यक्ति के गवाहों द्वारा गुमराह किया जाना और उस व्यक्ति का भाग जाना आदि आदि।

मनीआर्डर के मामले का पता न लगाया जाना असम्भव है क्योंकि पाने वाला भी शिकायत करता है और भेजने वाला भी शिकायत भेजता है। दुरुपयोग का कोई मामला ऐसा नहीं है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। आप इस भारी परिचालन को ही देखिये, हमें उन कर्मचारियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो इस काम को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां मनीआर्डरों का भुगतान पाने वाले के घर पर किया जाता है। अन्य देशों में आपको यह बताते हुए एक पर्ची मिलेगी कि आपका रुपया यहां है। आप आकर उसे ले लें। भारत ही एक ऐसा है जहाँ मनीआर्डर का भुगतान पाने वाले के घर पर किया जाता है।

भारत में 140,000 डाक घर है। इनमें से 20,000 डाक घरों को छोड़ कर शेष डाक घर अतिरिक्त विभागीय डाक घर हैं। ऐसा अधिकतर अतिरिक्त विभागीय डाक घरों में होता है। इस प्रकार की 80 प्रतिशत घटनाएं अतिरिक्त विभागीय डाक घरों में ही होती है क्योंकि हम एक क्षेत्र विशेष के उद्देश्य से ही उनमें उस किस्म के व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं प्राय: उनमें ही घटती हैं। उन्हें रोकने के लिये ज्यादा शिकायतें प्राप्त नहीं होती हैं और जब कभी ऐसी घटनाएं छोटे से छोटे कस्बे में भी घट जाती हैं तो रुपये का भुगतान कर दिया जाता है और दावे का निपटान कर दिया जाता है।

जहां तक कार्य कुशलता का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि इन शिकायतों में से 95 प्रतिशत शिकायतें तीन महीने के समय में ही तय कर दी गयी हैं और 99.5 प्रतिशत शिकायतें 6 महीने के समय में तय कर दी गयी हैं। इसकी अपेक्षा और शीघ्र निराकरण नहीं हो सकता है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो 6 महीने से अधिक समय से अनिर्णित पड़ी हो। कुछ बकाया शिकायतें हो सकती हैं लेकिन उनका कारण यह है कि उनमें कुछ बाधा हो सकती हैं। यह हो सकता है कि पाने वाला स्वयं आकर यह गलत शिकायत हो कि उसे रुपये का भुगतान नहीं किया गया था; यह भी हो सकता है कि कोई चालाक व्यक्ति गलत शिकायत करता हो और विभाग को बेवकूफ बनाने का प्रयास करता हो। हमें इस सम्बन्ध में होशियार होना पड़ेगा। शिकायतों पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। हमें यह देखना है कि शिकायतों को शीघ्रता से तय किया जाना है। इन शिकायतों में से ज्यादातर शिकायतें अर्थात 90 प्रतिशत

तीन महीनों में तय की गयी हैं और 6 महीने पुरानी कोई शिकायतें बकाया नहीं हैं। धन का भुगतान किया जा रहा है। मनीआर्डर भाग के सम्बन्ध में कार्य कुशलता की यह तस्वीर है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी.वी. देसाई। यदि आपको केवल मनीआर्डर के बारे में कोई शिकायत है तो आप मन्त्री महोदय से पूछ सकते हैं लेकिन उनसे अन्य मामलों के बारे में नहीं पूछें। यह सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री बी.वी. देसाई (रायचूर) : माननीय मंत्री; महोदय मेरे जिले से लगे जिले के है। इसलिये मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं।

मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है। मैंने उसे पढ़ लिया है। मैं भी डाक विभाग की उतनी ही प्रशसा करता हूं जितनी मंत्री महोदय ने की है। जहाँ तक मनीआर्डर का सम्बन्ध है मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं डाकघर कर्मचारियों की उनसे भी ज्यादा प्रशंसा कर सकता हूं।

आज सुबह ही मैंने "185" पर टेलीफोन किया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वास्तव में टेलीफोन के बारे में कहना चाहते हैं। आप केवल मनीआर्डर के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री बी.वी. देसाई : इसका सम्बन्ध केवल उन्हीं से है। मैंने 185 पर फोनोग्राफ किया। टेलीफोन आपरेटर ने कहा—कृपया इन्तजार कीजिए; आप क्यू में हैं।

ऐसा कब तक चलेगा। 25 मिनट तक। क्या इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ नहीं कर सकते ? इसका सम्बन्ध इस विषय से नहीं हो सकता। लेकिन इसका सम्बन्ध श्री स्टीफन से है। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहिए ? वह अपने उत्तर में यह कह सकते हैं कि इसका सम्बन्ध मनीआर्डर से नहीं है। लेकिन इसका सम्बन्ध श्री स्टीफन से है। उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि यह केवल "185", "199" के बारे में ही नहीं है, आप किसी भी सेवा को ले लीजिये। उन्हें इस बात को नोट करना चाहिए।

मनीआर्डर के सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि वहाँ कार्य कितना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज का दौरा करें और यह मालूम करने की कोशिश करें कि टेलिफोन आपरेटर यह क्यों कहता है कि "आप का नम्बर लगाया हुआ है" तो आप समझ जाएंगे।

श्री बी.वी. देसाई : मैं आपसे सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका आपसे कोई विरोध नहीं है। स्विच बोर्ड खाली नहीं है। मुझे डाक-तार विभाग की थोड़ी बहुत जानकारी है क्योंकि मैंने उस विभाग में 25 वर्ष काम किया है।

श्री बी.वी. देसाई : आपको इस बारे में मुझसे अधिक जानकारी है।

जहाँ तक मनीआर्डर का सम्बन्ध है और अधिक काम तथा उसकी प्रतिशता को देखते हुए यह बिल्कुल नगण्य है। मैं इससे सहमत हूं। परन्तु फिर भी हम इसे छोड़ नहीं सकते। दूरवर्ती इलाकों में यह बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे देश के स्तर पर, तथा काम की

अधिकता को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिशतता काफी कम है। परन्तु ऐसा काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वृद्धावस्था की पेंशनों में भी दो-तीन महीने का विलम्ब हो रहा है। वह तीन महीने का दस्तावेज लाता है और दो महीने का भुगतान करके एक महीने की राशि अपने पास रख लेता है। अधिकारियों को निचले स्तर पर कड़ा प्रबन्ध करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ऐसा न होने पाये। ऐसा नहीं होना चाहिए .यही मुद्दा मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। उन्होंने यहाँ इसकी वह प्रशंसा ही की है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। जहाँ तक इसकी मात्रा का सम्बन्ध है वह अंश बहुत थोड़ा सा ही है परन्तु फिर भी माननीय मंत्री महोदय तथा उनके विभाग द्वारा इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिये। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका क्या समाधान करेंगे।

श्री सी.एम. स्टीफन : इस समस्या का मूल जानने के लिए मैंने आदेश दिया कि एक अवधि विशेष की कुल शिकायतों का विश्लेषण किया जाये और उस विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि गलत अदायगियों की संख्या कुल 1,000 थी। गलत अदायगियां रोजाना नहीं होती हैं। पूरे वर्ष के दौरान लगभग 500 रुपये की धोखाधड़ी ही हुई। यह धोखाधड़ी तब हुई जबकि कर्मचारियों की संख्या लगभग 5 लाख है और 1 करोड़ रुपये की राशि संचालित होती है। यह तो न्यूनतम है। यह चूक भी शासनतंत्र की ही है। कोई धोखाधड़ी करना चाह रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह स्पष्ट है कि राशि का भुगतान किया जा रहा है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जहाँ किसी व्यक्ति ने मनीआर्डर भेजा हो और विभाग ने उसे मुआवजा न दिया हो। कुछ व्यक्ति हैं जो कि चालबाजी करते हैं। कहां कमी है यह जानने के लिए ही विश्लेषण किया गया था जो कि संतोषजनक रहा। इसके पूरे समाधान से क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आप यह तो सोचिये कि हम उन अतिरिक्त-विभागीय डाकघरों के व्यक्तियों के बारे में भी सोचें जो 125 रुपये माहवार वेतन पा रहे हैं। यही व्यक्ति कभी-कभी लालच में पड़ जाते हैं। आप यह भी समझने की कोशिश करें।

जहां तक विभाग के व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की 80 प्रतिशत घटनाएं दूरवर्ती इलाकों में हो रही हैं।

जहां तक वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान का प्रश्न है, मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकारें मेरे पास आकर कहती हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति, अध्यापकों के वेतन और दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की राशियों के भुगतान के लिए हमें आपके विभाग की सेवाएं चाहियें। वह कहते हैं कि "आपकी प्रणाली ही ऐसी है जिस पर हमें भरोसा है और हमें विश्वास है कि आपके जरिए लोगों तक पैसा वास्तव में पहुंच जाएगा।" कुछ अन्य राज्य भी मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा कि यदि मुझे यह कार्य करना पड़ेगा तो मुझे कुछ अतिरिक्त पैसा मिलना चाहिए ताकि मैं अपने कर्मचारियों का ध्यान रख सकूं। यही बातचीत चल रही है। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों को हमारी सेवाओं की आवश्यकता है। दोनों राज्य सरकारों की सेवायें अकुशल और भ्रष्ट हैं। उनका विचार है कि वह यह सब ठीक से नहीं हो पा रहा है। परन्तु उन्हें डाक-तार व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हमें उन कर्मचारियों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो वहां काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी राशि का कार्यभार सम्भाले हुए हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : 3 एस 185 का क्या हुआ ?

श्री सी. एम. स्टीफन : जब अधिक से अधिक संदेशों के लिये भार कम हो जाएगा तो 185 के लिये लाइन खत्म हो जाएगी। यही इसका हल हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे उपकरण इतना अधिक बोझ वहन नहीं कर सकते हैं जो उस पर पड़ रहा है। यह सीधी सी बात यह है। जब यह कहा जाता है कृपया प्रतीक्षा करें, आपका नम्बर आने वाला है',, तो इसका यह अर्थ है कि कम से कम 5 व्यक्ति और हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद तो मना ही करना पड़ेगा। वह भी प्रतीक्षा में हैं और इसका अर्थ यह है कि उन 185 से भी बातचीत करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ शिकायत की और छोड़ दी। यदि 185 हैं तो आपको उनका सन्देश लेना होगा। उसमें भी समय लगता है। यदि सन्देश लम्बा है तो भी लेना होगा। इसके दो ही विकल्प सम्भव हैं। यदि लाइन काट दी जाये और कुछ नहीं कहा जाये और व्यस्त की टोन दी जाए तो मेरे विचार में ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि आप लाइन छोड़ दें, तो आपको मौका नहीं मिलेगा और इसी लिए यह उपकरण लगाया गया था जो कि आपको बताये कि आपका मौका है और आप कृपया प्रतीक्षा करें। परन्तु यदि आप 15 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो फिर आप आराम से दोबारा फोन करें। आपकी प्रतीक्षा इस बात पर निर्भर है कि उन दोनों व्यक्तियों में कितनी देर तक बात होती है। यदि संदेश लम्बा है तो आपको थोड़ी देर और इन्तजार करना होगा।

(व्यवधान)

बहुत सा स्टाफ वहाँ है पर फिर भी काम ज्यादा है और लगातार आता ही रहता है। इससे पता चलता हैं कि हमारी सेवाओं की माँग काफी है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। और यह भी कहूंगा कि सब जगह बुरे व्यक्ति होते हैं और उन्हें सामान्य रूप नहीं दिया जा सकता। और आप इस तथ्य से भी अवगत होंगे कि जब इन बुरे व्यक्तियों को हमारे सामने लाया जाता है तभी हम कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। यदि सभी वर्गों के कर्मचारियों का मनोबल गिराया गया तो इसका दूरगामी प्रभाव होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह ईमानदार कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन पर टिप्पणी न करें। उनकी संख्या बेईमान व्यक्तियों से कहीं अधिक है।

डाक-तार विभाग की बढ़ती हुई गति विधियों के कारण मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं। हमारे माननीय मन्त्री ने भी डाक एवं तार विभाग की प्रशंसा की है। इसीलिये मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं। डाक-तार विभाग की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस विभाग के लिये अलग से केन्द्रीय बजट की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह अच्छा होगा यदि वह सदन तथा देश की जनता को बताएं कि वर्ष 1980-81 में वास्तविक लाभ कितना हुआ है तथा वर्ष 1981-82 में इस विभाग को कितना अनुमानित लाभ होगा। जब तक हमें यह नहीं मालूम होगा तब तक इस विभाग के कार्यनिष्पादन के सम्बन्ध में जनता अनभिज्ञ रहेगी।

एक बात और कहनी है मैं यह कहना चाहूंगा कि वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय संवर्ग की कार्य-कुशलता से कम हो गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा क्या प्रयत्न किये जा जा रहे हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है यह वृद्धावस्था के कारण हो। मेरे विचार से इस पद तक आते-आते लोग वृद्ध हो जाते हैं इसलिये कार्यकुशलता कम हो जाती है।

श्री जर्नादन पुजारी। हो सकता है वृद्धावस्था भी एक कारण हो। यदि अधिक शिकायतें होती हैं तो क्या सरकार ने निगरानी कक्ष के रूप में कोई व्यवस्था की है जो कि विभाग द्वारा प्राप्त मनीआर्डर व अन्य शिकायतों की जाँच करके उन पर कार्यवाही कर सकें।

एक मुद्दा और है और वह है स्टेशनरी जिसमें मनीआर्डर फार्म भी शामिल हैं, की कमी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार डाकतार विभाग की स्टेशनरी के मुद्रण के लिए कोई मुद्रणालय स्थापित करने का विचार कर रही है और यहि हां, तो किस जगह पर, प्रस्तावित निवेश और क्षमता का विवरण क्या है।

श्री सी. एम. स्टीफन : एक मुद्रणालय खोलने के बारे में निर्णय लिया गया है जिसकी घोषणा मैं यहाँ कर चुका हूं। वह हैदराबाद में लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त फार्म छापने के लिए, जिसकी सप्लाई कम है। डाक एवं तार विभाग का मुद्रणालय लगाया जाएगा जो खासतौर पर इसी विभाग के लिए होगा। इस पर कार्य चल रहा है। अभी स्थान निश्चित नहीं किया गया है परन्तु इस पर भी कुछेक महीनों में अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए हम अपना मुद्रणालय लगा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : पर्यवेक्षकीय संवर्ग में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है।

श्री सी. एम. स्टीफन : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि यदि, पर्यवेक्षकीय स्टाफ कार्य-कुशल होगा तो बाकी सभी व्यक्ति ठीक काम करने लगेंगे। अभी हाल ही में पर्यवेक्षकीय स्टाफ की कार्य कुशलता में कमी आई क्योंकि उन पर संगठित मजदूर सघ का दबाव पड़ा और विभाग ने उनकी कोई सहायता नहीं की। मैं सोचता हूं अब ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षकीय स्टाफ को बता दिया गया है कि अब राजनैतिक अथवा कोई अन्य पक्ष उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। अब मैं संतुष्ट हूं। पर्यवेक्षकीय स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप सभी जगह कार्यनिष्पादन अच्छा हो रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलोर) : डाक तथा तार विभाग के लिए पृथक बजट के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है;

उपाध्यक्ष महोदय : यह नीति सम्बन्धी मामला है, इसीलिए ये इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : कम से कम लाभ के सम्बन्ध में तो यह बता सकते थे। वर्ष 1980-81 के दौरान लाभ की राशि कितनी थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप इस पर जोर न दें। वे ये बातें नहीं बता सकते।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग की एक महत्व-पूर्ण भूमिका है और इसीलिए शायद प्रधान मन्त्री जी ने इस विभाग की जवाबदेही स्टीफन साहब जैसे व्यक्ति के ऊपर सौंपी है और उन के सहयोगी श्री कार्तिक उरांव पर है। लेकिन हमको ऐसा लागता है कि अधिक दक्षता और अधिक योग्यता के कारण ही जो सही बात

है, व्यावहारिक बात है, उसकी गहराई तक न जाकर एक विशेष वस्तु की ओर हमा ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे माननीय सदस्य, श्री रावत जी, ने स्टीफन साहब का ध्यान लिफाफों की कमी की ओर; टेलीफोन की ओर किया है, तो स्टीफन साहब ने कहा कि यह इस ध्यानाकर्षन के परव्यूह में नहीं आता है। परन्तु वास्तव में हम गांव में जायें और देखें की हमारी स्थिति क्या है। यह रैकेट प्रकाश में आया है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट में जहां कि मनीआर्डर देश के कौने-कौने से सर्वाधिक जाता है। यदि आप पूरे साल का आंकड़ा देखेंगे तो अधिकांश हिस्सा हमारे जिले में आता जाता है।

श्री अटलबिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस वादविवाद को रोक दिया जाये !·····हम लोग अध्यक्ष महोदय के कक्ष में गए थे तथा हमने सारे मामले पर विचार किया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। श्री कृष्ण प्रताप सिंह कृपया अपना भाषण जारी रखें··· (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मल बसु ((डायमण्ड हार्बर) : *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।·····मेरी अनुमति के बिना कही गई बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए·····इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। मैं किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। श्री कृष्ण प्रताप सिंह कृपया अपनी बात कहना जारी रखें ··इस सभा में जो कुछ मेरी अनुमति के बिना कहा जायेगा, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यसूची में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, कृपया अपनी बात जारी रखें ·· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है···मैं कार्यसूची के अनुसार कार्य कर रहा हूं।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त, कुछ भी रिकार्ड न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ··

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है नहीं, नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। श्री सिंह, कृपया अपनी बात जारी रखें।···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। (व्यवधान)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मुझे ऐसा लगता है कि शिकायतें जो की जाती हैं, वे सही रूप से दर्ज नहीं की जाती है। मैं दो-तीन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहता हूं। अभी कुछ महीने पहले मैंने स्वयं एक आरोप पत्र साधारण जिला के सुप्रिन्टेडेंट के खिलाफ दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, विरोध स्वरूप हम सभा से वाक्-आऊट कर रहे हैं।

तत्पश्चात् श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।

श्री कृष्ण प्रताप सिह : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं आता हूं, के वहाँ कई आदमी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दिया गया था, श्री रामप्रीत पुत्र श्री काशीदास है, एक मनीआर्डर भेजा था, वह प्राप्तकर्त्ता को प्राप्त नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में मैंने शिकायत की थी अलीगंज पोस्ट मास्टर को 18-5-81 को दिया था, लेकिन अभी कोई उस पर कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शिकायत दर्ज की गई है, उस पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि आप जो प्रैस खोलने जा रहे हैं क्या वह बिहार प्रदेश में स्थापित करेंगे, जहाँ कि सबसे ज्यादा मनीआर्डर आता है, लिफाफे और पोस्टकार्ड ज्यादा बिकता है ?

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : महोदय, माननीय सदस्य ने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है। इन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि इन्होंने कुछ मनीआर्डर भेजे थे परन्तु वे नहीं मिले। यदि ये मुझे इनके बारे में जानकारी देंगे तो मैं इसकी नमूना जाँच के आदेश अवश्य दूंगा। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसकी नमूना जांच करवाने को तैयार हूं।

जहाँ तक प्रैस का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई भी पहले से यह नहीं बताता कि इसे कहाँ स्थापित किया जायेगा। इसे भारत में ही किसी स्थान पर स्थापित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैनुल बशर। आप केवल मनीआर्डर सम्बन्धी शिकायतों की चर्चा करेंगे, न कि सामान्य चर्चा। समय भी समाप्त होने वाला है। अपनी लम्बी सूची में से कृपया मनीआर्डर सम्बन्धी शिकायतों के अंश की ही चर्चा करें।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में कम से कम कोई भी सहस्य माननीय मंत्री महोदय से पार नहीं पा सकता। वे अपने आँकड़ों से इस सभा को आश्वस्त कर सकते हैं; वे मुझे भी आश्वस्त कर सकते हैं। परन्तु न तो ये और न ही मैं, दोनों देश की जनता को आश्वस्त नहीं कर सकते।

महोदय, कुछ समय पूर्व, स्वयं प्रधान मंत्री ने इस विभाग कार्यकरण पर असंतोष व्यक्त किया था; भूतकाल में यह विभाग बहुत सुव्यवस्थित विभाग था जब श्री रफी अहमद किदवई तथा अन्य दृढ़निश्चयी नेतागण इस विभाग के मंत्री थे। परन्तु मुझे नहीं पता कि अब इस विभाग को क्या हो गया है ?

श्री स्टीफन एक सुयोग्य, ईमानदार, कुशल तथा बहुत अच्छे संसद्विद हैं। जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी वे लोग इनसे पार नहीं पा सके, जब श्री स्टीफन विपक्ष के नेता थे। मेरा विचार है कि यह विभाग इनके लायक ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे बहुत अच्छे ढंग से कह रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : श्री स्टीफन के लिये मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, श्री स्टीफन तथा मैं स्वयं देश को आश्वस्त नहीं कर सकते। जो कुछ इस देश में हो रहा है, मैं इन सब बातों की विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। इन सब बातों के लिये यह ठीक समय नहीं है।

इस समय मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ब्रांच पोस्ट आफिस के कार्यकरण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का यह कहना सही है कि मनीआर्डर भेजने वाले व्यक्ति का पैसा पूर्णतया सुरक्षित है तथा यह पैसा लोगों को अवश्य मिलता है, यह अलग बात है कि यह पैसा उन्हें तीन दिन में मिले या तीन महीने में अथवा तीन वर्ष में। मेरा कहना यह है कि ये मनीआर्डर जिन लोगों के नाम भेजे जाते हैं, उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। लोगों की शिकायतें ऐसे पोस्ट आफिस के कार्यकरण के सम्बन्ध में नहीं हैं बल्कि ब्रांच पोस्ट आफिस के बारे में हैं। देश में बहुत विभागीय पोस्ट आफिस हैं। मेरा विचार है कि मनीआर्डर देने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं हैं; बात यह है कि बहुत से साहूकार ब्रांच पोस्ट आफिसों में पोस्ट मास्टर बन गए हैं। यह एक तथ्य है। पोस्ट मास्टर बनने के बाद जब उन्हें मनीआर्डर मिलता है तो वे किसी और को उधार दे देते हैं। दो अथवा तीन महीनों के बाद वे सम्बन्धित व्यक्ति को बुलाकर कुछ पैसा दे देते हैं तथा शेष पैसा अगले सप्ताह देते हैं। वे यह पैसा उसे किश्तों में देते हैं। मुझे हाल ही में एक मामले का पता चला है। मैं इसके बारे में मंत्री जी को लिखूंगा। वाराणसी के एक गाँव में एक व्यक्ति क्षयरोग से पीड़ित था। इलाज के लिये उसे रुपयों की जरूरत थी। उसके भाईयों ने उसके इलाज के लिये उसे 1,000 रुपये भेजे थे। वे रुपये एक पोस्ट आफिस ने वसूल किये थे। माननीय मंत्री महोदय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। वह पोस्ट आफिस वाराणसी का सदलपुरा पोस्ट आफिस था। उसके भाइयों ने उसे 1,000 रुपये भेजे थे। एक महीने बाद जब उसके भाई ने इसकी सूचना उसे दी तो वह पोस्ट आफिस गया, जहाँ उसे यह बताया गया कि मनीआर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। डाक-तार प्राधिकारियों से शिकायत करने पर एक इंस्पेक्टर को जाँच के लिए भेजा गया। वह इंस्पेक्टर उस व्यक्ति को पोस्ट आफिस में ले गया। इंस्पेक्टर के सामने ही पोस्ट मास्टर ने केवल 500 रुपये देने की पेशकश की तथा बाकी 500 रुपये अगले सप्ताह देने का वचन दिया। प्रत्येक ब्रांच पोस्ट आफिस की यही स्थिति है। सब-पोस्ट आफिस अथवा विभागीय पोस्ट आफिस के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है। केवल ब्रांच पोस्ट आफिस के सम्बन्ध में ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ब्रांच पोस्ट आफिसों को समाप्त कर इन्हें सब-पोस्ट आफिसों में परिवर्तित करने को तैयार हैं? मैं जानता हूं कि इस पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा परन्तु इससे कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी। टेलीफोन विभाग वालों की यह शिकायत रही है कि डाक विभाग हमारे द्वारा अर्जित धन पर पल रहे हैं। इन परिस्थितियों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि यदि टेलीफोन विभाग को पृथक कर दिया जाये तो हम बहुत सुधार कर सकते हैं। मंत्री महोदय इस शिकायत पर विचार कर सकते हैं परन्तु डाक सेवाएं आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आती हैं। यदि इनसे घाटा हो रहा है तो होने दीजिये। हम उन्हें केन्द्रीय पूल से धन दे सकते हैं। इसके सम्बन्ध में कोई चिन्ता नहीं है। पोस्ट आफिस से प्रत्येक व्यक्ति को काम पड़ता है। अतः हमें इसके उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करना

चाहिये । मैं कोई प्रश्न नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि मंत्री महोदय अपनी ही बात रखेंगे तथा मैं उनसे पार नहीं पा सकता ।

श्री सी. एम. स्टीफन : महोदय मैं अपने माननीय मित्र का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरी प्रशंसा की है । मैं सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष के उन सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रति सद्भावना व्यक्त की है । मुझे इस बारे में कोई संशय नहीं है । साथ ही साथ इन्होंने यह कहा था कि मैं इस विभाग के लिये बहुत बड़ा आदमी हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि यह विभाग किसी भी व्यक्ति के लिये बहुत बड़ा विभाग है तथा यह बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसे समझाना चाहिये । जहाँ तक मेरा संबंध है, मुझे इस विभाग को संभालने में गर्व है । इस विभाग से, जो कि देश की इतनी अधिक सेवा कर रहा है, जुड़ा होने के कारण मैं एक प्रकार का आत्म-संतुष्टि अनुभव करता हूं । जहाँ तक डाक-विभाग का सम्बन्ध है, जब कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत करता तो मुझे दुःख होता है । इस विभाग के कार्यकरण में त्रुटियाँ हैं । इसके कार्य-निष्पादन के स्तर में कुछ गिरावट अवश्य आई है परन्तु इसके कार्य-क्षेत्र का भी व्यापक विस्तार हुआ है । यह आज भी विश्व का सबसे अधिक व्यवस्थित विभाग है । प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करता है । अभी मेरे द्वारा दिये गए आँकड़ों से यह तथ्य स्पष्ट हैं ।

जहाँ तक ब्रांच पोस्ट आफिसों का सम्बन्ध है, हम उन्हें पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकते । देश में 5 लाख गाँव हैं तथा 1.40 लाख गांवों में पोस्ट आफिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका अर्थ यह है कि तीन लाख गांवों में डाकघरों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । ब्रांच पोस्ट आफिस शुरू करने में भी 500 रुपये का मासिक व्यय आता है । यदि हम इतना अधिक व्यय करते हैं तो भारत सरकार भी अपने सभी संसाधनों से इन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती । अतएव, ब्रांच पोस्ट आफिस क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की एजेंसी प्रणाली का विकास किया गया है । हम इनकी जरूरतों तथा आवश्यकताओं को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं । ब्रांच पोस्ट आफिसों में इक्के-दुक्के साहूकार हो सकते हैं परन्तु यदि आप ब्रांच पोस्ट मास्टरों को देखें तो आप पायेंगे कि इनमें से अधिकांश निम्नतम वर्ग के व्यक्ति हैं । उनका साहूकारी से कोई लेना-देना नहीं है । वे लोग बहुत ही गरीब हैं । हमारे सामने एक यह भी समस्या है । समुचित स्तर के लोग हमें उपलब्ध नहीं होते । अतएव उन्हें कुछ लालच हो जाता है । कभी-कभी विभाग भी इसके लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि जब तक मनीआर्डर फार्म के दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंच पाते हैं, तब तक पहुंचने पर हम धन नहीं पहुंचा पाते क्योंकि कई बार वह स्थान बहुत दूर होता है या वहाँ डाकुओं का खतरा होता है । हम ऐसे स्थानों तक नहीं पहुंच पाते । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत से भी अधिक शिकायतें बिहार तथा उत्तर-प्रदेश के इलाकों की हैं तथा जहाँ तक ब्रांच पोस्ट आफिसों का प्रश्न है, उनके अनेक कारण हैं; हम इन मामलों पर कार्यवाही कर रहे हैं; हमने एक विश्लेषण किया है; हमने इनका अध्ययन किया है । इतना सब होते हुए भी मेरा यही कहना है कि (समस्त दोषों तथा कमियों के बावजूद भी) जो भी सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, उसका स्तर अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचा है । —धन्यवाद

चापरमुख-शिलाघाट रेल लाइन और काटाखल-लाला बाजार रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

रेल मन्त्री (श्री केदार पाण्डे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चापरमुख-शिलाघाट रेल लाइन के संबंध में चापरमुख शिलघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों और काटाखल-लाला बाजार रेल लाइन के संबंध में काटाखल-लाला बाजार रेलवे कम्पनी लिमिटेड के, उपक्रमों के, उक्त रेल लाइनों का दक्षतापूर्ण परिचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे कि भारत पूर्वोत्तर क्षेत्रों की आवश्यकताओं का साधन हो, तथा उक्त क्षेत्रों और देश के शेष भाग के बीच संचार संबंध का संरक्षण हो, अर्जन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चापरमुख-शिलाघाट रेल लाइन के सम्बन्ध में चापरमुख-शिलाघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों और काटाखल लाला बाजार रेल लाइन के सम्बन्ध में काटाखल लाला रेलवे कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के, उक्त रेल लाइनों का दक्षतापूर्ण परिचलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिससे कि भारत पूर्वोत्तर क्षेत्रों की आवश्यकताओं का साधन हो, तथा उक्त क्षेत्रों और देश के शेष भाग के बीच संचार संबंधों का संरक्षण हो, अर्जन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की अनुमति दी जा ये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री केदार पाण्डेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं,

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2.20 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में खान इन्जीनियरिंग के एक डिग्री कालेज की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। श्री दिग्विजय सिंह अनुपस्थित हैं। श्री जयपाल सिंह कश्यप भी यहां नहीं हैं। अब श्री बहेरा।

श्री राम बिहारी बहेरा (कालाहांडी) : उड़ीसा खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहां लोह अयस्क, मैंगनीज, लाइन स्टोन, पिग आयरन. क्रोमाइड, टिन अभ्रक और कोयला बहुतायत में प्राप्त होता है। इन अच्छे किस्म के खनिजों की उपलब्धता को देखकर गैर सरकारी और सरकारी उपक्रमों में राज्य के विभिन्न भागों में खनिजों पर आधारित उद्योग और कारखाने स्थापित किए गए हैं। लगभग सभी खानों में काम चल रहा है सिवाय कुछ ऐसी खानों को छोड़कर जिन्हें हाल ही में भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खोजा गया है। देश के सभी भागों के

इन्जीनियर इन खानों और कारखानों में काम कर रहे हैं लेकिन उड़ीसा के खान इन्जीनियरों को ऊंगलियों पर गिना जा सकता है। कारण बहुत स्पष्ट है। पूरे राज्य में केवल एक खान इन्जीनिरिंग स्कूल है जो अपने छात्रों को केवल एक डिप्लोमा देता है। इस संस्थान से निकलने वाले छात्र खान इंजीनियरिंग संबंधी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। छात्रों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वे अन्य राज्यों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उपर्युक्त कारणों से उड़ीसा में माइनिंग इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त इन्जीनियरों की हमेशा कमी रहती है।

इस पिछड़े हुए राज्य के लोगों पिछले अनेक वर्षों से माइनिंग इन्जीनियरिंग डिग्री कालेज और इस विषय में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय संस्थान स्थापित करने के लिए माँग कर रहे हैं। छठी योजना की अवधि के दौरान भारत सरकार का कानून का आधुनिकीकरण करने और उन्हें बेहतर बानने का प्रस्ताव है। इस आधुनिकीकरण को लागू करने में खान इन्जीनियरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे खान इंजीनियर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री कालेज खोलने के कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करना चाहिए।

उड़ीसा एक अर्द्ध विकसित राज्य है जहाँ माइनिंग इन्जीनियरिंग कालेज को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उड़ीसा में एक माइनिंग इन्जीनियरिंग डिग्री कालेज खोलने के लिए सभी उपाय करें।

(दो) रेमिंगटन रेंडस के हावड़ा स्थिति कारखाने को बनाये रखने की आश्वयता

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वर्तमान भारतीय वाणिज्यक परिस्थितियों में जबकि अत्य अल्प पूंजी वाले छोटे एकक हैं और पहाड़ जैसी बेरोजगारी की समस्या है एक मानक टाइपराइटर एक महत्वपूर्ण कार्यालय उपकरण है। रेमिंगटन रैंड के हावड़ा एकक की प्रतिष्ठापति क्षमता 36,000 मानक टाइपराइरों की है। 1969 से लेकर रेमिंगटन का उत्पादन औसत रूप से 22,000 से 23,000 तक रहा है। इस पूरी अवधि में कोई बड़ी प्रतिपूर्ति किए बिना ही हावड़ा के संयंत्र और मशीनों का उपयोग किया जाता रहा है। यहां तक की उस पर लिखित मूल्य 1965 के 87.75 लाख रुपए से घटकर 35 लाख रुपए ही रह गया। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित बंगलौर विद्युत टाइपराइटर एकक विद्युत टाइपराइरों के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है और उसकी हावड़ा स्थित मूल एकक को छोड़ दिया। इन सब चीजों की जांच किए विना यह लाइसेंस इस तरह जारी कर दिया जिससे कि मूल संयंत्र और भी कमजोर हो जाएगा अर्थात् आने वाले वर्षों में विद्युत टाइपराइटर संयंत्र की मशीनों में पैसा लगाया जाएगा जिससे हावड़ा स्थित मूल एकक को और भी कमजोर करने की नियत साफ होती है। लोक उद्यम ब्यूरो और संचार मंत्रालय ने भी संबंधित मंत्रालय की नीति का विरोध किया था। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रेमिंगटन हावड़ा एकक को और अक्षम होने से बचाए और मैं इस मामले में संबंधित मन्त्री द्वारा बयान दिए जाने की मांग करता हूं।

* बंगाल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी संकरण

(तीन) लोको रनिंग स्टाफ के दो वार्षिक संघ नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने का समाचार

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा श्रमिक संघ का कार्यकर्ताओं को परेशान करने और धमकाने की एक और घटना की ओर दिलाना चाहता हूं ।

नागपुर के निकट अजनी इंजन चलाने वाले कर्मचारियों में श्री एस. सी. दत्त, चालक और श्री न्यूटन एलीजा, शन्टर सक्रिय श्रमिक संघ कार्य करते हैं । 28 जनवरी, 1981 को अन्य श्रमिकों के साथ उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंधीन उन्हें निरूद्ध करने के आदेश जारी किए । यह गाड़ी चलाने वाले कर्मचारियों की हड़ताल के समय की बात है । फिर भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया जिसका कारण पुलिस को ही मालूम होगा ।

फरवरी, 1981 के अन्त तक रेलगाड़ी चलाने वाले कर्मचारियों की हड़ताल वापस ले ली गई । श्री दत्त और श्री एलीजा को क्रमश: 6 और 7 जून, 1981 को पुन: काम पर आने की अनुमति दे दी गई । उनसे कार्यालय में ही काम कराया गया और चलती गाड़ी में काम पर नियुक्त नहीं किया गया ।

काम पर पुन: आने के ढाई महीने बाद श्री दत्त को 26 अगस्त, और श्री एलीजा को 28 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरूद्ध कर लिया गया है ।

यह काम चाहे किसी का भी हो निश्चित रूप से दुर्भावपूर्ण है और इसकी कठोर शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए । मैं आग्रह करता हूं कि गृह मन्त्री इन दो रेलवे कर्मचारियों को छोड़ने के लिए तुरन्त कदम उठाएं ।

(चार) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता

श्री कैयर भूषण (रायपुर) : मान्यवर, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है जहां पर आदिवासियों एवं हरिजनों की संख्या अधिक है, आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । विगत कुछ वर्षों से उस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है । उस क्षेत्र के ग्रामीण खेतिहर मजदूर मजदूरी की तलाश में छत्तीसगढ़ छोड़ कर पलायन कर जाते हैं । उन्हें दूरस्थ स्थानों में बहुत कठिन स्थिति में जीवन बिताना पड़ रहा है । मजबूरी का फायदा उठा कर मजदूर भरती करने वाले दलाल पैदा हो गये हैं । वे उन्हें उचित मजदूरी की लालच बता सपरिवार ले जाते हैं तथा ठेकेदारों के पास बंधक मजदूर के रूप में बंधक रख देते हैं । उन्हें जीवन यापन के लिए उन प्रदेशों में ठेकेदारों के यहाँ आजीवन बंधक रहना पड़ता है । उन्हें वहां नाममात्र की मजदूरी मिलती है । घर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें डरा धमका कर रखा जाता है तथा उनके मजदूरी के पैसे उन्हें दिए नहीं जाते । उनके जीवन रक्षा का प्रबन्ध वहां की सरकार किसी प्रकार की नहीं कर रही है । न ही उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था कर रही है और न ही उन्हें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वापस लाने तथा उनकी जीवकोपार्जन की व्यवस्था की जा रही है । छत्तीसगढ़ में पुनः अकाल की स्थिति है । अतः उस क्षेत्र के खेतिहर मजदूर खलायन करना प्रारम्भ कर दिए हैं । इसलिए शासन का ध्यान छत्तीसगढ़ की अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उस क्षेत्र के प्रस्तावित योजनाओं को

शीघ्र प्रारम्भ करें तथा वहां उचित मजदूरी की व्यवस्था करे तथा छत्तीसगढ़ के मजदूर जो देश के विभिन्न हिस्सों में बंधक मजदूर बन कर जी रहे हैं, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उन्हें शीघ्र मुक्त करावें ।

(पांच) भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को मनीआर्डर द्वारा पेंशन का भुगतान करने की आवश्यकता

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन भुगतान के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने एवं उसकी सेवा करने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानी अपने घरों पर निवास कर रहे हैं और अपनी सेवाओं के बदले में भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए माह के अन्त तक निगाह लगाये हुए बैठे रहते हैं चाहे वे गोली खा कर अपंग हो गये हों या बूढ़े हो गये हों, चाहे वे कर्नल, मेजर, कैप्टन सूबेदार, हवलदार या साधारण सैनिकों के पद पर कार्य करके सेवा निवृत्त हो गये हों माह के अन्त में वह काफी दूरी तय करके कचहरी में जाते हैं और वे दिन, रात भर बैठे रहते हैं और दूसरे दिन तक भी वे कचहरी में बैठे रह जाते हैं । अन्त में दो, तीन दिन के बाद वे भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी काफी अनादर एवं असम्मान के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर पाते हैं । जबकि वे इस कठिन समय में 20-30 रुपये खर्च कर देते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था देश के प्रत्येक भागों में लागू है । विशेषकर उत्तराखण्ड में गढ़वाल मण्डल के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक जो देश या मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने जीवन निर्वाह हेतु पेंशन की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और उक्त कठिनाइयों के बाद वे अपनी पेंशन प्राप्त कर पाते हैं ।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय और राज्य सरकारों से जोरदार निवेदन है कि उक्त परेशानी को दूर करने के लिए मनीआर्डर द्वारा कमीशन काट कर उनकी पेंशन उनके घर पर भेजी जाये ताकि ससम्मान वे अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें ।

(छः) हजारीबाग में बन्द पड़ी काफी कोयला खानों में खनन कार्य पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री एन. ई. होरो (खुन्टी) : सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. द्वारा लगभग 30 छोटी और मंझोली कोयला खानें बन्द कर दिए जाने पर, कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने के परिणामस्वरूप हजारीबाग (बिहार) जिला के दक्षिण कर्मपुरा में 50,000 से अधिक कोयला खान श्रमिक बेरोजगार हो गए । इन विस्थापित कोयला खान श्रमिकों सहित स्थानीय लोग इन बन्द कोयला खानों को खोलने के किए बराबर यात्रा कर रहे हैं ताकि वे अपनी जीविका चला सकें ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. का प्रबन्ध इन खानों को खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ जिसका कारण वे स्वयं ही जानते होंगे । इसके कारण अवैध खनन का बढ़ावा मिलेगा जो खुले आम हो रहा है और जिसके कारण राष्ट्रीय आय की हानि होती है ।

लोगों द्वारा इन बन्द खानों को खोलने की मांग करना उचित है क्योंकि वे इज्जतदार नौकरी करना चाहते हैं अवैध खनन करने वालों के गिरोह में शामिल होना नहीं चाहते ।

इस सम्बन्ध में उर्जा मंत्रालय में उरिओवारी गांव में खुले खनन से बलरामपुरा कोयला क्षेत्र में काम शुरू करने की मांग विचाराधीन है। लोग खुला खनन चाहते हैं न कि यांत्रिकी खनन क्योंकि उससे उन्हें लाभकारी रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसी स्थान पर इसी मुद्दे पर फरवरी में गोली चली थी जबकि दर्जन भर व्यक्ति मारे गए थे।

मैं भारत सरकार का इस ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि खानों को बलरामपुर (उरिओबारी) सहित सभी बन्द खानों को खोला जाए और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर पुलिस द्वारा कथित अत्याचार

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश में पुलिस ने 2,3 वर्षों से झूठी व फर्जी मुठभेड़े दिखाकर हजारों लोगों की हत्या कर दी। इसमें से अधिकांश कमजोर वर्ग हरिजन, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं। इस सम्बन्ध में लोगों की शिकायतें भी रद्दी की टोकरी में सरकार द्वारा डाल दी गई। एटा, मैनपुरी, कानपुर, जालौन क्षेत्रों में डाकुओं की तलाशी के नाम पर गांव के गांव पुलिस, बी.एस. एफ. व पी. ए. सी. द्वारा परेशान किये जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है और बलात्कार भी सामूहिक रूप से ग्रामीण महिलाओं के साथ किये जा रहे हैं, जिस पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है।

डाकुओं की तलाशी के नाम पर आगरा, मैनपुरी, कानपुर, जालौन, बांदा व चम्बल क्षेत्र में लाखों-लाखों मल्लाह व धीवर समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों का जन-जीवन असुरक्षित हो गया है और पुलिस अत्याचार चरम-सीमा पर पहुंच गया है।

सरकार द्वारा इन शिकायतों की अवहेलना ने लोगों में एक अविश्वास की भावना पैदा कर दी है। सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके अपराधी, पुलिस व अन्य अपराधियों को दण्डित करने की व्यवस्था करें और पुलिस व डाकुओं के बढ़ते हुए अत्याचारों से जन-जीवन को संरक्षण दिलवाने और अत्याचार से मुक्त कराने की व्यवस्था करे।

भारतीय सामुहिक क्षेत्र विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले विषय पर आते हैं। भारतीय सामुहिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) विधेयक पर आगे विचार किया जाएगा। इस विधेयक के लिए एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। हम 40 मिनट पहले ही ले चुके हैं और अब 20 मिनट बाकी हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं अभी हमारे पास 40 मिनट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, हाँ। हमारे पास 40 मिनट हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) पूरा समय तो दो घण्टे का है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं रिकार्ड प्रमाण हैं। इसके लिए एक घण्टा निर्धारित है। शेष समय 40 मिनट हैं। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि वे इतने ही समय में बोलें ताकि मन्त्री उत्तर दे सकें और हम विधेयक पर चर्चा पूरी कर सकें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुज्जफरपुर) : अगले विधेयक के लिए कितना समय दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो घण्टे। अब श्री एम. एस. संजीवी राव।

श्री एम. एस. संजीवी राव : (काकीनाड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, आपका भाषण शुरू करने से पहले क्या मैं यह जान सकता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु सत्ताधारी दल में कब से आ गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिकपूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : वे यहां मछली पकड़ रहे हैं।

उपाध्यक महोदय : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु कभी दल नहीं बदलेंगे।

श्री एम. एस. संजीवी राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मन्त्री का समर्थन करता हूं कि विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की जाए। मैं सोचता हूं कि यह महत्वपूर्ण विधेयक बहुत पहले ले आना चाहिए था। अमेरिका के समुद्र सम्बन्धी नियमों का भला हो, हमें बहुत सी सम्पत्ति मिल गई है। आप जानते हैं कि हमारी 5,600 किलोमीटर की तट रेखा है और अमेरिका के नियम के परिणामस्वरूप हमारी सीमा में 320 किलोमीटर और बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में 5,600 किलोमीटर × 320 से 180 लाख वर्ग किलोमीटर।

इसके अतिरिक्त, हमारे पास अण्डमान, निकोबार और लक्षद्वीप समूह हैं। इससे हमारे पास कुल 22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो जाता है। इस विशाल सम्पत्ति में न केवल महत्वपूर्ण पैट्रोलियम, मैंगनीज, निकिल जैसे अलौह धातुयें ही हैं अपितु समुद्री मत्स्य क्षेत्र भी है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है ; हम केवल 25 लाख मीटरी टन मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं। और इसमें से समुद्री स्त्रोतों के केवल 16 मीटरी टन मछलियां प्राप्त होती हैं। हमारे पास लगभग एक लाख देशी जलयान 16 हजार यन्त्रीकृत नौकाएं और केवल 70 ट्रालर हैं। 70 ट्रालरों की इस छोटी सी संख्या से क्या हम अपने समुद्री क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं ? मैं चाहता हूं कि हमारा मन्त्रालय इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करे। मुझे विश्वास है कि कृषि मन्त्री इस बात से अवगत हैं कि भारी उद्योग मन्त्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य तक कम से कम 450 ट्रालरों का बेड़ा बनाने की योजना बनाई है। लेकिन अब हम कहां हैं ? इन साधनों के साथ मुझे इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं दिखाई नहीं देता कि परमिट अथवा लाइसेंस जारी करने की प्रणाली के द्वारा संयुक्त उधम के रूप में अथवा विधेयक में उल्लिखित रूप में इस बेड़े को प्राप्त करें। महोदय, आपको इस बात की जानकारी है कि विदेशी मुद्रा में 54 करोड़ रुपये का अन्तर है। वाणिज्य मन्त्रालय, विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि करने के लिये एक मुख्य मद के रूप में समुद्री मत्स्य क्षेत्र के बारे में विचार कर रहा है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमने 1979-80 में 248 करोड़ रुपये के मूल्य की मछलियों का निर्यात

किया जबकि पिछले वर्ष यह निर्यात केवल 234 करोड़ रुपये का था। हमारे निर्यात की भी स्थिति बहुत निराशाजनक है। हमारे निर्यात का 89.1 प्रतिशत निर्यात जमी हुई श्रिम्प मछली का होता है और वह भी अमरीका तथा जापान को होता है। इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। इस जानकारी को देते हुए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि अपने मत्स्य संसाधनों में पृद्धि करने के देश के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने के कार्य में बहुत अधिक पूँजी लगती है। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तथा बड़ी कम्पनियां जो गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने का कार्य करने की कोशिश कर रही हैं, इस क्षेत्र से हट रही हैं। इसलिए जब तक आप वास्तव में प्रोत्साहन नहीं देंगे तो कोई भी कार्य करने के लिए आगे नहीं आयेगा। लेकिन प्रोत्साहन देते समय आपको राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने जो बात पहले कही थी, जरा उस पर गौर कीजिए। आप तीन कम्पनियों को थाइलैंड से लगभग 70 ट्रालर देने के लिए सहमत हो गए थे। उन्होंने 1977-78 में श्रिम्प के अतिरिक्त मछलियों के निर्यात में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि की है। आपने 70 ट्रालरों के लिए लाइसेंस दिया है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 500 से 600 ट्रालर हमारे समुद्री क्षेत्र में यह कह कर अनाधिकार मछली पकड़ने का कार्य करते हैं कि उन्हें लाइसेंस मिले हुए हैं। इस पर रोक लगायी जानी चाहिये। ये 70 ट्रालर हर समय समुद्री सीमा अथवा महाद्वीपीय क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए लाइसेंस देते समय आप को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये ट्रालर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य कर सकते हैं और ये केवल श्रिम्प मछली पकड़ने के लिए नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि अनधिकार मछली पकड़ने का कार्य का पता लगाने के लिए आपके कर्मचारियों के पास पूरे साधन होने चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले के नियम क्या कहते हैं? जब आप हमारे समुद्री क्षेत्र में अनधिकार मछली पकड़ने के कार्य करने वाले इन ट्रालरों को पकड़ते हैं तो आप सामान्यतः उन्हें या तो मामूली चेतावनी देते हैं अथवा उन पर 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का मामूली जुर्माना करते हैं। यदि आप पड़ोस के देशों विशेष रूप से बर्मा को देखिए तो आपको पता चलेगा कि उनके मछली पकड़ने के समस्त बेड़ में ताईवान अथवा थाइलैंड से जब्त किए गये ट्रालर हैं। आप भी उस तरीके को क्यों नहीं अपनाते?

राव बीरेन्द्र सिंह: यही सब कुछ मैं करना चाहता हूं। इसीलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

श्री एम. एस. संजीवी राव: यही उपयुक्त समय है, जब कि आपको अधिक कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। अनधिकार मछली पकड़ने वाले इन जलपोतों को पकड़ने के लिए आप के पास क्या तरीके हैं तथा क्या व्यवस्था है; तट रक्षा के लिए आपके पास कितने जहाज हैं? 9.22 लाख वर्गकिलोमीटर के इस विशाल क्षेत्र पर निगरानी रखने के लिए नौसेना के पास कितने जहाज हैं; स्थिति का मुकाबला करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं;

यदि कोई संयुक्त उद्यम करना चाहता है अथवा नए ट्रालर प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृषि, वित्त, नौवहन, वाणिज्य जैसे लगभग 11 मन्त्रालयों के पास जाना पड़ता है। संयुक्त उद्यम करने वाले व्यक्ति को लगभग 6 से 8 महीने तक संघर्ष करना पड़ता है। आन्ध्र प्रदेश फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन के रूप में मुझे अनुभव है। इसलिए मैं सुझाव देता

हूं कि इलैक्ट्रोनिकी आयोग अथवा परमाणु ऊर्जा आयोग की तरह आपके पास एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाया होना चाहिये जो इन सब बातों की जांच करे ताकि अनावश्यक विलम्ब न हो और विभिन्न मन्त्रालयों में न जाना पड़े। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको विचार करना चाहिए।

विदेशी जलयानों के लिए परमिट अथवा लाइसेंस देते समय आपको आधुनिक प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि विशेष रूप से 'स्क्विड एण्ड कटल फिश रिगिंग' के मामले में हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। यह प्रौद्योगिकी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है।

विशेष रूप से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तथा उसके आस पास टूना मछली हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसकी बहुत उपेक्षा की गई है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि हम दक्षिण कोरिया से विशेष रूप से लांग लाइनिंग और अमेरिका अथवा जापान से परसियन विधि में इस उच्च प्रौद्योगिकी में सहयोग प्राप्त करें। यह देश इन प्रोद्योगिकी में बहुत कुशल हैं। इसलिये मन्त्री महोदय को यह बात नोट करनी चाहिये।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह इस विशाल सम्पत्ति को स्वयं देखें। यह दुर्भाग्य की बात है, चाहे वह जनता पार्टी की सरकार रही हो अथवा कांग्रेस (आई) की सरकार, कृषि मन्त्री हमेशा हरियाणा अथवा पंजाब के रहे हैं जो कि मछली पकड़ने के महत्व को नहीं जानते।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने अपने उपमन्त्री को भेजा था।

श्री एम. एस. संजीवीराव : मैं अपने मित्र राव बीरेन्द्र सिंह से अनुरोध करता हूं कि जिस बड़े मत्स्य ग्रहण बन्दरगाह को उन्होंने स्वीकृति दी है और जिसके लिये धन दिया है वे उसे देखें और इस उद्योग के सामने जो विशाल समस्याएं हैं उनसे स्वयं अवगत हों।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर सबसे पहले तो मैं अपने कृषि और सिंचाई मन्त्री राव साहब को धन्यवाद दूंगा कि 34 साल की आजादी के बाद यह पहले कृषि मन्त्री हैं जिन्होंने इतने लम्बे चौड़े बार्डर और उस बार्डर से सम्बन्धित करीब 85 लाख मछुवारों का जिस पर जीवन निर्भर करता है उस तरफ ध्यान दिया है। मैं समझता हूं इस बिल को लाने के बाद, जो फारेन बेसल्स हमारे बार्डर पर मछली पकड़ने के साथ-साथ जासूसी का काम भी करते थे, वह भी अब हमारे देश की सामुद्रिक सीमा में घुस नहीं सकेंगे। 34 साल की आजादी के बाद यहां पर जो यह बिल लाया गया है वह मैं समझता हूं बहुत इम्पार्टेन्ट है। हमारे देश के 3300 किलोमीटर बार्डर पर 85 लाख लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं लेकिन फारेन बेसल्स हमारे देश की सामुद्रिक सम्पत्ति को लूट रहे थे, उनको रोकने का एक बहुत अच्छा काम इस बिल के द्वारा हो सकेगा।

मैं एक अमेन्डमेंट के तौर पर माननीय कृषि मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि केवल फारेन बेसल्स को ही अपनी सामुद्रिक सीमा से बाहर निकाल देने से ही हमारे देश के 85 लाख मछुवारों के जीवन को आप सुधार नहीं पायेंगे। उनके अतिरिक्त इस देश के भी बड़े बड़े ट्रालर्स हैं, उनके भी हमारे देश के 85 लाख मछुआरे शिकार हो रहे

हैं। ऐसी दशा में इस बिल में आपको यह प्रावधान रखना चाहिए कि इस देश के भी जो बड़े-बड़े ट्रालर्स हैं वह भी सामुद्रिक सीमा में 20 किलोमीटर (या जो भी आप सीमा रखें) में अपना कार्य नहीं कर सकेंगे।

कोआपरेटिव सोसायटीज के सम्बन्ध में आपने जो बात रखी है, मैं चाहूंगा कि आप मछुआरों की कोआपरेटिव सोसायटीज को ज्यादा प्रायर्टीज दें। ये लोग हजारों साल से अपने इस धन्धे को करते चले आ रहे हैं लेकिन आज भी उनके पास वही लकड़ी की छोटी-छोटी किश्तियां हैं। वे आज भी रात में शिकार के लिए जाते हैं और जाल डालकर आते हैं लेकिन 10-15 किलों से ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाते हैं। उनका पूरा परिवार मिलकर कई घण्टों में उस जाल को खींच पाता है। इन छोटी किश्तियों को हर वक्त खतरा भी बना रहता है क्योंकि किसी समय भी वह वह सकती हैं। आप कोआपरेटिव सोसायटी के जरिए से उनको अच्छी किश्तियाँ दें ताकि सामुद्रिक सम्पत्ति का सही दोहन हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके।

चैप्टर (II) में आपने फारेन वेसल्स को लाइसेन्स देने की बात कही है। आपने बिल में रखा है कि मैक्सिमम 60 परसेन्ट शेयर होगा तो इस बिल के ऐक्ट बनने के बाद फारेन वेसल्स को लाइसेन्स देंगे लेकिन इसमें भी आप एक सीमा रखकर फारेन वेसल्स को लाइसेन्स देने की बात सोचें। हमारे देश की सीमाओं से लगा हुआ जो सागर है उसमें आपने फारेन वेसल्स को लाइसेन्स दे दिये तो हमारे देश के जो मछुआरे हैं उनको आर्थिक नुकसान होगा और उनका जीवन स्तर नहीं उठ पाएगा। इसलिए आप इस बिल में ऐसा प्राविजन रखें कि 20 या 30 किलोमीटर, जो सीमा आप नीश्चित करें उसके अन्दर फारेन वेसल्स को लाइसेन्स देने पर आप प्रतिबन्ध लगायेंगे।

इसके अतिरिक्त फारेन वेसल्स के कॉफिस्केशन की जो बात आपने रखी है उसमें जो आपने यह प्राविजन किया है कि 50 परसेन्ट आफ टोटल कैपिटल देकर वेसल ले सकते हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस प्राविजन को आप समाप्त करें। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास केस चलेगा, उसका जजमैन्ट आयेगा, उसके बाद जो होना होगा वह होगा लेकिन 50 परसेन्ट देकर वेसल छुड़वाने का जो प्राविजन है उसे आपको समाप्त करना चाहिए। फारेन वैसल जिसकी कि कीमत हजारों लाखों करोड़ों रुपये होती है, यदि पकड़ी जाती है, तो 50 प्रतिशत देकर उनको छुड़वाने में कोई प्राबलम नहीं होगी।

आपने बिल में जो अनुसंधान के लिए प्रावधान किया है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फारेन वैसल्स साइंटिफिक इन्वैस्टीगेशन के लिये जो आपने बिल में रखा है, उसको आप कम करिए अगर आप रखना ही चाहते हैं तो आप एक सीमा निर्धारित करिए कि इस सीमा तक फारन वैसल्स साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के लिए आ सकते हैं और इस सीमा तक नहीं आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन्वैस्टीगेशन के नाम पर हमारी बार्डर की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बार्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुये एक सीमा निर्धारित कीजिये कि 40-50 किलोमीटर तक और बाकी जो आपका इकोनामिक जोन है, उनमें मैं समझता हूं कि 200 किलोमीटर तक कोई भी फारेन वैसल्स हमारी सम्पदा को नहीं ले जा सकता है। टैरिटोरियल वाटर की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक्सक्लू-

यूजिव इकोनामि के लिये भी आप प्रतिबन्ध लगाइये कि 50-40 किलोमीटर तक साइंटिफिक इन्वैस्टीगेशन होगा और बाकी सारा समुद्र पड़ा हुआ है। मैं यह भी कहना चाहना चाहता हूं कि फारेन वैसल्स को आप लाइसेंस मत दीजिये, जब तक कि आप इस बिल में एक सीमा निर्धारित न कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय न लेते हुये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने जो बिल में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए दो-ढाई लाख रुपये का प्रावधान रखा है, वह बहुत थोड़ा है, उसको बढ़ाइए।

मैं एक शब्द इन्वैस्टीगेशन आफिसर्स के संबंध में कहना चाहता हूं। सुझाव के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप उनको अच्छे वैसल्स नहीं देंगे, चैक करने के लिए, पकड़ने के लिये, तो वे उनको पकड़ नहीं पायेंगे। जहाँ दूसरे देश वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, वही हमारे देश में पुरानी कश्तियां या छोटी बोटें देकर आप उनको पकड़वाना चाहते हैं, तो वे उनको कैसे पकड़ पायेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने इन्वैस्टीगेटर्स को अच्छे आधुनिक वैसल्स दीजिये, तभी वे उनको पकड़ पायेंगे। वरना आपका बिल बिलकुल बेकार होगा और आप कुछ नहीं कर पायेंगे।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन पर चर्चा करते हुए, विचार करें। आपका बिल बहुत अच्छा है हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से और मछुवारों को ऊपर उठाने के लिए। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जेवियर अराक्कल (एर्णाकुल्लम) : महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में जानकारी देने के लिये अपने माननीय सदस्य श्री संजीवीराव का धन्यवाद कर दूं। उन्होंने कई बातों पर प्रकाश डाला है जिन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। फिर भी यदि मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख करूं तो आप देखेंगे कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विदेशी मत्सस्य जलयानों द्वारा अनधिकार मछली पकड़ने के कार्य पर रोक लगाना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि समुद्र भोजन और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। समुद्र से मिलनी वाले खाद्य में प्रोटीन बहुत अधिक होता है। लेकिन अब मछलियां सस्ती नहीं रह गयी हैं। मछलियां बहुत मंहगी हैं और इस देश के सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है।

मछली के उत्पादन के मामले में भारत विश्व का सातवाँ देश हुआ करता था अब यह विश्व का आठवाँ देश है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि भारत मछली उत्पादन के मामले में क्यों पिछड़ रहा है। यदि आप हमारे समुद्र तट की समुद्री सीमा का उल्लेख करते हैं तो इसके तीन वर्ग हैं। मैंने इससे पहले समुद्री सीमा के इन तीन वर्गों के बारे में उल्लेख किया था। एक 12 मील तक का समुद्री क्षेत्र कहलाता है, दूसरा 24 मील तक का संलग्न क्षेत्र कहलाता है और 1976 के अधिनियम के अनुसार 200 मील तक का एक अनन्य अधिक क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में 6100 किलोमीटर की तटसीमा में दो तिहाई भूमि सतह इस क्षेत्र में उपलब्ध है। इस क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का अनुमान लगाए। इस क्षेत्र में उपलब्ध दो तिहाई भूमि क्षेत्र हमारे देश के कृषि योग्य भूमि के दुगुनी से अधिक है और यदि इसका समुचित ढंग से प्रबन्ध किया जाए और उसका उपयोग किया जाए तो हम देश की कई समस्यओं को हल कर सकते हैं।

इसका दूसरा पक्ष लें। हमारे देश में जल साधनों की स्थिति क्या है। हमारी नदियां और सहायक नदियां 27,000 किलोमीटर में फैली हैं और नहरें तथा अन्य सिंचाई साधन 2200 किलोमीटर में फैली हैं। आप पूछ सकते सकते हैं कि मैं यह सब क्यों कह रहा हूं। मेरा निवेदनहै कि यदि हमें अपने संसाधनों का पता लगाना है और उनका अधिकतम उपयोग करना है तो हमें मस्स्य के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाना होगा। सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिये हमें विचार करना होगा कि इन संसाधनों का किस प्रकार से लाभ उठाया जाए देशीय समस्याओं का समाधान किया जाए और साथ ही साथ खाद्यान्नों और रोजगार के क्षेत्रों में अन्य देशों को सहायता दी जाए।

हमारे 30 मील लम्बे समुद्री तट में मछली मिलने की संभावनाएं क्या हैं कहा ? गया है कि प्रतिवर्ष 150 लाख टन मछलियों पकड़ी जा सकती है; अब केवल 25 लाख टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। श्री राव ने तो कहा है कि भारतीय लोग तो केवल 15 लाख टन ही मछली पकड़ने हैं शेष 10 लाख टन मछली विदेशी जहाजों द्वारा पकड़ ली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ? हमारे पास केवल 67 ट्रालर हैं। ये भी निजी सम्पत्ति हैं। हमारे पास किराए पर लिए गये जहाज नहीं हैं। इन जहाजों के बारे में मैं कुछ मिनट बाद चर्चा करूंगा।

हमें इस समस्या के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना है। हमारे पास 10 लाख देशी नौकाएं हैं। 16,000 पंचीकृत नौकाएं हैं और इस व्यवसाय में लगभग 20 लाख लोग लगे हैं। तो आपको एक संतुलन बनाना होगा। हम यंत्रीकृत नौकाओं और अन्य सुविधाओं का कितना उपयोग कर सकते हैं और वर्तमान, देश में बनी, नौकाओं और यंत्रीकृत नौकाओं में कितना सुधार करके उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि 'यह विधेयक मछुवारों के भी हितों की रक्षा के लिए है। इस समुचित ढंग से सतुलित रखना होगा'। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे क्षेत्राधिकार में आने वाला क्षेत्र देश में उपलब्ध भूमि का 2/3 भाग है। थाईलैंड के पास 6,000 ट्रालर और जापान के पास 12,000 ट्रालर हैं। इतनी तुलना अपने 67 ट्रालरों से करें।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

आप अन्दाज करें कि समस्या कितनी जटिल है और इसका क्या हल हो। यदि आप विधेयक, या जो कागज मेरे पास हैं, को पढ़े तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मैंने ट्रालरों के लाइसेंसों के मामले में जारी किये गये जनवरी, 1981 के मार्गनिदेशों को पढ़ा है। एक छानबीन समिति है जिसकी केवल एक ही बैठक हुई। यदि आप इस समिति का हाल देखें, तो मुझे बताया गया है कि जनवरी में इसके समक्ष 35 या 36 आवेदन रखे गये थे परन्तु 6 को ही मांग पत्र दिए गए और स्वीकृति किसी को भी नहीं दी गई।

प्रो. एन. जी. रंगा (गंटूर) : क्यों ?

श्री जेवियर अराकल : यही तो मैं पूछ रहा हूं। मुझे खुशी है कि प्रो. रंगा मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। 36 में से 7 को मांग पत्र जारी किये गये परन्तु स्वीकृति किसी को नहीं दी गई। इस क्षेत्र में किराए पर लिया गया कोई जहाज नहीं है। विलम्ब है।

मेरे मित्र श्री राव ने कहा है कि 11 विभाग हैं। एक नया विभाग—समुद्री विकास विभाग बनाया गया है। अनुदान की अनुकूल मांगों में इस कार्य के लिये छः लाख रुपयों की

व्यवस्था भी की गई थी। परन्तु यदि आप संसाधनों की तरफ देखें और देश में उपलब्ध सम्पदा को देखें तो आप क्या यह नहीं सोचते कि एक ऐसा स्वतन्त्र विभाग होना चाहिये जो इन संसाधनों को समन्वित करे और इनका पूरा उपयोग करें। मैं बार-बार इस सभा में कह रहा हूं कि एक स्वतन्त्र मात्स्यिकी मंत्रालय होना चाहिये जैसा कि कृषि मंत्रालय है। हमारी पोषक-आहार और बेरोजगारी सम्बन्धी समस्यायें सुलझ सकती हैं यदि हम आगे आयें। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि हारित क्रांति कैसे हुई। मेरा निवेदन है कि यदि हम इस बारे में गम्भीरता से विचार करें तो हम देश में जल-क्रांति ला सकते हैं।

यह कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु जैसा मेरे मित्र, राव साहब ने कहा है, जब आप इसे कार्यान्वित करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। हमारे पास आधारभूत उपस्कर नहीं है कि हम विदेशी जलयानों द्वारा हमारे समुद्री क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने को रोक सकें। मैंने उद्देश्यों और कारणों को बताने वाले विवरण को पढ़ा है और उसमें समुद्री मार्गों का उल्लेख है। परन्तु यदि आप उनके पास उपलब्ध व्यक्तियों, नौकाओं और अन्य साधनों को देखें तो लगता है कि इन सुविधाओं के साथ तो विदेशी जहाजों को मछली पकड़ने से रोकना और उन्हें जब्त करना, अन्य प्रकार से अनधिकृत मछली शिकार को रोकना सम्भव नहीं हो सकेगा। तथापि, मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि वे परम्परागत मछुआरों, जो लगभग 20 लाख के करीब हैं, के हितों की रक्षा करे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करे कि मछली पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में यांत्रिक नौकायें उपलब्ध हो जिससे हमारी बहुत सी समस्यायें सुलझ सकें।

***श्री एम. एस. के. सतियेन्द्रन** (रामनाथपुरम) : सभापति महोदय, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) विधेयक, 1981 के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा।

विदेशी जहाजों द्वारा हमारे देश में अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने की वारदातों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने और हमारे मछुआरों को इससे होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर यह कानून बनाने जा रही है। वास्तव में विदेशी जहाज हमारी समुद्री सम्पदा को लूट रहे हैं। सरकार के पास अभी इन जहाजों की तलाशी लेने, उन्हें पकड़ने और रोकने के सम्बन्ध में समुचित प्राधिकार नहीं हैं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ऐसे विदेशी जहाजों जो अनधिकृत रूप से हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हों को जब्त करने की शक्ति दी गई है। मुझे आशंका है कि केवल लाइसेंस जारी कर देने से ही गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ना बन्द किया जा सकेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि सरकार इस विधेयक के द्वारा अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने के कार्य को रोकने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी।

सच्चाई तो यह है कि हम लोग अपने देश की समुद्री सम्पदा का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे देश में सबसे अधिक 51,000 किलोमीटर लम्बा, समुद्री क्षेत्र है। हमारे तटीय क्षेत्र में करीब-करीब 1680 द्वीपसमूह हैं। हम प्रतिवर्ष 19 लाख टन समुद्री मछली पकड़ पाते हैं जबकि 140 लाख टन मछली प्रतिवर्ष पकड़ सकते हैं। यही तथ्य इस बात का द्योतक है कि हम

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपने देश की समुद्री सम्पदा का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दुर्भाग्यवश, ट्रालरों की कमी ही इस कम कार्यनिष्पादन का मुख्य कारण है। खेदजनक बात तो यह है कि हम लोग कोस्ट-गार्ड जहाजों के न होने की वजह से थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान के जहाजों को अपने क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने से नहीं रोक पाते। इन देशों के जहाज हमारे क्षेत्र में हमारी समुद्री सम्पदा को लूटते रहते हैं। हाल ही में ताइवान के एक जहाज को तूती-कोरन बन्दरगाह से कुछ दूर मछली पकड़ते हुए पकड़ा गया था और इसे तूतीकोरन बन्दरगाह पर लाया गया था, परन्तु इस पर कोई दांडिक कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था। इस विधेयक में इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार के प्रयास सफल होंगे।

मैं सरकार की जानकारी में इस सदन के माध्यम से, यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे मछुआरों विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों को श्री.लंका, नवल फ्लीट द्वारा हमारे ही सीमा के अंदर किस प्रकार परेशान किया जाता है। न केवल उनके साथ मारपीट की जाती है बल्कि उनके द्वारा पकड़ी गयी मछलियां भी उनसे छीन ली जाती हैं। उन्हें बेदर्दी से पीटने के बाद श्रीलंका के नाविक अधिकारी मछलियों को अपनी नौकाओं में भर कर ले जाते हैं। वे उनके मछली पकड़ने के यंत्रों और नौकाओं को तोड़ देते हैं और मछुआरों को गहरे समुद्र में छोड़ देते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालें।

श्रीमन् इस अवसर पर मैं हमारे समुद्र तटों पर यंत्रिक नौकाओं के चालकों और देशी नौकाओं के चालकों में आये दिन होने वाले झगड़ों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारे मछुआरे अपनी परम्परागत मछली पकड़ने की नौकाओं के साथ गहरे समुद्र में नहीं जा सकते। वे केवल तट के आस-पास ही मछली पकड़ सकते हैं परन्तु यंत्रीकृत नौकायें, जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा संचालित की जाती हैं, गहरे समुद्र में जा सकती हैं। यहां भी बेचारे गरीब मछुआरों को ही हानि उठानी पड़ती है। मेरा सुझाव है कि सरकार एक ऐसी सीमा निश्चित करे जहां केवल देशी नौकाओं वाले मछुआरे मछली पकड़ सकें और इस क्षेत्र में यांत्रिक नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने को गैर-कानूनी करार दिया जाये। केवल इसी तरीके से ही मछुआरे अपनी रोजी कमा सकेंगे।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्र सैंकड़ों करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा केवल इसीलिए नहीं कमा पा रहा कि हमारी समुद्री सम्पदा का भरपूर लाभ उठाने और उनका निर्यात करने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किये जा रहे। दुर्भाग्यवश मछली निर्यात का कार्य केवल कुछ एकाधिकार वाले निकायों द्वारा किया जा रहा है। यह उचित समय है कि सरकार निर्यात के लिए कोई सहकारी संस्थान बनाये या एक मछली निर्यात निगम बनाये जिसका मुख्य उद्देश्य मछली निर्यात को बढ़ावा देना तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करना हो। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

***श्री आर. के. महालगी** (थाणे) : सभापति महोदय, मैं भारतीय समुद्रीक क्षेत्र विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस विधेयक

* मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को बहुत देर से लाई है। इस सभा ने 25 अगस्त, 1976 को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में एक विधेयक पारित किया था परन्तु इस अधिनियम पर सुचारू रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया। 1980-81 के दौरान श्रीलंका और ताइवान के मछली पकड़ने वाले जहाज हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आते रहे और हमारे समुद्री सम्पदा को लूटते रहे और लाखों रुपये की मछली ले जाते रहे। हमारा एक जहाज डूब गया और एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार यह कब करेगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि सरकार इस सभा को इस बारे में बताये।

कोस्टगार्ड संगठन अधिनियम 1978 में पारित किया गया था। परन्तु इस अधिनियम पर सुचारू रूप से कार्यान्वयन नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी जहाज हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछलियां पकड़ते रहे। मेरी राय है कि कृषि और रक्षा मंत्रालयों की संयुक्त समिति गठित की जाये जो इस समस्या पर विचार करे। इस समिति की रिपोर्ट समय-समय पर इस सदन में रखी जायें।

मैं यह नहीं समझता कि इस विषय पर किसी विधान के बना देने मात्र से माननीय मंत्री महोदय मछली उद्योग को प्रोत्साहित कर सकेंगे। तथापि, यह सच है कि इससे इस उद्योग की रक्षा होगी और देश की रक्षा में सहायता मिल सकेगी। यदि हम विदेशी जहाजों द्वारा अपने क्षेत्र में मछली शिकार को वास्तव में रोकना चाहते हैं तो यह समिति बनानी ही होगी।

मछली उद्योग के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने 1979-80 के दौरान 250 करोड़ रुपये की मछली निर्यात की थी किन्तु 1980-81 के दौरान हमारा मछली निर्यात 14 प्रतिशत कम हो गया। मछली निर्यात में गिरावट के बारे में सरकार को जांच करनी चाहिए।

1960 में देश में मछली पकड़ने के 2 हजार जहाज थे जो कि 1977 में बढ़कर 16 हजार हो गये किन्तु 1977 के बाद इनकी संख्या में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं हुई। सदन को बताया जाना चाहिए कि हमारे मछली निर्यात में इतनी भारी कमी क्यों आयी। मछली पकड़ने के जहाजों में कमी और निर्यात में गिरावट से ही पता चलता है कि सरकार मछली उद्योग और निर्यात की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। मैं इस बारे में निम्न सुझाव देना चाहता हूं।

इस समय केन्द्रीय मात्स्यकी निगम घाटे में जा रहा है। सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि उसे घाटा क्यों हो रहा है और इसके कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए।

सरकार को हमारे विशाल समुद्र तट क्षेत्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यकी सर्वेक्षण योजना तैयार करनी चाहिए। इससे योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा मछली पकड़ने के काम में तीव्रता लाने में सहायता मिलेगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया है कि हम प्रतिवर्ष 6 अरब रुपये की मछली का निर्यात करने की स्थिति में होंगे। हमें एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें प्रतिवर्ष निर्यात में वृद्धि की व्यवस्था हो।

गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए और जहाजों की जरूरत है। उन्नत प्रौद्योगिकी की

जानकारी से ही हम अपने देश में जहाज बना सकेंगे। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के लिए कुछ समय लगेगा; और मछली निर्यात करने वाले देशों में जो हमारा 13वां स्थान है, हो सकता है वह भी न रहे। इसलिए हम जब तक जहाज बनाने की प्रौद्योगिकी हासिल नहीं कर लेते तब तक विदेशों से जहाज आयात कर सकते हैं।

6 मार्च 1981 को मेरे गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर हुई चर्चा के उत्तर में श्री स्वामीनाथन ने आश्वासन दिया था कि सरकार छोटे मछुआरों को संरक्षण देने के लिए एक विधेयक लाएगी जिसमें समुद्र तट से 15 कि. मी. तक के क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित किया जायेगा। 7 महीने गुजर चुके हैं किन्तु विधेयक सदन में नहीं लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री श्री राव बीरेन्द्र सिंह यह आश्वासन देंगे कि सरकार छोटे मछुआरों को संरक्षण देगी जिससे कि उनके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव न पड़े।

माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह ने वित्तीय ज्ञापन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आवर्ती खर्च के रूप में कुछ लाख रुपयों का प्रावधान बहुत कम है और इससे निश्चय ही स्वयं विधेयक की महत्ता कम होगी। इस राशि को काफी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि सभी खर्च पूरे हो सकें।

अन्त में मैं प्रत्यायोजित विधान के बारे में यह कहना चाहता हूं कि नौकरशाही को सभी शक्तियां दे देना उचित नहीं है। सरकार को इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल) : मैं विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। भारत विश्व का एक प्रमुख मछली उत्पादक देश है। मछली उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा हमारे समुद्री क्षेत्र में विदेश जहाजों की घुसपैठ है। विदेशी जहाजों द्वारा हमारे जल क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ना एक आम बात हो गई है और इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जापान, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया के ट्रालर हमारे समुद्री क्षेत्र में घुस आते हैं और गैर कानूनी ढंग से मछलियां पकड़ते हैं। गैर कानूनी ढंग से मछली पकड़ने को रोकने के लिए उठाये गये कदम प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं। इस प्रकार की घुसपैठ अब एक प्रकार से नियमित सी हो गई है। गैर-कानूनी ढंग से मछलियां पकड़ने के लिए वे अब समुद्र तट के बहुत नजदीक आने का साहस करने लगे हैं। ऐसे अनेक अवसर और उदाहरण हैं जहां उन्होंने परम्परिक रूप से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरों के मछली पकड़ने वाले बर्तनों को उनसे खींच लिया और उनके जाल नष्ट कर दिये। हमारे मछुआरों के मछली पकड़ने के धन्धे पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उससे उनकी गरीबी में और वृद्धि हुई है तथा इन्हें काफी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।

अब तक हमारे तट गार्ड हमारे समुद्र में विदेशी जहाजों की घुसपैठ को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाये हैं। हो सकता है ऐसा नौकाओं की अपर्याप्त संख्या के कारण हुआ हो अथवा इन विदेशी जहाजों से निपटने के लिए अधिक शक्तियां न होने के कारण हुआ हो। अतः यह उचित होगा कि हमारे समुद्र क्षेत्र में विदेशी जहाजों की घुसपैठ को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया जाये।

एक और बात भी है कि इन विदेशी जहाजों की घुसपैठ से हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और मछली उद्योग तथा गरीब मछुआरों के हित में भी यह अति आवश्यक है कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाए। इस विधेयक में तट गार्डों को दोषी विदेशी ट्रालरों को पकड़ने और जब्त करने की पर्याप्त शक्तियां दी गई है। इसके अतिरिक्त अपराधियों के विरुद्ध भारी जुर्माना करने और जहाजों को जब्त कर लेने की भी व्यवस्था की गई है।

विधेयक के बारे में मैं निम्न सुझाव देता हूं। लाइसेंस और परमिट जारी करने सम्बन्धी विधेयक की धारा 4 और 5 इन उपबन्धों का गरीब मछुआरों के हितों के विरुद्ध दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें उनके और मछली उद्योग के हितों के प्रतिकूल उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लाइसेंस और परमिट जारी करने में सख्ती से जांच करनी चाहिए। इनके जारी करने के सम्बन्ध में पर्याप्त जांच के लिए नियम बनाने होंगे।

एक अन्य बात जो मैं सुझाना चाहता हूं वह यह है कि तट गार्डों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। हमारा तट क्षेत्र बहुत लम्बा है और अनेक द्वीप भी हैं। वर्तमान में जो तट गार्ड व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं हैं और वह अप्रभावी साबित हुई है। उससे हमारे समुद्री क्षेत्र में विदेशी जहाजों की घुसपैठ रोकने में सफलता नहीं मिली है।

मैं, मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि वह जहाजों की संख्या बढ़ायें जिससे कि प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

एक और बात, जो हो सकता है विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो किन्तु काफी महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार के मछुआरों के बीच चल रहे विवादों को हल करना है। विभिन्न श्रेणी के मछुआरों के बीच प्रायः विवाद चलते रहते हैं, जैसे कि परम्परागत देशी नौकाओं वाले मछुआरों और नियत्रीकृत नौकाओं तथा डालरों वाले मछुआरों के बीच मछली पकड़ने के लिए अलग-अलग जोन बनाये जाने चाहिये। ऐसा या तो और कोई कानून बनाकर अथवा इस प्रयोजन के लिए कोई और व्यवस्था करके किया जाना चाहिए। —धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) सभापति जी हमारी पार्टी से कोई नहीं बोला है।

राव बीरेन्द्र सिंह : शास्त्री जी आप मछली खाते नहीं, आप क्यों बीच में आते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं खाता नहीं अगर आप खिलाएंगे तो मैं खा लूंगा।

एक माननीय सदस्य : देर तक बैठ लेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : प्रत्येक दल को समय दिया जाना चाहिए। हमारा नाम शामिल है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कार्य मंत्रणा समिति मे इस विधेयक के लिए समय नियत किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : वह मैं नहीं कह रहा हूं, राव साहब। यहाँ हर दल के लोग अपने विचार देना चाहेंगे, अगर आप अपने आपसे पास करना चाहें तो कर लें।

सभापति महोदय : मि. शास्त्री, आप बहुत नाराज मत होइये। आप केवल दो मिनट बोलिये।

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति जी, शुरू से ही टाइम रेशनल कीजिये, बड़े दलों के लोग देर से बोलते है, छोटों का टाइम कट जाता है। आप शुरू से ही बड़े दलों का टाइम भी काटिये।

सभापति महोदय : श्री राजन

श्री के. ए. राजन : (त्रिचूर) सभापति महोदय मैं, इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारे समुद्री क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों से लैस यंत्रीकृत नौकाओं का उपयोग करके मछुआरे अनधिकृत रूप से मछली पकड़ते रहते हैं। हम ट्रालर लेना चाहते हैं। हमारे पास केवल 60 के करीब ट्रालर हैं। जबकि जापान के पास 15 हजार और ताइवान के पास 7 हजार ट्रालर हैं। यह स्थिति इस समय की है। हमें बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के कार्य को विकसित करना है। हमारे अपने जल क्षेत्र में विदेशी जहाज अनधिकृत रूप से मछली पकड़ रहे हैं। तक इसे बन्द नहीं किया जाता, हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहेगा। जहाँ तक हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात का सम्बन्ध है, मेरे पास 1978-79 और 1979-80 के आंकड़े हैं। निर्यात वर्ष प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है।

हमारे समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं ? इसका कारण यह है कि हम अनेक समुद्री उत्पादों के विकास के स्थान पर केवल एक ही उत्पाद पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए अमेरिका और जापान जैसे एक दो बाजारों पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे अनेक देश हैं जहाँ मछली की मांग बढ़ रही है। समुद्री विकास प्राधिकरण अपना कार्य नहीं कर रहा है। यह कार्य इस प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। हमें निर्यात में तीव्रता लानी चाहिए।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें देशी नौकाओं वाले मछुआरों पर परम्परागत ढंग से मछली पकड़ने वाले मछुआरों और यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग करने वाले मछुआरों के लिए अलग-अलग जोन बनाय जाने चाहिए। हमने देखा है कि मछली पकड़ने के लिए उन्नत और आधुनिक ट्रालरों का उपयोग किया जा रहा है। हमने देखा है कि कर्नाटक या केरल या गोवा के प्रत्येक क्षेत्र में मछली पकड़ने का क्षेत्र सीमित है। कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसमें ये सीमा बांधी जानी चाहिए कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए देशी नौकाओं के साथ कहाँ तक जा सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा हमें काफी कठिनाइयों का सामना करते रहना होगा। मेरी अन्तिम बात इस विधेयक-विशेष के बारे में है। जब विदेशी ट्रालर हमारे जल क्षेत्र में आते हैं तो मात्र उन्हें जब्त कर लिया जाता है। यह पर्याप्त नहीं है। हमारे पास उन्नत और इलैक्ट्रानिक उपकरणों से युक्त या आधुनिक यंत्र होने चाहिए। इसके बिना हम अवैध रूप से मछली पकड़ने के कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पायेंगे। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि विधेयक का प्रयोजन तभी पूरा होगा जब यह बातें इसमें शामिल की जायें।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या शास्त्री जी नहीं बोलेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरे दल की तरफ से जिस सदस्य को बोलना था। वह बोल चुके हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर मुझे केवल दो तीन बातें कहनी हैं। मैं मंत्री महोदय को वधाई देता हूं कि इस विधेयक के द्वारा इस देश के मछुओं के बारे में कुछ व्यवस्था की गई है और खासतौर से उन्हे बड़े-बड़े विदेशी मछुओं से बचाने की कोशिश की गई है। होना तो यह चाहिए कि पूरे देश में मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, मछली उत्पादन को एग्रीकल्चर के स्तर पर रखा जाए और एग्रीकल्चर को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि उद्योग को मिलने वाली सभी सुविधाएं मछली उत्पादन को दी जा सकें।

हमें देखना चाहिए कि पूरे देश में, समुद्र से लेकर मैदानों तक पानी का सेटलमेंट किस तरह हुआ है। वह मछुए को नहीं हो पाता है, वल्कि जो बिचौलिए और ठेकेदार हैं, उन्हें होता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय एक व्यापक बिल तैयार करें, जिसके द्वारा पूरे देश में मछुओं और मछली उत्पादन के विकास की व्यवस्था हो और इस देश के लाखों करोड़ों मछुओं, धीवर, मल्लाह, केवट, कहार, कोली, माझी और निषाद आदि का उसमें समावेश हो सके, उनके सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की व्यवस्था की जाए, एक फिशरमैन कमीशन वने, जो पूरे देश में अध्ययन करके मछली उत्पादन के विकास के सुझाव दे।

मैं चाहता हूं कि मछली के लिए कोल्ड-स्टोरेज और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। हमारे देश की झींगा मछली दूसरे देशों से वहुत अच्छी होती है। हम उसके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। इसका मछुओं से डायरेक्ट सम्बन्ध होना चाहिए, ताकि जो छोटे मछुए परम्परागत तरीके से काम करते रहे हैं, उनकी रक्षा हो सके, उनका शोषण न हो सके और उन्हें ठीक कीमत मिल सके। आज मछुए चाहे समुद्र में मछली का उत्पादन करते हैं और चाहे अर्न्तदेशीय नदियों में, उन्हें ठीक कीमत नहीं मिलती है।

मैं इस बिल के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह मछुओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए और मछली उत्पादन के विकास के लिए एक व्यापक विधेयक लायेंगे, जिससे करोड़ों मछुओं के हितों की रक्षा हो सके। (इति)

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : मंत्री महोदय माननीय सदस्य को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने पहली वार समझदारी की बात कही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मछली की बात आई, मो समझदारी की बात करने लगे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : राव साहब एक दिन सबको मछली खिलाएं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मंजूर है। आपका नाम सबसे ऊपर रखेंगे। श्रीमान जी, मैं इस सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण समर्थन किया है। इससे हमारे समुद्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने की समस्या को रोकने में निश्चित रूप से काफी सहायता मिलेगी। राष्ट्र इस राष्ट्रीय संसाधन की विशाल क्षमता को महसूस करता है और यह वस्तुतः हर्ष की बात है कि देश की संसद को इस बात की जानकारी है कि इस राष्ट्रीय संसाधन का पूरी तरह दोहन किया जाए और मत्स्य पालन के लिए अधिक राशि का नियतन किया जाये, चाहे वे अन्तर्देशीय हों अथवा समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र हों। इस समय हम समुद्री मत्स्य पालन की बात कर रहे हैं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि समुद्री मत्स्य उद्योग के मामले में अब तक हमने जो प्रगति

की है, वह बहुत हर्ष की बात नहीं है। हम पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं कि मत्स्य पालन को पृथक् विभाग या पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दे दिया जाए। मुझे बहुत अधिक खुशी होगी अगर मत्स्य पालन के लिए पृथक् मंत्रालय का गठन किया जाए। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं कि केवल मंत्रालय का गठन कर देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान वित्त से हो सकता है जिसका सरकार के विभिन्न विभागों को नियतन किया जाता है। अभी मत्स्य पालन कृषि मंत्रालय का अंग है। यदि माननीय सदस्य कृषि मंत्री के रूप में मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मत्स्य पालन की तरह, कुकुट पालन, पशु पालन और माँस उद्योग तथा डेरी उद्योग के लिए पृथक् विभागों का गठन किया जाये। परन्तु जैसी इस समय स्थिति है कृषि मंत्रालय में वे सभी विभाग हैं जो कृषि उत्पादन से सम्बन्धित हैं, चाहे वह कुकुट पालन हो, माँस उद्योग, वन उत्पाद, डेरी, दूध या अन्य कृषि फसलें हों, चाहे वह वाणिज्यिक फसलें हों या अनाज की फसलें हों। समुद्र से मछली पकड़ने के लिए हमारी क्षमता बहुत व्यापक बताई जाती है। अभी तक हम 19 लाख टन की क्षमता तक ही पहुंच सके हैं। "यह बताया जाता है कि हमारी क्षमता प्रति वर्ष 150 लाख टन तक है। अब तक हमने जो क्षमता प्राप्त की है वह बहुत ही कम है। इसके अनेक कारण हैं और हमारे देश में बहुत बड़ा ट्रालरों का बेड़ा भी नहीं है। जिन देशों के पास बहुत बड़ी संख्या में जहाज हैं, उन्होंने अपनी क्षमता का लाभ उठाया है और उनके लिए मत्स्य पालन एक प्रमुख उद्योग है। जापान जैसे छोटे देश के पास 15 हजार ट्रालर हैं। थाईलैंड के पास 6 हजार से 7 हजार के बीच ट्रालर हैं।" यहाँ तक कि थायवान के बारे में यह बताया जाता है कि उसके पास 7 हजार ट्रालर हैं। कोरिया के पास, मेरा मतलब दोनों कोरिया देशों से है—बहुत बड़ी संख्या में ट्रालर हैं। इन दोनों देशों की तुलना की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल और जन-संख्या दोनों ही दृष्टिकोण से एक विशाल देश है और इसकी समुद्री सीमा भी काफी व्यापक है "परन्तु उसके पास बहुत छोटा बेड़ा है।" जैसा कि आप जानते हैं, सरकार के पास अपने स्वयं के मछली पकड़ने वाले कोई जहाज नहीं हैं। सरकार के पास जो जहाज हैं वे केवल सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के लिए ही हैं। अगर मैं सही हूं तो हमारे देश में ट्रालरों की संख्या केवल 57 है। कुछ समय से चार्टर्ड जहाज काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें रोक दिया है। क्योंकि हम यह विधेयक ला रहें थे और हम जहाजों को चार्टर्ड करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहते हैं। अब यह भी एक तथ्य है कि अभी तक अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने के विरुद्ध हम कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सके हैं। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में विधेयक की चर्चा के लिए प्रस्तुत करते समय बताया कि हमारे तट रक्षक बहुत सतर्क रहे हैं "वे वह सब कुछ करने का प्रयास करते रहे हैं जितना कि वह कर सकते हैं" परन्तु यह एक विदेशी जहाजों के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला है। इसलिए हमें अपने संसद के अधिनियमों से समुचित रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह विधेयक इस वजह से लाया गया है, क्योंकि यह प्रधान मंत्री, जिनके पास रक्षा मंत्रालय भी है, के ध्यान में तट रक्षकों और समुद्री तटीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों द्वारा यह बात लाई गई थी और प्रधान मंत्री ने स्वयं यह निर्देश दिया था कि संसद के समक्ष ऐसा कानून लाने के लिए हमें तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए यह विधेयक आपके समक्ष लाया गया है। श्रीमान् जी, कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 1980-81 के दौरान उससे पूर्ववर्ती वर्ष की

तुलना में मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारे निर्यात में कमी हुई थी। मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि वर्ष 1979-80 में 240 करोड़ रुपये की निर्यात आय उससे अगले वर्ष अर्थात् वर्ष 1980-81 में घटकर 234 करोड़ रुपये रह गई। ऐसा विभिन्न कारणों से हुआ जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कुछ विकसित देश संरक्षण उपायों का सहारा ले रहे हैं। वे अपने देश में हमारे मत्स्य उत्पादकों को आसानी से आयात करने की अनुमति नहीं देते। एक अन्य कारण मछली पकड़ने पर होने वाला ऊंचा लागत व्यय है विशेष रूप से डीजल के मूल्य में वृद्धि होने और अन्य विभिन्न बाधाओं की वजह से लागत व्यय में वृद्धि हुई है। परन्तु इस स्थिति से निपटने के लिए ही हमने इस सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया है। जहाँ तक सामान्य आलोचना अथवा सुझावों का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि किसी भी माननीय सदस्य ने विधेयक के उद्देश्य की आलोचना करने की दृष्टि से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अनेक उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्तव्य है कि माननीय सदस्यों के दिमाग में जो धारणा है, उसे मैं दूर कर दूँ।

अब अधिकांश सदस्यों ने देशी नौकाओं, परम्परागत देशी नौकाओं और यन्त्रीकृत नौकाओं दोनों का ही संरक्षण करने की आवश्यकता का प्रश्न उठाया है। यह अनुमान किया जाता है कि देश में देशी नौकाओं की संख्या 10 लाख या उसके आस-पास है और यंत्रीकृत नौकाओं की संख्या 15 हजार या 16 हजार है। यदि हम विभिन्न प्रकार की देशी नौकाओं की माध्यम से तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने के कार्य में परम्परागत रूप से लगे हुए अपने लोगों की सुरक्षा नहीं करते, तो मत्स्य उद्योग का विकास करने के प्रयास का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है हमने बहुत पहले ही एक मानक विधेयक परिचालित किया है जिसमें देशी नौकाओं तथा यंत्रीकृत नौकाओं के लिए तटवर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करने के बारे में ब्यौरा दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम अपनी समुद्री जल सीमा में विदेशी जहाजों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देंगे। वह सीमा हमारे अपने मछुओं के लिए आरक्षित रहेगी जो बहुत बड़ी संख्या में इस उद्योग पर आश्रित हैं। कुछ राज्यों ने इस मानक विधेयक को, जो उन्हें सरकार द्वारा भेजा गया था, पहले ही स्वीकार कर लिया है। केरल इस बारे में पहले ही कानून पारित कर चुका है। गोवा ने भी कानून पारित किया है। उड़ीसा ने पहले ही हमारी स्वीकृति ले ली है और कुछ अन्य राज्य सरकार के सुझाव के अनुसार ऐसा कानून बनाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और इस बारे में सभी तटवर्ती राज्यों द्वारा कार्यवाही करने के बाद हमें विश्वास है कि जिस नीति का हम पालन कर रहे हैं, उस नीति के अनुसार स्थानीय मछुओं के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा हो सकेगी।

श्री आर. के. महालगी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में केन्द्रीय विधेयक का राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जायेगा अथवा इस बारे में अपना स्वयं का कानून बनाने के लिए राज्य सरकारों के पास अधिकार है।

राव वीरेन्द्र सिंह : राज्य सरकारों के पास ऐसा करने के लिए अधिकार है। उन्होंने ऐसा पहले ही किया है।

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रयोजन के लिए राज्यों के लिए केन्द्रीय सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रही है।

राव वीरेन्द्र सिंह : राज्य सरकारों के लिये बेहतर होगा कि वे अपनी स्वयं की जरूरतों स्थानीय परिस्थियों और अपने राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानून बनायें। वे अपना स्वयं का विधेयक तैयार कर सकते हैं और अपनी अपनी विधान सभाओं में पारित करवा सकते हैं। परन्तु यदि आवश्यक हो, तो हम इस बारे में कार्यवाही करने से पूरी तरह इनकार नहीं कर रहे हैं। यदि राज्य सरकारें हमारे पास आती हैं और केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करती हैं कि सभी तटवर्ती राज्यों के लिये एक समान कानून बनाया जाए, तो हम निश्चित रूप से उस सुझाव पर भी विचार करेंगे। देशी नौकाओं के लिए स्वीकृत समुद्री क्षेत्र की सीमा 200 मील है। इस आशय का अधिनियम संसद पारित करती है। संसद ने यह कहा है कि 200 मील तक समुद्री आर्थिक क्षेत्र भारत का है और इस क्षेत्र के लिये कानून बनाने के लिए हम प्राधिकृत हैं। इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : दो वर्ष पहले उस मानक विधेयक को परिचालित किया गया था, परन्तु राज्यों की प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं रही है।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम मामले के बारे में आगे कार्यवाही कर रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को ऐसा कानून बनाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी।

माननीय सदस्यों द्वारा जो एक अन्य सुझाव दिया गया है, वह कानून को लागू करने के बारे में दिया गया है। यदि इस प्रकार के कानून को लागू किया जाना है, तो हमारे तटवर्ती बलों को, विशेष रूप से तट रक्षकों को सुदृढ़ करना होगा। लेकिन हम इस समय ऐसा कोई अनुमान व्यक्त नहीं कर सकते कि संसद द्वारा पारित किए जाने वाले नए कानून की वजह से कितनी मात्रा में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। हमने केवल उस छोटी रकम का केवल अनुमान मात्र व्यक्त किया है, जिसकी हमें आवश्यकता होगी।

कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में यह आशंका है कि परमिटों को जारी करने और लाइसेंस देने के इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है। श्री सुधीर कुमार गिरि ने सबसे पहले यह कहा था "अब आप लाइसेन्स देने और परमिटों को जारी करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेंगे और वह प्राधिकरण अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा।" क्या इसका कोई विकल्प वह बता सकते हैं ? यदि हमारे पास जहाजों के लिये परमिट देने और लाइसेंस जारी करने के लिये कोई प्राधिकरण नहीं होगा, तो उसका क्या विकल्प है ? क्या हम इस विषय को ऐसा नहीं छोड़ दें ? आखिरकार किसी न किसी प्राधिकरण की स्थापना तो करनी ही होगी और लाइसेंसों और परमिटों को जारी करने का अधिकार देने के लिए ही यह विधेयक आवश्यक हो गया है। अन्यथा सभी को आजादी होगी। किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी।

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टई) : मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि लाइसेंसों और परमिटों के जारी करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : किसी भी व्यक्ति से यह कहा जाना चाहिए कि वह केवल सरकार को जानकारी मात्र दे दे।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम आप पर इतना अधिक निर्भर नहीं करते हैं। आप किसी बहुत ही आवंछित पक्ष को बीच में लाना चाहते हैं। इसलिये हमें सावधान रहना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में हरियाणा के बहुत आदमी नहीं है।

श्री सुधीर कुमार गिरि (कन्टई) : मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस और परमिट जारी किये जाएं वे सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : इसकी कोई आवश्यकता नहीं और ऐसा किया भी नहीं जाता। आखिरकार यह नैमित्तिक मामला है। सरकार तंत्र की स्थापना करती है : लेकिन आप अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई भी प्रश्न सरकार की जानकारी में सदैव ला सकते हैं। आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछने का अधिकार है और हम निश्चित रूप से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन छोटे मामलों पर, अर्थात् लाइसेंस प्राधिकरण क्या कर रहा है, संसद द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है।

सदन के सभी पक्षों से कठोर दण्ड के बारे में मांग की गई है। कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए ही हमने संसद में यह विधेयक पुरः स्थापित किया है। अब तक कोई अधिकार नहीं थे। जहाज पकड़े जाते थे और समुद्र तट पर लाये जाते थे, लेकिन अंततः चेतावनी देने के पश्चात् उन्हें छोड़ना होता था। जब तक हमारे पास कानून की स्वीकृति नहीं हो, हम जहाजों को जब्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने यह प्रावधान किया है कि मछली पकड़ने वाले उन विदेशी जहाजों को, जो हमारे क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ते हैं, न केवल जब्त ही किया जायेगा बल्कि उनके द्वारा पकड़ी गयी मछली को भी जब्त किया जायेगा। और जहाज के चालक दल को भी कारावास की सजा दी जायेगी।इन सब बातों का प्रावधान कर दिया गया है और हमें आशा है कि इस बड़े कदम से हमारे जल-क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने का कार्य रुक जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम की बात कही है। यह विषय इस विधेयक के विषय से अलग है : मैंने पहले भी सदन में बताया है कि हम इस निगम को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु यह निगम पहले केवल श्री ज्योतिर्मय वसु के क्षेत्र की आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए ही बनाया गया था। वह कलकत्ता के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। निगम कलकत्ता नगर को मछली सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। उसे काफी हानि उठानी पडी। इससे पहले अनेक बार जांच की गई थी। अब नई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अतः सरकार द्वारा एकाधिकृत बार निर्णय लिया गया था कि इस निगम को बन्द कर दिया जाए। यह निर्णय अभी बना हुआ है किन्तु हम जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अनेक बार सुझाया है, इस निगम को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा करने से हम कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा कर सकेंगे और साथ ही शायद इस निगम का उपयोग अण्डे सेने के स्थान बनाने फिंगर लिंग सप्लाई करने, मछली के अण्डे सप्लाई करने और विदेश में मत्स्य पालन के विकास के अनेक अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

बन्दरगाहों का भी उल्लेख किया गया है किन्तु हम प्रमुख बन्दरगाहों और छोटे बन्दर-

गाहों के लिए अलग से अत्याधिक राशि आबंटित करते रहे हैं। छोटे बन्दरगाहों के लिये हम 50 प्रतिशत राज सहायता देते हैं। 50 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा। किन्तु मछली पकड़ने के प्रमुख बन्दरगाहों पर शत प्रतिशत खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। चूंकि हम अपने मछली उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अत: हमें बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के लिए भी व्यवस्था को देखना होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने संयुक्त प्रयासों पर अनुमति प्राप्त करने में लाल-फीता-शाही की बात की है। इसमें से आन्ध्र प्रदेश से एक विशेष शिकायत थी। श्री संजीवी राव यहां नहीं हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में उल्लेख किया था। हम विलम्ब को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं भाड़े पर जहाज लेने के लिए हमने आवेदनों की जांच करने हेतु एक सलाहकार समिति की स्थापना की है और हाल में ही हमने अनेक पार्टियों को लगभग 25 जहाज भाड़े पर लेने के लिए अनुमति दी है। हमने 65 लाख रुपते प्रति ट्रालर की दर से ट्रालरों की खरीद के लिए उदार शर्तों वाले ऋण देने की योजना को फिर से लागू किया है (**व्यवधान**)। यह पूरे भारत पर लागू है; कोई भी व्यक्ति 21 .....प्रस्तुत करने पर 11 ट्रालरों के लिये पार्टियों को ऋण उपलब्ध कराने का पहले ही निश्चय किया जा चुका है। (**व्यवधान**) देश में भी हम इनका निर्माण कर रहे हैं। हमने 33 प्रतिशत राज सहायता देने का निश्चय किया है ताकि देश में हमारे ट्रालर निर्माण उद्योग पनप सकें। जिससे कि हमें विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े।

मेरा ख्याल है कि मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है। श्री जगपाल सिंह ने यह उल्लेख किया था कि लागत का 50 प्रतिशत जमा कराने पर न्यायालय द्वारा जहाज छोड़ने की प्रणाली ठीक नहीं है। अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वाले इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। मेरा विचार यह है कि न्यायालय द्वारा यह जमानत परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही दी जाएगी। अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वाले जहाज को 50 प्रपिशत नकद जमा कराना होता है। यह काफी बड़ी राशि है। और हम भारत में किसी न्यायालय द्वारा दी जाने वाली जमानत को पूरी तरह से मना नहीं कर सकते जबकि इतने भारी दण्ड की व्यवस्था हो और जहाजों को जब्त किया जा सकता हो।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अब सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कर देंगे जिससे कि हम जल्दी से नियम बना सकें। यदि किसी और चीज की आवश्यकता हुई और यदि कोई चीज छूट गई होगी तो उसे नियमों में लाया जा सकता है। ऐसी बात जो छूट गई हो और सभी आकस्मिकताओं के बारे में मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि नियमों को बनाते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्रों में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को नियमित करने और उससे सम्बन्ति विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्ड वार विचार किया जायेगा। खण्ड 2 से 26 इन पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है;

"कि खण्ड 2 से 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 26 विधेयक में जोड दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है;

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : यह प्रश्न यह है;

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामावतार शास्त्री : मन्त्री महोदय ने मछली पकड़ने के बारे में आश्वासन दिया है

सभापति महोदय : यह बात मेरे दिल में लिखी गई है और वह इसे पूरा करेंगे।

बर्मा आयल कम्पनी [आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों तथा असम आयल कम्पनो लिमिटेड और दि वर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि दि बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड" द्वारा धारित आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का तथा भारत में असम आयल कम्पनी लिमिटेड और" दि बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के उपक्रमों के सम्बन्ध में उनके अधिकार हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और गैस तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल, गैस और पैट्रोलियम उत्पादों तथा उक्त उपक्रमों और "दि बर्मा आयल कम्पनी (इन्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पैट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में

ही सरकार ने तेल उद्योग पर तेल शोधन और विपणन क्षेत्र तथा कच्चे तेल की खोज और उसके उत्पादन दोनों पर प्रभावी नियंत्रण करने का अपना आशय प्रकट कर दिया था।

इस दिशा में पहला कदम मार्च, 1974 में उठाया गया था जब हमने भारत में "एस्सों" की आस्थियों और उसके संचालन कार्य को अर्जित किया था। उसके बाद जनवरी, 1976 में हमने भारत में बर्मा शैल की आस्थियों और उसके सचालन कार्य को अर्जित किया और दिसम्बर, 1976 में भारत में कालटैक्स की आस्थियों और उसके सचालन कार्य को अर्जित किया। इस समय भारत में केवल बर्मा आयल कम्पनी ही एक ऐसी विदेशी तेल कम्पनी है जो तेल की खोज और उसके सोधन में लगी हुई है। यह कार्य वह अपने पूर्ण स्वामित्व प्राप्त समानुषंगी कम्पनियों असम आयल कम्पनी और बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के माध्यम से तथा आयल इण्डिया लिमिटेड के 50 प्रति शेयरों के स्वामित्व के आधार पर कर रही है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं असम आयल कम्पनी तेल के उत्पादन, शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में लगी हुई है। इसके तेल शोधक कारखाने की क्षमता 53 हजार मीटरी टन प्रति वर्ष है; यद्यपि यह देश का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है, यही एकमात्र तेल शोधक कारखाना है जो पैराफिन वैक्स तैयार करता है जिसकी देश में कमी बनी हुई है। बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड जो कि बी. ओ. सी. द्वारा पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एक अन्य समानुषगी कम्पनी है, 1965 तक पैट्रोलियम उत्पादों के विपणन में लगी हुई थी। इसके बाद इसने विपणन कार्यकलाप किराया आधार पर, असम आयल कम्पनी को अन्तर्णित कर दिए थे। आयल इण्डिया लिमिटेड जिसमें बर्मा आयल कम्पनी और सरकार दोनों के 50-50 प्रतिशत शेयर हैं, कच्चे तेल और गैस का पता लगाने में और उसके उत्पादन में लगी हुई है।

(श्री हरिलाल मिश्र पीठासीन हुए)

बर्मा आयल कम्पनी के साथ अनेक वर्ष पहले इस अशय की बातचीत शुरू की गई थी कि सरकार इस कम्पनी द्वारा धारित आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों का 50 प्रतिशत अर्जित कर ले और साथ ही भारत में उनके अन्य उपक्रमों का असम आयल कम्पनी और बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेनिंग) लिमिटेड में उनकी सभी आस्तियों को भी अर्जित कर लें। लम्बी बातचीत के बाद अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर सहमति हुई है कि (1) आयल इण्डिया लीमिटेड के 50 प्रतिशत शेयर और भारत में असम आयल कम्पनी की आस्तियाँ और देयताएं तथा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड की विपणन आस्तियाँ और देयताएं 21.56 करोड़ रुपये की कुछ राशि, जो कर मुक्त होगी, का भुगतान करने पर सरकार द्वारा अर्जित कर ली जाएंगी। ये सारी राशि 15 अक्तूबर को या उससे पहले देने के लिए सहमति हुई है अन्यथा उस पर 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज जो कर मुक्त होगा, उस तारीख से देय हो जाएगा।

(2) यद्यपि आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों और उपक्रमों का वास्तविक अन्तरण बर्मा आयल कम्पनी को वास्तविक भुगतान की तारीख से माना जाएगा, इनका अर्जन पहली जनवरी 1977 से प्रभावी समझा जाएगा।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इस अर्जन का प्रयोजन इस महत्वपूर्ण उद्योग को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाने का है न केवल इसलिए कि हम समझते हैं कि इसे विदेशी कम्पनियों के

पास न रहने दिया जाए बल्कि इस लिए भी कि कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का अधिकतम उत्पादन और उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके उपार्जन के बाद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने कच्चे तेल के शोधन और पैट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए समुचित उपाय करना संभव हो जाएगा।

विधेयक में असम आयल कम्पनी और वर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं केन्द्र सरकार अथवा उत्तराधिकारी सरकारी कम्पनी/कम्पनियों जिनमें अर्जन के बाद अधिकार और हक तथा हित निहित होंगे, को अंतरित करने की व्यवस्था है। जब तक सेवा की शर्तों की विधिवत रूप से बदला नहीं जाता वर्तमान सेवा शर्तें बनी रहेंगी हमारा विचार है कि उस प्रतिफल के बारे में हमने बातचीत की है और सहमति हुई है वह लोक हित में है। इस लिए इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दि वर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का तथा भारत में असम आयल कम्पनी लिमिटेड और "दि वर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के उपक्रमों के संबंध में उनके अधिकार हक और हित के अर्जन अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कच्चे तेल, और गैस तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल गैस और पैट्रोलियम उत्पादनों तथा उपक्रमों और "दि बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया लिमिटेड) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पैट्रोलियम उत्पादनों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री टी. आर. शमन्ना : (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को 31 अक्तूबर, 1981 तक मत जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

श्री आर. पी. दास (कृष्णनगर) : महोदय मैं इस विधेयक का सामान्य तौर पर समर्थन करता हूं किन्तु मुझे खेद है कि मैं इसका बिना शर्त समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे कुछ टिप्पणियाँ करनी हैं।

जहाँ तक तेल, गैस और पैट्रोलियम उत्पादों के एक महत्वपूर्ण भाग पर स्वामित्व और नियंत्रण का तथा आयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों का अर्जन करने एवं असम आयल कम्पनी और बर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड के अधिकारों, हकों और हितों के अर्जन सम्बन्धी प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह कुल मिलाकर न्यायोचित है। यह दो कम्पनियां बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड, जो 1889 में यू. के. में निगामित एक विदेशी कम्पनी है, कि अनुसंधी कम्पनियाँ हैं। परन्तु अन्य विदेशी कम्पनियों के साथ-साथ इन दो कम्पनियों का भी राष्ट्रीय-करण नहीं हुआ आयल इण्डिया लि- के साथ-साथ इन दो कम्पनियों को भी सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है।इस अधिग्रहण के साथ ही सम्पूर्ण तेल उद्योग अब भारत अरकार के सीधे नियंत्रण में आ जायेगा। यहां तक तो स्थिति ठीक है।

सरकार ने लम्बी अवधि तक कम्पनी के साथ बातचीत करने के पश्चात कम्पनी की

क्षतिपूर्ति के रूप में 2156 करोड़ रुपये अदा करने का निर्णय किया है। इस राशि पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। कम्पनी यदि चाहे तो सारे धन को पाऊंड स्टर्लिंग के रूप में इंगलैंड में जमा कर सकती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि यह अदायगी 15 अक्टूबर 1981 तक या उससे पहले न की गई तो इस पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से कर मुक्त साधारण ब्याज दिया जायेगा। यह एक अच्छा प्रस्ताव या समझौता क्या है ? जहाँ तक क्षतिपूर्ति की अदायगी का सम्बन्ध है, यह भारत सरकार द्वारा एक विदेशी कम्पनी के सामने एक दयनीय समर्पण नहीं है ? यह कम्पनी वर्षों तक इस देश से अपने देश को अरबों रुपये गलत तरीके से भेज चुकी है। यह भी पता चला है कि लम्बी अवधि तक चलने वाली वार्ता फिलहाल समाप्त हो गई है तथा अन्त में सरकार ने यह राशि देने का प्रस्ताव किया है। प्रारम्भ में बातचीत के दौरान सरकार ने कम्पनी को केवल 9 करोड़ रु. देने का प्रस्ताव किया था। परन्तु कम्पनी ने वह राशि नामंजूर कर दी। इसके बाद सरकार ने 21.56 करोड़ रुपये अदा करने का निर्णय किया जिसे पाउन्ड स्टर्लिंग में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कम्पनी के अधिग्रहण से पूर्व के सारे खण्ड तथा कर सहित कम्पनी की अन्य सभी देयताओं को भुगतान करने का भी वायदा किया। यह तो इस कहानी का एक भाग है। हमें इसके दूसरे भाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कम्पनी ने बैंकों तथा अन्य स्रोतों से कितना रुपया उधार लिया है। हमें यह भी नहीं पता है कि अधिग्रहण से देयताओं के रूप में वास्तव में कितनी राशि सरकार को अदा करनी पडेगी मुझे विश्वास है कि यदि इसकी गणना की जाए तो यह राशि करोड़ों रुपये की बैठेगी। यह राशि कौन अदा करेगा ? स्वाभाविक है कि कर-दाताओं को ही राष्ट्रीयकरण का भार खमयाजा भुगतना पड़ेगा।

सरकार ने दोनों कम्पनियों की उनके अधिग्रहण से पहले की न केवल उधार की अपितु कर की अदायगी की भी जिमेदारी अपने ऊपर ले ली है। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाने वाली राशि कितनी है। क्या यह अपने विदेशी आकाओं को खुश रखने की नीति नहीं है ! यदि नहीं, तो यह और क्या है ? इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से सभा को यह बताना चाहिए कि हमें कितनी राशि राष्ट्रीय राजकोष से खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी को दी जाने वाली कुल राशि के सम्बन्ध में सरकार सभा से कुछ तथ्य छुपाती रही है।

वर्मा आयल कम्पनी (इण्डिया ट्रेडिंग) लि. तथा असम आयल कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा कुल आपकी राशि को ही देखें। 31.3.78 को वर्मा आयल कम्पनी (इंडिया ट्रेडिंग) लि. की भारत में परिसम्पत्तियों तथा आय की राशि क्रमशः 19.28 लाख रुपये तथा 95.66 लाख रुपये थी। तथा असम आयल कम्पनी लि. की भारत में परिसम्पत्तियों तथा आय की राशि 31.3.78 को क्रमशः 18.36 करोड़ रुपये तथा 90.21 करोड़ रुपये थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अनेक वर्षों तक इन कम्पनियों ने अरबों रुपया कमाकर अर्जित करके इग्लैण्ड को भेजा है तथा परिणामस्वरूप हमारे गरीब देश को और भी अधिक गरीब बनाया है। इनमें एक, वर्मा आयल कम्पनी ने भारत में अपना व्यापार 1889 में कुछ लाख रुपयों के निदेश से शुरू किया था तथा लाभ के रूप में बहुत अधिक राशि अर्जित करके अपने देश को भेजा है। क्या यही तथ्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के अधिकार को जब्त करने के लिए काफी नहीं है अतएव, में सभा से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक में इन दो कम्पनियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रस्तावित राशि को स्वीकार करने से पूर्व विचार करते।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय पैट्रोलियम मन्त्री को भारत के तेल के क्षेत्र में अंग्रेजों के अधिकारों तथा नियंत्रण के अन्तिम अवशेषों को समाप्त करने संबन्धी विधेयक को प्रस्तुती करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उनका धन्यवाद करने के साथ-साथ, उनकी आलोचना करने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, ताकि हमारे देश तथा असम आयल कंपनी के उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके जिन्होंने कंपनी की इतने वर्षों तक सेवा की है।

मैं माननीय मन्त्री से पूर्णतया सहमत हूं तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूर्णतया असहमत हूं, जो केवल विरोध तथा आलोचना करने के लिए ही यह कहना चाहते हैं कि क्षतिपूर्ति की जो राशि निर्धारित की गई है, वह उचित नहीं है। मैं इस तथ्य को जानता हूं कि बातचीत काफी लम्बे समय तक चली थी तथा सरकार ने देश के हितों की रक्षा करने के लिए सभी संभावित उपाय किये हैं।

मैं क्षतिपूर्ति की अदायगी विदेशी मुद्रा में किये जाने के सम्बन्ध में केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। चूंकि अब हमारा देश तेल की खोज सहित विभिन्न उद्योग शुरू करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहयोग तथा विदेशों से धन के निवेश की अपेक्षा कर रहा है, क्या हम इस कम्पनी से इस राशि को हमारे देश में निवेश करने के लिये नहीं कर सकते, क्योंकि यह कम्पनी हमारे देश से लाभ अर्जित करके क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाने वाली राशि से अधिक राशि को पहले ही प्राप्त कर चुकी है। अतएव, मंत्री महोदय द्वारा इस विशेष मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिये, क्या मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर विचार अवश्य करेंगे।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है तथा मैं उनसे पूर्णरूपेण सहमत हूं कि इस विदेशी फर्म. असम आयल कंपनी, को जो तेल क्षेत्र लीज़ पर दिये गये थे, उन तेल क्षेत्रों में कच्चा तेल तथा गैस मिलने की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। परन्तु 1947 के बाद यह कम्पनी इस दुविधा में थी कि क्या उसे यहाँ पाले की तरह से व्यापार करने की अनुमति दी जायेगी अथवा नहीं, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों का विकास कार्य बहुत धीमा रहा। अत मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन क्षेत्रों में कच्चे तेल तथा गैस की खोज के सभी संभावित प्रयास करेंगे, जैसे कि उन्होंने देश के अन्य भागों में अन्य क्षेत्रों में किये हैं, तथा वर्तमान 'नेफा क्षेत्र का एक बड़े तेल क्षेत्र में विस्तार करने की सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे। असम से जो कच्चा तेल इस समय निकाला जा रहा है तथा विभिन्न स्थानों में जो विकास हो रहा है, उससे वहाँ एक तेल शोधक कारखाने का विचार करने का पूर्ण औचित्य है। सरकार एक अन्य तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का भी विचार कर सकती है। असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से इसके सम्बन्ध में बार-बार मांग भी की जाती रही है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि इस असम तेल शोधक कारखाने का बहुत विस्तार किया जा सकता है। यदि कुछ पूंजी व्यय से इसकी क्षमता का विस्तार कर दिया जाता है तो हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है तथा हम विश्व के अन्य भागों से कच्चा तेल खरीदने में खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं।

पुरःस्थापित विधेयक में हमने यह पाया है कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के सभी प्रयास किये गये हैं। परन्तु कर्मचारियों में एक प्रकार के भय की भावना व्याप्त है। असम

आयल कम्पनी, जोकि मूलत: एक ब्रिटिश कम्पनी थी तथा अब भी एक विदेशी कम्पनी है, मैं इण्डियन आयल कारपोरेशन तथा अन्य भारतीय तेल कम्पनियों के मुकाबले वेतनमान अपेक्षाकृत वेहतर हैं। इस समय जब सरकार इसका अधिग्रहण कर रही है, वर्तमान कर्मचारियों तथा भविष्य में आने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सामान्तया असमानता है। अतएव, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि जैसा कि मंत्री जी ने इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा की है, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जिन कर्मचारियों ने पेन्शन तथा उत्पदान प्राप्त करने के लिये पर्याप्त वर्षों तक सेवा की है, उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े क्योंकि यद्यपि उन्होंने एक विदेशी कम्पनी में कार्य किया है, तथापि उन्होंने इस देश की ही सेवा की है अतएव उन्हें सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये, विशेष रूप से उपन्दान की अदायगी के संबंध में मुझे से कुछ कम्पनियों की जानकारी है, जिनको भारतीयों ने, सरकार ने नहीं बल्कि निजी फर्मों ने अपने अधिकार में लिया है, जहाँ इन ब्रिटिश कम्पनियों ने अपने समझौते की शर्तों के अनुसार 1,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को उपदान देना स्वीकार किया है। भारतीय उपदान अधिनियम के अनुसार 1,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उपदान नहीं मिलता तथा जिसके परिणामस्वरूप उपदान न पाने वाले कर्मचारी अदालतों में गये हैं। सरकार की दृष्टि में ये बहुत मामूली बातें हैं, परन्तु यदि कम्पनी में 30 या 40 वर्ष तक सेवा करने वाले लोगों को उनके वैध अधिकारों से बचित किया जाता है, तो हमारे लिये यह बहुत बूरी बात होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से एक और अनुरोध करूंगा। मैं असम का रहने वाला हूं तथा मुझे असम आयल कंपनी के बारे में जानकारी है। इस असम आयल कंपनी के संबंध में जब भारत सरकार ने पहले कुछ कार्यवाही की थी तथा असम में पेट्रोल पम्प की एजेंसियाँ देने के संबंध में कुछ दिशानिर्देश दिये थे, उस समय हालत यह थी कि एक या दो खास परिवारों के लोग ही विभिन्न नामों से 40 से 50 पेट्रोल पम्पों के मालिक थे। मैं इस सभा में उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा, परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ये एजेंसियाँ किसी एक खास वर्ग के व्यक्तियों को मिलें। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बेरोजगार युवक, अनुसूचित जातियों के व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति ही पेट्रोल पम्प प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इसलिये सरकार को उन खास परिवारों को पेट्रोल पम्पों के जो 40 या 50 हैं आवंटन की स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिये तथा ये एजेंसियाँ उन लोगों को दी जानी चाहिये तो इन्हें प्राप्त करने के हकदार हैं।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी जो एक व्यक्तिगत पत्र द्वारा इन बातों की सूचना क्यों नहीं देते ?

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : व्यक्तिगत पत्रों का उत्तर देते समय सदैव..... (व्यवधान) सभा में कहना ज्यादा अच्छा रहता है।

सभापति महोदय : मंत्री जी को कैसे पता चलेगा ?

श्री संतोष मोहन देव : विगत में जब मैंने कछार के लिये रिगिंग मशीनें देने का अनुरोध किया था तो उन्होंने कछार जिले में तेल की खोज के लिये ये मशीनें उपलब्ध कराई थीं। मेरा

यह अनुभव है कि जब-जब हमने सभा में कोई अनुरोध कियाहै, मंत्री जी ने उसको पूरा किया है। इसीलिये मैं सामयिक कार्यवाही करने का अनुरोध कर रहा हूं।

असम आयल कंपनी के बारे में एक अजीब बात और है। मंत्री जी को इस बारे में अधिक अनुभव है। असम में डीलरों द्वारा संचालित पेट्रोल डिपों हैं। इण्डियन आयल कंपनी के एजेंटों को पेट्रोल प्राप्त करने के लिये चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, इन डीलरों को परेषण के आधार पर पेट्रोल मिलता है। धर्म नगर में पिछले दिनों तक भी एक डिपो का संचालन असम आयल कंपनी के डीलर द्वारा किया जाता था, न कि कंपनी द्वारा। मंत्री जी को इन बातों की जाँच करनी चाहिये।

इस विधेयक के प्रस्तुतिकरण के बाद तथा वार्ता के दौरान हमने यह देखा है कि असम आयल कंपनी के कुछ अधिकारी बहुत-सी कठिनाइयाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सब देखते हुए मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार को परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की सही स्थिति का पता है अर्थात् असम आयल कंपनी की तीनों सहायक कंपनी की परिसंपत्तियाँ देयताओं से अधिक हैं अथवा कम हैं ?

इस विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के बाद से ही वार्ताएं चल रही हैं। असम आयल कंपनी में अनेक अनुचित बातें हुई हैं। मुझे मंत्री जी पर पूरा विश्वास है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इन सब बातों का ध्यान रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन पर कार्यवाही हो। सप्लाई कर्त्ताओं तथा डीलरों के दावों के बारे में फैसला होने से पहले सरकार को इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। डीलर तथा ठेकेदार जिन रियायतों के हकदार नहीं हैं, उन्हें ऐसी कई रियायतें कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, यह बिल तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। आयल एंड नैचरुल गैस कमीशन 1959 में बना था। इसलिए इस बिल का स्वागत करने के लिये बड़ा इन्तजार किया गया। लेकिन यह जो बिल आया है, वह बड़ा त्रुटिपूर्ण है। सरकारे ने इस कम्पनी को 21.56 करोड़ रुपये देने की बात कही है, और वह भी फ्री आफ टैक्सिज इसके अलावा क्लाज 10 (2) में यह भी कहा गया है :

> "जिस मामले में उपधारा (1) में बताई गई राशि का 15 अक्तूबर, 1981 को या उससे पहले भुगतान नहीं किया, तब इस पर उस तिथि से, करमुक्त, साधारण ब्याज 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान की तिथि तक अदायगी की जायगी।"

पता नहीं, सरकार ने यह किस खुशी में दे दिया है। मन्त्री महोदय को मालूम है कि आयल इण्डिया लिमिटेड में इन कंपनियों का क्या शेयर था। उसका एथराइज्ड पेड-अप कैपिटल 50 करोड रुपये था। इन दोनों ने एक हजार रुपया प्रति-शेयर के हिसाब से 28 करोड़ रुपया कान्ट्रीब्यूट किया। इन दोनों का शेयर बराबर था। इस तरह सिर्फ 14 करोड़ रुपया होता है, लेकिन सरकार ने 21 करोड़ रुपया दे दिया है।

जहां तक आसाम आयल कम्पनी का सम्बन्ध है, श्री सन्तोष मोहन देव ने बताया है कि

उसकी हालत खस्ता है। उसका 80 बरस पहले का एक डिगबाय आयल फील्ड है, जिसकी हालत बहुत खराब है। वहां पर जहाँ पहले 1 लाख टन पर-ऐनम प्राडक्शन था, आज 40,000 टन से भी कम है। जिस स्थिति में सरकार ने इस कम्पनी को लिया है, उसको देखते हुए उसे नया एक्विपमेंट लाना पड़ेगा और नया एक्सप्लोरेशन भी कराना पड़ेगा।

फिर प्रोडक्शन के लिए भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे। बहरहाल, उसमें बहुत खर्च और लागत की बात है। मैं इसलिए यह चर्चा करना चाहता हूं कि आपने निगोशिऐशन करते वक्त इन बातों पर गौर किया था ?

फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अन्दर 118. 28 करोड़ का आउटल आयल इण्डिया लिमिटेड की वैरियस ऐक्टिविटीज के लिए एनविसेज किया था जो कि 174.39 करोड़ हो गया था जिसमें 34.29 करोड़ 1975-76 में और 38.78 करोड़ 1976-77 में खर्च हुआ। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आपने जब निगोशिएशन किया होगा तो इन बातों को मद्दे नजर रख कर ही निर्णय लिया होगा। 1971 में जो कम्पनी के एकाउंट्स थे उनके बारे में यह कहा गया कि—वर्ष 1971 से, समझौते की शर्तों की व्याख्या में विभिन्नता होने के कारण, कम्पनी के सभी लेखे अस्थायी माने जा रहे हैं। उसके बारे में कोई सफाई नहीं थी, इसलिए कम्पनी को बड़ा लाभ हुआ। कम्पनी का 1971 में तो कोई फाइनल बैलेंश शीट नहीं था और कम्पनी ने आप से डिमांड किया 13 परसेंट, आपके आफिशियल्स ने इंटेरिम डिवेडेंड 9 परसेंट देने की बात कही और आपने 7 परसेंट दिया। तो उस वक्त ही इस कम्पनी को इतना पैसा पहुंच चुका था कि कम्पनी को दोबारा कम्पन्सेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह सारा पैसा देश का पैसा है और इतने दिनों से इस देश का पैसा यह कम्पनी विदेशों में ले जा रही हैं। उसके बावजूद आप इतना पैसा दे रहे हैं। इसलिए यह 14 करोड़ देने का तो कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है। कम्पनी की इस सारी स्थिति पर और इन सारे मुद्दों पर आप ने अवश्य विचार किया होगा। फिर भी जो यह पैसा दिया जा रहा है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं। बाकी बात आप की सही है कि विदेशी कम्पनियां जो देश में काम कर रही हैं, बहुत पहले देश की आर्थिक स्थिति में उन्होंने सहयोग किया होगा लेकिन उससे ज्यादा पैसा वह विदेशों में ले जा चुकी हैं, ऐसी जो भी कम्पनी है उसको सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कम्पेन्सेशन देने में यह अवश्य देख लेना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वह इतना तो नहीं दे रहे हैं जितना कि हमें नहीं देना चाहिये और उसमें कहीं ज्यादा प्यार और मोहब्बत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : माननीय अध्यक्ष, महोदय. यह विधेयक पास करने के लिए मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं। अभी विपक्ष के जिन माननीय सदस्य ने बहस की शुरूआत की थी उन्होंने कहा था कि इस कम्पनी के हितों के सामने मन्त्री महोदय ने समर्पण कर दिया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मंत्री अथवा यह सरकार अथवा यह दल इस महान देश की जनता की इच्छा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने समर्पण नहीं करती। हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि बिना कोई मुआवजा दिये हुए हम किसी कीभी सम्पत्ति का अधिकरण नहीं करेंगे। मन्त्री महोदय ने भुगतान की जाने वाली राशि का सही मूल्यांकन किया है और उन्हें भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि निर्धारित की है।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि मन्त्री महोदय गैस तथा तेल की खोज करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। मेरी यह इच्छा है कि वह शीघ्र ही इस कार्य में सफल हों जिससे कि अन्य देशों से तेल का आयात पूरी तरह समाप्त हो सके।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, इस बिल का आमतौर पर मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा इस बिल को बहुत पहले ही आना चाहिये था। विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद ऐसी कुछ कम्पनियां बच गई थी जो आज तक इस पेशे में लगी हुई हैं और उन्होंने अकूत मुनाफा कमाया है। आश्चर्य की बात है कि लगातार पिछले वर्गों में इस बात का संघर्ष चलता रहा है, मांगें होती रही हैं, कि तेल जैसे महत्वपूर्ण उद्योग में विदेशी स्वार्थों को बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिये था। हम इस बात को नहीं भुला सकते कि देश की आर्थिक आजादी को मजबूत करने के सिलसिले में तेल उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारे देश में तेल उद्योग को विकसित करने के सिलसिले में इन विदेशी कम्पनियों ने हमारे सामने तरह तरह के अवरोध खड़े किये हैं वह हमें भली भांति मालूम हैं। हम जानते हैं कि कितना कठिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन देर से ही सही इसका अधिग्रहण किया जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जैसा माननीय सदस्यों ने बताया ऐसी कंपनी जिसने पिछले सालों में इस देश के विकास के क्षेत्र में बगैर कुछ डेवलपमेंट का काम किये और केवल इस उद्देश्य से कि उसका मुनाफा कैसे बढ़े भले ही उद्योग का विकास हो या न हो और काफी मुनाफा कमाया है, उसके बावजूद 21.56 करोड़ का कम्पेन्सेशन देने का क्या औचित्य है, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसकी जो लायेबिलटीज हैं, चाहे उन्होंने कर्ज लिया हो या बकाया हो, इन सब को देने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ, जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया है कि कितनी उसके ऊपर लायेबिलटी है इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी पूंजी कितनी कम थी और कितना मुनाफा कमाया और विकास के काम में उन्होंने कितना खर्चा किया, यह बताये बिना आप इतना भारी कम्पेन्सेशन दे रहे हैं और लायेबिलिटीज और बकाया का भार अपने कंधों पर ले रहे हैं, यह सर्वथा उचित नहीं है। इस पर मन्त्री जी को फिर से विचार करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अधिग्रहण करने के बाद जो उनके कर्मचारी हैं उनको जो सहूलियतें और सुविधायें मिलती रही हैं उन कम्पनियों के अन्दर उसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जानी चाहिए, ऐसा मन्त्री महोदय ने कहा है। लेकिन कई ऐसे इंस्टासेज हैं इसी देश में जब फारेन कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया और उनमें जो भी सहूलियतें मिलती थीं बाद में उनमें कटौतियां होने लगीं इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ और औद्योगिक सम्बन्धों में गिरावट आयी। मैं समझता हूं ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग में कितना उत्पादन कर सकेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि औद्योगिक संबन्ध कितने मधुर होते हैं। मैनेजमेंट में हम कर्मचारियों की साझेदारी देते हैं कि नहीं ताकि मैनेजमेंट और कर्मचारी दोनों मिलकर न सिर्फ औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ाने के सिलसिले में कारगर कदम उठायें बल्कि उत्पादन बढ़ाने के सिलसिले में एक आदर्श अनुशासन पैदा हो सके इस उद्योग में जो दूसरों के लिए अनुकरणीय

हो सके, इस बात को हमें सदा ध्यान में रखना है। हमें ऐसा अनुभव है, हमारे क्षेत्र में बरानी फर्टिलाइजर का कारखाना है और वहाँ पैदावार काफी बढ़ी और जो इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है उस हिसाब से पैदावार बढ़ी। उसका कारण यही था कि वहां औद्योगिक संबंध अच्छे थे। जितने तरह के वाद विवाद पैदा हुए उसका समाधान आपस में बैठ कर किया गया। लेकिन आज अगर जो सहूलियतें और उपलब्धियां उनको पिछले दिनों में मिली हैं उन पर किसी तरह का आघात पहुंचा तो औद्योगिक विवाद बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए इस पर काफी सोच विचार करने की जरूरत है।

अन्त में मैं फिर इस बिल का समर्थन करता हूं आमतौर से और इसको बहुत पहले आना चाहिये था। लेकिन देर से ही सही, इसको लाकर एक बड़ा कदम उठाया गया है।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री हरीश कुमार गंगवार

श्री हरीश कुमार गंगवार : (पीलीभीत) खड़े हुए।

एक माननीय सदस्य : वह उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह मानसिक रूप से अनुपस्थित हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन्हें सामने खड़ा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है।

सभापति महोदय : सभापति आपको देख सकते हैं, आप औरों की परवाह न करें। सभापति जागरूक हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब राष्ट्रीयकरण से संबंधित कोई भी बिल हाउस में पेश किया जाए तो जिसका हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, उसके संबंध में कम से कम पिछले तीन साल के एसेट्स और लायबिलीटीज का लेखा-जोखा भी हमारे सामने होना चाहिए। उसकी स्थिति क्या है, उसका ज्ञान तो हमें होना चाहिये। आप यहां पर बिल प्रस्तुत कर देते हैं कि इतना देना है और लायबिलीटीज अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं और यह कहीं नहीं बताते हैं कि उसकी स्थिति क्या थी, क्या हमें और देना पड़ेगा। उसकी हालत कैसी है; खसता हालत है या मजबूत हालत है। इससे पहले भी मारुति लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण का सवाल आया; उसमें भी आपने कहीं नहीं दिया। अभी इससे पहले आपने ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का नेशनलाइजेशन किया, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में, नेशनलाइजेशन तो नहीं कहना चाहिये। उसका एक कदम है नेशनलाइजेशन की तरफ, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। हम लोग खोज-खोज कर लालब्रेरी से या अखबारों से, ला रहे हैं, तब कहीं जाकर आपको बता रहे हैं। यह आप क्यों छिपाते हैं ?

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : वह हमारी आदत नहीं है, आप लोगों की आदत है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपकी आदत तो ज्यादा बोलने की है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपकी आदत ऐसी बनी रहे कि आप सब चीजों को प्रकाश में लायें, यही तो हम चाहते हैं। आप एडमिट कर रहे हैं, लेकिन इसमें छिपा लिया है, तो फिर आगे आप क्या देखेंगे।

श्रीमन् मेरा अनुरोध है कि कोई बात बीच में कही जाए, तो ऐसी कही जाए कि जिसका कोई मतलब हो, कोई मतलब निकलता हो। हम तो जो आप छिपा रहे हैं वह निकाल रहे हैं और हमें ही कह रह हैं कि···

सभापति महोदय : कुछ निकला भी है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : निकला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि इस कम्पनी का नेशनलाइजेशन करते समय, शेयर्स अर्जित करते समय, उसका हिस्सा लेते समय, आपने क्या देखा और क्या पाया ? मशीन्स खराब हैं या नहीं, बिल्डिंग खराब है या नहीं, इन्होंने किसी से कर्जा ले रखा है या नहीं और आपको इसमें लाभ हो रहा है या नहीं ? आपने उनको 21 करोड़ 56 लाख रुपयों की रकम देना स्वीकार कर लिया है। क्या नैगोशिएशन्स थे, आपको कोई न कोई कागज तो इसके साथ रखना चाहिए था, जिससे हम लोग समझ लेते कि आखिर यह एक जनवरी, 1977 क्या चीज है, जिसे आप लागू कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप एप्वाइंटेड-डे कह रहे हैं और सब जगह आप आर्डिनेंस से नेशनलाइजेशन कर लेते हैं या उन चीजों को ले लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी, जिसमें आपने आर्डिनेंस नहीं निकाला ? यदि इस बीच में कोई बंगलिंग हो जाए, तो आप क्या करेंगे ? श्रीमन्, जैसा कि बाहर लोगों से मेरी बात हुई है, वे कहते हैं कि इसमें पांच करोड़ रुपयों का आफिसरों के जरिए, इस कम्पनी के जरिए सौदा हुआ है।···(**व्यवधान**)···बाहर जो लोग कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि वह झूठ हो।

सभापति महोदय : आप झूठ नहीं, असत्य कहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवर : अच्छा, सही है। यह मेरा चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर की जनता जो आपके लिए कह रही है, वह यह कह रही है कि पांच करोड़ रु. का इस महकमें ने उस कम्पनी से सौदा किया है। यह विदेशी कम्पनी है और इतना पैसा आप ले रहे हैं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : इसी को कहते हैं, न बुद्धि न ब्रह्मचारी।

श्री हरीश कुमार गंगवार : बुद्धि ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई इंजैक्शन बना हो या कोई टैबलैट बनी हो। यदि होती तो मैं माननीय आचार्य जी को दे देता ताकि एकदम प्रचण्ड बुद्धि और पक्षपात रहित बुद्धि उन में आ जाए।··(**व्यववान**) मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं।

आचार्य भगवान देव : अपनी बात करो, आपकी बुद्धि जो कहे वही करो···

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने ईल्ड नहीं किया है···आपने जो यहां किया है वह सारी दुनिया जानती है···

सभापति महोदय : बुद्धि की बात छूट जाए, तो ठीक है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप ने बुद्धि की पराकाष्ठा उस दिन कर दी थी, जिस दिन फोटो फाड़े थे।

अगर सब चीजें सामने आ जातीं तो जो लोग बाहर कहते हैं, उन बातों का एक्सप्लेनेशन मिल जाता और हम उनको समझा सकते थे कि ऐसी बात नहीं है, सारे आंकड़े दिये हुए हैं, सरकार ने जो किया है वह ठीक किया है। लेकिन सारी बातें सामने नहीं आई हैं, इसीलिए संशय हो रहा है और वह बढ़ रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू कि आपने आज तक जितनी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण किये, सही नीति लागू न करने के कारण उन सबका उत्पादन गिरा है, बढ़ा नहीं है। राष्ट्रीयकरण कर देना ही काफी नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उस उद्योग के द्वारा अगर हनको आय नहीं हुई, अधिक उत्पादन नहीं हुआ और देश की अर्थ-व्यवस्था में उसका योगदान नहीं हुआ तो इस देश में खाली सरकारीकरण करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। आपने बहुत सी कम्पनियों, बहुत से उद्योग धन्धों का राष्ट्रीयकरण किया है और सरकारी तौर से अपने भी उद्योग धन्धे लगाये हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है? मैं यह नहीं कहता कि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए लेकिन उन नीतियों को अपनाना चाहिए, उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीयकरण के बाद उनमें उत्पादन बढ़े और देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार हो—इस बात को आप न भूल जाएं। अब तक जो किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि आप भूल गये हैं।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि असम में एक "टैकनीकल यूनीवर्सिटी आफ पैट्रोलियम" या इस तरह की कोई यूनीवर्सिटी खोली जाए जिससे खास तौर से असम के लोगों को इस विषय में तकनीकी ज्ञान हो सके। मेरा तात्पर्य यह है कि इसमें असम के स्टुडेन्ट्स को तकनीकी ज्ञान हो सके। मैं यह भी चाहता हूं कि असम के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये किसी तकनीकी ज्ञान की नई पद्धति का विकास किया जाए।

इस अवसर का उपयोग मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि आपने बहुत से स्थानों पर तेल की खुदाई के लिए काम शुरू कर दिया है लेकिन इसमें अब ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत में तो सारा खुदाई का काम बन्द कर दिया है तथा दक्षिण भारत में खुदाई शुरू कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सी नीति के मातहत किया है कि उत्तर भारत को बिलकुल छोड़ दिया है। जहाँ काम शुरू हो गया था, ड्रिलिंग का काम एक जमाने से हो रहा था, वहाँ ड्रिलिंग पूरा किये बगैर सब मशीनें उठा कर दक्षिण भारत में ले गये, आपने काम को पूरा हो जाने दिया होता। मैं पीलीभीत से चुन कर आता हूं—वहां तीन स्थानों पर खुदाई का काम होना था। वहां पर एक स्थान है—"परैया वैश" जहां आधी खुदाई करके ही छोड़ दिया, एक बार भी पूरी खुदाई नहीं की, जबकि आपका कितना रुपया सड़कें बनाने पर, दूसरे कामों पर, सारा इक्विपमैंट वहाँ ले जाने पर खर्च हुआ। दूसरे स्थानों पर तो छूआ तक नहीं, मशीनें वहाँ से हटा लीं और ऐसा और स्थानों पर भी हुआ है। तो जो वहां के लोग हैं, वे ऐसा कहते हैं। आप कहेंगे कि यह भी कही-सुनी बात मैं कह रहा हूं लेकिन अब वहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि अब दक्षिण भारत में ही ड्रिलिंग हुआ करेगी चाहे वहाँ तेल निकले या न निकले। एक्सपर्ट्स ने जो यह कहा था और यह रिपोर्ट दी थी कि यहाँ से तेल निकलेगा, वह रिपोर्ट बिल्कुल बेकार हो गई। इस बात को आप खुद समझें, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप इस बात को देखें कि उत्तर भारत में जहाँ-जहाँ खुदाई हो रही थी, वहाँ से उसको क्यों ट्रान्सफर कर दिया गया दक्षिण भारत को और वहां पर आपने खुदाई शुरू करवा दी।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, यह उत्तर और दक्षिण की बात कह कर उनमें झगड़ा कराने की बात कर रहे हैं?

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप दक्षिण के हैं या उत्तर के ।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : मैं तो उत्तर का हूं ।

सभापति महोदय : एक भारत के बारे में सोचिये, उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में नहीं ।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : उसके बारे में तो ये सोच नहीं सकते ।

सभापति महोदय : ठीक है, उनका भी एक प्वाइन्ट है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह एक रोग इनको ऐसा लग गया है कि उठते-बैठते, ये बीच में टोकते हैं । मेरी समझ में एक रोग इनको लग गया है जो ये इस तरह से बीच में टोकते हैं । मैंने यह बात उत्तर और दक्षिण में झगड़े के लिए नहीं कही । मैंने तो यह कहा कि उत्तर भारत में जहाँ पहले खुदाई हो रही थी, वहाँ खुदाई बन्द हो गई और वहाँ से सब सामग्री उठा कर दक्षिण भारत में इन्होंने भेज दी ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, यह सज्जन कह रहे हैं कि उत्तरी भारत के हैं, मेरे विचार से यह दक्षिण भारतीय हैं ।

सभापति महोदय : माफ कीजिएगा ।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : मुझे खेद है । मैं सम्पूर्ण भारत का हूं ।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए । आपका न तो व्यवस्था का प्रश्न है न अव्यवस्था का परन्तु यह तो गड़बड़ी का प्रश्न है । आप जारी रखें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : ये जस्ट बोर्न हैं नदर्न इन्डिया के । यह बात मैंने आपके सामने कही और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें क्योंकि वहाँ के लोगों में इस चीज को लेकर बड़ा असंतोष है । करोड़ों रुपये खर्च करके वहाँ के लिए इक्विपमेंट्स लिए गए और वहाँ पर इस काम को करने के लिए सड़कें बनाई गई और सब चीजों का विकास किया गया । लेकिन अचानक बिना कारण ड्रिलिंग का सारा सामान वहां से भेज दिया गया, तो लोगों में यह चिन्ता का विषय होगा ही ।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कभी-कभी जो एक्सपर्ट्स बाहर से आते हैं और हम उन विदेशी एक्सपर्ट्स से कहते हैं कि आप ड्रिलिंग करवाइए और देखिये कि कहां-कहाँ तेल निकलेगा तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि वे हिन्दुस्तान को तेल के मामले में सक्षम नहीं होने देना चाहते और इसलिए गलत राय देते हैं । तेल निकलने वाला हो, तो कह देगें कि तेल नहीं निकलेगा और न निकलने वाला हो, तो कह देगें कि तेल निकलेगा और इस तरह से आपका पैसा बेकार खर्च होता है ।

सभापति महोदय : यह आपका जाती ख्याल है, व्यक्तिगत ख्याल है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं आपको उदाहरण देता हूं । चीन ने रूस के एक्सपर्ट लोगों की एक टीम प्रारम्भ में अपने यहां बुलाई थी और उससे कहा कि हमारे यहाँ देखिये कि

कहां-कहां तेल निकल सकता है। उस टीम ने काफी समय तक सर्वे करने के बाद कह दिया कि आपके यहां तेल नहीं निकल सकता है और उसके बाद चीन में वहीं से तेल निकला और अब वह सैल्फ-सफीशियेन्ट है तेल के मामले में। मैं माननीय मंत्री जी को सिर्फ यह कहना चाहता हूं, यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जब कभी हम किसी से तेल निकालने के बारे में निगोशियेशन करें तो इस बात का ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति के कारण, हमारे देश को मजबूत न होने देने के लिए वे गलत राय तो नहीं दे रहे हैं। और गलत स्थानों का चयन करा रहे हैं और ठीक स्थानों का चयन नहीं होने दे रहे हैं। यह मोटी बात मैंने आपके सामने सिद्धांत रूप में रखी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान में भी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैंने चीन का उदाहरण दिया, यह बिल्कुल सही बात है। कई पेपर्स में आया था।

श्रीमन्, पहाड़ों में एक्सप्लोनेशन की बड़ी गुन्जाइश है। अल्मोड़ा, गढ़वाल साईड में बहुत से ऐसे स्थान हैं, हिमाचल में ऐसे स्थान हैं जहां कि तेल निकल सकता है। पांच-छः साल पहले गढ़वाल में सर्वे वगैरह: आपने करवाया था लेकिन वह पूरा नहीं किया, बीच में ही खत्म कर दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप हिमाचल से लेकर अल्मोड़ा साईड की बेल्ट में खुदवाई की शुरूआत कराने की कोशिश कीजिए, वहां अनुसंधान कराइये, मुझे विश्वास है कि वहां आपको तेल जरूर मिलेगा।

श्रीमन्, यह जो अपोइंटेड डे आपने लिखा है, जब आप आर्डिनेंस जारी करते हैं तब तो यह साफ लिख देते हैं कि फलां दिन से लेंगे लेकिन इसमें अपोइंटेड दिन कौन-सा होगा? मौत का दिन भी एक मोइयन होता है। यह अपोइंटेड डे इसमें क्यों नहीं मेंशन किया जा रहा है कि इस तारीख से ले रहे हैं? क्या इसमें भी कोई बंगलिंग की गुन्जाइश हो सकती है, तारीख घटाने और बढ़ाने में भी हो सकती? यह सदन आपसे जानना चाहता है।

बाकी आपने राष्ट्रीयकरण के प्रति कदम उठाया। जैसा मैंने कहा कि जब कुछ नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है तब आप इसके लिए कदम उठाते हैं। इससे पहले कदम नहीं उठाते। भविष्य में भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप समय पर कदम उठाएं। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं।

इन विचारों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है, उनका मैं आभारी हूं। जहाँ तक कंपनी के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है मेरे विचार में दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। विस्तृत जानकारी न होने की वजह से वह मुआवजे के रूप में दी जाने वाली राशि की आलोचना कर रहे हैं।

महोदय, इस संबंध में, मैं एक मुद्दे की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि श्री दास, श्री राजेश कुमार सिंह और श्री सूर्य नारायण सिंह, जो सभी विपक्ष के सदस्य हैं, ने इस बात का समर्थन किया है कि कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। आखिरी वक्ता, श्री गंगवार ने कंपनी के राष्ट्रीकरण के बारे में कुछ खास नहीं कहा, वरन् अपने कुछ विचार ही व्यक्त किए हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें सुनकर

मुझे आश्चर्य हुआ है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहाँ तक कंपनी के अधिग्रहण का प्रश्न है, वर्ष 1974 से ही भारत सरकार की यही नीति रही है कि तेल की सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और सरकारी क्षेत्र में वितरण को अपने हाथ में ले लिया जाए। अपने वक्तव्य के प्रारंभ में मैंने बताया था कि 1975-76 में तथा पिछले वर्षों में हमने एस्सो काल टैक्स, बरमा तेल आदि को अपने हाथ में ले लिया था। इन कंपनियों, अर्थात् एस्सो, काल टैक्स और बरमा शेल, को मुआवजा अदा करने संबंधी नीति को ही इस मामले में लागू किया गया है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया गया कि आप समझौते की राशि के लिए बातचीत से तय की गई राशि का ही भुगतान क्यों करते हैं और मुआवजे का नहीं, जो कि कितना भी हो सकता है और क्योंकि मुआवजे की राशि जिसका भुगतान किया जाना है उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। अब महोदय, विदेशी कपनियों के अधिग्रहण के संबंध में हमारी नीति यह रही है। कुछ कंपनियाँ जो यहाँ अभी भी काम कर रही हैं, हम अभी भी उनका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। परन्तु साथ ही, मैं यहाँ केवल तेल की ही बात कर रहा हूं अन्य क्षेत्रों की नहीं, हमने देश के 32 ब्लाकों में विदेशी कंपनियों को तेल ढूँढ़ने और उस पर काम करने के लिए कहा है। इसलिए यह सही नहीं होगा कि हम अनुपयुक्त राशि अथवा ऐसी राशि अदा करें जो उन्हें अदा की जाने वाली रकम से कम हो। अब यह भी सही है कि इनमें से कुछ कंपनियाँ काफी पुरानी हैं और काफी पहले समय से भारत में स्थापित हैं और चूंकि यह कंपनियाँ कानूनी रूप से यहां स्थापित हुई थीं इसलिए उन्होंने जो लाभ इकट्ठा किया था उसकी कुछ राशि वह अपने देश में ले गए हैं। चूंकि जो राशि वह अपने देश में ले गए हैं। वह कानूनी रूप से हुआ लाभ था इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उन्हें कोई मुआवजा न दिया जाए। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि जहां तक इन कंपनियों के अधिग्रहण का प्रश्न है, आयल इण्डिया लि· जिसमें भारत सरकार और वी. ओ. सी. दोनों के 50 प्रतिशत शेयर हैं, वह 20 वर्ष से तेल की खोज और उत्पादन में लगी हुई है और वह प्रति वर्ष तीस लाख टन कच्चा तेल और 1300 मिलियन टन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि यह कंपनी, जोकि 20 वर्ष से इस कार्य में लगी हुई है उसमें काफी संभावनाएं हैं। मुआवजे की राशि निर्धारित करने में कंपनी की 1-1-77 तक की कुल आय का भी ध्यान रखा गया था।

महोदय, यह तारीख 1-1-77 जो निर्धारित की गई थी वह आधार तिथि मानी गई थी। इन कंपनियों के अधिग्रहण के लिए बातचीत तो पिछली सरकार के समय से ही चल रही थी। परन्तु दुर्भाग्यवश उस समय कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि असम आयल कंपनी के बहुत से मुकदमे न्यायालय में लम्बित थे। इसलिए पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसे आयल इण्डिया के अधिग्रहण के साथ ही इसे लिया जाना चाहिए। क्योंकि आयल इण्डिया, बर्मा आयल, इण्डिया ट्रेडिंग कंपनी और असम आयल कंपनी के शेयरों में तादात्मय भी था। इस तादात्मय से काफी कठिनाइयाँ आईं क्योंकि असम आयल कंपनी के आय कर व अन्य करों से संबंधी काफी मामले न्यायालय में चल रहे थे। इसलिये सबसे पहले तो यह निर्णय लिया गया कि इनमें कोई तादात्य नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए अलग-अलग बातचीत करनी चाहिए। सरकार अधिग्रहण के लिये तैयार थी और विदेशी कंपनियाँ भी बातचीत के लिए तैयार हो गईं। इसलिए सहोदय, यह तादात्मय समाप्त तो कर दिया

परन्तु बातचीत के दौरान यह महसूस किया गया कि आयल इण्डिया की आस्तियां बहुत हैं परन्तु देयताएं कोई नहीं हैं तो यही उचित समझा गया कि असम आयल कंपनी का अधिग्रहण रीका न जाए परन्तु इसे भी साथ ही साथ अपने अधिकार में ले लिया जाए तथा कंपनियाँ भी इसके लिए तैयार हो गईं।

अब मैं यह बताऊंगा कि यह मुआवजा कैसे निर्धारित किया गया। जिससे कि माननीय सदस्यों से कुछ भी न छुपा रहे। जहाँ तक मुआवजे का सम्बन्ध है सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि मुआवजे की बातचीत उस तरह नहीं की गई थी जैसा कि माननीय सदस्य श्री गंगवाल ने बताया था और जो कि अपने प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए भी सदन में उपस्थित नहीं हैं। इस मामले की छानबीन के लिए पैट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारिगों और एक पैट्रोलियम कंपनी के चेयरमैनन की एक समिति नियुक्त की गई थी जबकि वित्तीय सलाहकार श्री खोसला, पंट्रोलिम सचिव श्री लवराज कुमार और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस समिति ने बातचीत जारी रखी। इस बातचीत के पश्चात् एक मंत्रिमंडल समिति ने इस मालले की छानबीन की। मत्रिमंडल समिति में वित्त मंत्री, पेट्रोलिम मंत्री, विधि मंत्री तथा एक दो अन्य सहयोगी थे। मंत्रिमंडल समिति तथा वित्त मंत्रालय, पैट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों तथा इससे सम्बद्ध अन्य अधिकारियों ने एक बार फिर इसकी छानबीन की। इस प्रकार यह मुआवजा निर्धारित किया गया। किसी भी कंपनी के व्यक्ति के साथ में संबंधित नहीं था। सब विचार-विमर्श इस समिति के अधिकारियों और कम्पनी के लोगों के बीच हुए। किसी भी मंत्री ने, वित्त मंत्री सहित या मैंने मुआवजे के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की। इसलिए मुझे यह आरोप सुनकर हैरानी हुई कि "5 करोड़ रुपये की राशि बातचीत से तय हुई थी।"

एक माननीय सदस्य : आपको ऐसे गलत आरोपों की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री पी. सी सेठी : यह तो ठीक है। प्रारम्भ में, बी. ओ. सी. का दावा 42.78 करोड़ रुपये की राशि का था जोकि बातचीत के बाद 28.62 करोड़ रुपये रह गया और यह 28.62 करोड़ रुपये की राशि आयल इण्डिया के शेयरों और भारत में असम आयल की आस्तियों और देयताओं तथा बी. ओ. सी. (आई. टी.) के विपणन आस्तियों और देयताओं के लिए थी।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

तब भी बातचीत चलती रही और अन्ततः यह निर्णय किया गया कि हमें यही तरीका अपनाना चाहिए। आयल इण्डिया के लगभग 28 करोड़ रुपये के शेयर थे जिसमें उनका हिस्सा 50 प्रतिशत का था। 15 करोड़ रुपये का भारत सरकार का हिस्सा था। इसलिये 14 करोड़ रुपये तो उन्हें शेयर की कीमत अदा करनी थी। इन 14 करोड़ रुपये के अलावा 1.66 करोड़ रुपये तो प्रीमियम के तौर पर देने थे जिससे कि कुल 15.66 करोड़ रुपये की राशि हो गई। फिर आधारभूत तिथि से अब तक (30-6-1981) 8 प्रतिशत की दर से ब्याज 5.51 करोड़ रुपये होता है। इसलिए 21.30 करोड़ रुपये का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ जो रियायतें अभी लागू हैं उनकी कीमत 0.36 करोड़ है। इसलिए 21.66 करोड़ रुपये वह वास्तविक कीमत है जो बी. ओ. सी. को अदा की जानी थीं। परन्तु बी. ओ. सी. को दी जाने वाली 21.66 करोड़ रुपये

की राशि के स्थान पर 21.56 करोड़ रुपये पर समझौता हो गया जिसमें बी. ओ. सी. (आई टी.) के स्थान पर असम आयल कंपनी भी शामिल है।

जहां तक असम आयल कंपनी की देयताओं और आस्तियों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कहना चाहूंगा कि आकस्मिक कर देयताओं और मुआवजों के संकलन के अन्य दावों में असम आयल कंपनी के कुल आकस्मिक आय कर, उत्पादन शुल्क और बिक्री कर की देयताओं का अनुमान पहले 4.92 करोड़ रुपये लगाया गया था। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड की सलाह से इनकी आगे चांच की गई। अधिकाधिक स्तर पर इन आकस्मिक आस्तियों की कुल देयता 2.73 करोड़ रुपये आंकी गई। ये राशियां मुआवजे की उचित राशि जोकि लगभग 5 लाख रुपये बनी थी, को मालूम करने के लिए कम्पनी के निवल राशि में से काटी गई थी।

ए ओ. सी ने निवलकरों के निम्नलिखित दावे भी प्रस्तुत किए थे :—

(क) पैराफीन मोम की अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति	207 लाख रुपये
(ख) सी. एण्ड एफ. समायोजन लेखा	133 लाख रुपये
(ग) अतिरिक्त शोधन लागत की प्रतिपूर्ति	86 लाख रुपये
कुल योग	426 लाख रुपये

शासकीय स्तर के दल के आन्तरिक मूल्यांकन में ए. ओ. सी. के उपर्युक्त दावों को जान बूझ कर हिसाब में नहीं लिया गया था। उन्हें इसलिए लम्बित रहने रहने दिया था क्योंकि कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने की बातचीत चल रही थी। कम से कम 53 लाख रुपये के एक दावे (कर निवल) जोकि सी. एण्ड. एफ. समायोजन लेखे बाबत था, जिसे सरकारी क्षेत्र के अन्य तेल शोधक कारखानों के लिए अपनाई जा रही नीति के अनुसरण में ए. ओ. सी. को प्रदान किया जाना थ.।

अतः इन सभी दावों को ध्यान में रखते हुए, जोकि इस कम्पनी ने विभिन्न कर आधारों तथा मूल्यों में करोड़ों रुपये की आकस्मिक वृद्धि के कारण किए थे, और विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कच्चे तेल के मूल्य अब बढ़ गए थे, यदि यह बातचीत न हुई होती तो हम आज जो मूल्य इन कम्पनियों को दे रहे हैं उससे शायद कहीं अधिक मूल्य देना पड़ता। अतः, जहाँ तक असम तेल कम्पनी का सम्बन्ध है, अन्ततः असम तेल कम्पनी से लगभग 10 लाख रुपये का समझौता हुआ था। इसलिए आयल इण्डिया, असम आयल कम्पनी और बी. ओ. सी. (आई. टी.) की कुल राशि 21.56 करोड़ रुपये बैठती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो सभा को न बताई जा सके। हम सम्पूर्ण तथ्य और ब्यौरे लेकर प्रस्तुत हुए हैं।

जहाँ तक नियत तारीख का सम्बन्ध है, यह तारीख विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कर दी जाएगी। स्वाभाविक है, कि जब तक यह विधेयक सभा में विचाराधीन पड़ा है—यदि यह अध्यादेश होता तो तारीख देना संभव होता—और सभा द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता तब तक यह नियत तारीख नहीं दी जाएगी। अतः समझौते के अनुसार, जब यह विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति की सहमत्ति मिल जाएगी तब यह अधिनियम बनेगा; और तभी

यह 15 अक्तूबर, जोकि समझौते में तय की गई है, से प्रवर्तनीय होगा। इसलिए, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था और यह मालूम नहीं था, मैं पिछले 6-7 दिन से यह इन्तजार कर रहा था कि विधेयक आए, और अन्ततः यह आज आया है। अतः यह तारीख नहीं दी गई थी इसमें किसी घोटाले का कोई प्रश्न नहीं है। जहाँ तक तारीख का प्रश्न है, तारीख नियत है। हम इसे 15 अक्तूबर तक करना चाहते थे, क्योंकि 15 अक्तूबर तक हम इन कम्पनियों से भुगतान तथा अन्य बातों के बारे में अन्तिम रूप से तय कर लेना चाहते हैं। इसलिए, इस बारे में कोई खास बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य, श्री संतोष मोहन देव, जोकि उसी क्षेत्र से हैं जहां ये वस्तुएं हैं, ने बहुत वैध मुद्दा उठाया है। संभवतः उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है और इन उपायों का स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो कंपनी के विकास, कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं, पुरानी एजेंसियों तथा उन प्रयासों के बारे में हैं जिनका ये कंपनियाँ पालन कर रहीं हैं। इस संबन्ध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि जहाँ तक ए. ओ. सी. तेल शोधक कारखाने (डिगबोई) का संबन्ध है, उन्होंने यह सुझाव दिया कि इसे विस्तारित किया जाना चाहिए तथा असम में एक बहुत बड़ी रीफाइनरी की गुंजाइश है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयत्न कर रहें कि असम रीफाइनरी को विस्तारित किया जाए। इसलिए हमने पहले ही एक दल डिगबोई भेजा हुआ है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस ए. ओ. सी. रीफाइनरी में कहाँ तक सुधार किया जा सकता है इन्जीनियर इंडिया लिमिटेड के एक दल ने यह जानने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन किया है कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है; और क्योंकि विशेषकर यह पैराफीन रीफाइनरी होने के कारण हम स्वयं इस रीफाइनरी में सुधार करने के इच्छुक हैं; और यदि संभव हुआ तो हम न केवल इसमें सुधार ही करेंगे बल्कि इसका विस्तार भी करना चाहेंगे।

जहाँ तक डिगबोई तेल क्षेत्र का संबन्ध है, इसका क्षेत्रफल लगभग 52 वर्ग किलोमीटर है। इसकी खोज 1890 में की गई थी। हजार से भी अधिक कुंए खोदे गए हैं, जिनमें से 31.3.1981 को 418 कुओं से तेल का उत्पादन किया जा रहा था। इस क्षेत्र से वर्तमान उत्पादन लगभग 40,000 टन वार्षिक है, जो एक माननीय सदस्य के अनुसार, घट गया है। हमारे देश में जब कुंए कुछ समय तक चालू रहते हैं तो यह संभव है कि उत्पादन की दर घट जाए। तब हमें यह देखना पड़ता है कि उत्पादन को फिर उसी स्तर पर लाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाने हैं ताकि यह मालूम हो सके कि उस कुंए को उत्पादन के उसी स्तर पर कैसे लाया जाए और क्या पानी का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य तरीके से कुओं में सुधार किया जा सकता है अथवा नहीं। अब जबकि सरकार इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले रही है, हम यह प्रयत्न करेंगे कि इन क्षेत्रों का जिनमें तेल उत्पादन की सम्पूर्ण क्षमता है, किस प्रकार पूर्णतः उपयोग और विकास किया जा सकता है।

जहाँ तक कर्मचारियों का संबन्ध है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोनों ही कंपनियों के सभी कर्मचारियों को सरकार अपने अधीन ले लेगी। जो कर्मचारी अपनी पैंशन लेकर सेवा से निवृत्त होना चाहते हों उन्हें पैंशन देकर सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा। जहाँ तक प्रोद्भूत पैंशन और ग्रेच्चुटी का संबन्ध है, उसका ध्यान रखा जाएगा तथा कोई समस्या

नहीं होगी। लेकिन, कुछ कंपनियों में यह हो सकता है कि उनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों से बहुत अधिक वेतन पाते हों। ऐसी स्थिति तब पैदा हुई थी जब हमने बर्मा शैल, ऐस्सो और काल्टेक्स को अपने नियंत्रण में लिया था। ऐसी स्थिति में, उन्हें बराबर लाना होगा, चाहे वे रीफाइनरी डिवीजन में हों या वितरण प्रणाली में यह कभी न कभी करना ही पड़ेगा। ऐसे कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक अखिल भारतीय स्तर पर लाने पड़ेंगे। हम उनसे वार्ता शुरू करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ तक संक्रमण अवधि का प्रश्न है, कोई आँसू बहाने की बात न हो।

जहाँ तक इन क्षेत्रों की एजेंसियों का संबन्ध है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि हमने यह मालूम करने के लिए कि वहां कितने एजेंट हैं, पहले ही अनुदेश जारी कर दिए हैं क्योंकि हमारी नीति यह है कि यदि किसी परिवार के पास पैट्रोल अथवा एल.पी.जी की वितरण एजेंसी है, तो उस परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को पैट्रोल पंप, मिट्टी के तेल अथवा एल.पी.जी की डीलरशिप नहीं दी जाएगी। इसलिए हम इस वर्तमान स्थिति में भी एक परिवार को एक ही एजेंसी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः हमें पुराना रिकार्ड देखना पड़ेगा और यदि कोई बात इस नीति की परिसीमा से बाहर पाई गई तो हम उसे बदलने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक नई एजेंसियों का प्रश्न है, हमने अनुदेश जारी कर दिए हैं कि 70 प्रतिशत नई एजेंसियाँ आरक्षित वर्गों को दी जाएंगी, 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को 10 प्रतिशत बेरोजगार स्नातकों को, 10 प्रतिशत बेरोजगार इंजीनियरों को, 15 प्रतिशत विकलांग रक्षा कार्मिकों और युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवा पत्नियों को तथा 10 प्रतिशत स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाएंगी। बाकी 30 प्रतिशत अन्य वर्गों को दी जाएगी। इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा और नई एजेंसियाँ इस प्रकार दी जाएगी। इस प्रकार 30 प्रतिशत एजेंसियाँ ..... (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : मन्त्री महोदय ने अभी स्वतन्त्रता सेनानियों का नाम लिया है। अभी तक उनके लिए कुछ किया है या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में निर्णय लेने के बाद अभी पिछले महीने गैस की एजेंसियों के लिए दिए गए हैं और उनकी दरख्वास्ते आ रही हैं। वे प्रोसेस हो रही हैं होम मिनिस्ट्री से वेलिडिटी सर्टिफिकेट यह कि वे फ्रीडम फाईटर हैं आने के बाद उन पर निर्णय किया जाएगा। उनके लिए 10 प्रतिशत कोटा निश्चित किया गया है। अतः मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हम जो कुछ भी बताना चाहते थे वह सब कुछ सभा को बता दिया है। माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं। उदाहरणार्थ श्री राम गोपाल रेड्डी ने यह सुझाव दिया है कि तेल की खोज के कार्य को तेज किया जाना चाहिए। हम यह करने का पयत्न कर रहे हैं; विशेषकर गोदावरी बेसिन तथा अन्य अपटीय क्षेत्रों में हम यह कर रहे हैं। मैं अगले महीनें आन्ध्र प्रदेश जा रहा हूं। मैं राजस्थान के कुछ भागों का भी दौरा कर रहा हूं जहाँ तेल की खोज चल रही है, विशेषकर जैसलमेर में। हमें आशा है कि खोज का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा।

श्री गंगवार ने भी हमें सलाह दी है। मैं नहीं जानता कि यह एक विशेषज्ञ परामर्श है अथवा सामान्य तौर पर दी जाने वाली सलाह है। उन्होंने बताया है कि जिन विदेश कम्पनियों

को सर्वेक्षण के लिए कहा जाता है वे सामान्यतया यह नहीं चाहती कि भारत स्वयं निर्भर बने। यही कहानी हम कहते आये हैं। हमने 1956 में भी कहा था जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह निर्णय लिया था कि भारत को तेल ढूंढना होगा। उन्होंने रूस को आमन्त्रित किया था। रूस ने चीन में स्थिति का सही मूल्यांकन न किया हो लेकिन चीन और भारत में अन्तर है। रूस ने हमें सही सलाह दी है। रूस की सलाह के आधार पर ही गुजरात में तेल के तर क्षेत्रों का पता चला था। एक समय पर जब हमने इस कार्य को रूस के सहयोग से शुरू किया था, विदेशी कम्पनियों विशेषकर पश्चिमी कम्पनियों ने कहा था कि भारत के लिये तेल की खोज पर इतना धन खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। उस समय उन देशों ने हमें हतोत्सहित किया था और यह कहा था कि भारत में तेल नहीं है। अब जब हमने तेल ढूंढ लिया है तथा हमने 32 ब्लाक में विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज और ड्रीलिंग के लिए कहा तो अमेरिका, मैक्सिको, वर्तानिया, इटली, अर्थात अधिकतर पश्चिम देशों वही कम्पनियां यहां आई हैं तथा उन्हें आशा है कि तेल मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त, हम केवल इन्ही कम्पनियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। इस देश के बहुत बड़े भाग आयल अनुभव इंडिया तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपे गए हैं और मुझे विश्वास है कि वे अपने विशेषज्ञता और कर्तव्यनिष्ठा से तेल ढूंढ लेगे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के युवक तथा इन्जीनियर जगह-जगह पर तेल की तलाश कर रहें हैं। क्योंकि तेल के क्षेत्र बहुत छोटे हैं, अतः मैं इसकी घोषणा। सभा में नहीं कर रहा हूं। नागालैंड में तेल का पता चला है। हमें असम तथा गुजरात में तेल के कुछ नए कुओं का पता पता चला है। दो दिन पहले मैंने तेल की नई खोज की घोषणा की थी और वहां तेल काफी मात्रा में मालूम पड़ता है, क्योंकि मात्र आधी इन्च चोक में से हमें एक दिन में 1030 बैरल तेल प्राप्त हुआ और वह अभी एक खोज का ही कुंआ था। जिस क्षेत्र में तेल मिला है उसका क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग किलोमीटर है। अतः हमें आशा है कि तेल मिल जाएगा। मुझे विश्वास है यद्यपि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमें गोदावरी बेसिन में भी तेल मिल जाएगा। यह सम्भव है कि दो एक दिन में अथवा एक महीने के बाद मैं कुछ घोषणा कर सकूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कावेरी बेसिन में भी ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेटी : कावेरी बेसिन में भी। अतः इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमन्ना ने विचारार्थ प्रस्ताव का संसोधन प्रस्तुत किया है। क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री टी. आर शमन्ना : मैं 2 या 3 मिनट बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्थिति गुजर चुकी है। अब आप नहीं बोल सकते। अब मैं श्री शमन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मौखिक मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि लोक हित में "दि बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड" द्वारा धारित आयल इण्डिया लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का तथा भारत में असम आयल कम्पनी लिमिटेड और "दि

बर्मा आयल कम्पनी (इन्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के उपक्रमों के संबंध में उनके अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और गैस तथा असम आयल कम्पनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल गैस और पैट्रोलियम उत्पादों तथा उक्त उपक्रमों और "दि बर्मा आयल कम्पनी (इन्डिया ट्रेडिंग) लिमिटेड" के भारत में उपक्रमों द्वारा विपणीत और वितरित पैट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो उपवन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकार स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर विचार करेंगे। खण्ड 2 से 22 तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 22 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 22 तक विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : में प्रस्ताव रखता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनु पूरक मांगे (रेलवे)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (रेलवे), 1980-81 के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा और मत विभाजन आरम्भ करते हैं।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"कि विविध व्यय (सामान्य) के सम्बन्ध में 45, 00, 000 रुपए से अनधिक राशि के अनुदान की पूरक माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[रेल सुधार समिति के कार्यालय की स्थापना औचित्य] (1)

"कि विविध व्यय (सामान्य) के सन्बन्ध में 45, 00, 000 रुपए से अधिक राशि के अनुदान की पूरक मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।

[रेल यात्रा पैकेज स्कीम शुरू करने का औचित्य] (2)

"कि परिसम्पत्तियाँ अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7, 29, 000 रुपए से अनधिक राशि के अनुदान की पूरक माँग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[दुमंजिले सवारी डिब्बा के विनिर्माण का औचित्य] (3)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के अनुदान की पूरक माँग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[पूर्व रेलवे में आरा से छपरा तक बड़ी लाईन के निर्माण में देर] (4)

"कि परिसम्पत्तियों अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की माँग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेलवे में सिन्हा घाट पर गंगा नदी में रेल पुल के निर्माण की आवश्कता] (5)

"कि परिसम्पत्तियाँ अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेलवे में दानापुर मन्डल स्थित विहटा से अनुग्रहण नारायण रोड तक नई बड़ी लाईन के निर्माण की आवश्यकता] (6)

"कि परिसम्पत्तियाँ अधिग्रहण, निर्माण, और बदलाव के संबंध में 7,29, 00, 000 रुपये से अधिक राशि के पूरक अनुदान की माँग में 100 रुपये कम किये जाये।

[आरा सासाराम लाइट रेलवे को बड़ी लाईन में बदलने में देर] (7)

"कि परिसम्पत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[फत्तुह-इस्लामपुर लाईन रेलवे की बड़ी लाईन में परिणत करने में विलम्ब] (8)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पटना के राजेन्द्र नगर में एक सड़क पुल के निर्माण में विलम्ब] (9)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेलवे में आरा में एक सड़क पुल के निर्माण में विलम्ब] (10)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7, 29, 00, 000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पूर्व रेलवे के विहटा स्टेशन से बारास्ता विक्रम पालीगंज अरवल होते हुए बारून तक नई रेल लाईन बिछाने में असफलता] (11)

"कि परिसम्पत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पटना में गंगा नदी पर रेल पुल के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब] (12)

"कि परसंपत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[राजगीर से गया तक एक नई रेल लाईन बिछाने में असफलता] (13)

"कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की माँग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के पटना-गया लाईन को दोहरा करने में असफलता (14)]

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के बख्यिारपुर से राजगीर तक दोहरी रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता] (15)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जाएं।"

[पूर्व रेलवे के पत्तुहा से इस्लामपुर तक बड़ी लाईन बिछाने में असफलता] (16)

श्री सुबोधसेन (जलपाईगुडी : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पश्चिम बंगाल में पश्चिम दिनाजपुर जिले के बैलूरघाट से मालदा जिले के एकतीसल तक एक नई रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता] (21)

"कि परिसंपत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के एकलक्ष्मी से पश्चिम दिनाजपुर जिले के एलुबारी तक रेलवे लाईन की व्यवस्था करने की आवश्यकता] (22)

"कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[पश्चिम बंगाल के रायगंज उपप्रमंडलीय मुख्यालय को बैलूरघाट जिला मुख्यालय से रेल द्वारा जोड़ने की आवश्यकता] (23)

"कि परिसंपत्तियाँ-अधिग्रहण. निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

[दोमोहनी-चंगराबांध रेल लाइन (एन. एफ.) को पुनः खोलने, उसकी मरम्मत करने और उसे पश्चिम बंगाल में कूचबेहार जिले में मेखलीगंज उप-प्रमण्डलीय मुख्यालय तक बढ़ाने की आवश्यकता] (30)

श्री टी. आरः शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि परिसंपत्तियां-अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम लिए जाएं।"

[बंगलौर छावनी रेलवे स्टेशन के निकट पैलेस गेट पर एक पुल बनाने में असफता] (31)

"कि परिसंपत्तियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बंगलौर असींकेरे रोड पर एक पुल बनाने में असफता] (32)

"कि परिसंपतियां अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें।"

[मैसूर-बंगलौर और बंगलौर-गुंटाकल मीटरगेज रेल लाईनों को बड़ी लाईनों में बदलने का कार्य पूरा करने में असफलता] (33)

श्री रेणु पद दास (कृष्णनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रण निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपयें से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे में राणाघाट जंक्शन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर वर्तमान रेल फाटक के स्थान पर नीचे से सड़क का पुल बनाने की आवश्यकता] (41)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें"

[रेजीनगर और बेलडांगा के बीच रेल मार्ग का वह भाग जो 1978 की बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रहस्त हो गया था, का निर्माण करने में असफलता] (42)

"कि परिसंपत्तियां अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें।"

[जम्मू और कश्मीर राज्य के दूर दराज के इलाकों में पहुंचना सरल बनाने के लिए जम्मू तवी से उधमपुर तक दूसरी बड़ी लाईन का निर्माण तेज करने की आवश्यकता] (43)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे में राजघाट और कृष्णनगर सिटी जंक्शन के बीच दोहरी लाईन बिछाने की आवश्यकता] (44)

"कि परिसम्पतियाँ अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कृष्णनगर सिटी जंक्शन के रास्ते नवद्वीप शान्तिपुर छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदलने में असफलता] (45)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें।"

[कृष्णनगर सिटी जंक्शन और शिकारपुर के बीच वरास्ता करीमपुर नई बड़ी लाईन का निर्माण करने में असफलता] (46)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण ,नर्माण और बदलाय के संबंध में 7,29,0,0000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रु. कम किए जायें।"

[पूर्व रेलवे में दमदम और बारासाट के बीच दोहरी लाइन का निर्माण तेज करने की आवश्यकता] (47)

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण और बदलाव के संबंध में 7129,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[प्रस्तावित दुमंजिले सवारी डिब्बे निर्धारित अवधि में बनाने में असफलता (48)]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रेल पथों के नवीकरण की की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता]। (50)

श्री मुकुन्द लाल मंडल (मथुरापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिसम्पत्तियाँ-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[रायनगर में क्रासिंग गेट के समीप डायमंड हार्बर स्टेशन के पूर्वी भाग पर एक ऊपरि पुल का निर्माण करने की आवश्यकता]। (51)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सियालदाह लक्ष्मीकान्तपुर सेक्शन को पत्थर प्रतिमा एक बढ़ाने की आवश्यकता]। (52)

"कि परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव के सम्बन्ध में 7,29,00,000 रुपये से अनधिक राशि के पूरक अनुदान की मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[सियालदाह मथुरापुर सेक्शन को रैविकी तक बढ़ाने की आवश्यकता]। (53)

डा. सरदीश राय (बोलपुर) : अनुपूरक मांगों में दो शीर्ष हैं। शीर्ष रेलवे सुधार समिति स्थापित किये जाने तथा हमारे देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रचार पर किये जाने वाले व्यय के बारे में है। यह बात स्पष्ट नहीं है कि रेलवे सुधार समिति क्या कार्य करेगी। मंत्री महोदय को चाहिये कि वे इस बात को स्पष्ट करें। जिस ढंग से पिछले कुछ महीनों से रेल विभाग कार्य कर रहा है, जिस प्रकार रेल दुर्घटनायें एक आम बात बन गई है और उनमें मरने वालों की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है, यह अधिकतर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने की वजह से ही हो रहा है। मुझे आशंका है कि रेल विभाग और अधिक विदेशी पर्यटनों को आकर्षित नहीं कर पायेंगे। पिछले तीन वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

1977—364
1978—196
1979—264

परन्तु पिछले तीन या चार महीनों में मरने वालों की संख्या गत तीन वर्षों में मरने वालों की संख्या से कई गुना अधिक है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु एक्प्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। रेलवे ने दावा किया है इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या केवल 16 है। आल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सचिव ने इस दावे को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना में सौ से भी अधिक व्यक्ति मरे हैं और कई सौ घायल हुये हैं। उन्होंने एक बयान में कहा है :

"गाड़ियों को और अधिक तेजी से चलाने की जल्दबाजी में रेल विभाग सुरक्षा के सभी पहलुओं की उपेक्षा करने के लिये विवश हो गया है।"

उन्होंने यह आरोप लगाया कि इसी वजह से प्रायः भारी दुर्घटनायें हो रही हैं।

इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि इस दुर्घटना में रेलवे के भोजनयान के तीन कर्मचारी भी मर गये थे। उनके शवों को इकट्ठा करके एक बक्स में डाल दिया गया था। मरने वाले दूसरे यात्रियों के शव अलग बक्सों में रखे गये थे। परन्तु रेलवे के अपने कर्मचारियों के शवों को एक ही बक्से में ठूंस दिया गया था और उनके रिश्तेदारों को कोई सूचना नहीं भेजी

गई थी। रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के बाद ही उन शवों को अलग-अलग बक्सों में रखा गया था। रेल विभाग अपने कर्मचारियों से इस प्रकार का अभावनीय व्यवहार करता है।

पिछले कई महीनों से लोको कर्मचारी इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि रेल लाइनों, इंजनों और डिब्बों के खराब रख-रखाव के कारण दुर्घटनाओं का खतरा है। अभी तक रेल विभाग ने उस शिकायत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

उदाहरण के तौर पर काम के घंटों को ही लीजिये। 1970 में और 1973 में रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि रेलवे कर्मचारियों को 10 घंटे से अधिक कार्य करने को नहीं कहा जायेगा। परन्तु पिछले दिनों जब मैं हावड़ा में एक लोको इंजन कर्मचारी से मिला तो उन्होंने मुझे बताया : "मैंने 8 बजे की उपस्थिति दी है, अब 10 बज चुके हैं और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। शायद मुझे 12 बजे काम मिलेगा। परन्तु इस समय को काम के घंटों में शामिल नहीं किया जाता है।" उनका अनुरोध है कि जब वे रजिस्टर में अपने आने के हस्ताक्षर कर देते हैं और जब जाने के हस्ताक्षर कर देते हैं। उसी समय को हिसाब में लिया जाये। परन्तु रेल विभाग इस पर सहमत नहीं है। इसके परिणाम-स्वरूप रेलवे कर्मचारियों को 12 घंटे से अधिक समय तक काम करना पड़ता है। हमारी पार्टी के नेता, श्री समर मुखर्जी ने रेल मंत्री का ध्यान एक घटना की ओर दिलाया था जिसमें श्री देवनाथ नामक व्यक्ति को लगातार 41 घंटों तक कार्य करने को बाध्य किया गया था। उन्हें अलीपुर द्वार से असम तक जाना पड़ा था। जब वह रेल से उतरे तो वे बेहोश हो गये और अब उन्हें लकवा मार गया है। इस तरह से रेल विभाग अपने कर्मचारियों से व्यवहार कर रहा है।

हालांकि रेल विभाग ने रेलों की रफ्तार बढ़ा दी है, परन्तु सामान्य सुरक्षा उपायों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं के पश्चात्, रेल विभाग ने कई समितियां गठित की थीं परन्तु उन समितियों की सिफारिशों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया। सीकरी समिति ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि 1700 पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। मरम्मत करके उन्हें मजबूत बनाया जाना चाहिये। परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। समिति ने इस ओर भी ध्यान दिलाया था कि 1,130 किलोमीटर रेल पथ क्षतिग्रस्त है। अभी तक उसकी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है। रेलवे अधिकारी कर्मचारियों को गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये मजबूत कर रहे हैं। परन्तु वे सुरक्षा उपायों अथवा इंजनों के सही रख-रखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजा यह है कि बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनायें हो रही हैं।

अभी केवल हाल ही में रेल मंत्री के गृह राज्य में ही एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जबकि रेल गाड़ी बागमती नदी में गिर गई थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक हजार से दो हजार के बीच यात्री डूब गये लेकिन रेल विभाग कहता है कि कुछ सौ व्यक्ति ही डूबे हैं। क्योंकि शव निकाले ही नहीं जा सके, इसलिये कोई भी सही आँकड़े नहीं दे सकता।

पिछले दो माह के दौरान जी. टी. लाइन पर तीन दुर्घटनायें हुई हैं। रेल सेवा का स्तर काफी गिर चुका है। इसके साथ-साथ जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उस लाइन पर चार पांच दिन तक कोई पैसेंजर या एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई जा सकती क्योंकि रेल लाइन को भारी क्षति पहुंचती है। स्वभावतः माल गाड़ियों को अन्य लाइनों से चलाना पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे विभाग समस्या के इस पहलू की ओर विशेष ध्यान दे।

हड़ताल के पश्चात् 10,000 लोकमोटिव कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया गया था। अब भी 1200 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें नौकरी से हट दिया गया है और वे बेरोजगार हैं तथा 1100 कर्मचारियों को दंड स्वरूप स्थानांतरित किया गया है। यह ठीक है कि उनमें से कुछ लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। कुछ कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उनकी एक मांग यह थी कि दुर्घटना सुरक्षा कानूनों क उल्लंघन न किया जाये। पिछले कुछ महीनों में हम देखते हैं कि अधिकांश दुर्घटनायें इन नियमों का उल्लंघन करने के कारण हुई हैं। रेलवे इंजनों की ठीक से मरम्मत नहीं की जाती है और ड्राइवरों को रेल गाड़ियाँ तेज रफ्तार से चलाने के लिये बाध्य किया जाता है। इसलिये इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अतः रेल मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये क्योंकि उनके अवैज्ञानिक एवं अव्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण भी ये रेल दुर्घटनायें हुई हैं।

जैसा कि मैं कह भी चुका हूं कि हाल की दुर्घटनाओं के कारण कुछ रेल लाइनों पर चार, पाँच दिनों तक यातायात पूर्णतया बन्द रहा था। आपके अपने भी राज्य में "ग्रांड कोर्ड" लाइन पर पिछले कुछ महीनों में तीन बड़ी रेल दुर्घटनायें हुई हैं। जब भी कोई नई रेल गाड़ी परीक्षा के तौर पर चलाई जाती है तो दुर्घटना हो जाती है और सारा का सारा यातायात उस लाइन पर चार, पाँच दिन के लिये बन्द हो जाता है। यह स्थिति है आज।

इसलिये मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे लोको कर्मचारियों के मामलों पर फिर से विचार करें। अभी भी लगभग 1200 निकाले गये कर्मचारी हैं और 1100 कर्मचारियों का दण्ड स्वरूप स्थानांतरण हो चुका है। उन लोको कर्मचारियों के बदले में जो कर्मचारी लगाये गये हैं, वे अपेक्षित अनुभव नहीं प्राप्त कर पाये हैं। फिर भी उन्हें मेल, एक्सप्रैस और अन्य तेज गति की गाड़ियों का कार्य सौंप दिया गया है और उन्हें इन गाड़ियों को तीव्रता से चलाने के लिये बाध्य किया जा रहा है। जबकि उन्हें इसका अनुभव भी नहीं है। अधिकांश अनुभवी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। पिछले बजट सत्र में हम में से अनेकों ने यह अनुरोध किया था कि रेलवे से निकाले गये और दण्ड स्वरूप स्थानांतरित कर्मचारियों के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये और उन्हें पुनः सेवा में वापस लिया जाना चाहिये। कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था और कुछ समय पूर्व सेवा निवृत कर दिया गया था। रेलवे में प्रबंधकों और कर्मचारियों में बेहतर संबंध होने चाहिये। इसलिये, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच सावधानी से की जाये और ऐसे उपाय किये जायें जिससे कि रेलवे प्रबन्धकों की गलती के कारण लोको कर्मचारियों में उत्पन्न असंतोष खत्म किया जा सके।

मैंने पहले भी कहा है कि लाइनों की जांच की जाय। सीकरी समिति द्वारा बताये गये पुलों, पुलियों और लाइनों की क्षति की जांच नहीं की गई है। इसके बावजूद ड्राइवरों से गाड़ियां तेज चलाने के लिये कहा जाता है। इसकी भी जांच की जानी चाहिये।

इस पूरक बजट मांग में और दूसरी चीजें भी हैं। इसमें सात लाइनों का एक प्रस्ताव है। इनमें से दो मामलों में तो छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्रस्ताव है और अन्यव प्रस्ताव बड़ी लाइनों के हैं। बी. ओ. एक्स. सी. बैगनो, दुमंजिले डिब्बों और ब्रेक बैगनों का भी प्रावधान है। पिछली बार रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि छोटी लाइनों को बड़ी

लाइनों में बदलने का यह मौका नहीं है। परन्तु यहां कम से कम दो लाइनों में यह परिवर्तन है, फिर अन्य मामलों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में क्यों नहीं बदला जाना चाहिये। इस पर भी सावधानी से विचार करना चाहिये।

उस समय भी उन्होंने यह कहा था···

उपाध्यक्ष महोदय : डा. राय, क्या आप अपना वक्तव्य एक-दो मिनट में समाप्त कर रहे हैं।

डा. सरदीश राय : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस समय 17.30 बजे हैं, इसलिये अब हम "आधे घंटे की चर्चा शुरू कर रहे हैं। आप अगली बार अपना वक्तव्य दे सकते हैं। श्री वृद्धी चन्द्र जैन।

आधे घन्टे की चर्चा

गांधी सागर क्षेत्र मध्य प्रदेश में बांधों का निर्माण

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो मैंने आधे घन्टे की चर्चा के लिए उठाया है, यह प्रश्न राजस्थान के कृषि उत्पादन की दृष्टि से, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बड़ा महत्पूर्ण स्थान रखता है।

सबसे पहले मैं ऐतिहासिक रूप-रेखा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। यह जो चम्बल मल्टीपिल प्रोजेक्ट है, यह 4 सितम्बर, 1960 को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की सहमति से तैयार हुई थी और उस योजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का बराबर-बराबर का हिस्सा कास्ट और बैनीफिट्स में था इस आधार पर यह प्रोजेक्ट तैयार की गई और इस प्रोजेक्ट को चम्बल नदी के समस्त जल भराव क्षेत्र के पानी के आधार पर तैयार किया गया था इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रोजेक्ट को, जो तैयार की गई, हैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ? इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कि चम्बल का जो केचमेंट एरिया है, जो 8,700 वर्ग मील में फैला हुआ है, उस केचमेंट एरिया के पूरे पानी को उपयोग में लाया जा सकता है, उस पूरे पानी के उपयोग की यह योजना बनाई जा सकती है परन्तु मध्य प्रदेश की सरकार ने, जैसा कि जवाब में स्पष्ट है, 57 इर्रीगेशन स्कीम्स बना कर और 29 जो स्कीमें हैं इर्रीगेशन की, वे अन्डर कन्सट्रक्शन हैं, एक ऐसी स्थिति पैदा कर कर दी कि जो एग्रीमेंट था, प्रोजेक्ट में जो शर्तें थीं, जो दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच में समझौता था, उसका खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हुआ है। इस तरह से चम्बल नदी का जो सम्पूर्ण, समस्त पानी है, वे जितनी भी योजनाएं बनी हैं, गांधी सागर डेम, राना प्रताप सागर डेम, जवाहर सागर डेम और कोटा बेराज, इनकी पूर्ति नहीं करता और अकाल के समय में पानी का संकट होता है और लीन सीजन में, लीन समय में पानी का हर समय संकट रहता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार ने राजस्थान सरकार से परमिशन नहीं ली, इन्टर जो कन्ट्रोल बोर्ड है, उनके चेअरमैन की राय नहीं ली और बिना राय ले कर जो एग्रीमेंट उसका खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो 57 डैम बने हैं,

इनकी क्या केपेसिटी है ? इन डेम्स में भरने की कितनी क्षमता है और जो अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं उनकी किस प्रकार की क्षमता है ? और भी जो प्रपोजल्स हैं उनके बारे में भी मन्त्री जी सम्पूर्ण जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है कि इस गाँधी सागर का एवरेज भराव, ईल्ड 3,822 मिलियन एकड़ फीट का है। उसमें से 1.25 मिलियन एकड़ फीट को मध्य प्रदेश सरकार ने इन्टरसेप्ट किया है। अगर इस प्रकार का इन्टरसेप्शन होता है तो हमारे यहां विद्युत, सिंचाई की दृष्टि से बहुत धक्का पहुंचेगा। मुझे तीन-चार सालों की जानकारी प्राप्त है। हमारे राजस्थान में उद्योग, विद्युत और कृषि इन तीनों के उत्पादन को धक्का पहुंचा है। हमारे राजस्थान में यों ही विद्युत की स्थिति खराब है। लगातार दो-तीन सालों से हम फेमीन की स्थिति में हैं। इसमें भी गांधी सागर जो सहारा था वह सहारा भी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा है। यह स्थिति राजस्थान में भराव की है। वहां पर समय पर बिजली प्राप्त नहीं होती हैं दो-दो, तीन-तीन घंटे बिजली कृषि के लिये प्राप्त होती है। उद्योगों में करीब 50, 60, 80 और यहां तक कि कहीं कहीं 100 परसेंट तक कट करना पड़ता है। इर्रीगेशन के लिये जो पानी उपलब्ध होना चाहिए, वह पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इससे इस क्षेत्र को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं

क्या यह सही है कि चम्बल बहुउद्देशीय परियोजना चम्बल नदी के समस्त भराव क्षेत्र (केचमेंट एरिया) में उपलब्ध कुल पानी के आधार पर तैयार की गयी थी ?

क्या यह सही हैं कि दिनांक 4 सितम्बर, 1960 को आयोजित राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक में यह सहमति हो गई थी कि उक्त परियोजना की लागत एवं लाभ पर बराबर साझेदारी होगी ?

क्या यह सही है कि गाँधी सागर की डिजाइन समस्त वार्षिक जल भराव क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया था तथा इस बांध का केचमेंट एरिया 8, 700 वर्ग मील का है ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर की केपेसिटी सालाना उपलब्ध पानी के दुगुनी मात्रा के आधार पर बनाई गई थी ताकि पावर एवं सिंचाई का 90 प्रतिशत वर्ष में पूरा उपयोग हो सके ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर बाँध के केचमेंट एरिये में जलप्रवाह अवरुद्ध किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप शक्ति और सिंचाई के लाभों को नुकसान होगा ?

क्या यह सही हैं कि गाँधी सागर बांध के केचमेंट एरिए का जलप्रवाह अवरुद्ध किया जा रहा है और किया गया है जिससे सिंचाई के लाभ को नुकसान हुआ है और टोटल ईल्ड 3822 मीलियन एकड़ फीट में से 1.25 मीलियन एकड़ फीट का इन्टरसेप्शन इस बांध से हुआ है ? क्या यह इन्टरसेप्शन ब्रीच आफ ट्रस्ट नहीं है ?

क्या मध्यप्रदेश सरकार ने गांधी सागर के केचमेंट एरिये में इर्रीगेशन स्कीम के बनाने के पहले राजस्थान सरकार से अनुमति ली थी ?

मध्यप्रदेश सरकार गांधी सागर बांध के पानी के प्रवाह को अवरूद्ध कर विद्युत शक्ति एवं सिंचाई को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी क्षतिपूर्ति आप किस प्रकार करायेंगे ?

गत दस वर्षों में गाँधी सागर के केचमेंट एरिया में कितनी एवरेज वर्षा हुई और कितना पानी भराव हुआ ?

क्या यह सही है कि गांधी सागर में पानी का स्तर सालों साल गिरता जा रहा है ? इस समय पानी का स्तर क्या है ?

गांधी सागर बाँध के भराव की पूरी क्षमता कितनी है और अब कितने फुट पानी का भराव है ?

57 सिंचाई योजनाएं गाँधी सागर के केचमेंट एरिये में कब कब बनी थीं और उनकी पानी की क्या क्षमता है और उनके कंस्ट्रक्शन के बाद में उन बाँधों में कितना-कितना पानी आया है और उसने कितने क्षेत्र को सिंचित किया है ?

29 इर्रीगेशन स्कीम्स जो अन्दर कंस्ट्रक्शन हैं वे किन स्टेज पर हैं और उनकी क्या क्षमता है ?

क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक अगस्त 1981 में हुई और उसमें यह तय हुआ है कि—समुचित मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्ताव किये जायेंगे।

उक्त असेसमेंट के कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करने के लिये केन्द्र सरकार अपनी शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करेगी।

क्या यह सही है कि जब तक उक्त डिस्प्यूट का फाइनल निर्णय नहीं हो, केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को आदेश देकर बाध्य करेगी कि जो वर्क्स कंप्लीट है, उसमें पानी स्टोर न करें और गाँधी सागर की ओर पानी का मोड़ कराए और जो योजानाएं अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उन पर आगे कार्य न करने के लिए आदेश देकर स्टे आदेश का पालन कराये ?

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंबल कैचमेंट एरिया में इर्रीगेशन स्कीम के, जो प्रपोजल्स दिए जाएंगे, उन्हें सैंट्रल वाटर कमीशन और प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाएगी, इसके लिए क्या आप हमें आश्वासन देना चाहते हैं।

इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट केन्द्र सरकार को बहुत ही सीमित अधिकार दिलाता है। इस संबंध में या तो नेगोसिएशन से विवादों को हल किया जाए या ट्रिब्यूनल में मामला रखने का अधिकार दिया जाए। विवादों को निपटाने के लिए अभी कोई भी सक्षम नहीं है। राजस्थान में 12 इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस बारे में आवश्यक कदम उठाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो क्या संविधान में संशोधन करके अभी जो इर्रीगेशन को स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें भी परिवर्तन करेगी, ताकि इससे जिन राज्यों के हितों को कुठराघात पहुंच रहा है, उन्हें राहत दिलाई जा सके।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान राज्य के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हमारी वित्तीय स्थिति पहले ही खराब हो रही है। दो सौ करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट हमारे ऊपर है और अभी भयंकर अकाल की स्थिति हमारे सामने आ

रही है, इसका भी हमें सामना करना है। इस स्थिति में केन्द्र सरकार इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा कर क्या हमें सहयोग देगी यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सत्यनाराण जाटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि गांधी सागर बाँध और उसके कैचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश सरकार ने 300 से अधिक छोटी-बड़ी योजनाएं बनाई और प्रश्न के जवाब में बताया गया कि 57 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 29 योजनाओं पर काम चल रहा है

जहाँ तक गांधीसागर बांध का सम्बन्ध है, इसमें मुख्यत: क्षिप्रा, शिवना और छोटी काली सिंध नदियाँ इसके कैचमेंट एरिया को भरने में सहायता करती हैं। गांधीसागर बांध के पानी के भराव के सम्बन्ध में पिछली स्थिति को देखा जाए तो इसके उद्घाटन के बाद से 20 सालों में कुल मिलाकर 3-4 बार ही यह पूरा भर पाया होगा। हर साल यह पूरा भरा हो, ऐसी बात नहीं। जब कैचमेंट मेग्जियम रेन फाल होता है तो बाँध भरता है। यह बांध हमेशा नहीं भरता है। जब चम्बल घाटी की योजना बनाई गई थी तो उसके ऊपर तीन चार बांध बांधे गए थे, गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज। कोटा बैरेज से सिंचाई की दो योजनायें थीं। एक से राजस्थान की सिंचाई की सुविधा और दूसरे से मध्य प्रदेश की सिंचाई की सुविधा। इस प्रकार चम्बल नदी घाटी योजना से ये सारी योजनायें बनाई गई। किन्तु इसमें जितना पानी आना चाहिए था कैचमेंट में, रिजर्वायर में जितना पानी मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसी कारण जो नीचे बाँध बनाये गये इसके ऊपर जो पावर हाउसिस बिजली के लिए बनाए गए, उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं हुई, न जैनरेशन उससे पूरा हुआ और न बिजली पूरी मिली। गांधी सागर बांध की जैनरेशन कैपेसेटी 115 मैंगावाट थी किन्तु हमेशा 60 या 80 परसेंट अपनी कैपेसेटी की बिजली दी हो, ऐसा नहीं हुआ है। प्राय: पीक पावर लोड स्टेशन के रूप में वह काम करता रहा है। यह कहा गया कि गांधी सागर बांध से राजस्थान को बिजली नहीं मिली। मेरा कहना है राणा प्रताप सागर से मध्य प्रदेश को अपना हिस्सा नहीं मिलता है। वहां से मध्य प्रदेश का जितना शेयर है उसको मिलता नहीं है। इस वास्ते यह प्रश्न तो हमेशा रहेगा ही। जहाँ बिजली पैदा होती है वे अपनी पूर्ति तो करते ही हैं। मध्य प्रदेश में केवल एक बांध है, गाँधी सागर बांध। राजस्थान में दो हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। जो योजनाएं बन चुकी हैं उनको 'अनडू' तो नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में 57 योजनायें पूरी हो चुकी हैं। 29 अधूरी पड़ी हुई हैं। वे भी पूरी न हों यह मंशा सरकार की नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूं। फ्लड के समय जब गांधी सागर में पर्याप्त पानी आता है तो उस पानी को अपर स्ट्रीम साइड से डाईवर्शनल कैनाल बना करके लोअर स्ट्रीम साइड में डाइवर्ट किया जा सकता है और इसके बारे में शासन योजना बनाएगा।

मध्य प्रदेश से बड़ी काली नदी बहती है बाँध को फीड करने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चम्बल बांध के कैचनेन्ट एरिया में अगर इसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो गांधी सागर को पर्याप्त पानी मिल सकता है।

इसी तरह से नर्मदा नदी का पानी चम्बल में मिलाया जा सकता है तो इस योजना को पूरा किया जाना चाहिए।

ये दो तीन मूल प्रश्न हैं जिस पर मन्त्रालय विचार करके कोई निर्णय ले सकता है। यह सारे देश का मामला है। यदि गाँधी सागर में पर्याप्त पानी आता है तो कोटा बैरेज में भी पर्याप्त पानी जाएगा। इस बीच में तीन पावर स्टेशन जो बने हुए हैं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये भी उत्पादन अधिक करेंगे, पानी भी अधिक इनको मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। साथ ही दूसरी तरह की सिचाई की सुविधा भी मिल सकती है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा सिंचाई के पानी के लिए आज बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए दोनों राज्यों में लोग तरस रहे हैं।

इस वास्ते मैंने तीन सुझाव दिए हैं। एक अपर स्ट्रीम साइड पर डाइवर्शनल कैनाल बना करके राणा सागर को पानी डाउन स्ट्रीम साइड में देने की, दूसरे काली सिंधु को क्या ऊपर मिलाया जा सकता है और तीसरे नर्मदा के पानी से चम्बल को फीड किया जा सकता है और मैं चाहता हूं कि इन पर विचार कर समुचित निर्णय किया जाए।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : इस चर्चा में कुछ कारगर और मूलभूत प्रश्न हैं। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज आदि एक-एक योजना तैयार हुई, तकनीकी लोगों ने तैयार की और दोनों सरकारोंने उस पर अपनी सहमति दी। उस योजना पर काफी रुपया खर्च होने के बाद यह उम्मीद की जाती थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को बिजली और सिंचाई की जो आवश्यकता है वह काफी हद तक पूरी हो सकेगी। पिछले कुछ सालों से राजस्थान सरकार और हम लोगों का यह अनुभव रहा है कि गांधी सागर से न बिजली पैदा होती है और न सिंचाई होती है। मेरे मित्र श्री जटिया अभी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की भी यही हालत है। उनके यहाँ भी राणा प्रताप सागर से बिजली नहीं मिलती है और न ही सिंचाई होती है। आज दो राज्यों का झगड़ा नहीं है। मूल सवाल यह है कि बड़ी सिंचाई या बिजली की योजना कोई जब बनाई जाती है और उस पर करोड़ों खर्च किया जाता है तो उससे लोगों की अपेक्षायें और आकांक्षायें बढ़ती हैं और हमें देखना है कि वे कैसे पूरी हो सकती हैं। उसके बाद अगर वह योजनाएं कारगर रूप से उतने प्रभावी तौर पर बिजली और पानी नहीं दे पातीं तो उसके मूल में क्या कारण हैं ?

मैं आपसे इस बारे में यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या कारण है कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैरज और जवाहर सागर से जो हमारे सिंचाई के और बिजली उत्पादन के लक्ष्य थे, वह पूरा करने में हम असफल रहे हैं ? यदि असफल रहे हैं, तो उन कारणों के निराकरण के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

हमें शंका है कि यह जो 57 बांध बन गए और जो 29 बांध और बनने जा रहे हैं, इनके कारण हमारे गांधी सागर में पानी नहीं आता। आखिर कैचमैंट एरिया एक है और कैचमैंट एरिया पर छोटे-बड़े और बांध बनाये जायेंगे तो स्वाभाविकतौर पर हम मानते हैं कि पानी घटेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं और क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के वाटर पावर कमीशन का यह दायित्व और कर्तव्य नहीं है कि कोई कैचमैंट एरिया में कोई नये बांध बनते हैं तो उनको आप रोक सकें ? क्या यह चीज आपके नोटिस में नहीं आई थी ? अगर आ गई थी तो आपने मध्यप्रदेश की इस बारे में जांच की होगी और नहीं तो यह कैलस एटीट्यूड क्यों है ?

इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भले ही सैंटर के पास कानूनन पावर न हो, पर मैं यह नहीं मानता कि केन्द्रीय सरकार ऐसी कमजोर है, फिर एक ही पार्टी पर शासन हो केन्द्र में भी और स्टेट में भी सिवाय ढाई-तीन बरस के अर्से के अलावा, तब भी एक पार्टी का शासन था, तो फिर क्या आपकी परसुएसिव पावर इतनी कमजोर है कि आप कानून के सहारे के बिना, अगर कहीं इधर उधर इन-जस्टिक होता हो तो उसको रोकने की स्थिति में नहीं है ? क्या आपकी मौरल अथारिटी कोई नहीं है ? अगर यह बांध बने हैं तो इनके बारे में अविलम्ब जाँच की जानी चाहिए। मैं यह भी माँग करता हूं कि एक दफे बांध बन जाने के बाद हैवी कास्ट होती है, करोड़ों रुपये तक ही नहीं, अरबों रुपये तक लागत पहुंच जाती है, यह इतना रुपया लगाकर यह बांध बनायें और उनको बन्द कर दें क्या यह अक्लमन्दी की नीति है ? इसलिए जो 29 नये बांध बन रहे हैं, उनके बारे में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए।

जांच कमीशन और सर्वे तो हमेशा टाइम लेते हैं। किसी मामले को खटाई में डालना हो तो जांच कमीशन बना दीजिए। जब तक जाँच कमीशन की रिपोर्ट आयेगी, तब तक यह 29 बाँध भी बन जायेंगे, तब आप जवाब दे देंगे कि फैट-एकम्पली हो गये, जो बन गये सो बन गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वह फैट-अकम्पली मत होने दीजिए और इन 29 बाँधों के निर्माण पर बिना लीगल अथोरिटी के आप परसुएड करके इन्हें रुकवा दीजिए। यही मेरा मूल प्रश्न है।

मैं समझता हूं कि आप इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट को रूल आफ जंगल की तरह विहेव करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे मेरी स्टेट हो या मध्य प्रदेश की स्टेट हो, नेशन की जो बड़ी योजनाएं हैं' उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पावर और इरिगेशन के प्रोजैक्ट को जो भी फेल्योर करने की कोशिश करता है, उसके साथ ऐज के बिग ब्रदर आपको रोल अदा करना चाहिए और परसुएड करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लेने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप थक चुके हैं। आप सुबह से यहां हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं नहीं थका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कितनी ही बार आप यहां से गए और आए हैं। मैं जानता हूं कि आप थक गए हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : जैसा कि जैन साहब ने कहा है, गांधी सागर बांध की परियोजना से राजस्थान को हर तरह का लाभ होने वाला था, खासकर विद्युत उत्पादन में, और विद्युत उत्पादन के जरिए औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि-उत्पादन में। लेकिन राजस्थान को इस बाँध से उतना लाभ नहीं हो रहा है, जितनी की संभावना थी। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों में थोड़ा फर्क हो रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इधर राजस्थान के जैन साहब हैं और मेरे पास मध्य प्रदेश के श्री सत्यनारायण जटिया है। इसलिए मुझे दोनों के बीच में कोई समन्वयवादी बात कहनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप न तो मध्य प्रदेश के हैं और न ही राजस्थान के। आप तो अखिल भारतीय व्यक्तित्व के हैं।

इस सम्बन्ध में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो समझौता हुआ था, अगर उसके आधार पर काम हुआ होता, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को उतनी शिकायत न होती, जितनी कि आज है। मध्य प्रदेश में पानी की कमी रहती है, लेकिन जितनी कमी राजस्थान में रहती है, उतनी मध्य प्रदेश में नहीं रहती। इसलिए यह जरूरी था कि राजस्थान को उस एग्रीमेंट के मुताबिक पानी दिया जाता, लेकिन उसमें कुछ कमी आई। इसका कारण यह है कि देश के विभिन्न भागों में जो इन्टर-स्टेट वाटर डिस्पूट्स, अन्तर्राज्यीय जल-विवाद, चल रहे हैं, केन्द्रीय सरकार की कमजोरी की वजह से उनका सही ढंग से समाधान नहीं निकल पा रहा है।

अभी माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर शर्मा, ने कहा कि केन्द्र सरकार को अपनी पर्सवेसिव पावर काम में लानी चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि इस सरकार में पर्सवेसिव पावर कम है, बस डण्डे की ताकत है। अगर यह सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, तो उसको अपनी पर्सवेसिव पावर को बढ़ाना चाहिए, और अगर वह डेमोक्रेसी को नहीं मानती है, तो फिर डण्डे से काम ले। उसको अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए मजबूती से कदम उठाना चाहिए और राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए। क्या वजह है कि इस तरह के कितने ही जल-विवाद चल रहे हैं और वे समाप्त नहीं हो पा रहे हैं? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि हम लोग भी इस विषय से सम्बन्धित हैं, कि कई राज्यों में पानी के विवाद गत कई वर्षों से चल रहे हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान को इस योजना के द्वारा तत्काल अधिक से अधिक पानी मिल सके, इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक सवाल और है, जो हमारे राज्य से सम्बन्धित है। एक सप्ताह पहले गंडक परियोजना के अन्तर्गत सूरजपुरा पावर हाउस का बिहार के मुख्य मंत्री और नेपाल के प्रधान मंत्री के द्वारा उद्घाटन हुआ था। अगर मंत्री महोदय को कोई जानकारी हो, तो वह बताएं, वरना कोई बात नहीं, कि उससे उत्तर प्रदेश और बिहार को कितनी बिजली मिलेगी। उस योजना से नेपाल का भी सम्बन्ध है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है और प्रायः सूखा पड़ा करता है।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। नियम इसकी अनुमति नहीं देते। उनका नाम बैलट में आ चुका है। अब माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाए गए हैं, कब्ल इसके कि मैं उनका जवाब दूं, मैं दो मिनट में इस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि चम्बल वैली प्राजेक्ट का स्टेटस क्या है। चम्बल वैली प्राजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश की दो स्टेट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। कोई रिटेन ऐग्रीमेंट दोनों स्टेट्स के बीच में नहीं हुआ है। जो अण्डरस्टैंडिंग थी वह यह थी कि कास्ट और बेनिफिट्स को दोनों स्टेट्स बराबर-बराबर शेयर करेंगे।

इस प्रोजेक्ट में तीन डैम्स बनने थे, रिजर्वायर बनने थे और बैराज बनना था। बैराज और गांधी सागर यह 60 में कम्पलीट हो गया और दो बांध फोर्थ फाइव ईयर प्लान में कम्पलीट हो गए। सवाल यह है कि उस वक्त का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के हिसाब से

गांधी सागर का लाइव स्टाक 5.61 मिलीयन एकड़ फीट था और एवरेज ऐन्युअल फ्लो चम्बल और डैम से 3.88 मिलीयन एकड़ फीट था। गांधी सागर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसमें रिजर्वायर में पानी इतना हो, जब पानी इफरात से बरसे तो उसको इतना स्टोर कर लिया जाये कि लीन के ईयर्स में जब पानी की बारिश कम होती है तो उसमें उसको इस्तेमाल किया जा सके और हमारी पानी की जरूरत पूरी हो। इस योजना के तहत जो हमारी इर्रीगेशन की जरूरत थी वह 3.2 मिलियन एकड़ फीट पानी की थी और एवरेज ऐन्युअल ईल्ड इस गांधी सागर में 3.88 मिलियन एकड़ की थी।

जहां तक इस बात का सवाल है पानी की फराहमी का, पानी के इर्रीगेशन के लिए मौजूद होने का और पावर जेनरेशन के लिए मौजूद होने का, जो इतलात हमारे पास राजस्थान से मिली है उनके आधार पर मैं यह कहता हूं कि पानी की कमी की इन दोनों स्टेट्स में से किसी ने शिकायत नहीं की और न यह शिकायत की है कि पावर का जितना जेनरेशन होना चाहिए उतना नहीं हुआ। बल्कि जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो हमें मिनिस्ट्री आफ एनर्जी से मिले हैं उन आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि एवरेज पावर जेनरेशन जितना जेनरेशन हम उससे समझते थे उससे 30 परसेंट ज्यादा है।

श्री रामसिंह यादव : गत वर्ष कम क्यों हुआ ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सन् 80-81 को छोड़ कर बाकी हर साल में जितना जेनरेशन हमारी योजना में था उससे ज्यादा हुआ है। एवरेज जेनरेशन 30 परसेंट ज्यादा हुआ है। 79-80 में भी ज्यादा हुआ है। सिर्फ एक साल है 80-81 जिसमें कम हुआ है और उसकी वजह यह है···

श्री सत्यनारायण जटिया : 72 में भी कम हुआ है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : नहीं, 72 में नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह है कि दो साल बराबर बरसात की कमी रही।

श्री रामसिंह यादव : मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, उस रेशियो से देखिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, गांधी सागर का प्रोजेक्ट जो डिजाइन हुआ था वह 1380 मिलियन किलोवाट अवर ऐन्युअली के आधार पर हुआ था। 72-73 में 1386 मिलियन किलोवाट अवर्स का जेनरेशन हुआ। अगर चाहें तो पूरी फिगर्स दे सकता हूं।

तो मैं कह रहा था कि कहाँ तक पावर जेनरेशन का सवाल है सिर्फ 1980-81 में, और वह इसलिये कि 1979-80 में भी ड्राई वैदर रहा और उसकी वजह से पानी की कमी रही और फिर उसी का असर 1980-81 पर भी पड़ा और 1980-81 में भी पानी की कमी रही।

अब मैं बुनियादी सवाल पर आता हूं। बुनियादी सवाल यह है कि गांधी सागर की अपररीचेज में, जो उसका कैचमेंट एरिया है उसके अपर रीचेज में मध्य प्रदेश ने कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लिये और उसकी वजह से पानी का यूटिलाइजेशन करना चाहा। सवाल यह है। और इस सवाल को 1980 में राजस्थान सरकार ने शिकायत के रूप में उठाया और वहां के इर्रीगेशन सेक्रेटरी ने हमको पत्र लिखा कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश बना कर के यह जो चम्बल वैली प्रोजेक्ट है उसमें पानी की कमी आ जायेगी और हमें दिक्कत हो जायेगी और हमें अपना शेयर नहीं मिलेगा इर्रीगेशन के लिये। हमने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा उसके आदादोशुपार

क्या हैं, कौन से प्रोजेक्ट लिए हैं और कितना पानी है ? जो इत्तिला उन्होंने दी है वह यह है कि 57 प्रोजेक्ट्स वह पूरे कर चुके हैं और 29 प्रोजेक्ट्स अन्डरकंस्ट्रक्शन हैं। और 57 प्रोजेक्ट्स वह कमप्लीट कर चुके हैं उसकी टोटल रिक्वायरमेंट, 061 मिलियन एकड़ फीट है, और 29 प्रोजेक्ट्स जो अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं उनकी रिक्वायरमेंट, 064 मिलियन एकड़ फीट होगी। यह उनका रिक्वायरमेंट है। तो इसको अगर टोटल कर दिया जाए सारे प्रोजेक्ट्स को कमप्लीट हो जाने के बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वह 1.25 मिलियन एकड़ फीट होगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है वह वाकयात सही नहीं है जो हमारी इत्तिला है उसके मुताबिक।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह इनफोर्मेशन करेक्ट दी है कि नहीं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जाहिर है कि हमें जो सूचना मिली है उसी पर हम अपना जवाब तैयार करेंगे।

उस इशू पर भी आता हूं कि सेन्टर को क्या रोल प्ले करना है। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो सिर्फ 4 परसेंट पानी ऐसा है जो इन अपर रीचेज में वह इस्तेमाल करेंगे। जब हमने इस ऑबजेक्शन को जो राजस्थान सरकार ने किये थे, और जो मालूम होता था कि वाकई उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है कि अगर अपर रीचेज में इस तरह के नये प्रोजेक्ट्स लिये जाते रहेंगे तो पानी की फराहमी नीचे के लोगों को कम होगी, जब इस ऑबजेक्शन को राजस्थान सरकार के उनसे लिया गया तो उन्होंने साफ-साफ यह कहा कि यह हमारी जो अन्डरस्टैंडिंग है इसमें कहीं पर भी हमको इस बात से नहीं रोका गया है कि हम 16 लाख हैक्टर जमीन को, जो हमारा कैचमेंट एरिया है, जो हमारे हिस्से में पड़ता है सारा का सारा ज्यादा कैचमेंट एरिया मध्य प्रदेश में है,...इन्कार कर दिया है कि जब तक पानी की एवेलेबिलिटी पूरे तौर पर एशयोर्ड नहीं होगी, सैन्टर हमको एशयोर नहीं करेगा, इस प्रोजेक्ट में मदद देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। जब मामला आया कि मदद नहीं मिलेगी तो यह दबाव पड़ा, प्रैशर पड़ा।

हमारा दावा नहीं था, सी. ए. डी. इन्टर नेशनल डवेलपमेंट अथारिटी और वर्ल्ड बैंक के दबाव में इस बात पर राजी हो गए कि हाँ, सैन्टर को इसमें इन्वाल्व करने के लिए तैयार हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : मुबारक हो।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : दूसरा पहलू है, इरिगेशन के सिलसिले में। सवाल यह है कि इरिगेशन का पानी मौजूद होते हुए भी, उसके युटिलाइजेशन के लिए कैनाल्स और चैनल्स बनाने के काम में हमारी दोनों सरकारें पिछड़ गई हैं और उसका नतीजा यह है कि जो बैनिफिट्स हमको हासिल होना चाहिए, वह बैनिफिट्स हमको हासिल नहीं हुए। इस योजना के तहत सात लाख हैक्टेयर जमीन को राजस्थान में और सात लाख हैक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश में सींचना था। उसको हम सिंचाई से बिल्कुल वंचित कर दें, सिंचाई न होने दें, यह हम करने वाले नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है। मैं बहुत सफाई से अर्ज करना चाहता हूं, हमारे दोस्त हरिकेश जी और माननीय श्री नवल किशोर शर्मा, जो कि इस सदन के सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने परस्वेसिव की जो शक्ति है, जो ताकत है, मरकजी हकूमत की उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया। उपाध्यक्ष जी, परस्वेशन हम इस हाउस में रोज देखते हैं, जब इतने छोटे

से हाउस में सारा परस्वेशन वेकार हो जाता है, जिस वक्त माननीय सदस्य, श्री हरिकेश जी और उनके साथी जोश में आते हैं. तो कोई परस्वेशन काम नहीं कर पाता है। कयासं कुन जे गुलिस्ताने मन वहारे मरा—इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि परस्वेशन के क्या रिजल्ट होंगे।

हमारे अख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे अख्तियारात वहुत लिमिटेड हैं। खास तौर पर अपर-रिचेज के जो नए छोटे जो प्रोजैक्ट्स हैं, वे हमारे यहाँ सैन्टर वाटर कमीशन के पास क्लीयरेंस के लिए भी नहीं आते हैं। यह मजबूरी नहीं है कि उन प्रौजैक्ट्स को हमारे यहाँ क्लीयरेंस के लिए भेजें। मसला यह आया राजस्थान सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा कि सैन्टर को किसी तरह से इसमें इन्वाल्व करना चाहिए, ताकि वह सारी चीजों को देखे। मध्य प्रदेश की सरकार ने उससे साफ-साफ इन्कार कर दिया कि यह हमारा वाइलेट्रल मामला है, इसमें हम किसी की हस्तक्षेप गंवारां नहीं करेगे। कमांड एरिया डवेलपमेंट प्रोगाम में वर्ल्ड-बैंक की सहायता मध्य प्रदेश सरकार को भी हुई और राजस्थान सरकार को भी जरूरत हुई तो अब वे इस बात पर एग्री कर गए हैं और वर्ल्ड बैंक ने लेकिन 5 सालों का जो एव्रेज है—वह 4.71 लाख हैक्टेअर्स राजस्थान का है और 4.28 लाख हैक्टेअर्स मध्य प्रदेश का है। ये उन्हीं की फिगर्स हैं। इसके मायने यह हुए की हमें उस पानी को खेती तक पहुंचाने के लिए जिन नहरों और डिस्ट्रीव्यूटरीज का जाल विछाना चाहिए था, वह नहीं कर पाये। इन दोनों स्टेट्स ने कमाण्ड-एरिया-डवेलपमेंट की तरफ पूरी तवज्जह नहीं दी, इसी लिए हम इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाये। अव जहाँ तक एग्रीमेंट्स का ताल्लुक है, वह भी मैंने वतला दिया है कि इस तरह का कोई एग्रीमेन्ट नहीं है, अण्डरस्टेण्डिग है···

श्री वृद्धि चन्द जैन : इस योजना के बारे में कोई प्राजेक्ट रिपोर्ट बनी हुई है या नहीं ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : क्यों नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द जैन : अगर है, तो रिपोर्ट में सब चीजें लिखी हुई हैं कि क्या अण्डरस्टेण्डिग हुई थी।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं उसी की वुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : आप रिपोर्ट की कापी सदन में प्रस्तुत कर दें, सारी पोजीशन स्पष्ट हो जाएगी।

श्री सत्यनारायण जटिया : अभी भी रिजर्वायर में पर्याप्त पानी नहीं है। गांधी सागर डैम में कितना पानी है, आप इतना वतला दें उससे ही स्थिति का पता लग जाएगा।

श्री वृद्धि चन्द जैन : पानी बीच में ले रहे हैं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : वहाँ अभी भी सूखा पड़ा हुआ है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जो इन्फर्मशन हमको स्टेट से मिलती है और जो सैन्ट्रल वाटर कमीशन से मिलती है, मैं उनकी ही वुनियाद पर वतला रहा हूं। अगर आपको कोई दूसरी इत्तिला चाहिए तो हमको दे दें, हम जानकारी करवा लेंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया : गांधी सागर रिजर्वायर में हर साल पर्याप्त पानी नहीं आया।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : एक सवाल शायद हरिकेश जी ने या शर्मा जी ने उठाया

था—क्या केन्द्रीय सरकार इरिगेशन के सब्जैक्ट को, वाटर के सब्जैक्ट को, कान्करैन्ट लिस्ट में लाने का कोई इरादा रखती है ··

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक विषय है और मन्त्री महोदय श्री नवल किशोर के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पायेंगे ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : हम तो ऐसा करके बहुत खुश होंगे, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक हमारे कांस्टीचूशन में कोई अमेण्डमेंट नहीं हुआ है···

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे की चर्चा में यह प्रश्न उठा ही नहीं ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अर्ज कर दूं—अभी तक सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम कांस्टीचूशन में अमेण्डमेंट लायें । अलबत्ता एन्ट्री 56 में जो लिस्ट I हैं, जिसमें सैन्ट्रल सब्जैक्ट्स हैं उनमें इन्टरस्टेट रिर्क्स के बारे में जो इख्तियारात मर्कजी हुकूमत को मिले हुए हैं उन इख्तियारात के सेहत हम पार्लियामेंट में कानून लाने का इरादा रखते हैं कि उन रिवर्स को जो एक स्टेट के बजाय कई-कई स्टेट्स में बहते हैं उनको किस तरह से नियन्त्रित किया जाए, किस तरह से प्रोजैक्ट बने, किस तरह स समस्या का हल निकले । इस पर सरकार का इरादा बन रहा है ·

श्री नवल किशोर शर्मा : कब ला रहे हैं, जल्दी लाइये ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : उसको हम जल्दी ही लाने का इरादा रखते हैं । मेरा ख्याल है कि मैंने ज्यादातर प्वाइन्ट्स को कवर कर लिया है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं आप के सवाल का जवाब देता हूं । उपाध्यक्ष जी, हमारे मुआजिज मेम्बर काफी काबिल हैं । हो सकता है कि उनकी इरिगेशन के सिलसिले में टेक्नीकल नालिज हो । अनफार्चूनेटली में अपने बारे में यह कह सकता हूं कि मैं कोई टेक्नोक्रेट नहीं हूं । जो प्रोजेक्ट्स आपने बयान किये हैं और एक तारीका बताया है कि पानी कैसे ज्यादा फराहम किया जा सकता है, तो वह हमारे नोटिस में आ गया है और हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इर्रीगेशन का कोई प्रोजेक्ट भारत सरकार में इनिशियैट नहीं होता है । इर्रीगेशन का प्रोजेक्ट जिस स्टेट में होगा, वह उसी स्टेट में इनिशियेट होगा । उसी की यह जिम्मेवारी हैं कि वह उसे प्रोजेक्ट को तैयार करे, उसी की जिम्मेवारी है कि वह फंड्स फराहम करे और उसी की जिम्मेवारी है कि वह उसका इम्पलीमेटेशन करे । हम से तो वह सिर्फ टेक्निकल राय लेती है । जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट भेजेंगें, तो दिखवा लेंगें और उसका क्लियरेंस दे देगें । मैं आनरेबिल मेम्बर से यह दरख्वास्त करूंगा कि वे इसके लिए अपनी स्टेट पर दबाव डालें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट हो गये हैं । अब कल 11 बजे म.प. तक के लिए स्थगित होती है ।

6.22 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 8 सितम्बर 1981/17 भाद्र, 1903 (शक) के बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

ना प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6